संवैधानिक लेखा STATUTORY AUDITORS

वाही एण्ड गुप्ता
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली
Wahi & Gupta
Chartered Accountants
New Delhi

वी.सी. गौतम एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली
V.C. Gautam & Co.
Chartered Accountants
New Delhi

बी. छावछारिया एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
कोलकाता
B. Chhawchharia & Co.
Chartered Accountants
Kolkata

रे एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
कोलकाता
Ray & Co.
Chartered Accountants
Kolkata

जोध जोशी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
नागपुर
Jodh Joshi and Co.
Chartered Accountants
Nagpur

जे सी आर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
मुंबई
J C R & Co.
Chartered Accountants
Mumbai

अनुक्रमणिका INDEX

क्र. / No.	विषय सूची	Contents	पृष्ठ क्र./ Page No.
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का वक्तव्य	Chairman & Managing Director's Statement	2
2.	सूचना	Notice	4
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	Directors' Report`	6
	प्रबंध चर्चा और विश्लेषण	Management Discussion and Analysis	6
	• स्थूल आर्थिक और मौद्रिक वातावरण	• Macro Economic and Monetary Environment	6
	• बैंक का कार्य निष्पादन	• Performance of the Bank	8
	• संगठन और समर्थन पद्धति	• Organisation and Support System	11
	• सामाजिक बैंकिंग	• Social Banking	19
	• बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/परियोजनाएँ	• Important Schemes / Projects of the Bank	20
	• संस्थागत सामाजिक दायित्व	• Corporate Social Responsibilty	21
	• सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थान	• Subsidiaries / Joint Ventures and Sponsored Institutions	23
	• राजभाषा का प्रगामी प्रयोग	• Progressive Use of Official Language	24
	• निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन	• Directors' Responsibility Statement	24
	• निदेशक मंडल में परिवर्तन	• Changes in the Board of Directors	24
4.	कॉर्पोरेट गवर्नन्स पर टिप्पणी	Note on Corporate Governance	26
5.	तुलनपत्र	Balance Sheet	38
6.	लाभ व हानि खाता	Profit and Loss Account	39
7.	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	Significant Accounting Policies	48
8.	लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	52
9.	नकदी प्रवाह विवरण	Cash Flow Statement	82
10.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	Auditors' Report	84
11.	बैंक के समेकित वित्तीय विवरण	Consolidated Financial Statement of the Bank	86
12.	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) फॉर्म	Electronic Clearing Service (ECS) Form	109
13.	उपस्थिति पर्ची	Attendance Slip	110
14.	प्रॉक्सी फार्म	Proxy Form	111

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का वक्तव्य

30 अप्रैल, 2010

प्रिय शेयरधारकों,

दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

वर्ष 2009-10 बैंक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है. क्योंकि यह बैंक का प्लैटिनम जुबली वर्ष भी है. प्लैटिनम जुबली समारोहों की शुरुआत दिनांक 26.11.2009 को भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल के हाथो की गई थी.

वर्ष के दौरान बैंक ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां पार कीं. बैंक का कुल कारोबार रु. 1 लाख करोड़ के लक्ष्य के पार हो गया. बैंक ने 02 मार्च, 2010 को अपनी सभी 1453 शाखाओं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत लाते हुए एक बड़ी तकनीकी उछाल भरी. इसके साथ ही देश भर में 130 लाख से अधिक ग्राहकों को *कहीं भी कभी भी बैंकिंग की सुविधा* उपलब्ध हो गई. ग्राहकों उपलब्ध तकनीक आधारित सेवाओं के इस उपहार से बैंक एक सर्व वित्तीय सेवाओं का एक मॉल बन गया है.

पिछले तीन वर्षों के दौरान चक्रवर्धित वार्षिक वृद्धि दर 22 प्रतिशत रही. बैंक ने ग्राहकों, एवं निवेशकों के सक्रिय समर्थन व प्रश्रय तथा सभी कर्मचारियों की सहभागिता से वर्ष 2009-10 के दौरान व्यवसाय में सर्वांगीण वृद्धि दर्ज की. कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

1. वित्तीय वर्ष 2009-10 के पूर्वार्ध के दौरान चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद 19.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कुल व्यवसाय 31.03.2009 को रु. 87,072 करोड़ से बढ़कर 31.03.2010 को रु. 1,04,230 करोड़ हो गया.

2. कुल जमाराशियां 21.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2009 के रु. 52,255 करोड़ से बढ़कर 31.03.2010 को रु. 63,304 करोड़ हो गई. इसमें कम लागत वाली जमाराशियों (चालू व बचत जमाराशियां) का हिस्सा 36.91 प्रतिशत था.

3. वर्ष के दौरान सकल अग्रिमों में रु. 6,109 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई. 17.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2009 को रु. 34,817 करोड़ के मुकाबले सकल अग्रिम 31.03.2010 को रु. 40,926 करोड़ रहे.

4. पिछले वर्ष पर 11.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2009-10 को कुल आय रु. 5,326.81 करोड़ थी.

5. पिछले वर्ष पर 17.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष के लिए निवल लाभ रु. 439.58 करोड़ था.

6. सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2009 को 2.29 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 31.03.2010 को 2.96 प्रतिशत हो गई. निवल अनर्जक आस्तियां भी दिनांक 31.03.2009 को 0.79 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर दिनांक 31.03.2010 को 1.64 प्रतिशत हो गई.

7. बैंक ने वर्ष के दौरान पूंजीगत निधियों में रु. 600 करोड़ की वृद्धि की जिसमें नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत (टायर I) के अंतर्गत रु. 70 करोड़ और पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने हेतु अपर टायर II व लोअर टायर II बांडों के अंतर्गत रु. 530 करोड़ शामिल हैं.

8. बैंक ने 31-03-2010 को बेसल II के अंतर्गत 12.78 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त कर लिया.

9. पिछले वर्ष के रु. 6.39 करोड़ के मुकाबले इस वर्ष प्रति कर्मचारी व्यवसाय बढ़कर रु. 7.62 करोड़ हो गया.

10. तैंतीस नई शाखाएं खोलते हुए कुल शाखा संख्या 1,453 हो गई.

11. वर्ष 2009-10 के दौरान 680 शाखाओं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत लाते हुए सभी 1,453 शाखाओं अर्थात 100 प्रतिशत शाखाओं को सीबीएस के अंतर्गत लाया गया.

12. बैंक ने प्लैटिनम जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में तथा संस्थागत सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए विभिन्न समाज कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जिनमें से एक है "महाबैंक प्लैटिनम जुबली ग्रामीण उन्नति प्रकल्प" के अंतर्गत समन्वित विकास हेतु 75 पिछड़े गावों को

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR'S STATEMENT

30 April, 2010

Dear Shareholders,

I am very happy to present the Annual Report of the Bank together with audited financial statements for the year ended 31.3.2010.

The year 2009-10 is historic for the Bank as it coincides with the Platinum Jubilee Year of the Bank. Mrs. Pratibha Devi Singh Patil, Her Excellency, the President of India inaugurated the Platinum Jubilee celebration at Pune on 26.11.2009.

The Bank crossed several significant milestones during the year. Total business of the Bank crossed Rs. One Lakh crore. The Bank took a giant technological leap on March 2, 2010 by rolling out core banking solution (CBS) at all its 1453 branches. With this, *any time, any where banking facility* is available to Banks' 13 million plus customers across the length and breadth of the country. A bouquet of technology based services which is available to the customer makes the Bank a one stop financial services mall.

During the last three years, compound annual growth rate has been 22 per cent. The Bank has recorded an all round progress during the year 2009-10 with whole hearted support and patronage of customers, investors and the members of staff. Let me highlight the important areas of performance.

1. Total business increased to Rs.1,04,230 crore as on 31.3.2010 from Rs. 87,072 crore as on 31.3.2009, thereby recording a growth of 19.71 per cent under challenging economic conditions during the first half of the FY 2009-10.

2. Total Deposits registered a growth of 21.14 per cent, from Rs 52,255 crore as on 31.3.2009 to Rs. 63,304 crore as on 31.3.2010. The share of low cost deposits (current and saving deposits) was 36.91 per cent.

3. The Gross advances showed a rise of Rs. 6,109 crore during the year. As on 31.3.2010, gross advances stood at Rs. 40,926 crore as against Rs. 34,817 crore as on 31.3.2009, recording a rise of 17.55 per cent.

4. Total income was Rs.5,326.81 crore for the year 2009-10 showing a growth of 11.17 per cent over the previous year.

5. Net profit was Rs.439.58 crore for the year showing a rise of 17.17 per cent over the previous year.

6. As on 31.3.2010, gross NPAs increased to 2.96 per cent as against 2.29 per cent at 31.3.2009. Net NPAs also increased to 1.64 per cent as on 31.3.2010 from 0.79 per cent at 31.3.2009.

7. The Bank raised capital funds of Rs.600 crore during the year, comprising Rs. 70 crore under Innovative Perpetual Debt Instruments (Tier I) and Rs. 530 crore under Upper Tier II and Lower Tier II Bonds to strengthen the capital adequacy ratio.

8. The Bank has achieved a capital adequacy ratio of 12.78 per cent under Basel II as on 31.03.2010.

9. Per employee business has increased to Rs. 7.62 crore for the year from Rs. 6.39 crore for the previous year.

10. Thirty three new branches were opened, taking the branch network to 1,453.

11. 680 branches were rolled out under Core Banking Solution (CBS) during the year 2009-10, thereby covering all the 1,453 branches, i.e. 100 percent branches, under CBS.

12. To commemorate the occasion of the Bank's Platinum Jubilee Year and in fulfillment of its corporate social responsibility, the Bank has undertaken various socially beneficial programmes. One of them is adoption of 75 backward villages for integrated development under 'Mahabank Platinum

अंगीकार करना. इसके अतिरिक्त 25,000 नए स्व-सहायता समूहों का गठन किया जिसके साथ ही बैंक द्वारा प्रायोजित स्व-सहायता समूहों की संख्या 75,000 से अधिक हो गई.

बैंक ने जनकल्याण रक्त पेढी, पुणे में ऑटोमेटेड वायरस स्क्रीनिंग, टच स्क्रीनिंग आदि के लिए पूर्णत: स्वचालित एलिसा प्रोसेसर की स्थापना को प्रायोजित किया.

13. बैंक ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के आर्थिक विकस हेतू उन्हें प्रभावी ढंग से ऋण प्रदान किया. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास किए गए. वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम के क्षेत्र के अंतर्गत बकाया अग्रिमों में 32.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई और कुल ऋण रु. 4069.41 करोड़ पहुंच गया.

14. बैंक ने महाराष्ट्र की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजन और महाराष्ट्र के छह जिलों में अग्रणी बैंक के दायित्व का निर्वाह प्रभावी ढंग से किया.

लाभप्रदता के विभिन्न परिमापों के अंतर्गत अनुकूल कार्यनिष्पादन को देखते हुए आपके निदेशक बोर्ड ने वर्ष 2009-10 के लिए रु. 2.00 प्रति शेयर (अर्थात 20 प्रतिशत) के लाभांश की सिफारिश की है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसका अनुमोदन करें.

आगामी चुनौतीपूर्ण समय में भी मैं आपसे अपना समर्थन व प्रश्रय पूर्ववत जारी रखने का निवेदन करता हूं.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

अलेन पिरेरा

(अलेन सी.ए. पिरेरा)

Jubilee Gramin Unnati Prakalpa'.This is besides facilitating 25,000 new Self Help Groups, to take the tally of SHGs promoted by the Bank to over 75,000.

The Bank has sponsored the installation of fully Automated Elisa Processor for automated virus screening, touch panel screening etc. at the Jankalyan Rakta Pedhi (Blood Bank), Pune for the benefit of the citizens.

13. The Bank has lent actively to economically weaker sections for facilitating their economic wellbeing. Special efforts were made to enhance flow of credit to MSME sector. During the year, outstanding advances to MSME sector increased by 32.39 per cent, to reach the level of Rs. 4069.41 Crore.

14. The Bank effectively handled the work of Convener, State Level Bankers' Committee for Maharashtra and lead bank responsibility in six districts of Maharashtra.

Having regard to the favourable achievements under various profitablity parameters, your Board of Directors have recommended dividend of Rs.2.00 per share (i.e. 20%) for the year 2009-10 and I request you to approve the same.

I solicit your support and patronage as hitherto in challenging times ahead.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Allen C. A. Pereira)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

प्रधान कार्यालय : 'लोकमंगल कार्यालय', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005

नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की सातवीं वार्षिकसाधारण आम सभा शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई, 2010 को सुबह 10.00 बजे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप्पासाहेब जोग सभागृह, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कार्य संव्यवहार संपन्न करने हेतु होगी.

1. 31 मार्च, 2010 के तुलनपत्र तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि खाते पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार्य करना और, बैंक के लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना.

2. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु लाभांश घोषित करना.

अलेन पिरेरा

स्थान : पुणे
दिनांक : 30 अप्रैल, 2010

(अलेन सी.ए. पिरेरा)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

टिप्पणियां

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित रहकर वोट डालने के पात्र शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने और वोट डालने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का अधिकार है. ऐसा प्रॉक्सी व्यक्ति बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है. प्रॉक्सी फार्म में विनिर्दिष्ट स्थान पर प्रॉक्सी प्रभावित करने के लिए प्रॉक्सी फार्म साधारण वार्षिक आम सभा की दिनांक से चार दिन पूर्व अर्थात साधारण वार्षिक आम सभा के समाप्त होने के अंतिम घंटों से या **सोमवार,** दिनांक **5 जुलाई, 2010** के लिए निर्धारित कार्य के घंटे समाप्त होने के चार दिन पूर्व मिल जाना चाहिए.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक किसी कंपनी या निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित सत्यप्रति है जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात सोमवार, दिनांक 5 जुलाई, 2010 को या उससे पहले कार्यालय समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व जमा नहीं की जाती.

3. उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/ प्रॉक्सीधारकों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची आम सभा के स्थान पर देने की कृपा करें. प्रॉक्सी / शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि यथाप्रसंग उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर उल्लेख करें कि "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि.

4. बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 3 जुलाई, 2010 से शुक्रवार 9 जुलाई, 2010 (दोनों दिन मिलाकर) तक वार्षिक आम सभा और लाभांश भुगतान की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे.

5. लाभांश का भुगतान

शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित लाभांश का भुगतान शेयरधारकों को भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा, जिनके नाम दिनांक 9 जुलाई, 2010 को शेयरधारकों के रजिस्टर में लिखे होंगे और डी-मेट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को डिपॉजिटरी द्वारा बैंक को उपलब्ध की गई दिनांक 2 जुलाई, 2010 की सूची के अनुसार लाभांश का भुगतान किया जाएगा और वार्षिक आम सभा की दिनांक से 30 दिनों के अन्दर लाभांश वारंट डाक द्वारा भेज दिए जाएंगे.

6. अंतरण प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को अंतरण के लिए नीचे दिए गए पैरा क्र. 7 मे दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाए.

7. पते में परिवर्तन

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को भेजें :

एमसीएस लिमिटेड, (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, 5, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोदी), मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009 फोन: (022) 2372 6253-56, फैक्स: (022) 2372 6252, ई-मेल: mcspanvel@yahoo.co.in

डिमैट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है,तो सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपन्टस को दें.

8. इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा - एनईसीएस / इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सर्विसेस (ईसीएस) और बैंक विवरणों में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान जहां उपलब्ध हो वहां एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से करने की व्यवस्था करेगा. किसी केन्द्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा.

भौतिक रूप मे शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं. वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से करने के अनुरोध रजिस्ट्रार व अन्तरण एजेन्ट मेसर्स एमसीएस लि. को भी नीचे अनुच्छेद 7 में दिए गए पते पर दिनांक 2 जुलाई, 2010 से पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए.

डिमटेरियालाइड रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक कृपा नोट करें कि संबंधित डिपॉजिटरीज में पंजिकृत अधिदेश पर लाभांश भेने हेतु विचार किया जाएगा. अपने बैंक खातों के विवरण में परिवर्तन कराने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध हैं कि वे अपनी डिपॉजिटरी पार्टीसिपन्टस को बैंक खातों का पूर्ण विवरण देते हुए परिवर्तन करने का अनुरोध 2 जुलाई, 2010 को या उससे पूर्व करें.

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश जमा करने हेतु बैंक के सीबीएस खातों के विवरण उपलब्ध करें.

9. शेयरधारक/ प्रॉक्सीधारक/ प्रतिनिधियों से अनुरोध हैं कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक आम सभा में अपने साथ लाएं.

10. बैंक के खातों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक आम सभा की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाएं ताकि प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सकें. शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं / स्पष्टीकरण केवल वार्षिक आम सभा में ही उपलब्ध किए जाएंगे.

Bank of Maharashtra

HEAD OFFICE: 'LOKMANGAL', 1501, SHIVAJINAGAR, PUNE - 411 005

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of Maharashtra will be held on Friday, the 9th July, 2010 at 10.00 a.m. at Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005 to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2010 and the Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010, the Report of Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year ended 31st March, 2010

Place : Pune
Date : 30th April, 2010

(Allen C.A. Pereira)
Chairman and Managing Director

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of Monday, 5th July, 2010.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him / her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head office of the Bank not less than Four Days before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closure hours of Monday, 5th July, 2010.

3. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance Slip-cum-Entry pass is annexed to this Report. Shareholders/ Proxy Holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of a shareholder should state on the Attendance-cum-slip as Proxy or Authorised Representative as the case may be.

4. BOOK CLOSURE

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from Saturday, the 3rd July, 2010 to Friday, the 9th July, 2010 (both days inclusive) for the Purpose of the Seventh Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement for dividend, if any.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as recommended by the Board of Directors and as approved by the shareholders shall be paid to those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 9th July, 2010 and in respect of shareholders holding their share in dematerialised form as per the list provided to the Bank by the Depositories as on 2nd July, 2010 and the dividend warrants shall be mailed within thirty days from the date of Annual General Meeting.

6. LODGEMENT OF TRANSFERS

Share Certificates along with transfer deeds for transfer of shares, should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at the address given under para No. 7.

7. CHANGE OF ADDRESS

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank at the following address:

MCS Limited, Unit: Bank of Maharashtra, Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg., 5, P.D. Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009. Tel No 022-2372 6253-56, Fax: 022-2372 6252 E-mail: mcspanvel@yahoo.co.in

Shareholders holding shares in Dematerialized Form are requested to intimate changes if any, in their address directly to the respective Depository Participants.

8. National Electronic Clearing Services-N-ECS/ Electronic Clearing Services (ECS) and Change in Bank Details

The Bank will arrange to make payment of dividend through N-ECS / ECS facility, wherever available, to all shareholders of the Bank. In the absence of N-ECS / ECS facility at certain centers, the Bank shall print and send the physical dividend warrants to the shareholders.

Shareholders holding their shares in physical form, who wish to avail ECS facility may authorize the Bank with their ECS Mandate in the prescribed form annexed to this Report. The request for payment of dividend through ECS for the year 2009-10 should be lodged with Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS Ltd at address mentioned under para 7 on or before 2nd of July, 2010.

Shareholders holding shares in Dematerialized form may please note that ECS mandate as recorded with the respective depositories will be considered for sending divided through ECS. Shareholders who wish to change Bank account details are requested to advise their depository participants only about such change with complete details of Bank Account on or before 2nd July, 2010.

Shareholders maintaining account with the Bank are requested to provide to the Bank, CBS Bank account details to credit their accounts towards dividend.

9. Shareholders/ Proxy holders/ Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting.

10. Shareholders who wish to seek any information on the accounts are requested to write to the Investor Services Department of the Bank at its Head Office, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Shareholders may note that information/clarification shall be provided only at the Annual General Meeting.

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 2009-2010

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, तुलनपत्र और लाभ-हानि खाते के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है.

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. सूक्ष्म आर्थिक और मौद्रिक वातावरण

1.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था

वर्ष 2008 के वैश्विक संकट के कारण पैदा हुई आर्थिक मंदी से वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे उभर रही है. पिछली दो तिमाहियों में लगाए गए वृध्दि के अनुमानों से विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार आने की गति यद्यपि कुछ अधिक है. किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक है और कुछ सीमित क्षेत्रों पर निर्भर है. पिछली कुछ तिमाहियों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृध्दि चीन और भारत के नेतृत्व वाली उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं के कार्य निष्पादन पर निर्भर थी और अपेक्षा है कि वर्ष 2010 में भी यह निर्भरता जारी रहेगी.

उन्नत विश्व में भी आर्थिक सुधार की गति अलग-अलग थी. जब लगभग आधा यूरोप मंदी से बाहर आने के लिए जूझ रहा था तब अमरीका में उद्योग और सेवा क्षेत्र ने फरवरी 2010 में उत्साहवर्धक वृध्दि दिखाई. अमरीका में अभी भी विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि उनका देश मंदी से बाहर नहीं आया है. अमरीका और यूरोपियन देशों में बेरोजगारी की दर काफी अधिक है, जो उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार पर प्रश्नचिन्ह लगाती है. अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने अनुमान लगाया है कि बेरोजगारी की दर वर्ष 2011 तक उच्च स्तर पर बनी रहेगी.

1.1.1 दृष्टिकोण

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने विश्व उत्पादन के अनुमानों में 1 प्रतिशत वृध्दि का सुधार कर 4.2 प्रतिशत की उच्चतर वृध्दि का अनुमान लगाया है. विश्व व्यापार की मात्रा में वर्ष 2009 में आई (-) 10.7 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2010 में 7 प्रतिशत की वृध्दि होने का अनुमान है. इसलिए निर्यात उन्मुख एशियन अर्थव्यवस्थाओं को तीव्र गति से वृध्दि करने में सुधारित विश्व व्यापार परिदृश्य सहायक हो सकता है.

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांश सुधार और उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वृध्दि भारी सरकारी खर्च के कारण है. सरकारों द्वारा मुक्त रूप से लोक ऋण की फंडिंग करने के कारण लोक ऋण प्रबंधन की जोखिम बढ़ गई है.

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था भी चीन की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार में योगदान दे रही है. औसत से कम मान्सून के कारण कृषि उत्पादन में होने वाली संभावित कमी और वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में निर्यात के लिए सतत कम मांग के उपरांत भी वर्ष 2008-09 में हुई 6.7 प्रतिशत की वृध्दि की तुलना में मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में उत्पादन में 7.2 और 7.5 प्रतिशत की वृध्दि का अनुमान लगाया गया है. वित्तीय और मौद्रिक, दोनों प्रकार के प्रोत्साहन पैकेजों के अपेक्षित परिणाम मिल रहे हैं. चूंकि आर्थिक वृध्दि अब विस्तृत क्षेत्रों पर आधारित है इसलिए उत्पादन की वृध्दि के प्रति चिंता गौण हो गई है. सरकारी खर्चों में वृध्दि के कारण मुख्य रूप से वर्ष 2008-09 में उत्पादन बढ़ा था. इस वर्ष वृध्दि मुख्य रूप से सुदृढ़ औद्योगिक कार्य निष्पादन तथा सेवा क्षेत्र में सतत रूप से जारी निर्भरता के कारण है. अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलते ही भारत सरकार ने प्रोत्साहन पैकेज धीरे-धीरे वापस लेने के प्रक्रिया आरंभ कर दी है.

अप्रैल-फरवरी 2009-10 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में गत वर्ष की तुलना में 10.1 प्रतिशत की वृध्दि हुई. दिसंबर-फरवरी 2009-10 के दौरान गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र ने प्रत्येक माह 15 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की. प्रमुख बुनियादी संरचनात्मक क्षेत्रों में लगभग शत प्रतिशत क्षमता दोहन हुआ. इसके अतिरिक्त निवेशों में वृध्दि ने मांग में सुधार के प्रारंभिक संकेत दिए. सकल स्थिर पूंजी गठन में परिवर्तन के माध्यम से परिकलित की जाने वाली निवेश मांग में दिसंबर 2009 को समाप्त 9 महिनों में गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि में हुई 4.4 प्रतिशत की वृध्दि की तुलना में 6.9 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाई.

निर्यातों में 12 माह से लगातार कमी दर्शाने के बाद पिछले वर्ष की तुलना में अक्तूबर 2009 में निर्यातों में सकारात्मक वृध्दि दिखाई दी. जबकि अर्थव्यवस्था के कायापलट करने से मूल

DIRECTORS' REPORT 2009-10

The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank together with the Audited Financial Statements, Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. MACRO ECONOMIC AND MONETARY ENVIRONMENT

1.1 Global Economy

The global economy is slowly recovering from economic slowdown experienced in the wake of global financial crisis of 2008. Even though the pace of recovery is faster than expected a couple of quarters back, it is still fragile and narrow based. The growth has relied heavily on performance of the emerging market economies (EMEs) led by China and India, and the trend is expected to continue in 2010.

In the advanced world also, trend in economic recovery is divergent. While the industries and services sector in the United States showed encouraging growth in February 2010, about half of Europe is struggling to come out of the recession. Even in the USA, analysts are far from unanimous that the economy is out of recession. Unemployment rates in the USA and European countries are still high and raise question about the extent of recovery. The International Monetary Fund (IMF) has projected unemployment rate to remain high till 2011.

1.1.1 Outlook

The International Monetary Fund (IMF) has revised upward its estimation of growth in global output by one percentage point to 4.2 per cent in 2010. World trade volume is expected to expand by 7 per cent in 2010 as against a contraction of (-) 10.7 per cent in 2009. Improved world trade scenario might, therefore, help the export led Asian economies to grow even faster.

Most of the recovery in advanced economies and the growth in EMEs are due to enormous government expenditure. However, the generous debt funding of public demand by Governments across the world pose a downside risk for public debt management.

1.2 Indian Economy

The Indian economy, along with the Chinese economy, is leading the global economic recovery. Despite a likely reduction in agricultural output due to below average monsoon and continuous fall in demand for exports for the first half of the fiscal, output in the year ending March 2010 is expected to grow between 7.2 and 7.5 per cent as compared to 6.7 per cent in 2008-09. The stimulus measures, both fiscal and monetary, are seen to be yielding positive result. As the economic growth has become broad based, the concern about output growth has subsided. While in 2008-09, growth in output was mainly on account of increase in government expenditure, this year the growth is led by strong industrial performance and continued resilience of the services sector. Taking cue from the early signals of improved economic activities, the government of India has initiated calibrated exit from its fiscal stimulus measures.

During the period April-February 2009-10, the Index of Industrial Production (IIP) increased by 10.1 per cent over the previous year. The industrial sector has posted more than 15 per cent growth every month during December-February 2009-10 over the corresponding months of previous year. Capacity utilization in major infrastructure sectors is near or above 100 per cent. In addition to that, the increase in investment shows early signals of improvement in demand. Investment demand as measured through change in Gross Fixed Capital Formation has increased by 6.9 per cent during nine months to December 2009 as compared to 4.4 per cent during the previous year.

After showing contraction for twelve consecutive months, exports have shown positive growth in October 2009 over the previous year. While it is accepted

प्रभाव पीछे है फिर भी वैश्विक मांग में सुधार हुआ है. नवंबर 2009 से आयातों में फिर से वृध्दि होने लगी है. नवंबर 2009 से गैर-तेलीय आयातों में वृध्दि घरेलू मांग में सुधार के संकेत देती है.

वर्ष 2009-10 के उत्तरार्ध में चक्रीय मूल्य स्तर से भी मांग में सुधार स्पष्ट है. वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उच्च स्तर पर बना रहा. अभी हाल में ही थोक मूल्य सूचकांक भी दो अंकों के स्तर से थोड़ा कम रहा है. वर्ष 2009-10 के अंत में परिलक्षित थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की उच्च दर चिंता का कारण है. क्यों कि गैर खाद्य मदों में मार्च 2010 में 53.3 प्रतिशत के योगदान के कारण ऐसा हुआ है. जबकि नवंबर 2009 में यह योगदान नकारात्मक अर्थात -0.4 प्रतिशत था. पूंजी आवक प्रवाह में सुधार और गैर खाद्य ऋणों में संभावित वृध्दि को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति में वृध्दि का अनुमान लगाया जा रहा है. अप्रैल-दिसंबर 2009 में निवल पूंजी आवक प्रवाह गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के यूएस डॉलर 7 बिलियन्स की तुलना में यूएस डॉलर 42 बिलियन्स तक काफी अधिक था. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान सीआरआर में 75 आधार अंक और अप्रैल 2010 में और 25 आधार अंक की वृध्दि के कारण अर्थव्यवस्था से तरलता कम हुई. नवंबर 2009 में 25 आधार अंकों से एसएलआर बढ़ा दिया गया था.

1.3 घरेलू बैंकिंग परिदृश्य

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियां वर्ष 2009-10 में रु.6,54,798 करोड़ से बढ़ी और दिनांक 26.03.2010 को रु.44,21,639 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई. इस प्रकार वर्ष 2008-2009 में हुई 19.8 प्रतिशत की तुलना में 17.4 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई. खराब मानसून, निजी उपभोक्ता मांग और वैश्विक मांग तथा अधिक मात्रा में औद्योगिक क्षमता वृध्दि के कारण 30 अक्तूबर, 2009 को बैंक ऋण वृध्दि की दर घट कर 9.5 प्रतिशत तक पहुंच गई. गैर खाद्यान्न बैंक ऋणों में लगातार आ रही कमी को उल्टा मोड़ दिया गया और उसके उपरांत भी वर्ष 16.9 प्रतिशत की वृध्दि पर समाप्त हुआ. जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 प्रतिशत की संकेतात्मक वृध्दि दर निश्चित की थी. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित आंक़डें प्रकट करते हैं कि वर्ष 2009-10 में 26 फरवरी, 2009 तक कृषि को ऋण प्रवाह 24.4 प्रतिशत तक था, जो कि गत वर्ष की तुलना में अधिक था. जबकि उद्योगों को ऋण प्रवाह में वृध्दि 20 प्रतिशत तक थी व्यक्तिगत ऋणों में यह केवल 4.7 प्रतिशत थी. प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में 22.2 प्रतिशत की वृध्दि हुई, जबकि छोटे उद्यमों को ऋण प्रवाह में 22 प्रतिशत की वृध्दि हुई.

सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में वर्ष दर वर्ष आधार पर 18.5 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई और दिनांक 26.03.2010 तक कुल निवेश रु. 13,82,684 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि गत वर्ष की तदनुरुपी अवधि में 20 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की गई थी. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का निवेश से जमा का अनुपात 26.03.2010 को वर्ष पूर्व के 30.97 प्रतिशत की तुलना में 31.27 प्रतिशत रहा.

1.4 घरेलू अर्थव्यवस्था परिदृश्य

उच्च वृध्दि मार्ग पर भारत वापस आ गया है. वर्ष 2009-10 के लिए आर्थिक वृध्दि के अनुमान लगातार उच्चतर स्तर पर संशोधित किए जाते रहे हैं. अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत की आर्थिक वृध्दि का अनुमान लगाया है. वर्ष 2010 में सामान्य मानसून के अनुमानों के साथ आशा की जा रही है कि घरेलू और वैश्विक मांग में तेजी आएगी. औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के अच्छे कार्य निष्पादन के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010-11 के दौरान 8 प्रतिशत की वृध्दि होगी. इस प्रकार की वृध्दि को समर्थन देने के लिए गैर खाद्य बैंक ऋण में 20 प्रतिशत की वृध्दि और बैंकों की समग्र जमाराशियों में 18 प्रतिशत की वृध्दि का अनुमान है.

आने वाले समय में मुद्रास्फीति पर रोक लगाना मुख्य चुनौती होगी. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपेक्षा की है कि मार्च 2010 की 9.9 प्रतिशत थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2011 तक घट कर 5.5 प्रतिशत तक आ जाएगी. निवल पूंजी, अंतर प्रवाह में वृध्दि और उसके परिणामस्वरूप मुद्रा आपूर्ति में वृध्दि, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्य, विशेषकर तेल और धातु और घरेलू मांग में उछाल मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक हैं. यदि वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्र सरकार की बजट की हुई निवल उधारी और मुद्रास्फीति नियंत्रण को भारतीय रिज़र्व बैंक की उच्च मौद्रिक नीति प्राथमिकता माना जाए तो अगले वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू तरलता में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी. बैंकिंग उद्योग के सामने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों, विशेषकर कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बुनियादी संरचना और निर्यात उन्मुख इकाइयों को उचित दरों पर ऋण उपलब्ध करना व तरलता प्रबंधन करना ही प्रमुख चुनौतियां होगी.

that base effect is behind the turn around, there is improvement in global demand also. Imports started growing once again since November 2009. Acceleration in non-oil imports since November 2009 indicates early recovery in domestic demand.

Improvement in demand is also evident from the spiraling price level during the second half of 2009-10. The consumer price indices remained high throughout the year. Of late, the wholesale price index (WPI) is also rising at a tad below the double digit rate. The high rate of WPI inflation observed towards the end of 2009-10 is a matter of concern because it has become more generalized with contribution of non-food items increasing to 53.3 per cent in March 2010 from negative at (-) 0.4 per cent in November 2009. Inflation expectations are further building up in view of pick up in capital inflow and likely resurgence in non-food credit. Net capital inflow in April-December 2009 was substantially higher at US$ 42 billion as compared to US$ 7 billion in the corresponding period last year. The system was flush with liquidity and as a liquidity tightening measure, the Reserve Bank of India (RBI) raised CRR by 75 basis points (bps) during 2009-10 and by further 25 bps in April 2010. SLR was restored to 25 per cent in November 2009.

1.3 Domestic Banking Scenario

Aggregate deposits of scheduled commercial banks (SCBs) increased by Rs. 6,54,798 crore during 2009-10 and stood at Rs. 44,21,639 crore as at 26.03.2010, showing a growth rate of 17.4 per cent as compared to 19.8 per cent recorded during 2008-09. Due to poor monsoon rains, lack of private consumption as well as global demand, besides excess industrial capacity, growth in bank credit dipped to a low of 9.5 per cent as of 30.10.2009. The trend of declining growth in non-food bank credit has been reversed since then and the year has ended with a growth rate of 16.9 per cent, above the 16 per cent revised indicative rate set by the RBI. The data published by the Reserve Bank of India reveals that during 2009-10 till 26.02.2010, credit flow to agriculture was 24.4 per cent higher than that in the previous year. While flow of credit to industry grew by about 20 per cent, the growth in personal loan was very low at 4.7 per cent. Advances to the priority sector grew by 22.2 per cent and that to small enterprises increased by 22 per cent.

Investments of SCBs in Government and other approved securities have grown by 18.5 per cent y-o-y as of 26.03.2010 to reach the level of Rs. 13,82,684 crore as against 20 per cent growth recorded during the corresponding period in the previous year. The investments to deposit ratio of SCBs stood at 31.27 per cent as of 26.03.2010 against 30.97 per cent a year ago.

1.4 Outlook for Domestic Economy

India is fast returning to the high growth path. Economic growth projections for 2009-10 have been constantly revised upwards with the latest RBI expectation pegging it upto 7.5 per cent. With strong indications of a normal monsoon in 2010, expectations of continued recovery in domestic as well as global demands, good performance of the industrial and services sectors, the RBI projects real GDP to grow at 8 per cent in 2010-11 with an upward bias. To support this kind of growth, non-food bank credit is expected to grow at 20 per cent and aggregate deposits with banks to increase at around 18 per cent.

The twin challenges in the coming days would be macroeconomic stability and financial sector development. The Reserve Bank of India expects WPI based inflation to come down from 9.9 percent in March 2010 to about 5.5 percent in March 2011. Factors which loom large on the inflation front are rise in net capital inflow and resultant growth in money supply, rising international commodity prices, especially those of oil and metals and expected resurgence in domestic demand. Given the budgeted net central government borrowing in 2010-11 and inflation control as top most monetary policy priority of the RBI, there could be curtailment of domestic liquidity in the next fiscal. The challenge before the banking industry is to manage liquidity and ensure adequate credit flow to the core sectors of the economy like agriculture, micro, small and medium enterprises (MSMEs), infrastructure and export oriented units at affordable costs.

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 2009-10

बैंक दिनांक 16 सितंबर, 2009 से अपने प्लेटिनम जुबली वर्ष में प्रवेश कर गया है. वर्ष के दौरान बैंक अधिकांश कारोबारी मानदण्डों पर अच्छा कार्यनिष्पादन दर्शा सका. बैंक ने कुल कारोबार रु. 1,00,000 करोड़ के स्तर को पार के एक नई उपलब्धि हासिल की है.

2.1 कारोबार

बैंक का कुल कारोबार 31.03.2010 को रु. 1,04,230 करोड़ का रहा. इस प्रकार 19.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई.

2.2 जमाराशियां

चालू व बचत खातों की जमाराशियों में सुदृढ़ वृध्दि के कारण वर्ष के दौरान बैंक की कुल जमाराशियों में रु.11,049 करोड़ की वृध्दि हुई परिणामस्वरूप कुल जमाराशियां रु.63,304 करोड़ की हो गई. इस प्रकार मार्च 2009 के स्तर रु. 52,255 पर 21.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. समान अवधि में समग्र जमाराशियों में 21.11 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई.

वर्ष के दौरान चालू खाता बचत खाता जमाराशियों ने वृध्दि में 25.27 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया व दिनांक 31.3.2010 को रु. 23364 करोड़ की रही. समग्र जमाराशियों में बचत व चालू जमाराशियों का हिस्सा 36.91 प्रतिशत था.

2.3 ऋण अभिनियोजन

बैंक में उधारी नीति लागू है जो गुणनात्मक ऋण वृध्दि पर बल देती है. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न दिशानिर्देशों तथा भारत सरकार के प्राथमिकता क्षेत्र के मानदण्डों के अनुसार पूर्ण उधारी नीति तैयार की गई है. नीति में महत्व वाले क्षेत्र, जोखिम घटक का प्रतिपादन किया गया है और ऋणों की गुणात्मक वृध्दि के लिए विवेकी विगोपन सीमाओं को भी निर्धारित किया गया है.

सकल अग्रिम 31.03.2009 के रु. 34,817 करोड़ के स्तर से 17.55 प्रतिशत की वृध्दि के साथ बढ़कर 31.03.2010 को रु. 40,926 करोड़ के हो गए.

दिनांक 31.03.2010 को ऋण जमा अनुपात 64.65 प्रतिशत था.

2.3.1 निधियों का खंडवार विनियोजन

बैंक का प्रयास विकेन्द्रित ऋण संविभाग बनाए रखने और अर्थ व्यवस्था के सभी संवर्गों व क्षेत्रों में ऋण वितरण सुनिश्चित करने का रहा है. बैंक ने अर्थव्यवस्था वृध्दि में योगदान देने वाले कोर, विनिर्माणी, प्राथमिकता क्षेत्र व उसी प्रकार बुनियादी संरचनात्मक सेक्टर को समर्थन देने के अपने प्रयास जारी रखे. राष्ट्रीय आर्थिक वृध्दि प्राथमिकताओं के प्रकाश में बैंक का इस प्रकार का कार्य भविष्य में भी जारी रहेगा.

अनु-क्रमांक	विनियोजित ऋण	31.03.2010 को बकाया रु. करोड़ में	कुल बकाया ऋण से प्रतिशत
1	उद्योग	13655.60	33.37
	इसमें से		
	i अवसंरचनात्मक	7308.48	17.86
	ii रसायन, डाय व पेन्ट इत्यादि	566.86	1.39
	iii पेट्रोलियम	683.74	1.67
	iv लोहा व स्टील	170.62	0.42
	v कपड़ा	823.63	2.01
	vi इंजिनियरिंग	3353.64	8.19
	vii अन्य उद्योग	748.61	1.83
2	कृषि	6249.98	15.27
3	एमएसएमई	4069.41	9.94
4	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	4282.64	10.46
5	फुटकर क्षेत्र	4942.37	12.08
6	आवास	3627.27	8.86
7	शिक्षा	430.02	1.05
8	निर्यात	1088.32	2.66
9	वाणिज्यिक भू संपदा	1122.51	2.74

2.3.2 ऋण प्रशासन और निगरानी

बैंक के पास क्रिम प्रणाली में सभी उधार खातों का व्यापक डाटा आधार है, जिसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन से जोड़ दिया गया है.सभी शाखाओं में सीबीएस कार्यान्वित होने के साथ 100 प्रतिशत उधारखातों को क्रिम प्रणाली में संकलित किया गया है.

2. BANK OF MAHARASHTRA - 2009-10

The Bank has entered into Platinum Jubilee year from 16th September, 2009. During the year, the Bank has been able to show good performance on most of the business parameters and crossed the milestone business level of Rs.1,00,000 crore.

2.1 Business

Total business of the Bank stood at Rs.1,04,230 crore as on 31.03.2010 registering a year on year growth of 19.71 per cent.

2.2 Deposits

Driven by robust growth in current and savings account (CASA) deposits, total deposits recorded growth of Rs.11,049 crore during the year to reach Rs.63,304 crore, up by 21.14 per cent over the level of Rs.52,255 crore as at the end of March 2009. Aggregate deposits recorded growth of 21.11 per cent during the same period.

CASA deposits increased by 25.27 per cent and stood at Rs. 23,364 crore as of 31.03.2010. CASA deposits constituted 36.91 per cent of total deposits of the Bank.

2.3 Credit Deployment

The Bank has put in place a lending policy with emphasis on qualitative credit growth. The policy is in full conformity with the guidelines issued by RBI and also the Priority Sector lending norms of the Government of India. It enunciates the thrust areas, risk factors and also sets out prudential exposure limits to facilitate qualitative expansion of credit.

The gross advances increased from Rs.34,817 crore as on 31.03.2009 to Rs.40,926 crore as on 31.03.2010 with growth of 17.55 per cent.

The Credit Deposit Ratio (CDR) as on 31.03.2010 was 64.65 per cent.

2.3.1 Sectoral Deployment of Credit

The Bank has endeavoured to maintain a diversified credit portfolio and ensured credit disbursal across sectors and various segments of the economy. The Bank has continued its efforts to support core, manufacturing and priority sectors as well as infrastructure projects, which serve to drive economic growth. This focus of the Bank will continue in future, in line with the national priorities in economic growth.

Sr. No.	Credit deployed	31.03.2010 Outstanding Rs. in crore	Percentage to total credit outstanding
1	Industry	13655.60	33.37
	Of which		
	i Infrastructure	7308.48	17.86
	ii Chemicals, Dyes, Paints etc	566.86	1.39
	iii Petroleum	683.74	1.67
	iv Iron & Steel	170.62	0.42
	v Textiles	823.63	2.01
	vi Engineering	3353.64	8.19
	vii Other Industries	748.61	1.83
2	Agriculture	6249.98	15.27
3	Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)	4069.41	9.94
4	Other priority sectors	4282.64	10.46
5	Retail sector	4942.37	12.08
6	Housing	3627.27	8.86
7	Education	430.02	1.05
8	Exports	1088.32	2.66
9	Commercial real estate	1122.51	2.74

2.3.2 Credit Administration and Monitoring (CREAM)

The Bank has developed "CREAM" system, a comprehensive database of all borrowal accounts, which is now integrated with Core Banking Solution (CBS). With implementation of CBS at all branches, 100 per cent borrowal accounts are captured in CREAM.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उचित आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण के लिए क्रीम प्रणाली एक प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली का उद्देश्य पूरा करती है. प्रत्येक उधार खाते में टर्नओवर/वसूली का पता लगाने में क्रिम प्रणाली का डाटा-बेस मद्दगार होता है और आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने या उसे बनाए रखने हेतु समय पर प्रभावी निगरानी करने के लिए पूर्व चेतावनी संकेत पकड़ने में सहायक होता है. .

उधार खाते की ऋण गुणवत्ता की और अधिक निगरानी, आवधिक रूप से आस्ति पुनरीक्षण व ऋण लेखा परीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है.

ऋण निगरानी का उद्देश्य ऋण गुणवत्ता ऋण प्रशासन, विनियमनकारी अनुपालन में सुधार करना तथा ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की समीक्षा करना है..

2.4 आस्ति निष्पादन

रु. 54.49 करोड़ की अनर्जक आस्तियों को कोटिउन्नित करने के अलावा बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009.10 के दौरान अनर्जक आस्तियों में रु. 254.27 करोड़ की वसूली की है. इसमे से लेजर शेष में रु. 174.04 करोड़ , बट्टाखाते में डाले गए खातों रु. 54.49 करोड़ और न लगाई गई ब्याज में रु. 21.85 करोड़ की वसूली हुई है.

गत वर्ष हुई वसूली (रु. 210.53 करोड़) की तुलना में बैंक ने इस वर्ष 21 प्रतिशत अधिक वसूली की है. अतिदेयताओं की वसूली हेतु चूककर्ता उधारकर्ताओं के साथ गहन अनुवर्तन, SARFAESI अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति प्रवर्तन का प्रभावी कार्यान्वयन, जटिल अनर्जक अग्रिमों में ऋण वसूली हेतु किए गए अथक प्रयास, सुरक्षित आस्तियों की वसूली के लिए ऋण वसूली अभिकरण से प्राप्त वसूली प्रमाणपत्रों का शीघ्र निष्पादन इत्यादि के कारण यह संभव हो पाया है.

सकल अनर्जक अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात दिनांक 31.03.09 के 2.29 प्रतिशत से बढ कर दिनांक 31.03.2010 को 2.96 प्रतिशत और निवल अनर्जक अग्रिमों से निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात गत वर्ष के 0.79 प्रतिशत से बढ कर दिनांक 31.03.2010 को 1.64 प्रतिशत हो गया.

2.5 विदेशी मुद्रा कारोबार और निर्यात वित्त

वर्ष 2009.10 के दौरान बैंक ने रु. 16,002 करोड़ का व्यापारी आवर्त और रु.1,78,289.42 करोड़ का अन्तर बैंक आवर्त हासिल किया. बकाया निर्यात ऋण 31.03.2009 के रु. 711 करोड़ की तुलना में 31.03.2010 को रु. 1,088.32 करोड़ के रहे. मुंबई स्थित अन्तरराष्ट्रीय शाखा व समूचे देश में फैले अन्य 28 विदेशी मुद्रा शाखाएं ग्राहकों की विदेशी मुद्रा कारोबार की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं. बैंक नियमित रूप से महत्वपूर्ण फोरेक्स केन्द्रों पर आयातको/निर्यातकों के सम्मेलन आयोजित करता है. बैंक ने वर्ष के दौरान अपने डिलिंग रूम में करेंसी फ्यूचर डेस्क का शुभारंभ किया व एमसीएक्स-एसएक्स एक्सचेंज में प्रोपरायटरी ट्रेडिंग शुरू की. ग्राहको की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्तरराष्ट्रीय डिविजन मुंबई में हेल्प डेस्क स्थापित किया है. वर्ष के दौरान 28 नामित केन्द्रों पर व्यापारी व्यवहारों के लिए स्ट्रेट थ्रो प्रोसेसिंग प्रणाली कार्यान्वित की है.

2.6 निवेश

बैंक के निवेश 31.03.2009 के रु. 18,382 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.3.2010 को रु. 21,324 करोड़ के रहे. इस प्रकार 16 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई. 77.94 प्रतिशत निवेश परिपक्वता तक धारित, 22.05 प्रतिशत निवेश विक्रय हेतु उपलब्ध श्रेणी और शेष 0.01 प्रतिशत व्यापार हेतु धारित श्रेणी में रखे गए. गत वर्ष के दौरान निवेशों पर हुई निवल ब्याज आय रु. 989.84 करोड़ से बढ़कर रु.।,297.90 करोड़ हो गई. इस प्रकार 31.12 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई.

2.7 उधारियां

दिनांक 31.3.2010 को बैंक की कुल उधारियाँ नाबार्ड तथा सिडबी से लिए गए रु.61.47 के पुनर्वित्त सहित रु. 129.45 करोड़ की थीं. दि. 31.03.2009 को कुल उधारियां रु. 190.01 करोड़ की थीं.

2.8 अब्याजी आय

अब्याजी आय में वृध्दि के लिए बैंक ने प्रयास जारी रखे. वर्ष 2008.09 में हुई अब्याजी आय रु. 500.02 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2009-10 में रु. 591.24 करोड़ की हो गई. इस प्रकार वर्ष 2008.09 पर 18.24 की वृध्दि दर दर्ज की गई. अब्याजी आय का 34.55 प्रतिशत हिस्सा ट्रेजरी परिचालनों से कमाया गया है. बैंक, आय में अधिक वृद्धि करने हेतु नये साधनों की खोज कर रहा है और बैंक-बीमा तथा म्युचुअल फंड वितरण व सरकारी कारोबार का समेकन कर रहा है. बैंक ने अब्याजी आय में वृध्दि के लिए ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग जैसी नई मूल्यवर्धित सेवाएं आरंभ की हैं.

CREAM serves the purpose of an effective Management Information System (MIS) for proper Income Recognition and Asset Classification (IRAC) as per RBI norms. The database helps to track the recovery/turnover in each borrowal account and helps to pick up early warning signals for timely and effective monitoring of the accounts, for retaining/improving asset quality.

The credit quality of borrowal accounts is further monitored through periodical asset performance review and credit audit.

Credit monitoring aims at improving the credit quality, credit administration, regulatory compliance and review of credit approval process.

2.4 Asset Performance

The Bank has achieved total cash recovery of Rs.254.27 crore in respect of NPAs during the fiscal 2009-10, of which recovery in ledger balance is Rs.174.04 crore, recovery in written off accounts is Rs.58.38 crore and recovery in unapplied interest is Rs.21.85 crore. This is besides up-gradation of NPAs to the tune of Rs. 54.49 crore into performing assets.

The Bank has registered 21 per cent improvement over the previous year's recovery performance (Rs. 210.53 crore). This was possible due to intensive follow up with defaulting borrowers for recovery of overdue amounts; effective implementation of the provisions of SARFAESI Act; vigorous loan recovery measures in respect of chronic NPAs; prompt execution of Recovery Certificates obtained from DRTs for realization of the secured assets, etc.

The ratio of Gross NPAs to Gross Advances has increased from 2.29 per cent as on 31.03.2009 to 2.96 per cent as on 31.03.2010 and the ratio of Net NPAs stood at 1.64 per cent as on 31.03.2010 as against 0.79 per cent a year ago.

2.5 Foreign Exchange Business and Export Finance

During the year 2009-10, the Bank achieved Merchant turnover of Rs.16,002 crore and an Interbank turnover of Rs.1,78,289.42 crore. The outstanding export credit as on 31.03.2010 was Rs.1,088.32 crore as against Rs.711 crore as on 31.03.2009. The International Banking branch at Mumbai and 28 other branches throughout the country cater to the foreign exchange business needs of our customers. The Bank regularly conducts Exporters'/Importers' meets at important centres. During the year, the Bank has set up currency futures desk at its Dealing Room and started proprietary trading in MCX-SX Exchange. A helpdesk has also been set up at the International Division at Mumbai to cater to the requirements of the clients with regard to Foreign Exchange. Straight-through-Processing (STP) of Merchant Transactions was implemented in all 28 designated Fex Centres during the year.

2.6 Investments

The net investments of the Bank stood at Rs.21,324 crore as on 31.03.2010 as against Rs.18,382 crore as on 31.03.2009, registering growth of 16 per cent. 77.94 per cent of the portfolio was held under Held to Maturity (HTM) category, 22.05 per cent in Available for Sale (AFS) and balance 0.01 per cent in Held for Trading (HFT) category. The net interest income from investment increased by 31.12 per cent to Rs.1,297.90 crore from Rs.989.84 crore during the last year.

2.7 Borrowings

The Borrowings of the Bank as on 31.03.2010 stood at Rs. 129.45 crore, including refinance of Rs.61.47 crore availed from NABARD and SIDBI. The total borrowings as at 31.03.2009 were Rs.190.01 crore.

2.8 Non Interest Income

The Bank continued its focus on enhancing non-interest income which rose to Rs. 591.24 crore during 2009-10 from Rs. 500.02 crore during 2008-09, registering growth of 18.24 per cent over 2008-09. The treasury operations have contributed about 34.55 per cent of the non-interest income. The Bank has been looking at new avenues to shore up its income and has consolidated its bancassurance, mutual fund distribution and government business. The Bank has introduced new value added services like online share trading to increase non-interest income.

2.9 व्यापारी बैंकिंग

वर्ष के दौरान बैंक ने जारीकर्ता व भुगतान कर्ता ऐजेंट के रूप में रु. 12,120.10 करोड़ के कमर्शियल पेपर के 69 निर्गमों का संचलन अपने ग्राहकों के लिए किया और रू.28.02 लाख की कमीशन कमाई.

2.10 निक्षेपी सेवाएं

बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी है. महानेट के स्थापित होने के साथ सभी अभिनिर्धारित शाखाओं के माध्यम से नामे अनुदेशों का सीधा अभिसंस्करण करने के अनुदेशों को स्वीकार किया गया. डीमैट खातों में शेष इत्यादि जैसे खाता स्तरीय प्रश्नों की जानकारी बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध है. इन्टरनेट के माध्यम से खाते की स्थिति देखने के लिए बैंक मुफ्त में (सीडीएसएल के माध्यम से) ईएएसआई सुविधा उपलब्ध कर रहा है. महाबैंक जनसंपर्क केंद्रों पर प्रश्न अनुपालन सुविधा सुबह 7.00 बजे से रात 11.00 बजे तक उपलब्ध है. बैंक ने तीन ब्रोकरों से गठबंधन कर अपने ग्राहकों की सेवार्थ ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा महा-ई-ट्रेड का शुभारंभ किया है. महा-ई-ट्रेड में प्रतिभूतियों /निधियों पर ग्रहणाधिकार अंकित करना एक प्रमुख गुण है.

2.11 बैंक-बीमा

कारपोरेट एजेंसी समझौते के अन्तर्गत बैंक की सभी शाखाएं यूनाईटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड और भारतीय जीवन बीमा निगम के जीवन बीमा व गैर जीवन बीमा उत्पादों का विक्रय करती हैं. बैंक ने वर्ष के दौरान 64,907 सामान्य बीमा और 15,497 जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचीं. **भारतीय जीवन बीमा ने अच्छे कार्य निष्पादन के कारण बैंक की 68 शाखाओं को "बीमा बैंक" शाखा घोषित किया.**

बैंक सभी प्रकार के जमा धारकों के लिए महा सुरक्षा जमा योजना व आवास ऋणकर्ताओं के लिए महा गृह सुरक्षा योजना नामक दो समूह बीमा योजनाओं की सुविधा देता है. यह योजनाए वहन योग्य लागत पर ऋण जोखिम कम करती हैं

2.12 म्युचुअल फण्ड गतिविधि

बैंक की सभी शाखाओं में 16 चुनिंदा म्युचुअल फण्डों में निवेश का विकल्प ग्राहकों को है.

2.13 क्रेडिट कार्ड

बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंक अपनी सभी शाखाओं के माध्यम से वर्ष 1991 से मास्टर कार्ड के सहयोग से यह कारोबार कर रहा है. 31.03.2010 को कार्ड आधार 73,210 का था.

2.14 नेटवर्थ

बैंक की निवल वर्थ 31.03.2009 के रु.1,749.31 करोड़ की तुलना में 31.03.2010 को बढ़कर रु.2,114.46 करोड़ की हो गईं जो मुख्यत: लाभ को पुनर्लेखांकित करने के कारण बढ़ी.

2.15 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

दिनांक 31.03.2010 को बेसल II मानदंडों के अनुसार बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंड 9 प्रतिशत की तुलना में 12.78 प्रतिशत का रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत की तुलना में टीयर I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 6.41 प्रतिशत रहा.

2.16 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय 31.03.2009 के रु. 4,791.58 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31.03.2010 को रु. 5,326.81 करोड़ की हो गई इस प्रकार 11.17 प्रतिशत की वृध्दि हुई. विवरण इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	2008-09	2009-10	अंतर(%)
अग्रिम/ बिलों पर ब्याज/ डिस्काउंट	3266.60	3369.63	3.15
निवेश पर आय	989.84	1297.90	31.12
अन्तर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज	35.12	68.03	93.71
कुल ब्याज आय	4291.56	4735.56	10.35
अब्याजी आय	500.02	591.24	18.24
कुल आय	4791.58	5826.81	11.17
जमा पर ब्याज	2783.22	3183.06	14.37
उधारी पर ब्याज	251.81	256.25	1.76
ब्याज खर्च	3035.03	3439.31	13.32
स्टाफ खर्च	579.62	655.50	13.09
गैर स्टाफ खर्च	383.40	417.45	8.88
कुल अब्याजी खर्च	963.02	1072.95	11.41
कुल परिचालन खर्च	3998.05	4512.25	12.86
परिचालनगत लाभ	793.52	814.55	2.65
प्रावधान व आकस्मिकताएं	418.36	374.97	-10.37
निवल लाभ	375.17	439.58	17.17

2.9 Merchant Banking

The Bank handled 69 issues of Commercial Paper amounting to Rs.12,120.10 crore for its clients as an issuing and paying agent during the year and earned commission income of Rs.28.02 lakh.

2.10 Depository Services

The Bank is a Depository Participant (DP) of Central Depository Services India Ltd. (CDSL) since September 1999. With the establishment of MAHANET, direct processing of debit transactions are accepted at all branches. Account level queries relating to demat account balances, etc. are available at all branches of the Bank. The Bank also provides free "EASI" facility (through CDSL) to view account position through Internet. Query compliance facility is available at Mahabank Facilitation Centre from 7.00 a.m. to 11.00 p.m. on all working days. The Bank has introduced the MAHA e-Trade (Online Share Trading) Service for its customers in association with three brokers. The unique facility of Lien marking on funds / securities is the salient feature of the MAHA e-Trade.

2.11 Bancassurance

All branches of the Bank sell life insurance products of LIC of India and Non-Life insurance products of United India Insurance Co. Ltd under corporate agency arrangements. The Bank sold 15,497 life insurance and 64,907 general insurance policies during the year. **The LIC of India declared 68 branches of the Bank as "Bima Bank" for their performance.**

The Bank offers two group insurance schemes namely Maha Suraksha Deposit Scheme for all deposit account holders and Maha Grih Suraksha for those availing home loans to facilitate life cover, which also mitigates credit risk at a very affordable cost.

2.12 Mutual Fund Activity

The customers of the Bank have choice of investing in schemes of 16 select Mutual Funds at all branches of the Bank.

2.13 Credit Card

The Bank has been in business of credit card in affiliation with Master Card since 1991 through all its branches with card base of 73,210 as at 31.03.2010. This is in association with Bank of India.

2.14 Net Worth

Net worth of the Bank has improved from Rs.1,749.39 crore as on 31.03.2009 to Rs. 2,114.46 crore as on 31.03.2010, mainly due to plough back of profits.

2.15 Capital Adequacy Ratio

As on 31.03.2010, in terms of Basel II norms, the capital adequacy ratio stood at 12.78 per cent as against the minimum stipulated norm of 9 per cent prescribed by RBI. The Tier I capital adequacy ratio stood at 6.41 per cent as against RBI's prescription of 6 per cent.

2.16 Income, Expenditure and Profitability

There has been a rise in total income from Rs. 4,791.58 crore at March 2009 to Rs. 5,326.81 crore at March 2010, i.e. a growth of 11.17 per cent during the year. The details of income components are as under:

(Rs. in crore)

Particulars	2008-09	2009-10	Variation (%)
Interest/ discount on advances/ bills	3266.60	3369.63	3.15
Income on investments	989.84	1297.90	31.12
Interest on interbank lending & other interest	35.12	68.03	93.71
Total interest income	4291.56	4735.56	10.35
Non-interest income	500.02	591.24	18.24
Total income	4791.58	5826.81	11.17
Interest on deposits	2783.22	3183.06	14.37
Interest on borrowings	251.81	256.25	1.76
Interest expenditure	3035.03	3439.31	13.32
Staff expenses	579.62	655.50	13.09
Non staff expenses	383.40	417.45	8.88
Total non interest expenses	963.02	1072.95	11.41
Total operating expenses	3998.05	4512.25	12.86
Operating profit	793.52	814.55	2.65
Provisions and contingencies	418.36	374.97	-10.37
Net profit	375.17	439.58	17.17

2.17 वित्तीय अनुपात

विवरण	2008-09	2009-10
प्रति शेयर कमाई (रु.)	8.71	10.21
आय से लागत का अनुपात (%)	54.82	56.85
आस्तियों पर आय	0.72	0.70
इक्विटी पर आय	21.93	21.43
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	39.74	49.11
प्रति शाखा लाभ (रु.लाख में)	26.40	30.25
प्रति कर्मचारी लाभ (रु.लाख में)	2.75	3.21
प्रति शाखा कारोबार (रु.करोड़ में)	61.28	71.73
प्रति कर्मचारी कारोबार (रु.करोड़ में)	6.39	7.62
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.29	7.50
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में अब्याजी आय	0.97	0.94
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज स्प्रैड	2.43	2.05
औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ	1.53	1.29
औसत कार्यकारी निधियों से कर्मचारी खर्च	1.12	1.04
लाभांश	15.00	20.00

2.18 लाभांश

निदेशक मंडल ने 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए 20 प्रतिशत (अर्थात रु. 2 प्रति शेयर) का लाभांश प्रस्तावित किया है.

3. संगठन और समर्थन सेवाएं -

त्वरित व कुशल निर्णय के लिए बैंक ने विशेषज्ञ शाखाएं खोलने तथा तकनीक आधारित सेवाएं देने व समर्थन प्रणाली लागू करने के लिए कदम उठाए. आवास ऋणो पर विशेष ध्यान के साथ सुदृढ़ व गुणवत्ता पूर्ण रिटेल ऋणों की वृध्दि हेतु वर्ष के दौरान पुणे, मुंबई, दिल्ली,में तीन रिटेल हब खोले गए.

अनर्जक अग्रिमों की वसूली हेतु बेहतर कानूनी व प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से पुणे, मुंबई, नागपुर, कोलकता व औरंगाबाद में पांच आस्ति वसूली शाखाएं खोली गई.

3.1 शाखा नेटवर्क और विस्तार

बैंक ने वर्ष के दौरान 33 नई शाखाएं खोली. दिनांक 31.03.2010 को बैंक शाखा नेटवर्क में कुल 1453 शाखाएं थीं. यह शाखा नेटवर्क 22 राज्यों तथा 2 संघशासित क्षेत्रों में फैला हुआ है. इस शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, लघु उद्योग, उच्च तकनीक कृषि क्षेत्रों की विशेषज्ञ शाखाएं, पेंशन भुगतान शाखा व केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष शामिल हैं. दिनांक 31.03.2010 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है.

अ.क्र.	वर्गीकरण	31.03.09 को	31.3.2010 को
1	ग्रामीण	520	526
2	अर्ध-शहरी	262	266
3	शहरी	271	281
4	महानगरीय	368	380
	कुल जोड़	1421	1453

असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 नई शाखाएं खोलने सहित बैंक के पास 79 लाइसेन्स हैं.

3.2 मानव संसाधन

31.03.2010 को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 13673 थी, जिसमें 4,448 अधिकारी, 6,356 लिपिक और 2,869 अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं.

2.17 Financial Ratios

Particulars	2008-09	2009-10
EPS (Rs.)	8.71	10.21
Cost to income ratio (%)	54.82	56.85
Return on assets (%)	0.72	0.70
Return on equity (%)	21.93	21.43
Book value per share (Rs.)	39.74	49.11
Profit per branch (Rs. in lakh)	26.40	30.25
Profit per employee (Rs. in lakh)	2.75	3.21
Business per branch (Rs. in crore)	61.28	71.73
Business per employee (Rs. in crore)	6.39	7.62
Interest income as % to average working funds	8.29	7.50
Non int. income as % to average working funds	0.97	0.94
Interest spread as % to average working funds	2.43	2.05
Operating profit as % to average working funds	1.53	1.29
Staff expenses to average working funds	1.12	1.04
Dividend (%)	15.00	20.00

2.18 Dividend

The Board of Directors have proposed a dividend of 20.00 per cent (i.e. Rs. 2.00 per share) for the year ended 31.03.2010.

3. ORGANISATION AND SUPPORT SYSTEM

For the quick and efficient decision making, the Bank took steps in opening specialized branches and introducing technology based services and support systems. Three retail credit hubs were established during the year one each at Pune, Mumbai and Delhi to facilitate robust and qualitative growth in retail credit with special focus on housing loans.

Five Asset Recovery branches were also set up one each at Pune, Mumbai, Nagpur, Kolkata and Aurangabad to provide greater thrust to the legal and administrative measures for recovery of NPAs.

3.1 Branch Network and Expansion

During the year, the Bank opened 33 new branches. As on 31.03.2010, the total branch network comprised of 1453 branches spread over 22 states and 2 union territories. The branch network includes specialized branches for foreign exchange, government business, treasury & international banking, industrial finance, micro, small and medium enterprises including small-scale industry, hi-tech agriculture, pension payment, pension processing, retail credit and asset recovery. Area wise classification of branches as on 31.03.2010 is given in the table below:

Sr. No.	Classification	As on 31.03.09	As on 31.03.10
1	Rural	520	526
2	Semi-Urban	262	266
3	Urban	271	281
4	Metropolitan	368	380
	Total	1421	1453

The Bank has on hand 79 licenses for opening of new branches including 7 branches in the North East states of Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim and Meghalaya.

3.2 Human Resource

As on 31.03.2010, the Bank had a human resource of 13,673 employees comprising of 4,448 Officers, 6,356 Clerks and 2,869 Sub-staff.

3.2.1 मानव संसाधन विकास

बैंक ने व्यापक मनुष्यबल नीति लागू की है. नीति में आवश्यकता आधारित व उचित मानव संसाधन हासिल करने, प्रशिक्षण, कार्य संवर्धन. पुरस्कार, कार्यनिष्पादन के लिए मान्यता व जिम्मेदारी, पदोन्नति व कल्याण इत्यादि के माध्यम से कर्मचारियों को रोके रखने तथा इनके विकास हेतु विस्तृत योजना दी गई है.

वर्ष के दौरान आंतरिक पदोन्नती प्रक्रिया पूरी की गई और 244 लिपिकों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नत किया गया.

सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, सेवामुक्ति के कारण बैंक की सेवा से बाहर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या 682 थी.

बैंक ने ट्रेजरी, जोखिम प्रबंधन, विपणन, मानव संसाधन, कृषि, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और विधि जैसे क्षेत्रों के लिए विभिन्न विशेषज्ञ संवर्गों में 129 विशेषज्ञ अधिकारियों सहित एक कार्यपालक, 312 अधिकारियों तथा 176 लिपिकों की नियुक्ति की. इसके अतिरिक्त प्रसिध्द बिजनेस स्कूलो में की गई कैम्पस भर्ती के माध्यम से हमने फरवरी 2010 में 100 एम.बी.ए. स्नातकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की. वर्ष के दौरान नियुक्त 489 कर्मचारियों में से 166 कर्मचारी अ.जा./ अ.ज.जा./ ओबीसी संवर्ग के हैं.

कारोबार विकास तथा ग्राहक सेवा में उल्लेखनीय कार्य निष्पादन दर्शाने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने व पुरुस्कृत करने हेतु अध्यक्ष के क्लब की सदस्यता,बेहतर प्रबंधित शाखा व क्षेत्र ट्रॉफी, बेहतर कार्य करने वाली शाखाओं के सभी स्टाफ सदस्यों को नगदी पुरुस्कार देने के अलांवा प्रशिक्षण हेतु भारत व विदेश स्थित प्रसिध्द प्रशिक्षण संस्थानो मे भेजने की योजनाएं हैं. कर्मचारियों के कल्याण के लिए बैंक निवल लाभ का 3 प्रतिशत आबंटित करता रहा है. ट्रस्ट द्वारा योजनाओं का प्रशासन किया जाता है.

सभी हितधारको के हितों को ध्यान में रखते हुए मामलो के उचित, पारदर्शक व दृढ़ संचलन के जरिए बैंक का प्रयास सभी कर्मचारियों और उनकी यूनियनों के साथ सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने का रहा.

3.2.1 Human Resource Development

The Bank has put in place a comprehensive HRM Policy Document that provides road map for acquiring need based and appropriate human resources, its development and retention through training, job enrichment, reward, recognition and accountability for performance, career progression and welfare.

During the year, internal promotion process was carried out and 244 clerks were promoted to Officer cadre.

682 employees ceased to be in service during the year on account of retirement, resignation and other reasons.

The Bank recruited 176 Clerks and 312 Officers including 129 Specialist Officers in various disciplines viz., Treasury, Risk Management, Marketing, Human Resources, Agriculture, Security, Information Technology and Law. In February 2010 the Bank has completed recruitment of 100 Post Graduates in Business Management / Administration from the campuses of reputed Business Management Schools. Out of total 489 persons recruited during the year, 166 persons belong to SC/ST and OBC categories.

The Schemes of reward and recognition to officers and staff for outstanding contribution to business development, customer service includes membership to the Chairman's Club, Better Managed Branch / Region Trophy, cash incentives to all members of staff of Best Performing branches besides deputation for training at prestigious institutions in India and abroad.

The Bank has been allocating upto 3 per cent of its net profits towards schemes for the welfare of staff. The schemes are administered by a Trust. The Bank has endeavoured to promote a healthy industrial relations climate through fair, transparent and firm handling of issues keeping in view the interest of all stakeholders.

3.2.2 बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा अ.जा./ अ.ज.जा./ ओ.बी.सी./ शारीरिक रूप से विकलांग व भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु केन्द्रीय कार्यालय में तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्यरत हैं. बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में दो मुख्य संपर्क अधिकारी नामित किए हैं और इस उद्देश्य के लिए सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में अ.जा./ अ.ज.जा. कक्ष स्थापित किए हैं. वर्ष के दौरान आरक्षण नीति के कार्यान्वयन तथा अन्य संवैधानिक सुरक्षा पर चर्चा करने और कारोबार वृध्दि में उनका सहभाग सुनिश्चित करने हेतु अ.जा./ अ.ज.जा./ ओ.बी.सी. एम्प्लॉईज एसोसिएशन के साथ केंद्रीय कार्यालय में आवधिक बैठकें आयाजित की गई. क्षेत्रीय स्तर पर भी नियमित बैठकें आयोजित की गई.

विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

अ.क्र.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	कुल से प्रतिशत
1.	महिला कर्मचारी	2954	21.61%
2.	विकलांग कर्मचारी	199	1.45%
3.	अनुसूचित जाति कर्मचारी	2754	20.14%
4.	अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	951	6.96%
5.	अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी	617	4.51%

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार रोस्टर रखे गए व उनका नियमित निरीक्षण / जांच की गई.

3.2.3 प्रशिक्षण गतिविधियां

बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली वर्तमान व उभरते हुए कारोबारी अवसरों के अनुरूप विभिन्न स्तरों पर नियमित/आवधिक रूप से कुशलता अन्तर के मूल्यांकन पर ध्यान देने को सुगम बनाती है. ऋण, फोरेक्स, ग्राहक संबंध प्रबंधन, उत्पाद व सेवाओं का विपणन, ऋण निगरानी व वसूली, जोखिम प्रबंधन, तकनीक आधारित बैंकिंग, शाखा प्रबंधन, सांविधिक, विधिक, कानूनी व नीति आवश्यकताओं का अनुपालन निवारक सतर्कता इत्यादि के प्रशिक्षण पर वर्ष के दौरान विशेष ध्यान दिया गया.

3.2.2 The Bank has been complying with the Reservation Policy of Government of India. Special Cells at Central Office and all Regional Offices are functioning to monitor the implementation of the Reservation Policy and to redress grievances of SC/ ST/ OBC/ Physically Challenged employees as well as Ex-servicemen. The Bank has designated two Chief Liaison Officers at Central Office and has set up SC/ST Cells at each of its 32 Regional Offices for the purpose. During the year, periodical meetings were held with SC/ ST/ OBC Employees' Association to discuss implementation of reservation policy and other constitutional safeguards and also to facilitate involvement in business growth. Similar meetings were also held at Regional level.

The numbers of employees belonging to different categories are as under:

S.NO	EMPLOYEES	NO. OF EMPLOYEES	PERCENTAGE TO TOTAL
1.	Women	2954	21.61%
2.	Physically Challenged	199	1.45%
3.	SC Employees	2754	20.14%
4.	ST Employees	951	6.96%
5.	OBC Employees	617	4.51%

Rosters have been maintained as per Govt. guidelines and are regularly inspected/ checked.

3.2.3 Training Activities

The Bank has a Training system which facilitates attention to regular/ periodic assessment of skill gaps at various levels in relation to existing and emerging business opportunities, Skill building in Credit, Forex, Customer Relationship Management, Marketing of Products and Services, Credit Monitoring and Recovery, Risk Management, Technology based Banking, Branch Management. Complying with statutory, legal and policy requirements and Preventive Vigilance received special attention during the year.

एसएमई वित्तपोषण, रिटेल उधारी, कृषि वित्त व ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए.

बैंक का वर्तमान में पुणे में शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा एक सुसज्जित आईटी प्रशिक्षण संस्थान है. प्रशिक्षण महाविद्यालय के पर्यवेक्षण में तीन प्रशिक्षण संस्थान पुणे, मुंबई व नागपुर में कार्यरत हैं.सूचना प्रोद्यौगिकी प्रशिक्षण संस्थान व कम्प्युटर लैब प्रभावी ग्राहक सेवा तथा कुशल पृष्ठ कार्यालय कार्य हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हैं.

वर्ष के दौरान सभी प्रशिक्षण संस्थानों ने 504 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए. इन कार्यक्रमों में से 191 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए, 280 कार्यक्रम लिपिकों के लिए और 33 कार्यक्रम अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए चलाए गए.

वर्ष के दौरान आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 5,044 अधिकारियों, 4,366 लिपिकों और 637 अधीनस्थ कर्मचारियों सहित कुल 10,047 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसमें से 2,036 अनुसूचित जाति के कर्मचारी और 458 अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों और 1,358 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया. ग्राहक सेवा तथा कुशल पृष्ठ कार्यालय कार्य हेतु 1,192 स्टाफ सदस्यों को कोर बैंकिंग समाधान के संचलन का प्रशिक्षण दिया गया.

वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को समझने और वैश्विक अनुभव प्राप्त करना सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय बैठकों इत्यादि में भाग लेने हेतु 10 कार्यपालकों को अन्य देशों में प्रतिनियुक्त किया गया.

19 क्षेत्रों के 397 स्टाफ सदस्यों को क्षेत्र विशेष में आयोजित कैम्प / स्थानीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया.

वर्तमान प्रशिक्षण ढ़ांचे के अतिरिक्त देश भर मे फैले आईटी लैब शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तिम उपयोगकर्ताओं की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. वर्ष के दौरान सीबीएस के अधीन 7,826 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया.

वर्ष के दौरान कुशलता और क्षमता विकसित करने के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

3.3 सूचना प्रौद्योगिकी

बैंक परिचालनगत क्षमताओं व ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए सूचना और संप्रेषण तकनीक का उपयोग कर रहा है. जहां तक तकनीक के कार्यान्वयन और उसके विकास का प्रश्न है, वर्ष 2009-10 बैंक के इतिहास का अविस्मरणीय वर्ष है. **इस वर्ष बैंक ने सभी शाखाओं को केन्द्रीयकृत सोल्यूशन के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया पूर्ण की और अपनी सभी 1453 शाखाओं को सीबीएस के अन्तर्गत ला कर संपूर्ण सीबीएस कार्यान्वयन हासिल किया.** बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टाप मॉल बनने के प्रयास स्वरूप बैंक अपने ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी संगत कई प्रकार के उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है.

3.3.1 कोर बैंकिंग सोल्यूशन

सभी शाखाओं को सीबीएस के अंतर्गत लाने के अतिरिक्त बैंक ने अपने सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों को भी सीबीएस के अंतर्गत लाया है.

बैंक ने सीबीएस के अन्तर्गत सभी 28 विदेशी मुद्रा शाखाओं में फोरेक्स व टीआईबीडी में ई-खजाना मोडयूल कार्यान्वित किएं. बैंक ने अपनी 1,258 शाखाओं में विभिन्न संवैधानिक रिपोर्ट बनाने के लिए धन शोधन निवारण मोडयूल का कार्यान्वयन किया है. बैंक, ई-क्रेडिट, निष्पादन बजट बनाना, अंतरण मूल्यांकन, आस्ति देयता प्रबंधन, ग्राहक संबंध प्रबंधन इत्यादि जैसे अन्य मोडयूल के कार्यान्वयन के अंतिम स्तर पर है.

3.3.2 नई पहल

वेलकम किट महाबैंक इन्स्टा डेबिट कार्ड जारी करना: बचत खाता और चालू खाता खोलते समय ही वेलकम किट के रूप में वीसा एटीएम सह डेबिट कार्ड (इंस्टा कार्ड) जारी करना.

महा-मोबाईल नाम से मोबाईल बैंकिंग उत्पाद पेश किया गया. इस सेवा के माध्यम से बॅलन्स इन्क्वायरी, पिछले तीन व्यवहारों को देखना, चेक की स्थिति की जानकारी, खातों का विवरण और चेकबुक की मांग, एमपीआयएन में परिवर्तन करना तथा प्रति दिन रु. 50,000 तक के आंतर बैंक निधि अंतरण की सुविधा प्रदान की जाती है.

The training programmes were also held on thrust areas like financing SMEs, retail lending, agriculture finance and rural development.

Presently, the Bank has an apex Training College with three training establishments operating under it, one each at Mumbai, Nagpur and Pune. Information Technology Training Institute and Computer Labs train the officers and staff to utilize Information Technology for effective customer service and efficient back office functions.

During the year, all the training establishments of the Bank together conducted a total of 504 programmes, out of which 191 were for officers, 280 for clerks and 33 for sub-staff members.

A total of 10,047 employees participated in various training programmes during the year, in-house and external, comprising of 5,044 officers, 4,366 clerks and 637 sub-staff members, of whom 2,036 were SC employees, 458 ST employees and 1,358 women employees. 1,192 members of staff were trained to handle the Core Banking Solution (CBS) software for efficient customer service and back office function.

10 Executives/ Officers were deputed abroad for training programmes, participation in seminars/ international meets etc. for facilitating global experience and exposure to developments taking place in Banking and Financial services.

A total of 397 staff members from 19 Regions were covered under Camp/ Locational Training.

The IT Labs across the country in addition to the existing training infrastructure cater to the training needs of the end-users at the branches and regional offices. During the year, 7,826 staff members were imparted training under CBS.

Executive Development Programmes were also held during the year for building skills and enhancing efficiency.

3.3 Information Technology

The Bank has been leveraging the tools of Information and Communication Technolgy for improving the operational capabilities and customer service. The year 2009-2010 has been a landmark year in the chronicle of the Bank as far as technology implementation and up-scaling are concerned. **The Bank completed the process of networking of all the 1,453 branches and bringing them under Centralized Solution on February 2, 2010, thereby achieving 100% CBS.** The Bank offers a bouquet of customer-centric IT products and services as part of its endeavour to be a one stop mall for banking and financial services.

3.3.1 Core Banking Solution (CBS)

In addition to covering all branches, the Bank has brought all the 32 Regional Offices under CBS fold.

The Bank has implemented FOREX module under CBS at all the 28 FEX centers and e-Treasury at TIBD. The Anti Money Laundering (AML) Module has been implemented at 1,258 branches generating various statutory reports. The Bank is in the final stages of implementing other modules like e-Credit, Performance Budgeting, Transfer Pricing, Asset Liability Management (ALM), Customer Relationship Management (CRM) etc.

3.3.2 New Initiatives

Welcome Kit - Issuance of Mahabank Insta Debit Card: Issuance of VISA ATM Debit Card (Insta-Card) as Welcome Kit at the time of opening of accounts for Savings and Current Accounts.

The Mobile Banking product **Maha Mobile** was launched offering services like balance enquiry, view last three transactions, cheque status enquiry, request for cheque book / statement of accounts, change MPIN and intra bank fund transfer up to Rs.50,000 per day.

महा-ई-स्टेटमेंट - ईमेल पर खाता विवरण: बचत, चालू, नकद ऋण और लोन खातों के खाता विवरण साप्ताहिक/मासिक आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल के माध्यम से पंजीकृत ग्राहकों को भेजे जाते हैं.

व्यवहारों के लिए एसएमएस अलर्ट: ग्राहकों द्वारा किए गए व्यवहारों के लिए एसएमएस के द्वारा ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भेजना.

ऑनलाईन शेयर ट्रेडिंग महा-ई-ट्रेड: अपने ग्राहकों के लिए ऑनलाईन शेयर ट्रेडिंग सुविधा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए बैंक ने मेसर्स रेलिगेअर सिक्युरिटीज प्रा. लि., मे. मुनोत सिक्युरिटीज और मे. ईनाम सिक्युरिटीज के साथ गठबंधन किया है.

नेटबैंकिंग के माध्यम से ऑनलाईन शॉपिंग / ई-कॉमर्स: इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाईन शॉपिंग, उपयोगी सुविधाओं के बिल का भुगतान, एयरलाईन का टिकट बुक करना इत्यादि सुविधाएं प्रदान की गई.

चेक जमा करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली: वसूली हेतु चेक जमा करने तथा चेक फोटो प्रति सहित तत्काल पावती पाने की सुविधा 15 केन्द्रो में प्रायोगिक रूप से आरंभ की गई है.

रोकी गई राशि से समर्थित आवेदन: सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार खाते में लीन मार्क कर (अर्थात शेयर आवेदन राशि भेजे बिना) पब्लिक ऑफर्स के लिए आवेदन करने की सुविधा फुटकर निवेशकों को प्रदान की गई.

ग्राहकों के लिए कतार प्रबंधन प्रणाली: काउंटरों पर ग्राहक सेवा को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए बैंक ने पुणे, नाशिक और दिल्ली की चुनिंदा शाखाओं में काउंटरों पर इलेक्ट्रॉनिक कतार प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सीबीएस का कार्यान्वयन: भारत सरकार के निदेशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रायोजित मराठवाडा ग्रामीण बैंक में सीबीएस के कार्यान्वयन हेतु कदम उठा लिए गए हैं.

3.3.3 डाटा सेन्टर व आपदा प्रबंधन साईट

सीबीएस बुनियादी संरचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक का अपना स्वयं का डाटा सेन्टर (सीएमएम लेवल III) पुणे में है और हैदराबाद में आपदा रिकवरी (डी.आर) साईट स्थापित है. किसी भी आपदा से निपटने के लिए वर्ष के दौरान बैंक ने दो बार आपदा रिकवरी ड्रील आयोजित किएं.

3.3.4 एटीएम नेटवर्क

बैंक ने अपना वीसा सक्षम 345 एटीएम का नेटवर्क सुस्थापित कर लिया है. कार्ड आधार 12.66 लाख तक पहुँच गया. प्रति दिन नकदी का औसत वितरण रु.13.00 करोड़ है.

बैंक ने अपने एटीएम नेटवर्क की पहुंच बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय स्वीच के साथ गठबंधन किया ताकि बैंक के ग्राहक 50,000 से अधिक एटीएम का लाभ ले सकें.

नियमित एटीएम को सुविधाजनक नहीं पाने वाले अशिक्षित ग्राहकों व पेंशनरों के लाभार्थ 11 बायोमेट्रीक एटीएम लगाए गए. अपने प्लैटिनम जुबिली वर्ष में बैंक इस प्रकार के 75 अतिरिक्त एटीएम लगाने की प्रक्रिया में है.

3.3.5 कार्पोरेट नेटवर्क

बैंक ने विशिष्ट आईएसडीएन/लीज टेलीफोन लाईन के माध्यम से महानेट नामक कार्पोरेट नेटवर्क स्थापित किया है. सभी शाखाएं/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण केन्द्र/महाविद्यालय तथा केन्द्रीय कार्यालय अब आपस में जोड़ दिए गए हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने 640 से अधिक ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं को वीसेट (वीसेट कनेक्टिविटी के माध्यम से पूल्ड बैंड विडथ) के माध्यम से नेटवर्क से जोडा है.

महा-नेट के माध्यम से एटीएम नेटवर्क, आरटीजीएस, डीमैट, इंट्रानेट, ऋण जोखिम रेटिंग, ऑन लाईन कर भुगतान प्रणाली, क्रीम और सीबीएस जैसे अनुप्रयोगों को कार्यान्वित किया गया है.

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सीबीएस शाखाओं और प्रधान कार्यालय में महा-नेट के माध्यम से आइपी टेलीफोन का उपयोग व्यापक रूप से किया गया है.

Maha E-Statement - Account statement on email: A customer centric product Maha e-statement for sending weekly / monthly electronic statements for saving, current, cash credit and loan accounts automatically to the registered customers via e-mail.

SMS Alerts for transactions: Sending transaction alerts and reminders to customers for the transactions done by them.

Online Share Trading - Maha e-Trade: For facilitating safe and easy online share trading for its customers, the Bank has entered into an arrangement with three vendors viz., M/s. Religare Securities Pvt. Ltd., M/s. Munoth Securities and M/s. Enam Securities.

Online Shopping/e-Commerce through Net Banking: Facilitating e-commerce transactions including online shopping, utility bill payments, airline ticketing etc through the Internet.

Electronic Cheque Deposit System: Facilitating deposit of cheques for collection and obtaining instant acknowledgement with cheque image has been rolled out at 15 centers on a pilot basis.

Application Supported by Blocked Amount (ASBA): Facility to apply for public offers, based on lien marking (without remitting the share application money) as per SEBI guidelines has been extended to retail investors.

Queue Management System for customers: An electronic queue management system for streamlining the customer service at frontline counters has been implemented for the customers at select branches in Pune, Nasik and Delhi.

Implementation of CBS in Regional Rural Bank (RRB): As per directives of the Government of India, the Bank has initiated steps to implement CBS in the Maharashtra Gramin Bank, a RRB sponsored by the Bank.

3.3.3 Data Centre & Disaster Recovery Site

The Bank has its own Data Center (CMM Level III) at Pune to take care of the CBS infrastructure requirements with Disaster Recovery (DR) site at Hyderabad. Disaster Recovery Drills were conducted twice during the year and the systems have been tuned up to ensure business continuity under various contingencies.

3.3.4 ATM Network

The Bank's ATM Network of 345 ATMs is fully stabilized and VISA enabled. Card base has crossed 12.66 lakh. Average cash dispensed per day is Rs.13.00 crore.

The Bank has also joined National Financial Switch (NFS) Network for broadening its ATM Network and enabling the customers to access more than 50,000 ATMs all over India.

Eleven ATMs are Bio-metric for the benefit of those customers, including pensioners, who do not find the regular ATMs convenient. The Bank is in the process of installing additional 75 ATMs during the Platinum Jubilee Year celebrations.

3.3.5 Corporate Network

The Bank has established its Corporate Network 'MAHANET' with classical leased lines/ISDNs and VSATs. All branches, Regional Offices, Training Colleges/Centers and Central Office are now connected. The Bank has used VSATs (Pooled Bandwidth through VSAT connectivity) for networking 640 plus rural and semi-urban branches during the year.

Applications like CBS, ATM Network, RTGS, Demat, INTRANET, Credit Risk Rating, Online Tax Collection System (OLTAS), etc. are put to use through MAHANET.

IP Telephones are extensively used through MAHANET at all the Regional offices, CBS branches and Head office.

3.3.6 वास्तविक समय सकल निपटान (आरटीजीएस) / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

बैंक ने सभी सीबीएस शाखाओं में आरटीजीएस व एनईएफटी प्रणाली हेतु स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग का कार्यान्वयन किया है ताकि अंतर बैंक निधियों का अंतरण बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हो सके.

3.3.7 इन्टरनेट बैंकिंग / फोन बैंकिंग / एसएमएस बैंकिंग

बैंक ने नेट बैंकिंग स्यूट अर्थात प्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान व ऑन लाईन तथा ऑफ लाइन अनुरोध प्रोसेसिंग के साथ इन्टरनेट बैंकिंग/ फोन बैंकिंग/ एसएमएस बैंकिंग लागू किया. 31.03.2010 को इंटरनेट बैंकिंग के 52,060, फोन बैंकिंग के 13,842 ओर एसएमएस बैंकिंग के 20,777 उपयोगकर्ता थें.

3.3.8 सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति

बैंक में "सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति" लागू है. इस नीति में 32 विभिन्न नीतिगत दस्तावेज हैं. विकास से तालमेल रखने के लिए इनका अद्यतन नियमित अतंरालों पर किया जाता है. अनुपालन के लिए नीति दस्तावेज को बैंक के सभी कर्मचारियों में परिचालित किया गया है. 1,113 शाखाओं में इसका कार्यान्वयन पूर्ण किया जा चुका है.

3.3.9 विडिओ कॉनफरेंसिंग

बेहतर कनेक्टिविटी और अच्छी गुणवत्ता वाली विडिओ कॉनफरेंसिंग के लिए एमपीएलएस कनेक्टिविटी को स्थापित किया गया है. इस सुविधा का उपयोग क्षेत्रीय प्रबंधकों व रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शाखाओं के प्रबंधको के साथ पुनरीक्षण बैठक करने और प्रशिक्षण में भाग ले रहे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ इन्टर फेस के लिए किया जा रहा है.

3.3.10 कारोबार पुनर्विन्यास प्रक्रिया (बीपीआर)

कारोबार पुनर्विन्यास प्रक्रिया के भागस्वरूप सीबीएस में पहले से अंतरित 14 सेवा शाखाओं के माध्यम से बैंक ने केन्द्रीयकृत समाशोधन प्रणाली और केन्द्र सरकार की पेंशन के लिए केन्द्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली कार्यान्वित की है. कारोबार पुनर्विन्यास प्रक्रिया की अन्य गतिविधि जैसे कि केंद्रीयकृत चेक बुक जारी करना/व्यक्तिगत चेक बुक मुद्रण, केन्द्रीकृत ग्राहक विवरण मुद्रण व प्रेषण इत्यादि की संभावनाएं वर्ष 2010-11 में तलाशी जाएंगी.

3.3.11 आंतरिक रूप से विकसित सॉफ्टवेयर

बैंक में सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले सुप्रशिक्षित कर्मचारियों का समूह है, जो उपयोगकर्ता विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के सिस्टम विकसित करने का कार्य निरंतर करते हैं.

विकसित और कार्यान्वित प्रमुख सिस्टम है - क्षेत्रीय कार्यालय सॉफ्टवेअर (ROSE), एचआरएम सॉफ्टवेअर (पे-रोल व अन्य मोडयूल), शाखा निरीक्षण सॉफ्टवेअर (BRAINS), ऑनलाईन कर वसूली प्रणाली (OLTAS), ऋण जोखिम योग्यताक्रम प्रणाली, भविष्य निधि प्रणाली, इंट्रानेट, एटीएम कार्ड ट्रॅकिंग प्रणाली इत्यादि.

3.4 सतर्कता

बैंक में सतर्कता गतिविधियां प्रबंधन का अंतरंग अंग है. इसका उद्देश्य प्रबंधकीय कुशलता और प्रभावशीलता के स्तर में वृद्धि करना और कुशल प्रशासन के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना है जहां अधिकारी अपने कार्य बिना किसी डर और भेदभाव से कर सके.

बैंक में सतर्कता का कार्य लचिलेपन और जवाबदेही के मध्य उचित संतुलन कायम करना है.

सतर्कता का अति महत्वपूर्ण अंग निवारक सतर्कता है. प्रत्येक स्तर पर कार्यकुशलता में सुधार के लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

- मुख्य सतर्कता आयुक्त के निदेशों के अनुसार 20 और अधिक कर्मचारियों वाली शाखाओं में संवेदी और जालसाजीग्रस्त क्षेत्रों का पुनरीक्षण/निगरानी करने व विसंगतियों (यदि कोई हो), को रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है.
- विभिन्न जालसाजी में अपनाई गई कार्यपद्धति व समान प्रकार की जालसाजियों को टालने के लिए सावधानी रखने हेतु सभी शाखाओं और क्षेत्रों को परिपत्र तथा चेतावनी सूचना जारी की गई.

3.3.6 RTGS/NEFT

Straight-Through-Processing (STP) has been introduced for RTGS/NEFT system at all CBS branches facilitating inter bank funds transfer without manual intervention.

3.3.7 Internet/ Phone/ SMS Banking

The Bank has implemented the Net Banking suite-Internet Banking/Phone Banking and SMS Banking with online and offline request processing and e-payment of direct taxes. As on 31.03.2010, 52,060 users under Internet Banking, 13,842 under Phone Banking and 20,777 users under SMS Banking are utilizing the facility.

3.3.8 Information System Security Policy

The Bank has put in place its Information System Security Policy (ISSP) comprising of 32 different policy documents and the same are updated periodically to keep pace with developments. The Policy document has been circulated to all members of staff of the Bank for compliance. The policy has been implemented at 1,113 branches.

3.3.9 Video Conferencing

MPLS Connectivity for Video Conferencing has been installed and commissioned for better connectivity and quality conferencing. This facility is being used for review meetings with Regional Heads, Managers of strategically important branches and interface with officers and staff attending training.

3.3.10 Business Process Reengineering (BPR)

As part of BPR, the Bank had implemented centralized clearing system through 14 service branches already migrated into CBS and Centralized Pension Payment System for Central Government Pensions. Other BPR activities like Centralized Cheque Book Issuance, Personalized Cheque Printing, and Centralized Customer Statement Printing and Dispatch would be explored during the year 2010-11.

3.3.11 In-House Software Development

The Bank is having a well-trained pool of software developers continuously engaged in development of various systems as per the requirement of user departments, Regional Offices and Central Office.

The major systems developed and implemented are Regional Office Software (ROSW), HRM Software (Payroll and other modules), Branch Inspection Software (BRAINS), Online Tax Collection System (OLTAS), Credit Risk Rating System, PF System, INTRANET, ATM card tracking etc.

3.4 Vigilance

Vigilance activity in the Bank is an integral part of the managerial function. Its objective is to enhance the level of managerial efficiency, effectiveness and to ensure a proper climate for an efficient administration, where officials can perform their duties without fear or favour.

Vigilance activity in the Bank recognizes the need for a judicious mix of commercial decision making process, transparency and accountability.

Preventive Vigilance is an important aspect of vigilance. The Bank has taken various measures for improving decision making, administration and operations.

- In accordance with CVC directives, Vigilance Committees have been formed at branches having staff of 20 and more, to review/monitor sensitive and fraud prone areas and report abnormalities observed therein, if any.
- Communication is sent to all the branches/regions periodically educating them about the **'modus operandi'** adopted in various frauds and advising precautions to be taken to guard against such incidents.

- बैंक में 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया. इस अवधि के दौरान शाखाओं और क्षेत्रों द्वारा कर्मचारियों और आम जनता की बैठक बुलाई गई. वर्तमान वातावरण में सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर डालते हुए प्रमुख व्यक्तियों के व्याख्यान/ परिचर्चाओं का आयोजन किया गया.

- स्टाफ प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में "निवारक सतर्कता" विषय पर सत्र रखे गए.

- जालसाजियों को टालने, उनका पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उनकी रिपोर्टिंग करने व की जाने वाली कार्यवाही सुझाने के लिए "जालसाजी जोखिम प्रबंधन नीति" बैंक ने तैयार कर मार्गदर्शन एवं उपयोग हेतु सभी कर्मचारियों व क्षेत्र कार्यकर्ताओं में परिचालित की है.

3.5 ग्राहक सेवा

बैंक के 13.2 मिलियन ग्राहक हैं और ग्राहक शिकायतों का निवारण करने के लिए बैंक के पास एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र है. केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत प्रबंधन कक्ष कार्यरत है. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता, ग्राहक शिकायत का समाधान व ग्राहक संतोष प्रदान करने हेतु ग्राहक सेवा पर बोर्ड समिति की आवधिक रूप से बैठकें होती हैं. ग्राहक सेवा संबंधी मामलों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने हेतु ग्राहक सेवा पर बैंक स्तरीय स्थायी समिति की भी बैठकें नियमित रूप से होती हैं.

क्षेत्रीय कार्यालय ग्राहक सेवा समिति तथा शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति भी स्थापित की गई है. योजनाओं, उत्पादों व सेवाओं पर आवश्यक प्रतिसूचना एवं सुझाव देने के लिए जमाकर्ता ग्राहक, निगमित / व्यापारी, वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न वर्गों के ग्राहकों को बैठकों में निमंत्रित किया जाता है.

बैंक ने गोइपोरिया समिति तथा डॉ. एस. एस. तारापोर समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है. बैंक ने शिकायत निवारण, चेक / लिखतों की वसूली, क्षतिपूर्ति नीति, जमा नीति, देयताओं की वसूली और प्रतिभूति पुन: अधिग्रहण तथा मृतक जमाधारकों के दावों के निपटान हेतु परिचालनगत नीति इत्यादि नीतियों / परिचालनगत कार्यविधियों को स्वीकार किया है और उन्हें बैंक की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया है.

बैंक भारतीय बैंकिंग आचार संहिता और मानक बोर्ड का सदस्य है और बैंक ने ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबध्दताओं की संशोधित आचार संहिता अगस्त 2009 और कार्यान्वयन के लिए एमएसई आचार संहिता को स्वीकार किया.

बैंक ने ग्राहकों से सेवा पर प्रतिसूचनाएं एवं सुझाव मांगने, प्राप्ति की सूचना देने एवं उनकी प्रतिसूचनाओं/शिकायत की स्थिति दर्शाने के लिए इंटरनेट आधारित तंत्र विकसित किया है.

3.6 सूचना और सुविधा केंद्र

मुंबई में जून 2005 से महाबैंक सूचना सुविधा केंद्र कार्यरत है. दो टोल फ्री क्रमांक 1800-220888 और 1800-222340 पर इस केंद्र से संपर्क किया जा सकता है. 12 प्रमुख शहरों में भी टोल फ्री टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध की गई हैं. वर्ष के दौरान 21,982 लोगों ने टोल फ्री क्रमांकों पर टेलीफोन किया और बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों के बारे में पूछताछ की / बैंक की सेवा के संबंध में प्रतिसूचना दी. वर्ष के दौरान इस केंद्र के माध्यम से 5,508 शिकायतें प्राप्त हुई और निपटाई गई.

ग्राहक और आम जनता द्वारा मांगी गई सूचना/सहायता तथा बैंक की विभिन्न योजनाओं व उत्पादों की जानकारी देने के लिए जुलाई 2001 से एक सूचना सुविधा केंद्र स्थापित किया गया.

3.7 जोखिम प्रबंधन

3.7.1 सामान्य

पिछले वर्षों की तुलना में बैंकों को अब अधिक जोखिम है. यदि इन जोखिमों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो बैंक की पूंजी पर खतरा बना रहता है.

बैंक ने प्रभावी रूप से जोखिम का अभिनिर्धारण करने, नापने, निगरानी करने और विभिन्न प्रकार की जोखिमों द्वारा बैंक के कारोबार विकास और वित्तीय दृढ़ता के लिए उनके द्वारा पैदा की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित करने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है.

- 'Vigilance Awareness Week' is observed in the Bank during which period meetings with staff and general public are held by branches/regions. Lectures/talks by eminent personalities, emphasizing the need to be vigilant in the present environment were arranged.

- Sessions on "Preventive Vigilance" are included in the training programmes conducted by the Staff College.

- 'Fraud Risk Management Policy' on prevention, detection, classification and reporting of frauds including action to be taken, has been issued by the Bank for the guidance and use of the branches and field functionaries.

3.5 Customer Service

The Bank has over 13.2 million customers and full-fledged grievances redressal machinery is in place to respond promptly to customer grievances. Complaint Management Cells are operative in Central Office as well as in Regional Offices to ensure quick redressal of grievances. The Committee of the Board on Customer Service meets periodically to monitor the quality of customer service, redressal of customer grievances and provide customer satisfaction. The Bank level Standing Committee on Customer Service also meets regularly to review customer service related matters and to make improvements.

Regional Office Customer Service Committee and Branch Level Customer Service Committee are also set up. A cross section of customers representing depositors, corporates/ businessmen, senior citizens is invited to the meetings to provide feedback and suggestions on schemes, products and services.

The Bank has implemented all major recommendations of Goiporia Committee and Dr. S. S. Tarapore Committee. The Bank has adopted policies/operational procedures for Depositing and Collection of Cheques/ Instruments, Compensation Policy in case of delay in collection of instruments or loss, policy for collection of dues and repossession of security, Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors. These policies/ procedures are displayed on the Banks website.

The Bank is also a member of the Banking Codes and Standards Board of India and has adopted the Revised Code of Bank's Commitment to Customers-August 2009 and Bank's Code of Commitment to MSEs for implementation.

The Bank has in place internet based mechanism for inviting suggestions/ feedback on services from customers and for providing acknowledgement and status of their feedback / complaint.

3.6 Information and Facilitation Centre

Mahabank Facilitation Centre has been operating from Mumbai since June 2005 and can be accessed through two Toll Free Numbers which are 1800-222340 and 1800-220888. Toll Free Telephone Numbers have been made available at 12 major cities. During the year, 21,982 calls were received on our toll free numbers relating to various products offered by the Bank, queries and feedback on the Bank's services. During the year, 5,508 complaints were received and redressed through this center.

An Information Facilitation Centre has been set up since July 2001 for providing information on various schemes and products of the Bank and any other information/assistance that may be required by customers and public.

3.7 Risk Management

3.7.1 General

The Banking business is exposed to a wide array of risks as compared to yesteryears and these risks create a charge over the capital of the Bank if not managed properly.

The Bank has formulated a comprehensive Risk Management Policy to effectively identify measure, monitor and control various risks in view of their implications on the Bank's business growth and financial soundness.

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढांचे में जोखिम का अभिनिर्धारण करने, नापने और जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाने और निगरानी हेतु बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, कार्यपालक स्तरीय विभिन्न समितियां जैसे कि ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, विपणन जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और आस्ति देयता प्रबंधन समिति कार्यरत है.

3.7.2 जोखिम प्रबंधन प्रणालियां

3.7.2.1 ऋण जोखिम

बैंक ने बेहतर ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक उधार नीति और ऋण पुनरीक्षण नीति तथा जोखिम प्रबंधन नीति को लागू किया हैं.

बैंक ने विभिन्न स्तरों और खजाना तथा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग, मुंबई में जोखिम संभावनाओं की दृष्टि से ऋण तथा निवेश प्रस्तावों पर समिति के माध्यम से प्रारंभिक सलाह लेने हेतु ऋण अनुमोदन ग्रिड स्थापित किए हैं.

बैंक ने ऋण प्रस्तावों की जोखिम संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए बेसल II के अंतर्गत अपेक्षित और आंतरिक रूप से विकसित ऋण जोखिम योग्यताक्रम फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है. बैंक ने प्रवेश स्तरीय विगोपनों के लिए न्यूनतम योग्यताक्रम निर्धारित किए हैं.

बैंक ने ऋण जोखिम योग्यताक्रम का माइग्रेशन विश्लेषण किया और बेसल II आवश्यकताओं के क्रम में चूक की संभावनाओं का अनुमान लगाया. आवधिक रूप से स्ट्रेस-टेस्ट परिणामों का मूल्यांकन किया गया.

3.7.2.2 बाजार जोखिम

आस्ति देयता प्रबंधन नीति द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार **ब्याज दर जोखिम** को बैंक में प्रबंधित किया जाता है जिसकी नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों का पुनरीक्षण नियमित आधार पर करती है.

बैंक **तरलता जोखिम** का प्रभावी प्रबंधन ढांचागत तरलता और अल्पावधिक गतिशील तरलता के पुनरीक्षण के आधार पर लगातार सुनिश्चित करता है. तरलता प्रबंधन के लिए बैंक के पास आकस्मिक योजना है.

निवेश प्रबंधन की व्यापक नीति व **निवेश जोखिम** प्रबंधन नीति के अनुसार बैंक निवेश जोखिम का प्रबंधन करता है.

बैंक खुली विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए विवेकपूर्ण ऋण सीमा, समग्र अंतर स्थिति, डेलाईट लिमिट, ओवरनाईट लिमिट, नेट ओपन ओवरनाईट स्थिति, स्टॉप लॉस लिमिट और विदेशों में निवेश/ उधार/ स्वैप परिचालित करने के लिए लिमिट, इत्यादि के माध्यम से **विदेशी मुद्रा जोखिम का** प्रबंधन करता है. इन लिमिटों की निगरानी दैनिक आधार पर होती है.

बैंक, ब्याज दर संवेदनशीलता का विश्लेषण और अध्ययन करने हेतु, आस्ति और देयताओं की परिपक्वता व तरलता का विश्लेषण करने हेतु **आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली** का उपयोग कर रहा है. जोखिम पर आय, जोखिम पर मीयाद और मूल्य जैसे मॉडलों का उपयोग ब्याज दर जोखिम प्रबंधन हेतु किया जाता है.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति समय-समय पर तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम व आय जोखिम की निगरानी करती है.

3.7.2.3 परिचालनगत जोखिम प्रबंधन

बैंक ने कारोबार सततता आयोजना और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां लागू की है. आउटसोर्सिंग नीति से बाजार में उपलब्ध विशेषज्ञता को उपयोग में लाने और आउटसोर्सिंग से जुड़े जोखिमों से बचाव में सहायता मिलती है.

3.7.2.4 बेसल II

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल II) के अन्तर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना करने का कार्य बैंक ने 31.03.2009 को आरंभ किया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम पर मानक

Organizational set up of the Bank for risk management comprises of the Risk Management Committee of the Board, Executive level committees for Credit Risk Management, Market Risk Management, Operational Risk Management and Asset Liability Management, to identify, measure and take steps to mitigate the risks and monitor them.

3.7.2 Risk Management Systems

3.7.2.1 Credit Risk

For better credit risk management, the Bank has put in place comprehensive Lending Policy, Loan Review Pol icy and Risk Management Policy.

The Bank has also set up Credit Approval Grids at various levels and at Treasury & International Banking Division (TIBD), Mumbai to provide preliminary clearance through a committee approach on credit and investment proposals, from the risk view point.

To evaluate the risk perception in a lending proposition, the Bank has put in place an in-house developed Credit Risk Rating Framework (CRRF) as desired under Basel II. The Bank has prescribed threshold ratings for entry level exposures.

The Bank has undertaken migration analysis of credit risk rating and estimated probability of default in line with Basel II requirements. Stress testing results are evaluated periodically.

3.7.2.2 Market Risk

Interest Rate Risk is managed through prescriptions of Asset Liability Management (ALM) Policy which is reviewed regularly. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank reviews the risk on a regular basis.

For management of **Liquidity Risk,** review of structural liquidity and short term dynamic liquidity is undertaken on an on-going basis. The Bank has put in place a contingency plan for managing liquidity.

Investment Risk is managed through the prescriptions made in a comprehensive Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy.

Foreign Exchange Risk is managed by the Bank by stipulating prudential limits for open foreign exchange position, the aggregate gap position, Daylight limit, Overnight limit, Net open overnight position, Stop loss limit, Limit for undertaking swaps/ investment/ borrowing overseas, inter bank exposure limits etc. These limits are monitored on daily basis.

The Bank is using **Asset Liability Management** system for studying and analyzing the interest rate sensitivity, maturity and liquidity analysis of assets and liabilities. Models like earnings at risk, duration and Value at Risk are used for interest rate risk management.

The **Asset-Liability Management Committee (ALCO)** monitors liquidity risk, interest rate risk and earnings risks at frequent intervals.

3.7.2.3 Operational Risk Management

The Bank has put in place Board approved policies for Business Continuity Planning and Operational Risk Management. Policy on outsourcing facilitates use of the expertise available in the market with adequate safeguards for risks associated with outsourcing.

3.7.2.4 Basel II

In line with the RBI guidelines, the Bank has migrated to capital adequacy under New Capital Adequacy Framework (Basel II) on 31.3.2009. The Bank has provided capital as per Standardized Approach for Credit Risk,

दृष्टिकोण, बाजार जोखिम पर मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण और परिचालनगत जोखिम पर मूल संकेतक दृष्टिकोण के आधार पर पूंजी का प्रावधान किया. बेसल II के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुरूप बैंक ने कॉरपोरेट विगोपनो की रेटिंग के लिए सभी नामित चार बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों से समझौता किया है और बेसल II के अन्तर्गत उन्नत दृष्टिकोण में अन्तरित होने की योजना बना ली है.

बेसल II मानदंडों के पिलर 2 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जोखिम से संबंधित आंतरिक पूंजी का उचित स्तर नापने और अभिनिर्धारित करने हेतु कार्यविधियों सहित बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर एक नीति लागू की है. बेसल II फ्रेमवर्क के अन्तर्गत आवश्यकताओं के अनुपालनार्थ बैंक ने ऋण जोखिम कम करने की विधियां और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन तथा प्रकटन पर नीतियों को लागू किया है. पिलर 3 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रकटन मानदंडों का बैंक पालन कर रहा है.

बेसल II मानदंडों के बारे में कर्मचारियों को जागरूक किया गया और प्रशिक्षण द्वारा इसे नियमित रूप से संवर्धित किया जा रहा है. केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भेज कर उनके ज्ञान और कौशल के स्तर को आवधिक रूप से उन्नत किया जा रहा है.

3.8 निरीक्षण और संगामी लेखा परीक्षा

परिचालनगत जोखिम को अभिनिर्धारित करने, मूल्यांकन कर उसे कम करने के लिए बैंक ने निरीक्षण व लेखा परीक्षा के द्वारा विभिन्न आंतरिक नियंत्रक उपाय अपनाए हैं.

3.8.1 शाखाओं का निरीक्षण

बैंक ने जिलानी समिति की सिफारिशों का पालन करना जारी रखा और वर्ष के दौरान 1,055 शाखाओं का निरीक्षण किया. निरीक्षित शाखाएं बैंक की कुल शाखाओं का 72.60 प्रतिशत हिस्सा थी. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन सभी 1055 शाखाओं में आंतरिक निरीक्षण के साथ साथ जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा भी की गई.

सभी निरीक्षण अधिकारियों और निरीक्षण कक्ष प्रमुखों को नीतियों, कार्यविधियों, व्यवसाय परिवेश, बैंकों के लिए चुनौतियां और अवसर, जोखिम के नए क्षेत्रों की पहचान करने और वरिष्ठतम प्रबंधन को शाखाओं और कार्यालयों के मौजूदा और आसन्न जोखिमों के बारे में आगाह करने में उनकी भूमिका के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए सितंबर, 2009 के दौरान एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था.

3.8.2 आकस्मिक निरीक्षण

घोष समिति की सिफारिशों के अनुसरण में शाखाओं के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए वर्ष के दौरान 146 शाखाओं में आकस्मिक निरीक्षण किया गया.

3.8.3 संगामी लेखा परीक्षा

बैंक की 300 शाखाओं में लेखा परीक्षा की गई. इन शाखाओं में बैंक की समग्र जमाराशियों का 62.23 प्रतिशत और बकाया अग्रिमों का 77.30 प्रतिशत हिस्सा है. इस अवधि के दौरान केन्द्रीय कार्यालय के 4 विभागों की भी संगामी लेखा परीक्षा की गई.

3.8.4 आय व व्यय लेखा परीक्षा

आय रिसाव का अभिनिर्धारण करने व उसकी वसूली करने के लिए अक्तूबर 2008 से सितंबर 2009 की अवधि के लिए 670 शाखाओं की आय व व्यय लेखा परीक्षा की गई. वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की अर्ध वार्षिक व्यय लेखा परीक्षा की गई.

3.8.5 प्रबंधन लेखा परीक्षा

सभी 32 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 15 विभागों की पर्यवेक्षण और नियंत्रण के क्रम में उनकी प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए प्रबंधन लेखा परीक्षा की गई.

3.8.6 बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक का निरीक्षण

वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 के अधीन बैंक की 23 शाखाओं व 6 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया.

Standardized Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines. The Bank has entered into MoUs with all the four designated external credit rating agencies, for rating of corporate exposures, as required under Basel II and has also drawn a roadmap for migrating to the advanced approaches under Basel II.

The Bank has put in place policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) covering procedures for identification and measurement of appropriate level of internal capital in relation to risks, to meet the requirements of Pillar 2 of Basel II norms. The Bank has also put in place the policies on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques, Collateral Management and Disclosures, in line with Basel II Framework. The Bank has adhered to Disclosure norms as stipulated in the guidelines of RBI to meet Pillar 3 requirements.

Awareness of Basel II norms among staff is created and continuously enhanced through training. Knowledge and skill levels of staff at Central Office are periodically upgraded through participation in external trainings, workshops and seminars.

3.8 Inspection and Concurrent Audit

The Inspection and Audit system and various measures of internal control adopted by the Bank ensure identification/assessment and mitigation of operational risks.

3.8.1 Inspection of branches:

The Bank continued to adhere to the Jilani Committee recommendations and inspected 1,055 branches during the year, covering 72.60 per cent of the total branches of the Bank. Similarly, as per RBI guidelines under Risk Based Supervision, the Bank has undertaken Risk Based Internal Audit [RBIA] at all these 1,055 branches.

Conference of all inspecting officials and heads of inspection cells was organized during September 2009 to update them on policies, procedures, business environment, opportunities and challenges for banks, emerging areas of risks and their role in alerting the top management of existing and impending risks at branches and offices.

3.8.2 Surprise Inspection:

In pursuance of the Ghosh committee recommendations, surprise inspection was carried out at 146 branches focusing mainly on high risk areas at the branches.

3.8.3 Concurrent Audit

300 Branches were subjected to Concurrent Audit during the year. These branches covered 62.23 per cent of aggregate deposits and 77.30 per cent of total advances of the Bank. Four Central Office departments were also subjected to Concurrent Audit during the period.

3.8.4 Income & Expenses Audit

Income & Expenditure Audit for the period October 2008 to September 2009 was carried out at 670 branches to identify and recover income leakages, if any. Half yearly Expenditure Audit of all the Regional Offices was carried out during the year.

3.8.5 Management Audit:

Management Audit of all 32 Regional Offices and 15 departments at Central Office was carried out for assessing their effectiveness in terms of supervision and controls.

3.8.6 RBI inspection under Section 35 of the Banking Regulation Act

During the year 2009-10, RBI inspected 23 branches and 6 Regional Offices under Section 35 of RBI Act.

3.9 विपणन व प्रचार

ग्राहकों, संभावित ग्राहकों और नागरिकों को अपने विशिष्ट सेवाओं के बारे में जागरूक करने और एक विश्वसनीय ब्रांड, अनुक्रियाशील संस्था के रूप में अपनी छवि विकसित करने के लिए बैंक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग कर रहा है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने मोबाईल बैंकिंग, महा-ई-ट्रेड जैसी आई टी समर्थित सेवाओं का शुभारंभ किया. म्युचअल फण्डों की बिक्री हेतु मौजुदा 15 म्युचअल फण्डों के साथ किए गए गठबंधन के अतिरिक्त बैंक ने एसबीआई म्युचअल फण्ड के साथ भी उनके उत्पाद बेचने हेतु इसी प्रकार का गठबंधन किया.

चालू खाता बचत खाता (कासा) जमा संग्रहण के लिए देशभर में एक विशिष्ट अभियान चलाया गया.

दिनांक 26 नवंबर, 2009 को पुणे में भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील के कर कमलों से प्लैटिनम जुबली वर्ष के आयोजनों का शुभारंभ बैंक के प्लैटिनम जुबली लोगो का अनावरण और समूचे देश के 75 गांवो को अंगीकृत करने की घोषणा के साथ हुआ. सामाजिक दायित्व के अंग स्वरूप बैंक प्रत्येक घर के लिए बैंकिंग सुविधा व स्वरोजगार के अलाव कृषि की उत्कृष्ट प्रथाओं सहित मूल जन सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा व जल संरक्षण इन गांवों में उपलब्ध कराएगा. इस आयोजन को राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल, दूरदर्शन सहित प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक कवरेज दिया गया.

प्लैटिनम जुबली समारोहों के अंग के रूप में बैंक ने अपने ग्राहकों और नागरिकों के लिए प्रमुख शहरों में सुप्रसिद्ध कलाकारों के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया.

बैंक द्वारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन के माध्यम से अपनी सभी शाखाओं को एक दूसरे से जोड़ने की उपलब्धि को प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया गया. साथ ही, बैंक ने अपनी कहीं भी, कभी भी बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की क्षमताओं का विपणन करने के लिए आउटडोर प्रदर्शन किया.

3.10 नागरिक अधिकार पत्र

वर्ष 2000-01 से बैंक ने नागरिक अधिकार पत्र स्वीकार किया है. अधिकार पत्र में ग्राहकों के प्रति बैंक के दायित्वों व कर्तव्यों और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण हेतु तंत्र का उल्लेख है. अधिकार पत्र को बैंक की सभी शाखाओं और बैंक की वेब साईट पर प्रदर्शित किया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार नोटों और सिक्कों को बदलने पर भी नागरिक अधिकार पत्र को बैंक ने अपनाया है.

4. सामाजिक बैंकिंग

4.1 प्राथमिकता क्षेत्र को उधार

बैंक का यह सतत प्रयास रहा है कि लघु और सीमान्त कृषकों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, फुटकर व्यापारियों, पेशेवरों व स्वनियोजित व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर किन्तु उद्यमशील व्यक्तियों को उत्पादक प्रयोजनों हेतु समय पर अबाधित रूप से ऋण उपलब्ध कराते हुए समान और सुस्थिर विकास सुनिश्चित किया जाए.

प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत मार्च 2010 को कुल बकाया अग्रिम रु.14,236.26 करोड़ के थे, जो निर्धारित 40% के न्यूनतम की तुलना में पिछले वर्ष के समायोजित निवल बैंक ऋण के 40.88% प्रतिशत थे.

प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों में मार्च 2009 के स्तर पर रु. 1,996.26 करोड़ की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई.

4.2 कृषि

वर्ष 2009-2010 के दौरान कृषि और सहायक गतिविधियों के लिए बैंक ने रु.3,833.61 करोड़ के ऋण वितरित किए. 31/03/2010 को कृषि क्षेत्र को बकाया अग्रिम रु. 6,249.98 करोड़ थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 17.95% है.

कृषि अग्रिमों में वृद्धि करने के लिए बैंक ने सभी शाखाओं के लिए जागरूकता/ सूचनाप्रद कार्यक्रम आयोजित किए. कृषि उधार को कारगर बनाने और इसके लिए कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने 140 कृषि क्षेत्र अधिकारियों और 75 कृषि व्यवसाय संयोजकों भर्ती की और उन्हें महत्वपूर्ण शाखाओं में तैनात किया.

3.9 Marketing and Publicity

The Bank is utilizing the print and electronic media to create awareness among customers, prospective customers and citizens at large about the uniqueness of its services and to facilitate a distinct Brand of a reliable, responsive banking institution.

During the year, the Bank launched new IT enabled services like Mobile Banking and Maha-e-Trade etc. Besides the existing tie up with 15 mutual funds, for sale of mutual fund products, the Bank established similar arrangement with SBI Mutual Fund also.

A dedicated CASA campaign was conducted across India for mobilization of Current and Savings accounts.

Mrs. Pratibha Devi Singh Patil, Her Excellency the President of India launched the Bank's Platinum Jubilee Celebrations on 26th November 2009 at Pune by unveiling the Platinum Jubilee Logo of the Bank and declaring adoption of 75 backward villages across the country. The Bank would endeavour to promote basic sanitation, health, education and conservation of energy and water resources, self employment, besides agricultural best practices and banking facility for all households in these adopted villages. The event received wide coverage in the print and electronic media, especially on the national television channel, Doordarshan.

The Bank has also organized cultural programmes by associating acclaimed artistes in major cities and towns for customers and citizens as part of the Platinum Jubilee Celebrations.

The fact of the Bank having networked all its branches through Core Banking Solution has been highlighted in the electronic and print media in addition to outdoor displays to market its anywhere, anytime banking capabilities.

3.10 Citizens' Charter

The Bank has adopted the Citizens' Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers and the mechanism for redressal of customers' grievances. The Charter is displayed at all the branches and on the website of the Bank. The Bank has also adopted a Citizens' Charter on exchange of notes and coins in line with the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

4. SOCIAL BANKING

4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavour of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro & Small Enterprises, Retail Traders, Professional & Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections.

The outstanding advances under Priority Sector as of March 2010 aggregated to Rs.14,232.26 crore, constituting 40.88 per cent of the Adjusted Net Bank Credit of previous year against the stipulated minimum target of 40 per cent.

The rise in Priority Sector Advances was Rs.1,996.26 crore over March 2009 in absolute terms.

4.2 Agriculture

The Bank disbursed Rs.3,833.61 crore for agriculture and allied activities during the year 2009-10. The outstanding advances to agriculture sector as of 31.03.2010 were Rs.6,249.98 crore i.e. 17.95 per cent of Adjusted Net Bank Credit.

The Bank undertook awareness/sensitization programmes for all the branches for increasing advances to agriculture. To streamline the agricultural lending and promote best practices among farmers, the Bank recruited 140 Agricultural Field Officers and 75 Agricultural Business Facilitators and has placed them at strategic branches.

4.2.1 बैंक ने कुल 86,549 पात्र लघु व सीमान्त किसानों तक अपनी पहुंच बनाते हुए भारत सरकार की ऋण राहत व ऋण माफी योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जिसमें रु.219.19 करोड़ की ऋण माफी शामिल है. ऋण माफी के लिए पात्र किसानों की संख्या 48,237 थी.

4.2.2 महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड (एमकेसीसी)

इस योजना को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल हुई है, जहां इसका प्रचार-प्रसार उत्साह और सफलतापूर्वक किया जा रहा है. बैंक ने किसानों को 3,32,965 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए, जिसमें रु. 1,806.51 करोड़ की राशि शामिल है.

4.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अग्रदूत माना जाता है. ये उद्योग कम निवेश वाले उद्यमों को प्रोत्साहित करने और शहरों की ओर प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय कौशल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करते हैं. अर्थक्षम उद्यमों को आकर्षक व कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराए गए. वर्ष के दौरान बैंक के वेबसाइट पर ऑन लाइन पूछताछ पोर्टल उपलब्ध कराया गया है.

मध्यम एवं लघु उद्यम उधारकर्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु बैंक ने अपने 32 क्षेत्रीय कार्यालयों में 32 एमएसएमई सहायता केन्द्रो की स्थापना की है. बैंक ने एमएसई ग्राहकों के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा बनाए गए सरलीकृत ऋण आवेदन को अपनाया है और उसे अपनी वेब साईट पर प्रदर्शित किया है. बैंक ने सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के प्रति बैंकों की प्रतिबद्दता संहिता को भी अपनाया है और उसे बैंक वेब साईट पर प्रदर्शित किया है.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक की उधारी 31.03.2009 को रु.3073.92 करोड़ की थी, जो 31 मार्च, 2010 को बढ़कर रु. 4,069.41 करोड़ की हो गई. जोकि 32.39% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि रही. सितंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई को अप्रैल 2009 से मार्च 2010 के मध्य दी गई रु. 2,022.50 करोड़ की नई ऋण सुविधा भी इसमें शामिल है.

दिनांक 12 मार्च, 2010 को मुंबई में आयोजित महाराष्ट्र इकोनॉमिक समिट में महाराष्ट्र औद्योगिक और आर्थिक विकास संघ द्वारा बैंक को वाई. बी. चव्हाण मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया.

4.3.1 महा उद्यमी

इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायक प्रतिभूति और/या अन्य पार्टी की गारन्टी के बिना बैंक अधिकतम रू. 100.00 लाख का ऋण उपलब्ध कराता है.

भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये ऋण गांरटी निधि योजना के अन्तर्गत इस योजना के खातों को संरक्षा प्राप्त है. बैंक, संपूर्ण गारंटी फीस और 50% वार्षिक सेवा फीस का वहन करता है, जिसका भुगतान सीजीएफएमएसई के अंतर्गत न्यास को करना पड़ता है. मार्च 2010 तक बैंक ने योजना के अंतर्गत 3,293 उधारकर्ताओं को रु. 154.15 करोड़ के ऋण मंजूर किए । वित्तीय वर्ष2009-10 में ऋण गांरटी निधि योजना के अन्तर्गत कवरेज दुगुने से भी अधिक हो गया ।

5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं

5.1 फुटकर वित्तपोषण

बैंक उपभोक्ता वस्तुएं, दुपहिया / चौपहिया वाहनों और अन्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवर व्यक्तियों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को फुटकर ऋण उपलब्ध करता है. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने पुणे, मुंबई और दिल्ली में 3 फुटकर ऋण केंद्र खोले. इनके अलावा बैंक ने नासिक, नागपुर, इंदौर, ठाणे, औरंगाबाद और बेंगलूर में भी 6 फुटकर ऋण कक्ष खोले. वर्ष के दौरान फुटकर ऋण संविभाग में 12.11 प्रतिशत की वृध्दि हुई.

5.2 आम जनता को आवास ऋण

अनिवासी भारतीय सहित सभी आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की आवास ऋण योजना है. भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है. बैंक की आवास ऋण योजना सरल और ग्राहक

4.2.1 The Bank successfully implemented Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme of the Government of India, by reaching out to 86,549 eligible small and marginal farmers for debt waiver involving Rs.219.19 crore. The number of farmers eligible for debt relief was 48,237.

4.2.2 Mahabank Kisan Credit Card (MKCC)

This scheme gained popularity especially in rural areas where it is being propagated successfully and vigorously. The Bank has issued 3,32,965 Kisan Credit Cards to farmers involving amount of Rs.1,806.51 crore.

4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

SMEs are recognized as a major growth engine for the Indian economy. They generate opportunities for direct and indirect employment by facilitating use of natural resources and local skills to stem the tide of migration to urban areas and promote low investment enterprises. Finance is made available to viable enterprises at an attractive and low rate of interest. On line enquiry portal is made available on the Bank's website during the year.

A MSME care center has been set up at each of the 32 Regional Offices of the Bank to handle MSE's problems. The Bank has adopted Simplified Loan Application for MSEs as devised by IBA and the same is displayed on the Bank's website. The Bank has also adopted Bank's Code of Commitment to Micro and Small Enterprise and it is displayed on the Bank's website.

The Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises which was at the level of Rs.3,073.92 crore as at 31.03.2009, increased to Rs.4,069.41 crore as at 31.03.2010, which translates into a y-o-y growth of 32.39 per cent. This includes fresh credit facilities to the tune of Rs.2,022.50 crore extended to MSMEs between April 2009 and March 2010 under the special package announced by the Government of India in September 2008.

The Bank was presented with the Y. B. Chavan Memorial Award by the Maharashtra Industrial and Economic Development Association, at the Maharashtra Economic Summit held at Mumbai on March 12, 2010.

4.3.1 Maha-Entrepreneur

Under the scheme, the Bank is providing for supporting SMEs in rural areas finance up to Rs.100.00 lakh to Micro and Small Enterprises without Collateral Security and/ or Third Party Guarantee.

Accounts under the scheme are covered under Credit Guarantee Fund Scheme for Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India. The Bank is bearing the entire guarantee fee and 50 per cent of annual service fee, which is to be paid to the Trust under CGFMSE. The Bank sanctioned loans of Rs. 154.15 crore to 3,293 borrowers under this scheme upto March 2010. Coverage under Credit Guarantee Fund Scheme has been more than doubled in FY 2009-10.

5. IMPORTANT SCHEMES / PROJECTS OF THE BANK

5.1 Retail Financing

The Bank is providing retail loans to individuals who are salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles and also for other personal needs. During the year 2009-10 the Bank has opened three Retail Credit Hubs one each at Pune, Mumbai and Delhi. Besides this, the Bank also started six Retail Loan Cells at Nasik, Nagpur, Indore, Thane, Aurangabad and Bangalore. The retail lending portfolio grew by 12.11 per cent during the year.

5.2 Housing loan to public

The Bank has in place Housing Loan Scheme to meet the needs of all economic segments including NRIs. Financing housing in rural and urban parts of India is a thrust area. The Scheme is simple and customer-friendly.

अनुकूल है. 50,000 (वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार) से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान बैंक के आवास ऋण में 22.58 प्रतिशत की वृध्दि हुई और 31.03.2010 को यह बढ़कर रू. 3,627.27 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया.

5.3 आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मेधावी छात्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा हासिल करने से वंचित न रहे, बैंक आदर्श शैक्षणिक ऋण योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. मार्च 2010 को बैंक के शैक्षणिक ऋण रु. 430.02 करोड़ थे, जो 22,463 छात्रों में वितरित थे. बैंक ने वेब एक्सेस (ऑनलाईन) के जरिये शैक्षणिक ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध की है.

5.4 पेंशनरों के लिए आधार योजना

पेंशनरों की व्यक्तिगत ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंक ने "आधार" नामक विशेष योजना आरंभ की है. योजना को पेंशनरों से उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला है. क्योंकि इसके माध्यम से वे अपने चिकित्सा खर्च, यात्रा योजनाओं से संबंधित खर्च इत्यादि जैसी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं. योजना के अंतर्गत दिनांक 31.03.2010 को बकाया अग्रिम रु.96.69 करोड़ थे.

5.5 गैर परपरांगत ऊर्जा संसाधनों का वित्तपोषण

बैंक सितंबर 1998 से सोलर वॉटर हीटर खरीदने हेतु दिए जाने वाले ऋण के संबंध में ब्याज दर अनुदान उपलब्ध करने की सरकारी नीति के अनुरूप गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के वित्तपोषण करने की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान बैंक ने योजना के अंतर्गत 1416 मामलों में रु. 5.74 करोड़ के ऋण मंजूर किए.

5.6 सूक्ष्म वित्त

बैंक ने आर्थिक गतिविधियों के विकास में ग्रामीण और शहरी गरीबों की ऋण आवश्यकताओं के महत्व को हमेशा स्वीकार किया है. महिलाओं को सशक्त बनाने में स्व-सहायता समूह काफी प्रभावी सिद्व हुए हैं. बैंक ने विभिन्न स्वसहायता समूहों की गैर परंपरागत गतिविधियों का भी सक्रिय रूप से वित्तपोषण किया है.

31.03.2010 को बैंक द्वारा 75,015 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया था. जिनमें से 73,208 स्वसहायता समूहों ने बैंक से रु. 149.10 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता प्राप्त की थी । इन ऋणों में वसूली संतोषजनक रही है और बैंक ने स्व सहायता समूहों के वित्तपोषण को प्रोत्साहन देना जारी रखा.

5.7 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजीएसआरवाय)

बैंक 1997 से योजना का कार्यान्वयन कर रहा है. वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत बैंक ने 1,704 लाभार्थियों को ऋण मंजूर किए.

5.8 अ.जा. / अ.ज. जा. वर्ग को सहायता

बैंक विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के लाभार्थियों को सक्रिय रूप से वित्त प्रदान करता रहा है. अ.जा./अ.ज.जा. लाभार्थियों को मार्च, 2010 को कुल वित्त रु. 687.77 करोड़ का था, जो 80,957 लाभार्थियों में वितरित था.

5.9 अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने और इसकी पुनरीक्षा करने के लिए बैंक के केंद्रीय कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है. मार्च 2010 को अल्पसंख्यक समुदाय के बकाया अग्रिम रु.770.93 करोड़ के थे, जो 60,306 लाभार्थियों में वितरित थे.

5.10 महिला सशक्तीकरण

वर्ष 2001 (महिला वर्ष) से ही बैंक सही अर्थों में 13 सूत्रीय कार्य योजना कार्यान्वित कर रहा है. मार्च 2010 को 1,73,537 महिला उधारकर्ताओं को रू.1,796.88 करोड़ के कुल ऋण उपलब्ध कराए गए.

6. संस्थागत सामाजिक दायित्व

- बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान अपनी प्लैटिनम जुबली समारोह के अवसर पर "महाबैंक प्लैटिनम ग्रामीण उन्नति प्रकल्प (महाबैंक प्लैटिनम ग्राम विकास योजना) के अंतर्गत" स्वांगीण सामाजिक आर्थिक विकास हेतु 75 गांवों का चयन किया जिसमें

The Bank is also implementing Golden Jubilee Rural Housing Scheme of the Government of India in rural areas having population not exceeding 50,000 (as per 1991 census). The Bank's lending to housing sector has grown by 22.58 per cent during the year to reach the level of Rs.3,627.27 crore (outstanding) as at 31.03.2010.

5.3 Model Educational Loan scheme

With the objective of ensuring that no deserving student is denied an opportunity to pursue higher education for financial reasons, the Bank implements a Model Educational Loan Scheme. As of March 2010, the Bank had lent Rs. 430.02 crore to 22,463 students. The Bank has provided the facility of submission of application for education loan through web-access (on line).

5.4 Aadhar Scheme for Pensioners

The Bank has introduced a special scheme called 'Aadhar' for catering to the personal credit needs of the pensioners. This scheme has evoked an encouraging response from the pensioners and has enabled them to meet their financial needs such as medical expenses, travel plans etc. Outstanding advances under the Scheme stood at Rs.96.69 crore as on 31.3.2010.

5.5 Finance for Non-conventional Sources of Energy

The Bank has been implementing the scheme for financing non-conventional sources of energy in tune with the Government's policy by providing interest rate subsidy in respect of loans given for purchase of Solar Water Heaters since September 1998. During the year, the Bank has sanctioned 1416 cases with loans amounting to Rs.5.74 crore under the scheme.

5.6 Micro Finance

The Bank has always recognized the importance of credit to rural and urban poor for taking economic activity. The SHGs have proved to be effective instruments for empowerment of women. The Bank has actively financed non-traditional activities of various Self Help Groups (SHGs).

As on 31.03.2010, there were 75,015 SHGs formed by the Bank, out of which 73,208 SHGs had availed aggregate financial assistance of Rs.149.10 crore from the Bank. Repayment of these loans has been satisfactory and the Bank continues to encourage lending to SHGs.

5.7 Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) (Golden Jubilee Urban Employment Scheme)

The Bank has been implementing the scheme since 1997 and during the year, the Bank sanctioned loans to 1,704 beneficiaries under the scheme.

5.8 Assistance to SC/ST Category

The Bank has been actively extending finance to SC/ST beneficiaries through various schemes. Total finance as of March 2010 to SC/ST beneficiaries stood at Rs.687.77 crore, covering 80,957 beneficiaries.

5.9 Advances to Minority Community

A special cell has been set up at Central Office to review and ensure smooth flow of Credit to minority community. As of March 2010, the outstanding advances to minority communities were at Rs.770.93 crore to 60,306 beneficiaries.

5.10 Women Empowerment

Ever since the year 2001 (the 'Year of Women'), the Bank is implementing the 13-point action plan in letter and spirit. The total credit extended to women beneficiaries amounted to Rs. 1,796.88 crore covering 1,73,537 women borrowers as on 31.03.2010.

6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

- On the eve of the Bank's Platinum Jubilee celebrations during the year 2009-10 the Bank has selected 75 villages under "Mahabank Platinum Gramin Unnati Prakalp" (Mahabank Platinum Village Development Programme) for their overall socio-economic development, with emphasis on cleanliness, health, education, drinking water, housing,

स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षण, पेयजल, आवास, वित्तीय समावेशन, वर्षाजल संरक्षण और जल विभाजन विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया था. ये गांव महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ और गुजरात में स्थित हैं.

- बैंक ने हड़पसर और भिगवण में स्थित ग्रामीण विकास केंद्रों द्वारा किसानों के लाभार्थ "प्रयोगशाला से भूमि" परियोजना, खारी मिट्टी का विकास, मिट्टी की जांच, उर्वरक के उपयोग पर परामर्श इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं.

- महाबैंक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) नामक न्यास विभिन्न प्रकार के ग्रामीण सुधार कार्यक्रम और परियोजनाएं चलाता है. मारडेफ डेअरी, इमू पालन, बकरीपालन, अंगूर की खेती, उर्वरकों का उपयोग, ऋण योजनाओं की जानकारी इत्यादि जैसे कृषि के विभिन्न विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण देता है.

- वित्तीय समावेशन : निगमित सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में नंदुरबार, मल्हार पेठ (सातारा) और पर्वती (पुणे) महाराष्ट्र में वित्तीय समावेशन की शुरूवात की गई.

- कृषि क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास पर ज्यादा ध्यान देते हुए "महाबैंक एग्री बुलेटिन" का तिमाही आधार पर प्रकाशन किया जाता है. "कृषि मित्र" नामक टच स्क्रीन सुविधा से युक्त मोबाईल वैन के माध्यम से किसानों/ग्रामवासियों को उनके घर तक इंटरएक्टिव एक्सेस सुविधा पुणे और सातारा जिले में प्रदान की गई है. वाहन के साथ जाने वाले अधिकारी बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को प्रदान करते हैं.

- बैंक ने ग्रामीण युवाओं तथा महिलाओं को छोटे व्यवसायिक उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार हेतु कौशल अर्जन करने के लिए महाबैंक स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (एमसेटी) की स्थापना की है. पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, अमरावती तथा नाशिक में प्रशिक्षण केंद्र हैं. वर्ष के दौरान संस्थान ने अब तक 5,742 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए 71% का स्थायित्व दर हासिल किया.

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे द्वारा संयुक्त रूप से गठित ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल (जीएमवीबीवीएम) एक गैर सरकारी संगठन है. यह संगठन स्व सहायता समूहों के गठन, पोषण, प्रशिक्षण और उन्हें ऋण से संबध्द करने का कार्य सक्रिय रूप से कर रहा है । ग्रामीण महिला व बाल विकास मंडल पुणे शहर में "सावित्री" नामक दुकान के माध्यम से स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन में सहयोग देता है. मंडल स्व सहायता समूहों को कच्चा माल खरीदने और दर्जेदार उत्पादन के संबंध में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है.

- महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र के 6 जिलों में कृषि, पशुपालन इत्यादि जैसे विषयों पर "महाबैंक विदर्भ शेतकरी जागृति अभियान" के माध्यम से किसानों को परामर्श देने की अनोखी परियोजना बैंक ने आरंभ की है.

7. अग्रणी बैंक योजना

7.1 महाराष्ट्र राज्य के छह जिलों यथा औरंगाबाद, जालना, नाशिक, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है. हर वर्ष इन जिलों के लिए ऋण योजनाएं तैयार की जाती हैं और अन्य बैंकों की सहायता से इन्हें कार्यान्वित किया जाता है. वर्ष के दौरान हमारे अग्रणी जिले के संबंध में कार्य निष्पादन 116% रहा.

7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक है. राज्य स्तरीय बैंकर समिति के समन्वयक के रूप में बैंक राज्य में वार्षिक ऋण योजना और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है.

2000 से अधिक आबादी वाले हर गांव में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गांवों के अभिनिर्धारण के कार्य में तेजी लाने के लिए दिनांक 24.02.2010 को पुणे में महाराष्ट्र राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों की एक बैठक का आयोजन किया गया. तदनुसार महाराष्ट्र के 33 जिलों में 2000 से अधिक की आबादी वाले 4,348 बैंक रहित गांवों का अभिनिर्धारण किया गया और इन गांवों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन प्राप्त करने हेतु सदस्य बैंकों के बीच इन्हें बांटा गया.

financial inclusion, rain water harvesting and water shed development programmes. These villages are located in the states of Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Goa, Chhattisgarh and Gujarat.

- The Rural Development Centres at Hadapsar and Bhigwan in Pune District of Maharashtra have been undertaking various developmental activities for the benefit of farmers viz. Lab to Land Project, Re-development of Saline Soils, Soil Testing and offering advice on the use of fertilizers.

- A Trust viz. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) undertakes various projects and village improvement programmes. MARDEF is imparting training to farmers on various subjects in agriculture, e.g. dairy, emu farming, goat rearing, best practices in grape farming, application of fertilizers, agriculture credit schemes, etc.

- Financial Inclusion: As a part of corporate social responsibility, Financial Inclusion has been rolled out at Nandurbar, Malhar Peth (Satara) and Parvati (Pune) in Maharashtra.

- 'Mahabank Agri Bulletin' is published every quarter with focus on new trends in agriculture. An interactive access to farmers/villagers is provided at doorstep in Pune and Satara districts through "Krishi Mitra", a mobile van carrying Touch Screen Facility and the officials accompanying the vehicle provide information to farmers on various schemes of the Bank.

- The Bank has established Mahabank Self Employment Training Institute (MSETI) for providing training to rural youth and women to enable them to acquire skills for self-employment through small business enterprises. The Institute has centres at Pune, Nagpur, Aurangabad, Amravati and Nasik. The Institute has so far imparted training to 5,742 youths and has achieved settlement rate of 71 per cent.

- Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMVBVM), an NGO formed by Bank of Maharashtra and National Institute of Bank Management is actively involved in formation, nurturing, training and ensuring linkage of SHGs to Bank Credit. The GMVBVM also helps SHGs in marketing products of SHGs through outlets established in Pune City under the name "SAVITRI". The GMVBVM guides and actively helps SHGs for selection and purchase of raw materials and quality production.

- The Bank started a novel project for counseling farmers in six districts of Vidarbha area in Maharashtra State on different subjects, like agriculture, animal husbandry etc. under the "Mahabank Vidarbha Shetkari Jagruti Abhiyan".

7. Lead Bank Scheme

7.1 The Bank has Lead Bank responsibility in six districts of Maharashtra State viz. Aurangabad, Jalna, Nasik, Pune, Satara and Thane. Every year credit plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other banks. Performance during the year in respect of our lead districts was 116 per cent of the targets.

7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convenor of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra and the Bank monitored implementation of State Annual Credit Plans and Government sponsored schemes in the state.

In order to speed up the work of identification of villages for providing banking services in every village having population of over 2000, a meeting of Lead District Managers was convened by SLBC on 24.02.2010 at Pune. Accordingly, 4,348 un-banked villages having population over 2000 were identified in 33 districts of Maharashtra and were allocated among banks to extend banking facilities and achieve Financial Inclusion.

अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा अग्रणी बैंक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विषयों पर 11 उप समितियों का गठन किया है.

वर्ष के दौरान तीन एस एल बी सी और दो परिचालन समिति की बैठकें आयेजित की गईं.

7.3 वित्तीय समावेशन पर कार्य योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर वित्तीय समावेशन की संकल्पना लागू की जिसमें समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए वंचित और कम आय वाले व्यक्तियों के विशाल वर्ग को कम लागत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है.

बैंक ने 2000 से अधिक आबादी वाले हर गांव में एक बैंकिंग आउटलेट के जरिये बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु एक कार्य योजना तैयार की है और ऐसी बैंकिंग सेवाएं हस्त संचालित मशीनों, स्मार्ट कार्ड और व्यवसाय प्रतिनिधियों की सहायता से आई सी टी आधारित मॉडलों के विभिन्न प्रकारों के जरिये उपलब्ध कराई जा सकती हैं.

बैंक ने 7 राज्यो में आने वाले 1,215 गांवों का अभिनिर्धारण किया है और यह प्रस्ताव है कि 2012 तक मौजूदा 484 शाखाओं और/अथवा व्यवसाय प्रतिनिधियों की सहायता से आई सी टी आधारित मॉडलों का उपयोग करते हुए बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएं.

8. सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं

8.1 दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (मेटको)

बैंकिंग की सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1946 में बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में यह कंपनी स्थापित की गई. ये सेवाएं हैं :

- वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना
- निजी न्यासों का प्रबंधन
- सार्वजनिक धर्मादा न्यासों का प्रबंधन
- एटर्नी के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन
- अवयस्क की संपत्ति का संरक्षकता
- संपत्ति की खरीदी/बिक्री के लिए परामर्श देना
- व्यक्तियों के लिए आय-कर विवरणी दाखिल करना

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी के ग्राहक आधार में 20 नए न्यास जुड़े, परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा प्रबंधित निजी और सार्वजनिक न्यासों की संख्या 1,051 हो गई. वर्ष के दौरान जुड़ी नई वसीयतों की संख्या 59 रही, इस प्रकार कंपनी की अभिरक्षा और निष्पादन में वसीयतों की कुल संख्या 979 हो गई है.

कंपनी द्वारा वर्तमान में 116 संपत्तियों का प्रबंधन मुख्तारनामे के अंतर्गत किया जा रहा है. विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत कंपनी ने 137 पालिसियों के संबंध में न्यासी का कार्य करती है और 10 मामलों में न्यायालय ने अवयस्क की संपत्ति का संरक्षक कंपनी को बनाया है.

8.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मूल रूप से 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा : मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक और ठाणे ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए थे. भारत सरकार की नीति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन की प्रक्रिया शुरू की गई और तदनुसार वर्ष 2007-08 में दो तत्कालिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यथा: औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक और ठाणे ग्रामीण बैंक का समामेलन किया गया और 25 मार्च, 2008 से महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक (एमजीजीबी) अस्तित्व में आया.

वर्ष 2009-10 के दौरान तत्कालीन मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक (एमजीबी) और महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक (एमजीजीबी) के समामेलन का दूसरा चरण पूर्ण हुआ और 20 जुलाई, 2009 से एक नई संस्था यथा: "महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक" अस्तित्व में आई, जिसका मुख्यालय नांदेड़ (महाराष्ट्र) में है.

As per the recommendations of High level Committee for review of Lead Bank Scheme, SLBC has formed 11 Sub-Committees on various subjects for effective implementation of Lead Bank Scheme.

During the year, three SLBC and two Steering Committee meetings were held.

7.3 Road Map on Financial Inclusion

The RBI in collaboration with Government of India has introduced the concept of Financial Inclusion which envisages delivery of banking services at an affordable cost to the vast sections of disadvantaged and low income groups so as to ensure inclusive growth.

The Bank has drawn up a road map to provide banking services through a banking outlet in every village having a population of over 2000, and such banking services may be provided through the various forms of ICT-based channels.

The Bank has identified 1,215 villages in 7 states and proposes to provide Banking services using ICT through existing 484 branches, new branches and/or Business Correspondents by 2012.

8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS

8.1 The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd. (METCO)

The Company was established in 1946 as a wholly owned subsidiary of the Bank to provide services auxiliary to banking, such as:

- Drafting & Execution of will
- Management of private trusts
- Management of public charitable trusts
- Management of investments & house properties as attorney
- Guardianship of minor's property
- Consultation for sale/purchase of property
- Filing of Income-Tax Returns for individuals

During the year 2009-10, 20 new Trusts were added to its client base, bringing the total number of Public and Private Trusts to 1,051 under its management. New wills added during the year were 59 bringing the total number of Wills in custody and execution to 979.

The Company is presently managing 116 properties under Power of Attorney. The Company also acts as Trustee in respect of 137 policies under Married Women's Property Act and as Court appointed Guardian for minor's property in 10 cases.

8.2 Regional Rural Banks

Bank of Maharashtra had originally sponsored three RRBs viz., Marathwada Gramin Bank, Aurangabad-Jalna Gramin Bank and Thane Gramin Bank. As per the policy of the Government of India, process of amalgamation of RRBs was initiated and accordingly, during the year 2007-08, amalgamation of two erstwhile RRBs named Aurangabad - Jalna Gramin Bank and Thane Gramin Bank took place and Maharashtra Godavari Gramin Bank (MGGB) came in to existence w.e.f. March 25, 2008.

In the second phase during 2009-10, the erstwhile Marathwada Gramin Bank (MGB) and Maharashtra Godavari Gramin Bank (MGGB) were merged and a new entity named "Maharashtra Gramin Bank" came into existence on July 20, 2009 with Head Quarters at Nanded (Maharashtra).

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अब केवल एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो महाराष्ट्र राज्य में 323 शाखाओं के साथ 33 जिलों में से 16 में व्याप्त है. प्रायोजक बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार सितंबर, 2011 तक सभी शाखाओं को सीबीएस के अंतर्गत लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की शुरूवात कर दी है.

9. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

बैंक को राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन हेतु द्वितीय क्रमांक की इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड महामहिम राष्ट्रपति के हाथों दिनांक 14 सितंबर, 2009 को दिल्ली में प्रदान की गई.

बैंक पुणे, मुंबई और सोलापुर में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक है. वर्ष के दौरान इन सभी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं.

हमारे बैंक द्वारा संयोजित मुंबई और पुणे नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दमण में दिनांक 27 मार्च, 2010 को आयोजित कार्यक्रम में क्रमश: प्रथम और तृतीय पुरस्कार प्रदान किए गए.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्विभाषी गृहपत्रिका प्रतियोगिता 2008-09 के अंतर्गत हमारे बैंक को द्वितीय पुरस्कार घोषित किया गया है.

दिनांक 03 जून, 2009 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में बैंक को उत्कृष्ट हिन्दी कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2007-08 के लिए आयोजित भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत "क" तथा "ख" क्षेत्र (मुख्यत: हिंदी भाषी) में प्रथम तथा "ग" क्षेत्र हेतु चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किए गए.

10. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय :

- यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लागू लेखा मानकों का पालन किया गया.
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनको सतत आधार पर लागू किया गया. यदि कोई परिवर्तन किए गए तो उनका उचित प्रकटन किया गया है.
- वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और लाभ की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए.
- भारत में बैंकों को शासित करने वाले लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई; और
- सतत आधार पर लेखे तैयार किए गए.

11. निदेशक मंडल में परिवर्तन

वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

श्री आर. के. देशपांडे दिनांक 3 जुलाई, 2009 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

श्री डी. आर. तुळजापुरकर दिनांक 24 सितंबर, 2009 से निदेशक पद पर नहीं रहे.

निदेशक मंडल निर्गामी निदेशकों द्वारा दिए गए मूल्यवान सहयोग की सराहना करता है.

In view of the above, Bank of Maharashtra has now only one RRB, covering 16 of the 33 districts in Maharashtra with 323 branches. The Sponsor bank has initiated necessary steps to bring all the branches under CBS by September 2011.

9. PROGRESSIVE USE OF OFFICIAL LANGUAGE

The Bank received 2nd Indira Gandhi Rajbhasha Shield at the hands of Her Excellency the President of India on 14.09.2009 at New Delhi for better use of Hindi.

The Bank is the Convenor Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Pune, Mumbai and Solapur. Meetings of these committees were held regularly during the year.

The TOLIC at Mumbai and Pune have secured first and third prizes respectively from the Rajbhasha Vibhag, Ministry of Home Affairs, Govt. of India on 27th March, 2010.

The Bank's House Magazine secured Second Prize under the Reserve Bank of India Bilingual House Magazine competition for the year 2008-09.

The Bank also received First Prize under Reserve Bank of India Rajbhasha Shield Scheme for both "A" and "B" regions (predominantly Hindi speaking) and Fourth Prize for C region for the year 2007-08 at a function held at Mumbai on 03.06.2009 for excellent use of Hindi.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended 31.03.2010:

- The applicable accounting standards of the Institute of Chartered Accountants of India, have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, are consistently applied and proper disclosures are made for changes, if any;
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and the profit of the Bank for the year;
- Proper and sufficient care was taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks, in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

11. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS

During the year 2009-10, the following changes took place in the Board of Directors:

Shri. R.K. Deshpande ceased to be the Director w.e.f 3rd July, 2009 on completion of tenure.

Shri. D.R. Tuljapurkar ceased to be the Director w.e.f. 24th September, 2009 on completion of tenure.

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the valuable contribution made by the outgoing Directors.

12. आभार

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व शेयर धारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और "महाबैंक" के सभी बैंक कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है.

निदेशक मण्डल के लिए और उसकी ओर से,

पुणे **(अलेन सी. ए. पिरेरा)**

30 अप्रैल, 2010 अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

12. ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors wish to express sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association and Stock Exchanges for their valuable guidance and support; to the customers and shareholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank" for their unstinted commitment and contribution to the growth and development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

Pune **(Allen C. A. Pereira)**

30th April, 2010 Chairman and Managing Director

वर्ष 2009-10के लिए कार्पोरेट गवर्नन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नन्स पर बैंक का दर्शन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कार्पोरेट गवर्नन्स की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कार्पोरेट गवर्नन्स प्रथाओं को तैयार कर उनका पालन करता है. शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा भरपूर प्रयास करता है. कार्पोरेट गवर्नन्स पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता ,जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानकों को स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक प्रथाएं और परिचालनगत कुशलता द्वारा गुणवत्ता को अधिकतम बनाना सुनिश्चित करना. उक्त कार्य शेयरधारकों के धन को अधिकतम करने और हितधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अनुसार शासित होता है.

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में शामिल है - नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यमूलक प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना.

2.3 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान तैनात निदेशकों के विवरण :

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2009-10

1. Bank's philosophy on Corporate Governance:

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including shareholders, customers, Government and society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

2. Board of Directors:

2.1. The composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

2.2 In terms of section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vest with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances by the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank.

2.3 Particulars of Directors who held office during the year 2009-10:

अ. क्र. Sr No	नाम, उम्र तथा अनुभव Name, Age and Experience	श्रेणी Category	शिक्षा Qualifications	वर्ष के दौरान उनका कार्यकाल Period of Tenure during the year	निदेशक मंडल की समितियों की अध्यक्षता Chairmanship of committees of Board	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता Membership of committees of Board	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या No. of Directorships in other companies	निदेशक द्वारा धारित शेयरों की संख्या No. of shares held by the director
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अलेन सी. ए. पिरेरा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक उम्र : 59 वर्ष अनुभव : बैंकिंग में 37 वर्ष की सेवा Shri. Allen C. A. Pereira Chairman & Managing Director Age: 59 Years Experience: 37 years in banking	कार्यपालक Executive	बी.ए., एमएसडब्ल्यू B.A., MSW	एमसी, डीपीसी, सीएससी, आरएमसी 01.04.09 - 31.03.10	एमसी, डीपीसी, सीएससी और एलवीएफसी MC, DPC, CSC, RMC, LVFC	-	-	-
2	श्री. एम. जी. संघवी कार्यपालक निदेशक उम्र : 56 वर्ष अनुभव : बैंकिंग में 30 वर्ष की सेवा Shri. M. G. Sanghvi Executive Director Age: 56 Years Experience: 30 years in banking	कार्यपालक Executive	बीकॉम, एलएलबी, सीएआईआईवी, एफसीए B.Com., LLB, CAIIB, FCA	01.04.09 - 31.03.10	-	एमसी, एसीबी, डीपीसी, सीएससी, आरएमसी, एलव्हीएफसी, आयएसजीसी MC, ACB, DPC, CSC, RMC, LVFC, ISGC	1	1,100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	श्री. वी. पी. भारद्वाज भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक उम्र: 54 वर्ष अनुभव : सिविल सेवा में 30 वर्ष Shri. V. P. Bhardwaj (Director Representing Govt. of India) Age: 54 years Experience: 30 years in civil services	आधिकारिक गैर निदेशक Official Non Executive	एमएससी, एमफील, स्वीडन से बैंक प्रबंधन का डिप्लोमा M.Sc., M.Phil Diploma in Bank Management from Sweden	01.04.09 - 31.03.10	आरसी RC	एसीबी, डीपीसी ACB, DPC	-	-
4	श्री. एस के. गोगिया भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि निदेशक उम्र : 64 वर्ष अनुभव : भा.रि. बैं. में 42 वर्ष की सेवा Shri. S. K. Gogia (Director representing RBI) Age: 64 Years Experience: 42 years in RBI	गैर कार्यपालक Non Executive	बी.ए. (विशेष), एलएलबी B.A (Spl), LLB	01.04.09 - 31.03.10	-	एमसी, एसीबी, डीपीसी, आरएमसी, आरसी, एनसी MC, ACB, DPC, RMC, RC, NC	-	-
5	श्री. टी. परमेश्वर राव अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक उम्र : 59 वर्ष अनुभव : शिक्षा क्षेत्र का 34 वर्ष का अनुभव Shri. T. Parameswara Rao Part Time Non Official Director Age: 59 Years Experience: 34 years in educational field	गैर आधिकारिक Non Executive	एम. ए. M.A	01.04.09 - 31.03.10	-	एमसी, एलव्हीएफसी, एसीबी, एनसी MC, LVFC, ACB, NC	-	-
6	श्री. चित्तरंजन पटवारी अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक उम्र : 68 वर्ष अनुभव : प्रशासन, सामाजिक सेवा, पशुचिकित्सा विज्ञान और कृषि का 42 वर्ष का अनुभव Shri. Chittaranjan Patwari Part Time Non Official Director Age: 68 Years Experience: 42 years in agriculture, veterinary science, administration and social service	गैर कार्यपालक Non Executive	बी.एस्सी B.Sc	01.04.09 - 31.03.10	-	एमसी, एनसी, एलव्हीएफसी MC, NC LVFC	-	-
7	श्री. आनंद कमलनयन पंडित बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि अंशकालिक गैरअधिकारिक निदेशक उम्र : 46 वर्ष अनुभव : उद्योग, व्यापार, विपणन, वित्त और तकनीकी में 21 वर्ष का अनुभव Shri. Anand Kamalnayan Pandit Part Time Non Official Director representing Shareholders of the Bank Age: 46 Years Experience : 21 years in industry, trade, marketing, finance and technology	गैर कार्यपालक Non Executive	बीई, (इलेक्ट्रॉनिक्स), हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रियल इस्टेट प्रबंधन की उपाधि B.E. Real Estate Management Programme at Harvard Business School	01.04.09 - 31.03.10	आयएसजीसी ISGC (till 31.8.09)	एमसी, आरसी, सीएससी MC, RC CSC	10	1400

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	डॉ. दिनेश शांतिलाल पटेल. बैंक के शेयरधारकों के अंशकालिक गैरआधिकारिक प्रतिनिधि निदेशक उम्र : 61 वर्ष अनुभव : व्यापार, उद्योग, रणनीतिक आयोजना, विपणन और तकनीकी में 35 वर्ष का अनुभव Dr. Dinesh Shantilal Patel Part Time Non Official Director representing Shareholders of the Bank Age: 61 years Experience: 35 years in industry, business, strategic planning, marketing and technology	गैर कार्यपालक Non Executive	एमएससी, पीएचडी, चार्टर्ड केमिस्ट M.Sc., Ph.D., Chartered Chemist	01.04.09 - 31.03.10	आयएसजीसी (01.04.09 से) ISGC (w.e.f. 01.9.09)	एमसी, सीएससी, एलव्हीएफसी MC, CSC, LVFC	5	100
9	डा.एस. यू. देशपांडे अधिकारी निदेशक उम्र : 49 वर्ष अनुभव : बैंकिंग में 25 वर्ष का अनुभव Dr. S. U. Deshpande Officer Director Age: 49 years Experience : 25 years in Banking.	गैर कार्यपालक (अधिकारी निदेशक) Non Executive Officer Director	एमवीएससी, सीएआयआयबी M.V.Sc., CAIIB	01.04.09 - 31.03.10	-	एमसी, सीएससी, आयएसजीसी MC, CSC, ISGC	-	200
10	श्री एस. एच. कोचेटा अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक उम्र : 52 वर्ष अनुभव : कृषि पृष्ठभूमि के साथ वित्त में 27 वर्ष Shri. S. H. Kocheta Part Time Non Official Director Age: 52 years Experience: 27 years in finance and with background of agriculture	गैर कार्यपालक Non Executive	बीकॉम, एफसीए, सीएस (लाइसेन्सधारी) B.Com, FCA, CS (Licenciate)	01.04.09 - 31.03.10	एसीबी ACB	एमसी, एनसी, आरएमसी, आरसी MC, NC RMC RC	-	-
11	श्री. आर. के. देशपांडे अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक उम्र : 47 वर्ष अनुभव : वित्त का 21 वर्ष का अनुभव, कृषि और ग्रामीण विकास तथा स्वरोजगार गतिविधियों से संबंधित रहे Shri. R. K. Deshpande Part Time Non Official Director Age: 47 Years Experience: 21 years in finance. Associated with Agriculture and rural development activities and self employment initiatives	गैर कार्यपालक Non Executive	बीएससी, एलएलबी, एफसीए B.Sc., LLB, FCA	01.04.09 - 03.07.09	-	एमसी, आरएमसी, एलव्हीएफसी, आरसी, एनसी MC, RMC, LVFC RC, NC	-	400
12	श्री. डी. आर. तुळजापुरकर कर्मकार निदेशक उम्र : 51 वर्ष अनुभव : बैंकिंग में 31 वर्ष से अधिक Shri. D. R. Tuljapurkar Workman Director, Age: 51 years Experience of over 31 years in banking	गैर कार्यपालक (कर्मचारी निदेशक) Non Executive (Employee Director)	बीकॉम, एलएलबी B.Com., LLB	01.04.09 - 24.09.09	-	एमसी, सीएससी, आयएसजीसी MC, CSC, ISGC	-	-

3. निदेशक मंडल की बैठकें

3.1 वर्ष के दौरानं निदेशक मंडल की बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर 17 बार संपन्न हुई.

14.05.09	05.06.09	06.06.09	27.06.09	15.07.09	30.07.09	31.08.09	17.09.09	09.10.09
30.10.09	26.11.09	23.12.09	11.01.10	30.01.10	15.02.10	25.02.10	22.03.10	

3.2 निदेशक मंडल की उपर्युक्त बैठकों और अपनी कार्य अवधि के दौरान संपन्न अंतिम साधारण वार्षिक आम सभा में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं.निम्नानुसार है :

4. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित समितियो का गठन किया है और विभिन्न कार्यमूलक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्योजन किया है.

4.1 प्रबंधन समिति

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति का गठन सात सदस्यों के साथ किया गया है. प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं :

क) ऋण व निवेश प्रस्तावों की मंजूरी

ख) ऋण समझौता / बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव

ग) परिसर / क्वार्टर्स अधिग्रहित करने से संबंधित प्रस्ताव

घ) निदेशक मंडल की प्रबंध समिति को संदर्भित अन्य विषय.

आलोच्य अवधि के दौरान समिति की 24 बैठकें निम्नलिखित दिनांकों पर हुईं-

28.04.09	29.05.09	06.06.09	26.06.09	09.07.09	29.07.09	24.08.09	01.09.09
09.09.09	17.09.09	25.09.09	09.10.09	21.10.09	06.11.09	03.12.09	16.12.09
23.12.09	29.12.09	23.01.10	04.02.10	25.02.10	12.03.10	22.03.10	27.03.10

4.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशो के अनुरुप निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है. समिति को निम्नानुसार अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है.

क) लेखा परीक्षा समिति बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवम् आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है.

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण / लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है. लेखा परीक्षा समिति सभी अतिविस्तृत शाखाओं और विशेषज्ञता प्राप्त शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है.

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई काफी समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के बकाया मिलान, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है.

घ) लेखा परीक्षा समिति भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुपालन अधिकारियो की तिमाही रिपोर्ट प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है.

3. Board meetings:

3.1 During the year, the Board met 17 times on the following dates:

14.05.09	05.06.09	06.06.09	27.06.09	15.07.09	30.07.09	31.08.09	17.09.09	09.10.09
30.10.09	26.11.09	23.12.09	11.01.10	30.01.10	15.02.10	25.02.10	22.03.10	

3.2 Details of attendance of each Director at the Board and Committee meetings and at the last Annual General Meeting held during their respective tenure are given in Annexure I.

4. Committees of Board:

The Board has constituted the following committees and delegated powers in different functional areas.

4.1 Management Committee:

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with seven members as per provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of credit and investment proposals,

b) Loan compromise / write off proposals,

c) Proposals relating to acquiring of premises/ quarters and

d) Any other matter referred by the Board.

The Committee met 24 times during the period under review on the following dates:

28.04.09	29.05.09	06.06.09	26.06.09	09.07.09	29.07.09	24.08.09	01.09.09
09.09.09	17.09.09	25.09.09	09.10.09	21.10.09	06.11.09	03.12.09	16.12.09
23.12.09	29.12.09	23.01.10	04.02.10	25.02.10	12.03.10	22.03.10	27.03.10

4.2. Audit Committee of the Board

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspection of RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection / audit function in the Bank - adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of Inter Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of house keeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officers relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

ङ.) तिमाही /अर्धवार्षिक / वार्षिक लेखों और रिपोर्टों को अंतिम स्वरूप प्रदान करने से पूर्व समिति बाह्य लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है.सांविधिक लेखा परीक्षकों के विषय में लेखा परीक्षा समिति लॉंग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (LFAR) में उठाए गएं सभी मुद्दों का अनुवर्तन करती है.

च) लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों / विषयों का अनुवर्तन करती है.

छ) लेखा परीक्षा समिति विस्तारित शाखाओं / अति विस्तृत शाखाओं और विशेषज्ञ शाखाओं की संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करती है.

ज) लेखा परीक्षा समिति चुनिन्दा क्षेत्रों में बैंक के कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण भी करती है.

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 10 बार बैठकें हुई. बैठकों के दिनांक निम्न प्रकार हैं-

14.05.09	29.05.09	09.07.09	30.07.09	31.08.09
01.10.09	21.10.09	30.10.09	12.01.10	30.01.10

4.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है. इस समिति में चार निदेशक सदस्य हैं. एकीकृत जोखिम प्रबंधन, जिसमें ऋण जोखिम सहित विभिन्न जोखिम विगोपनों को शामिल करते हुए समिति नीति और रणनीतियां तैयार करती हैं.

वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 5 बार बैठकें हुई. बैठकों के दिनांक निम्न प्रकार हैं-

05.06.09	31,08.09	21.10.09	03.12.09	15.03.10

4.4 निवशकों और शेयरधारकों की शिकायत और शेयर अंतरण समिति

कार्पोरेट गवर्नन्स पर सेबी के दिशानिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए लिस्टींग समझौते की धारा 49 के अनुसार शेयरों के अंतरण, रिफंड आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश इत्यादि प्राप्त न होने से संबंधित शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु निदेशक मंडल के तीन सदस्यों वाली शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निपटान समिति का गठन किया गया है ।दिनांक 31.08.2009 को समिति का पुनर्गटन किया गया शेयरधारक निदेशक श्री डी एस पटेल को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 06.06.09,31.08.09 ,16.12.09 ,और 15.02.09 को हुई. समिति ने शेयर अंतरण से संबंधित विभिन्न मामलों पर भी विचार किया. वर्ष के दौरान समिति ने शेयर अंतरण, शेयरों का ट्रान्समिशन और डुप्लिकेट शेयर जारी करने का अनुमोदन प्रत्येक माह में तीन बार परिचालन के द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करते हुए किया.

वर्ष के दौरान प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं :

01.04.2009 को लंबित शिकायतों की संख्या	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	472
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	471
31.03.2010 को लंबित शिकायतों की संख्या	1

शेयरों को भौतिक रूप से डिमैट में बदलने के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं था.

श्री ए. वाई. शेडशाळे, कंपनी सचिव को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

4.5 बड़ी रकम वाली जालसाजियों पर विशेष समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है. समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं. समिति बड़ी रकम वाली जालसाजियों की निगरानी करती है.दिनांक

e) ACB interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual / half-yearly / quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

f) ACB makes follow up of all the issues / concerns that are raised in the inspection report of RBI.

g) ACB reviews the concurrent audit reports of ELBs/ VLBs and Specialised branches.

h) ACB also reviews performance of the Bank periodically under select areas.

During the year, the ACB met 10 times and the dates of the meetings are as under:

14.05.09	29.05.09	09.07.09	30.07.09	31.08.09
01.10.09	21.10.09	30.10.09	12.01.10	30.01.10

4.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board has been constituted with four Directors as members of the Committee as per the guidelines issued by Reserve Bank of India to divise a policy and strategy for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank including the credit risk.

The Risk Management Committee of the Board was reconstituted on 31.08.2009. The Committee met 5 times during the year as under:

05.06.09	31,08.09	21.10.09	03.12.09	15.03.10

4.4 Investors' and Shareholders' Grievances and Share Transfer Committee:

In compliance with SEBI guidelines on Corporate Governance as well as Clause 49 of the Listing Agreement, the Committee was constituted to look into the redressal of investors' and shareholders' grievances regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividend warrants etc. The Committee was reconstituted on 31.08.2009. Shri D.S. Patel, Shareholder Director was appointed as its Chairman.

The Committee met 4 times during the year on 06.06.09, 31.08.09, 16.12.09 and 15.02.10. The Committee also considered various matters pertaining to share transfers. During the year, the Committee approved share transfers, transmission of shares and issuance of duplicate shares by adopting resolutions by circulation thrice in every month.

Position of complaints received and resolved during the year is as under:

Number of complaints pending as on 01.04.09	--
Number of complaints received during the year	472
Number of complaints resolved during the year	471
Number of complaints pending as on 31.03.10	1

There were no pending applications for conversion of shares in physical form to demat form.

Shri. A.Y. Shedshale, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank.

4.5 Special Committee to monitor large value frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee, comprising of five Directors as members, was constituted to monitor large value frauds.

31.08.2009 को समिति का पुनर्गटन किया गया . वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 05.06.08 01.09.09 23.12.09 और 22.03.10 को सम्पन्न हुईं.

4.6 निदेशक पदोन्नति समिति

समिति के चार सदस्य हैं और वर्ष के दौरान समिति की 5 बैठकें दिनांक 05.06.09 01.09.09, 23.12.09, 05.03.10 और 22.03.10 को सम्पन्न हुईं.

4.7 ग्राहक सेवा समिति

बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया था. दिनांक 31.08.2009 को समिति का पुनर्गटन किया गया .समिति में 4 सदस्य हैं (01.04.09 से 24.09.09 तक समिति के 5 सदस्य थे) और वर्ष के दौरान इसकी 4 बैठकें दिनांक 5.06.09, 01.09.09, 16.12.09 व 26.03.10 को संपन्न हुई.

4.8 पारिश्रामिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन से संबंधित प्रेरणा राशि पर विचार करने के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप दिनांक 31.08.2009 को समिति का गठन किया गया. समिति में चार सदस्य हैं और समिति की बैठक दिनांक 11.01.10 को हुई.

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाचित निदेशकों के उपयुक्त और उचित स्तर की जांच करने और उसे अनुमोदित करने के लिए समिति का गठन किया गया था. समिति में 4 गैर-कार्यपालक निदेशक सदस्य हैं. दिनांक 15.02.2010 को समिति का पुनर्गटन किया गया . समिति की बैठक 25.02.10 को संपन्न हुई. समिति ने निर्वाचित दोनो निदेशको द्वारा प्रस्तुत घोषणाओं को नोट किया और की उपयुक्त और उचित स्तर प्रदान किया.

4.10 अन्य समितियां

विभिन्न विशिष्ट विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और संचालनगत मार्गदर्शन हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां जैसे आस्ति देयता प्रबंधन समिति, परिसर समिति, उच्च अधिकार प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति तथा उच्च प्रबंधन समिति इत्यादि हैं.

प्लेटिनम जुबली वर्ष के आयोजनो का पर्यवेक्षण करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया.अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक,कार्यपालक निदेशक श्री ए के पंडित, श्री एस यू देशपांडे व श्री डी आर तुलजापूरकर अन्य महाप्रबंधकों के साथ समिति के सदस्य हैं. वर्ष के दौरान समिति की 11 बार बैठकें हुई व मार्गनिर्देश दिए गए.

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

बैंक का अभिशासन बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अधीन होता है. केन्द्र सरकार ही अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक निर्धारित करती है. बैंक गैर कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटींग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च के अलावा किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है.

The Committee was reconstituted on 31.08.2009. The Committee met 4 times on 05.06.09, 01.09.09, 23.12.09 and 22.03.10.

4.6 Directors' Promotion Committee:

The Committee comprising of 4 members met 5 times on 05.06.09, 01.09.09, 23.12.09, 05.03.10 and 22.03.10.

4.7 Customer Service Committee:

As per the directions of the RBI, the Committee was constituted to review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank. The Committee was reconstituted on 31.08.2009. The Committee, comprising of 4 members (5 members during 1.4.09 to 24.09.09) met 4 times on 05.06.09, 01.09.09, 16.12.09 and 26.03.10.

4.8 Remuneration Committee:

In terms of the guidelines of the Government of India, the Committee was constituted on 31.08.2009 to consider performance linked incentives to the whole time directors. The Committee comprised of four members and met on 11.01.10.

4.9 Nomination Committee:

In terms of RBI guidelines, the Committee was re-constituted to examine and to accord 'fit and proper' status in respect of the elected directors. The Committee was reconstituted on 15.02.2010. The Committee comprised of five non executive directors and met on 25.02.10 and noted the declarations filed by both the elected directors and accorded fit and proper status to both of them.

4.10 Other Committees:

There are also other Committees of executives viz., Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, High Power IT Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Top Management Committee for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions.

A special Committee was constituted for overseeing the celebrations of the Platinum Jubilee Year. The Chairman and Managing Director, Executive Director, Directors Shri. A.K. Pandit, Dr. S.U. Deshpande and Shri. D.R. Tuljapurkar are the members of the Committee along with other General Managers. The Committee met 11 times during the year and gave guidance.

5. Remuneration of Directors:

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The remuneration of the Chairman and Managing Director and the Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the Non Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

6. सर्वसाधारण सभाएं

6.1 बैंक के शेयरधारकों की वर्ष 2004-2005,से 2009.10 तक संपन्न सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं.

6. General Body Meetings:

6.1 Details of General Body Meetings of shareholders held during the years 2004-05 to 2009-10 are as under:

प्रकार Nature	दिनांक व समय Date & Time	स्थान Venue	उद्देश्य Purpose
प्रथम वार्षिक साधारण आम सभा First Annual General Meeting	2 जुलाई, 2004 दोपहर 3.00 बजे At 3.00 p.m. on 2nd July 2004	यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरुड, पुणे Yashwantrao Chavan Natya Griha, Kothrud, Pune	वर्ष 2003-04 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और परिणामों पर चर्चा करना Discussion on the audited annual accounts and results for the year 2003-04.
असाधारण आम सभा Extra Ordinary General Meeting	7 जनवरी, 2005 सुबह 10.00 बजे At 10:00 a.m. on 7th January 2005	यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरुड,पुणे Yashwantrao Chavan Natya Griha, Kothrud, Pune	केन्द्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारकों में से चार निदेशकों का चुनाव करना Election of four Directors from amongst the Shareholders other than the Central Government.
द्वितीय वार्षिक साधारण आम सभा Second Annual General Meeting	29 जून, 2005 सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 29th June 2005	यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरुड,पुणे Yashwantrao Chavan Natya Griha, Kothrud, Pune	वर्ष 2004-05 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और परिणामों पर चर्चा करना Discussion on the audited annual accounts and results for the year 2004-05.
तीसरी वार्षिक साधारण आम सभा Third Annual General Meeting	26 जून 2006 सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 26th June 2006	यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरुड, पुणे Yashwantrao Chavan Natya Griha, Kothrud, Pune	वर्ष 2005-06 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों और परिणामों पर चर्चा करना Discussion on the audited annual accounts and results for the year 2005-06
चौथी वार्षिक साधारण आम सभा Fourth Annual General Meeting	7 जून 2007 सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 7th June 2007	अप्पासाहेब जोग सभाग्रह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005. Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वार्षिक लेखा परीक्षित खातों का अंगीकरण एवं वर्ष 2006-07 के लिए लाभांश की घोषणा Adoption of audited annual accounts and declaration of dividend for the year 2006-07
पांचवी वार्षिक साधारण आम सभा Fifth Annual General Meeting	9 जून 2008 सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 9th June 2008	अप्पासाहेब जोग सभाग्रह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005. Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वार्षिक लेखा परीक्षित खातों का अंगीकरण एवं वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश की घोषणा Adoption of audited annual accounts and declaration of dividend for the year 2007-08
छठवीं वार्षिक साधारण आम सभा Sixth Annual General Meeting	15 जुलाई 2009 सुबह 10.00 बजे At 10.00 a.m. on 15th July 2009	अप्पासाहेब जोग सभाग्रह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005. Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.	वार्षिक लेखा परीक्षित खातों का अंगीकरण एवं वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश की घोषणा Adoption of audited annual accounts and declaration of dividend for the year 2008-09

6.2 साधारण आम सभा की किसी भी बैठक में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नही हुआ.

6.2 No Special resolution was passed in any of the General meetings.

6.3 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारण आम सभा में उपस्थित रहा.

6.3 An authorized representative nominated by Ministry of Finance, Government of India, also attended the Annual General Meetings.

7. प्रकटन

7.1 सामान्य बैंकिंग के दौरान होने वाले व्यवहारों को छोड़कर बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंधन, बैंक की सहायक कंपनियों, अथवा रिश्तेदारों इत्यादि के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय संबद्ध संव्यवहार नहीं था जिसका बैंक के हितों से कोई प्रभावी प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ हो.

7.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने सेबी के दिनांक 29 अक्तूबर, 2004 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/सीएफडी/ डीआईएल/सीजी/ 1/ 2004/ 12/10 और बाद में दिनांक 13 जनवरी, 2006 के उनके परिपत्र क्रमांक सेबी/ सीएफडी/ डीआईएल/ सीजी/ 1/2006/13 द्वारा संशोधित तथा लिस्टिंग समझौते के संशोधित खंड 49 में उपलब्ध सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है, जहां तक ये उन कानूनों और संबंधित विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें, जिनके अंतर्गत बैंक का गठन किया गया है

7.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पूंजी बाजार से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया. विनियामक प्राधिकारियों यथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा कानून, दिशानिर्देश और निदेश या पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले का उल्लंघन करने के लिए बैंक पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया.

7.4 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण भी निदेशकों की रिपोर्ट के अंग है.

7.5 खंड 49 का अनुपालन

बैंक ने जिस सीमा तक लागू है, उस सीमा तक खंड 49 की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन करने हेतु कदम उठाए.,

7. Disclosures:

7.1 Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.

7.2 During the year under review, the Bank has complied with all mandatory requirements, to the extent applicable, as provided in the revised Clause 49 of Listing Agreement, as advised by SEBI vide their circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2004/12/10 dated 29th October 2004 and later amended vide their circular SEBI / CFD / DIL / CG / 1 / 2006 / 13 dated 13th January, 2006, to the extent they do not violate the status under which the bank is constituted and guidelines or directives issued by the relevant regulatory authorities.

7.3 During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters. No penalties were imposed nor strictures were passed against the Bank by Regulatory authorities, viz. SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market.

7.4 The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors Report.

7.5 Compliance with Clause 49 of Listing Agreement:

The Bank has complied with all the mandatory requirements of Clause 49 to the extent applicable and has also taken steps to comply with other non mandatory requirements.

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, अर्ध वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को अंग्रेजी में कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक तथा मराठी में एक स्थानीय दैनिक में प्रकाशित किया जाता है. परिणामों को बैंक की वेबसाईट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध किया जाता है.

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही / अर्ध वार्षिक / वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया.

अवधि	दैनिक का नाम		प्रकाशन की दिनांक
	मराठी	अंग्रेजी और अन्य	
जून 2009	केसरी	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	01.08.09/31.07.09
सितंबर 2009	सकाळ	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	01.11.09/31.10.09
दिसंबर 2009	पुढारी	बिजनेस स्टैन्डर्ड	01.02.10/1.02.10
मार्च 2010	सामना	फाइनेन्शियल एक्सप्रेस	01.05.10/01.05.10

बैंक सेबी की इलेक्टॉनिक डाटा इन्फर्मेशन फायलींग और रिट्रीवल साईट पर भी जानकारी विवरण तथा रिपोर्ट फाईल करता है. यह जानकारी आम जनता http:// sebiedifar.nic.in साईट पर देख सकती है.

9. शेयरधारकों का ब्यौरा :

9.1 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबध्द शेयरों के ब्योरे

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) में बैंक के शेयर सूचीबद्ध किये गये हैं । स्क्रिप कोड निम्नानुसार है -

दि स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बीएसई)	532525
दि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)	महाबैंक - ईक्यू (MAHABANK - EQ)

उक्त स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2010-11 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

9.2 सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा के विवरण :

लेखों व लाभांश पर विचार हेतु निदेशक मंडल की बैठक	30 अप्रैल,2010
सांतवीं वार्षिक साधारण आम सभा का स्थान, दिनांक और समय	दिनांक 9 जुलाई 2010, शुक्रवार को सुबह 10 बजे बैंक ऑफ महाराष्ट्र,अप्पासाहेब जोग सभागृह, लोकमंगल, पुणे 411 005
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	14 जून,2010
बहियों के बंद होने का दिनांक	3 जुलाई 2010 से 9 जुलाई 2010तक (दोनो दिन शामिल हैं)
लाभांश भुगतान की दिनांक	23 जुलाई 2010

9.3 वित्तीय कैलेंडर (अनंतिम)

को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन	अनुमानित समय
30 जून, 2010	14 अगस्त 2010 से पूर्व
30 सितंबर, 2010	14 नवंबर 2010 से पूर्व
31 दिसंबर, 2010	14 फरवरी 2011 से पूर्व
31 मार्च, 2011	लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम - अप्रैल/मई 2011

9.4 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशक एवं शेयरधारकों को सहायता

मेसर्स एमसीएस लि., न्यू पनवेल, रजिस्ट्रार एवं ट्रान्स्फर एजेंट (RTA) कार्यालय में शेयर अंतरण और अन्य सभी निवेशक संबंधी मामलों की देखरेख और कार्यवाहियां की जाती हैं. शेयरधारक, जो अपने शेयर भौतिक रूप में रखते हैं, वे उनके अंतरण विलेख और

8. Means of Communication:

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi. The results are simultaneously displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in.

During the year, quarterly / half yearly / annual results of the Bank were published in the following newspapers.

Period Ended	Name of the daily		Date of publication
	Marathi	English and other	
June 2009	Kesari	Financial Express	01.08.09 / 31.07.09
September 2009	Sakal	Financial Express	01.11.09 / 31.10.09
December 2009	Pudhari	Business Standard	01.02.10 /01.02.10
March 2010	Saamana	Financial Express	01.05.10 / 01.05.10

The Bank has been filing the information statements and reports on SEBI's Electronic Data Information Filing And Retrieval (EDIFAR) site that is accessible by public at http://sebiedifar.nic.in.

9. Shareholder Information:

9.1 Details of listing of shares on Stock Exchanges:

The Bank's shares are listed on The Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) since 12.04.2004. The scrip codes are as under:

The Stock Exchange, Mumbai (BSE)	532525
The National Stock Exchange (NSE)	MAHABANK - EQ

The annual listing fee for the year 2010-11 has been paid to the Stock Exchanges.

9.2 Particulars of the Seventh Annual General Meeting:

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	30th April 2010
Date, Time and Venue of Seventh AGM.	At 10.00 a.m. on Friday the 9th July 2010, at Appasaheb Jog Auditorium, Bank of Maharashtra, Lokmangal, 1501, Shivajinagar Pune-411 005.
Posting of Annual Report	14th June 2010
Dates of Book Closure	3rd July 2010 to 9th July 2010 (both days inclusive)
Date of payment of dividend	23rd July 2010

9.3 Financial Calendar (Tentative):

Approval of Quarterly Results for period ending	Tentative Time
30th June 2010	Before 14th August 2010
30th September 2010	Before 14th November 2010
31st December 2010	Before 14th February 2011
31st March 2011	Audited Annual Results - April / May 2011

9.4 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:

Share transfer and all other investor related matters are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Transfer Agents (RTA), M/s. MCS Limited, Mumbai. The shareholders, who hold their shares in

अन्य कागजात, शिकायतें एवम् असुविधाओं को रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट को अथवा निम्नलिखित पतों पर बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग में दर्ज करा सकते हैं :

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट	निवेशक सेवाएं विभाग
एमसीएस लिमिटेड (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र) आफिस क्रमांक 21/22 भूतल, काशिराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड़(घडीयाल गोदी) मास्जद (पू) मुंबई 400009 टेलीफोन 022-2372 6253-56 फेक्स 022-2372-6252ई-mail: mcspanvel@yahoo.co.in	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, निवेशक सेवाएं विभाग, लोकमंगल 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 फोन : (020) 2551 1360 फैक्स: (020) 2553 3246 ईमेल: investor_services@mahabank.co.in

9.5 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (इसीएस)

इसीएस लाभांश / ब्याज इत्यादि का भुगतान करने का अनौखा तरीका है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है. बैंक अपने शेयरधारकों को यह सुविधा लेने का विकल्प निम्नलिखित 43 केन्द्रों पर उपलब्ध करता है, जहां इसीएस जमा समाशोधन प्रणाली कार्यरत है.

आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बड़ौदा, बेंगलूरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंदिगढ़, कोयंम्बतूर, कोलकाता, चैन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैंद्राबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जामनगर, कानपूर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मगंलौर, मुंबई, नागपुर, नाशिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, रायपूर, सोलापूर, सुरत, तिरवनंतपुरम, तिरुपुर, उडुपी, विजयवाडा, विशाखापटट्णम.

उपर्युक्त किसी भी केन्द्र पर निवास करने वाले शेयरधारक इसीएस अधिदेश फार्म को भरकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह फार्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है. यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो इस फार्म को रजिस्ट्रार और अंतरण एजेन्ट के पास भेजे और यदि शेयर डीमैट प्रारूप में रखे गए हैं तो यह फार्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपन्ट (डीपी) को भेजा जाए. इसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने के विकल्प को शेयरधारक अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकता है.

9.6 अदत्त लाभांश

वर्ष 2003-04, 2004-05 ,2005-06 2006.07 व 2008.09 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं करने वाले शेयरधारक लाभांश वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा आवश्यक सहायता के लिए रजिस्ट्रार / बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं.

9.7 शेयरों का डीमटेरिअलाईझेशन

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डी-मैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है. बैंक के शेयरों के डी-मैटीकरण के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों - नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (NSDL) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (CDSL) के साथ समझौते किए हैं. बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014" है । वर्ष 2009-2010 के लिए वार्षिक अभिरक्षा फीस सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपॉजिटरी को भुगतान कर दी गई है.

31.3.2009 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के विवरण निम्नानुसार है :-

संवर्ग	शेयरधारकों की संख्या		शेयरधारकों की संख्या	
	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत	शेयरधारकों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक रूप में	55,075	30.40	75,29,965	1.75
डीमैट में				
1. एनएसडीएल	95,903	52.94	8,25,45,977	19.17
2. सीडीएसएल*	30,187	16.66	34,04,44,058	79.08
उप जोड़	1,26,090	69.60	42,29,90,035	98.25
कुल	1,81,165	100.00	43,05,20,000	100.00

(*भारत सरकार द्वारा धारित 33,05,20,000 शेयरों सहित)

physical forms, may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the RTA or alternatively to Investor Services Department of the Bank at the following addresses:

Registrar & Transfer Agent:	Investor Services Department:
MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra) Office No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg, 5, P.D Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E) Mumbai - 400 009. Tel: (022) 2372 6253-56 Fax:(022) 2372 6252 e-mail: mcspanvel@yahoo.co.in	Bank of Maharashtra, Investor Services Department Lokmangal 1501, Shivajinagar Pune 411 005 Tel: (020) 2551 1360 Fax (020) 2553 3246 e-mail: investor_services@mahabank.co.in

9.5 Electronic Clearing Services (ECS):

ECS is a novel method of payment of dividend/interest etc. where the amount due to investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility at the following fourty three centers, where ECS credit Clearing System is operative.

Agra, Ahmedabad, Amristar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Vishakhapattanam.

The Shareholders residing at any of the above centers may avail of this facility by filling in the ECS mandate form. The form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Transfer Agent in case of shares held in physical mode and to the respective depository participant (DP) in respect of the shares held in dematerialized mode. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time, at the instance of the shareholder.

9.6 Unpaid Dividends:

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the years 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 and 2008-09 may contact the Registrar / Bank on the above address for revalidation of the warrants and for necessary assistance.

9.7 Dematerialisation of shares:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's Equity Shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the year 2010-11 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders as on 31st March 2010 are as under:

Category	No. of shareholders		No. of shares	
	Number of shareholders	Percentage	Number of shares	Percentage
Physical	55,075	30.40	75,29,965	1.75
Demat:				
1. NSDL	95,903	52.94	8,25,45,977	19.17
2. CDSL*	30,187	16.66	34,04,44,058	79.08
Sub-total	1,26,090	69.60	42,29,90,035	98.25
Grand Total	1,81,165	100.00	43,05,20,000	100.00

(*Including 33,05,20,000 shares held by the Government of India)

9.8 बाजार मूल्य आंकडे/बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन

(बाजार मूल्य के आंकडे रुपये में और शेयरों की मात्रा संख्या में)

माह Month	बीएसई BSE			एनएसई NSE			सैंसेक्स SENSEX	
	उच्च High	न्यून Low	मात्रा Volume	उच्च High	न्यून Low	मात्रा Volume	उच्च High	न्यून Low
अप्रैल April, 09	25.90	21.50	1,06,71,390	25.90	21.50	2,57,20,110	11,492	9,546
मई May	39.00	23.50	1,31,66,681	39.00	23.30	3,08,53,520	14,930	11,621
जून June	46.70	37.30	1,46,40,302	46.60	37.50	2,73,31,773	15,600	14,017
जुलाई July	44.00	35.50	73,60,368	44.00	35.55	1,82,03,567	15,733	13,220
अगस्त August	42.40	39.00	30,69,922	42.35	38.85	76,66,303	16,002	14,684
सितंबर September	49.50	39.80	1,22,78,320	49.50	40.00	2,69,61,115	17,142	15,357
अक्तूबर October	51.55	42.50	76,58,835	51.70	42.55	1,69,71,839	17,493	15,805
नवंबर November	51.40	40.80	49,14,326	51.40	40.80	1,12,22,381	17,290	15,330
दिसंबर December	53.15	47.65	51,27,865	53.00	47.00	1,16,22,506	17,531	16,578
जनवरी January,10	58.00	49.80	33,17,376	60.00	49.85	81,31,982	17,790	15,982
फरवरी February	54.30	47.60	9,80,671	59.00	47.25	27,95,646	16,669	15,652
मार्च March	55.40	48.10	14,36,161	55.40	48.40	29,63,502	17,793	16,438

9.8 Market Price data / price performance of Bank's Shares:

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

9.9 प्रति शेयर डाटा

विवरण	31.3.2008	31.3.2009
अंकित मूल्य (रु.)	10	10
प्रति शेयर आय (रु.)	8.71	10.21
लाभांश (%)	15	20*
बही मूल्य (रु.)	39.74	49.11
निवल लाभ के प्रतिशत के रूप में अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर)	17.22	19.59*
* शेयरधारकों के अनुमोदन पर		

9.9 Per Share Data:

Particulars	31.3.2009	31.3.2010
Face Value (Rs.)	10	10
EPS (Rs.)	8.71	10.21
Dividend (%)	15	20*
Book Value (Rs.)	39.74	49.11
Dividend Pay out (excluding dividend tax) as % of net profit	17.22	19.59*
*Subject to approval of Shareholders		

9.10 वितरण अनुसूची

31.03.09 को शेयरधारित का वितरण निम्नानुसार है :

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल से %	शेयरों की संख्या	कुल से %
500 तक	1,70,309	94.01	2,23,26,473	5.19
501 -1000	6,527	3.60	53,45,100	1.24
1001-2000	2,586	1.43	39,01,355	0.91
2001-3000	576	0.32	14,77,698	0.34
3001-4000	259	0.14	9,37,255	0.22
4001-5000	242	0.13	11,40,721	0.26
5001-10000	343	0.19	26,16,622	0.61
10000* से अधिक	323	0.18	39,27,74,776	91.23
कुल	**1,81,165**	**100.00**	**43,05,20,000**	**100.00**
(*भारत सरकार द्वारा धारित 33,05,20,000 शेयरों का समावेश है)				

9.10 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding, as on 31.3.2010 is as under:

No. of Shares	No. of Shareholders	% to Total	No. of Shares	% to Total
Up to 500	1,70,309	94.01	2,23,26,473	5.19
501 -1000	6,527	3.60	53,45,100	1.24
1001-2000	2,586	1.43	39,01,355	0.91
2001-3000	576	0.32	14,77,698	0.34
3001-4000	259	0.14	9,37,255	0.22
4001-5000	242	0.13	11,40,721	0.26
5001-10000	343	0.19	26,16,622	0.61
Above 10000*	323	0.18	39,27,74,776	91.23
Total	**1,81,165**	**100.00**	**43,05,20,000**	**100.00**
[*Includes 33,05,20,000 shares held by the Government of India]				

9.11 शेयर धारिता स्वरूप

दिनांक 31.3.2009 की तुलना में 31.03.2010 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता स्वरूप निम्नानुसार रहा :

श्रेणी	31.03.2010 को		31.03.2009 को	
	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर धारण से %
भारत सरकार	33,05,20,000	76.77	33,05,20,000	76.77
बैंक, वित्तीय संस्थान और बीमा कंपनियां	3,88,32,803	9.02	1,92,82,374	4.48
म्यूच्युअल फंड	17,29,587	0.40	4,40,000	0.10
विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय और विदेशी निगमित निकाय	95,90,128	2.23	1,96,77,551	4.57
घरेलू कंपनियां	59,53,935	1.38	1,02,39,313	2.38
भारतीय जनता	4,38,93,547	10.20	5,03,60,762	11.70
जोड़	**43,05,20,000**	**100.00**	**43,05,20,000**	**100.00**

9.11 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank's shares as on 31.3.2010 and 31.03.2009 was as under:

Category of Shareholder	As on 31.03.2010		As on 31.03.2009	
	No. of Shares Held	% to Total Holding	No. of Shares Held	% to Total Holding
Govt. of India	33,05,20,000	76.77	33,05,20,000	76.77
Banks/Financial Institutions/Insurance Companies	3,88,32,803	9.02	1,92,82,374	4.48
Mutual Funds/ UTI	17,29,587	0.40	4,40,000	0.10
FIIs, NRIs and OCBs	95,90,128	2.23	1,96,77,551	4.57
Domestic Companies	59,53,935	1.38	1,02,39,313	2.38
Indian Public / Resident individuals	4,38,93,547	10.20	5,03,60,762	11.70
Total	**43,05,20,000**	**100.00**	**43,05,20,000**	**100.00**

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का प्रमाणपत्र/घोषणा

मैं घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल ने लिस्टिंग समझौते के खंड 49 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया है. आचार संहिता बैंक की वेब साईट पर भी प्रदर्शित की गई है.

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सभी कर्मचारियों ने 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता का पालन किया है.

कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(अलेन सी.ए.पिरेरा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: पुणे
दिनांक 30 अप्रैल, 2010

बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों हेतु लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्ध समझौते के खंड 49 के अनुसार दिनांक 31.3.2010को समाप्त वर्ष हेतु हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों के अनुपालन की जांच लागू सीमा तक की है.

कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेन्स के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और कार्यान्वयन तक सीमित थी. न तो यह लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे मत की अभिव्यक्ति है.

हमारे मतानुसार, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त वर्णित सूचीबद्ध समझौते में विनिर्दिष्ट अनुसार बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेन्स के मानदंडों का अनुपालन किया है.

हम स्पष्ट करते हैं कि बैंक द्वारा रखे गए अभिलेख के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी निवेशक की कोई शिकायत दिनांक 31 मार्च, 2010 को एक माह से अधिक की अवधि से लंबित नहीं थी.

साथ ही हम यह भी व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो प्रबंधन की कार्यक्षमता अथवा प्रभावोत्पादकता जिसके द्वारा बैंक का कार्यव्यवहार किया गया हो, के प्रति और न ही बैंक की भावी व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन है.

कृते वाही एण्ड गुप्ता
एफआरएन: 2263एन
सनदी लेखाकार

(वाय.के .गुप्ता)
सदस्यता क्रमांक 16020
भागीदार

कृते वी. सी. गौतम एण्ड कंपनी
एफआरएन: 365एन
सनदी लेखाकार

(विष्णु गौतम)
सदस्यता क्रमांक 16257
भागीदार

कृते छावछारिया एण्ड कंपनी
एफआरएन: 305123ई
सनदी लेखाकार

(विक्रम धनानीया)
सदस्यता क्रमांक 060568
भागीदार

कृते रे एण्ड कंपनी
एफआरएन: 313124ई
सनदी लेखाकार

(सुब्रतो रे)
सदस्यता क्रमांक 051205
भागीदार

कृते जोध जोशी एण्ड कंपनी
एफआरएन: 104317डब्ल्यु
सनदी लेखाकार

(यश के वर्मा)
सदस्यता क्रमांक 105954
भागीदार

कृते जेसीआर एण्ड कंपनी
एफआरएन: 105270डब्ल्यु
सनदी लेखाकार

(के एस राघवन)
सदस्यता क्रमांक 16792
भागीदार

स्थान: पुणे
दिनांक: 30 अप्रैल, 2010

Certificate / Declaration of the Chairman and Managing Director

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with clause 49 of the Listing Agreement. The Code of Conduct is posted on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March 2010.

For Bank of Maharashtra

(Allen C. A. Pereira)
Chairman & Managing Director

Place: Pune
Date: 30th April, 2010

AUDITORS' CERTIFICATE TO THE SHAREHOLDERS OF BANK OF MAHARASHTRA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra for the year ended on 31.3.2010 as stipulated vide clause 49 of the Listing Agreement entered by the Bank with Stock Exchanges, to the extent applicable.

The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and the representations made by the directors and Management, we certify that the Bank has complied with the norms of Corporate Governance as stipulated in the above-mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance was pending for a period exceeding one month as at 31st March 2010 against the Bank as per the records maintained by the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Wahi & Gupta
FRN: 2263N
Chartered Accountants

(Y. K. Gupta)
Membership No.: 16020
Partner

For V. C. Gautam & Co.
FRN: 365N
Chartered Accountants

(Vishnu Gautam)
Membership No.:16257
Partner

For B Chhawchharia & Co.
FRN: 305123E
Chartered Accountants

(Vikram Dhanania)
Membership No.:060568
Partner

For Ray & Co.
FRN:313124E
Chartered Accountants

(Subrata Roy)
Membership No.:051205
Partner Partner

For Jodh Joshi and Co.
FRN: 104317W
Chartered Accountants

(Yash K. Verma)
Membership No.:105954
Partner

For JCR & Co.
FRN: 105270W
Chartered Accountants

(K. S. Raghavan)
Membership No.: 16792

Place: Pune
Dated: 30th April, 2010

अनुलग्नक I

बोर्ड व समितियों की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपास्थति के विवरण (संपन्न बैठकों की संख्या/बैठक मे उपास्थति की संख्या दर्शाने वाला)और संबंधित अवधि मे संपन्न अन्तिम वार्षिक साधारण सभा में उपास्थति के विवरण

Annexure I

Details of attendance of each Director at the Board and Committee meetings (indicating number of meetings attended / number of meetings held) and at the last Annual General Meeting held during their respective tenure.

अनु. क्र. Sr No	निदेशक का नाम Name of the Director	बोर्ड Board	एमसी MC	एसीबी ACB	आरएमसी RMC	आयएसजीएसटीसी ISGSTC	एलव्हीएफ LVF	डीपीसी DPC	सीएससी CSC	आरसी RC	एनसी NC	पिछले वार्षिक सर्वसाधारण बैठक में उपस्थिति Attendance in the last AGM
1	श्री. अलेन सी. ए. पिरेरा Shri. Allen C.A. Pereira	17/17	23/24		3/5		4/4	5/5	4/4			YES
2	श्री एम. जी. संघवी Shri. M.G. Sanghvi	17/17	24/24	10/10	5/5	4/4	4/4	4/4	4/4			YES
3	श्री. व्ही. पी. भारद्वाज Shri. V.P. Bhardwaj	17/17		10/10				5/5		1/1		YES
4	श्री. एस. के. गोगिया Shri. S.K. Gogia	16/17	23/24	10/10	5/5			5/5		1/1	1/1	YES
5	श्री. टी. परमेश्वर राव Shri. T. Parameswara Rao	17/17	18/18	10/10			4/4				1/1	YES
6	श्री. चित्तरंजन पटवारी Shri. Chittaranjan Patwari	16/17	11/12				2/2				1/1	NO
7	श्री. ए. के. पंडित Shri. A. K. Pandit	15/17	14/15			2/2			2/2	1/1		YES
8	डा. दिनेश शांतिलाल पटेल Dr. Dinesh Shantilal Patel	14/17	10/12			2/2	4/4		2/2			NO
9	डी. एस. यु. देशपांडे Dr. S.U. Deshpande	17/17	12/12			4/4			4/4			YES
10	श्री. एस. एच. कोचेटा Shri. S.H. Kocheta	16/17	19/24	10/10	3/3					1/1	1/1	YES
11	श्री. आर. के. देशपांडे Shri. R.K. Deshpande	4/4			1/1		1/1					NA
12	श्री. डी. आर. तुळजापूरकर Shri. D.R. Tuljapurkar	8/8	3/3			2/2			2/2			YES

एमसी - बोर्ड की प्रबंधन समिति
एसीबी - बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

आरएमसी - जोखिम प्रबंधन समिति
सीएससी - ग्राहक सेवा समिति
एलवीएफसी - बड़े मूल्य की जालसाजियों की निगरानी के लिए विशेष समिति
आरसी - पारिश्रमिक समिति
डीपीसी - निदेशकों की पदोन्नति समिति
एनसी - नामांकन समिती
आईएसजीसी - निवेशकों / शेयरधारकों की शिकायत और शेयर अंतरण समिति

MC - Management Committee of the Board
ACB - Audit Committee of the Board

RMC - Risk Management Committee of the Board
CSC - Customer Service Committee
LVFC - Special Committee to Monitor Large Value Frauds
RC - Remuneration Committee
DPC - Directors' Promotion Committee
NC - Nomination Committee
ISGC - Investors' and Shareholders' Grievance and Share Transfer Committee

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2010

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार(चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2009 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Capital	1	**430,52,00**	430,52,00
आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**2427,89,11**	2086,66,78
जमाराशियां Deposits	3	**63304,06,94**	52254,91,96
उधारियां Borrowings	4	**2796,95,33**	2257,51,32
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान Other Liabilities & Provisions	5	**2096,35,55**	2000,73,30
जोड़ TOTAL		**71055,78,93**	59030,35,36
आस्तियां ASSETS			
नगदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**5315,39,31**	3881,41,92
बैंको में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call & short notice	7	**1379,16,39**	223,91,65
निवेश Investments	8	**21323,85,12**	18382,14,36
ऋण और अग्रिम Advances	9	**40314,69,68**	34290,77,28
स्थिर आस्थियां Fixed Assets	10	**659,52,59**	654,80,43
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**2063,15,84**	1597,29,72
जोड़ TOTAL		**71055,78,93**	59030,35,36
संमाश्रित दायित्व Contingent Liabilities	12	**17625,31,07**	15264,49,66
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**1738,41,44**	1753,24,69
महत्त्वपूर्ण लेखा नितियां Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts	18		

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग है. The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

अलेन सी.ए.पिरेरा
ALLEN C.A. PEREIRA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एम.जी.संघवी
M. G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

वी.पी.भारद्वाज
V. P. BHARDWAJ
निदेशक
Director

टी.परमेश्वर राव
T. PARAMESWARA RAO
निदेशक
Director

डॉ.डी.एस. पटेल
Dr. D. S. PATEL
निदेशक
Director

डॉ. एस.यू. देशपांडे
Dr. S. U. DESHPANDE
निदेशक
Director

एस.एच.कोचेटा
S. H. KOCHETA
निदेशक
Director

ए.एस.बनर्जी
A. S. BANERJEE
महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
General Manager, F.M.& A.

आर.मुरलीधरन
R. MURALIDHARAN
उप महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
Dy. General Manager, F.M.& A.

वी.सुब्रमणियन
V. SUBRAMANIAN
सहा. महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
Asst. General Manager, F.M.& A.

पृष्ठ 39 पर जारी
Contd. on page 39

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year Ended 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year Ended 31st March 2009 (Previous Year)
I.	**आय INCOME**			
	अर्जित ब्याज Interest earned	13	**4735,56,34**	4291,55,73
	अन्य आय Other Income	14	**591,24,39**	500,02,06
	जोड़ TOTAL		**5326,80,73**	4791,57,79
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**3439,30,87**	3035,03,48
	परिचालन व्यय Operating Expenses	16	**1072,94,70**	963,01,84
	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies		**374,97,48**	418,35,64
	जोड़ TOTAL		**4887,23,05**	4416,40,96
	लाभ/हानि PROFIT / LOSS			
	वर्ष का निवल लाभ Net Profit for the year		**439,57,68**	375,16,83
	जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward		**127,83,51**	258,61,25
	जोड़ TOTAL		**567,41,19**	633,78,08
	विनियोग APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve		**109,89,42**	93,79,21
	पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**25,82,38**	65,98,80
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve		**31,07,61**	258,61,26
	विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve		**15,00,00**	12,00,00
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**86,10,40**	64,57,80
	लाभांश पर कर Tax on Dividend		**14,63,34**	10,97,50
	शेष को समेकित तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet		**284,88,04**	127,83,51
	जोड़ TOTAL		**567,41,19**	633,78,08
	प्रति शेयर आय (मूल) (रु.) Earning per share (Basic) (Rupees)		**10.21**	8.71

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग है. The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.
समदिनांकित हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते वाही एंड गुप्ता For Wahi & Gupta एफ आरएन 2263 FRN 2263N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते वी. सी. गौतम एंड कं. For V.C. Gautam & Co. एफआरएन 365एन FRN 365 N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते बी. छावछरिया एंड कं. For B. Chhawchharia & Co. एफआरएन एन305123ई FRN 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते रे एंड कं. For Ray & Co. एन एफआरएन 313124ई FRN 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते जोध जोशी एंड कं. For Jodh Joshi and Co. एफआरएन104317डबल्यू FRN 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	कृते जेसीआर एंड कं For JCR & Co. एफआरएन105270डबल्यू FRN 105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(के.पी.वाही) (K. P. WAHI) भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No.: 16164	(विष्णु गौतम) (VISHNU GAUTAM) भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16257	(एस.के.छावछरिया) (S.K. CHHAWCHHARIA) भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 8482	(सुब्रता रॉय) (SUBRATA ROY) भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 051205	यश के. वर्मा (YASH K VERMA) भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 105954	(के एस राघवन (K. S. RAGHAVAN) भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16792

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : अप्रैल 30, 2010 Date : April 30, 2010

अनुसूची - 1 : पूंजी
SCHEDULE - 1: CAPITAL

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital		
रु. 10/- के 300,00,00,000 (150,00,00) इक्विटी शेयर 300,00,00,000 (150,00,00,000) Equity Shares of Rs.10/- each	**3000,00,00**	1500,00,00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital** रु. 10/- के 43,05,20,000 इक्विटी शेयर 43,05,20,000 Equity Shares of Rs. 10/- each (केन्द्र सरकार द्वारा धारित रु. 10/- के 33,05,20,000 इक्विटी शेयर सहित) (includes 33,05,20,000 Equity Shares of Rs. 10/- each held by Central Government)	**430,52,00**	430,52,00
कुल TOTAL	**430,52,00**	430,52,00

अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और आधिशेष
SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I. सांविधिक आरक्षितियां STATUTORY RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**528,07,82**		434,28,61	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**109,89,42**	**637,97,24**	93,79,21	528,07,82
II. पूंजीगत आरक्षितियां CAPITAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**87,77,45**		21,78,65	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**29,22,39**		-	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**3,40,01**	**113,59,83**	65,98,80	87,77,45
III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**130,00,00**		130,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**-**	**130,00,00**	-	130,00,00
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES				
क) राजस्व आरक्षितियां a) REVENUE RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**719,79,25**		461,17,99	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**31,07,61**		258,61,26	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**-**	**750,86,86**	-	719,79,25
ख) विशेष आरक्षितियां b) SPECIAL RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**41,00,00**		29,00,00	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**15,00,00**	**56,00,00**	12,00,00	41,00,00
ग) वर्ष के दौरान वृद्धि c) REVALUATION RESERVE				
i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	**452,18,74**		16,11,76	
ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year	**14,73,86**		447,86,97	
iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year	**12,35,46**	**454,57,14**	11,79,99	452,18,74
V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT & LOSS ACCOUNT		**284,88,04**		127,83,52
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV & V)		**2427,89,11**		2086,66,78

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
क. I.	**मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS**				
A.	i) बैंकों से From Banks	**63,04,58**		32,91,85	
	ii) अन्य से From others	**6136,34,37**	**6199,38,95**	4977,50,01	5010,41,86
	II. बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS		**17164,77,36**		13639,95,81
	III. सावधि जमाराशियां TERM DEPOSITS				
	i) बैंकों से From Banks	-		2,57,09	
	ii) अन्य से From others	**39939,90,63**	**39939,90,63**	33601,97,20	33604,54,29
	जोड़ TOTAL (I, II & III)		**63304,06,94**		52254,91,96
ख.	(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
B.	Deposits of Branches in India		**63304,06,94**		52254,91,96
	(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां				
	Deposits of Branches outside India		-		-
	जोड़ TOTAL		**63304,06,94**		52254,91,96

अनुसूची - 4 : उधारियाँ
SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I.	**भारत में उधारियाँ BORROWINGS IN INDIA**				
	i) भारतीय रिज़र्व बैंक सेReserve Bank Of India	-		-	
	ii) अन्य बैंकों सेOther Banks	-		-	
	iii) अन्य संस्थाओं और एजेंन्सियों से Other Institutions and Agencies	**61,47,40**		110,00,23	
	iv) अन्य उधार Other Borrowings				
	क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	**295,00,00**		225,00,00	
	a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)				
	ख) बॉंड के रुप में जारी संकरित ऋण पूंजी लिखत	**1250,00,00**		850,00,00	
	b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds				
	ग) गौण ऋण बॉंड	**1122,50,00**	**2728,97,40**	992,50,00	2177,50,23
	c) Subordinated Debt Bonds				
II.	**भारत के बाहर उधारियाँ BORROWINGS OUTSIDE INDIA**		**67,97,93**		80,01,09
	जोड़ TOTAL (I & II)		**2796,95,33**		2257,51,32
III.	**उक्त (I) व (II) सुरक्षित उधारियां शामिल है.** SECURED BORROWINGS INCLUDED IN (I) & (II) ABOVE		-		-

अनुसूची - 5 : अन्य दायित्व और प्रावधान
SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I.	संदेय बिल Bills Payable		**515,59,74**		507,78,57
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter-office adjustments (net)		-		-
III.	उपचित ब्याज Interest Accrued		**49,19,18**		176,53,93
IV.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions):				
	i) गौण ऋण बांड Provision against standard assets	**153,80,85**		157,29,35	
	ii) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Other liabilities (including provisions)	**1377,75,78**	**1531,56,63**	1159,11,45	1316,40,80
	जोड़ TOTAL		**2096,35,55**		2000,73,30

अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अधिशेष
SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रुपये हज़ार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेन्सी नोट सम्मिलित है) Cash in hand (including foreign currency notes)		**390,10,61**		325,04,10
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India				
i) चालू खाते में In Current Accounts	**4925,28,70**		3556,37,82	
ii) अन्य खातों में In other Accounts	**-**	**4925,28,70**	-	3556,37,82
TOTAL (I & II)		**5315,39,31**		3881,41,92

अनुसूची - 7 : बैंकों मे अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(रुपये हज़ार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I. भारत में In India				
i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(a) चालू खातो में Current Accounts	**178,17,01**		171,75,19	
(b) अन्य जमा खातों में Other Deposit Accounts	**15,18,56**	**193,35,57**	18,46,78	190,21,97
ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice				
(a) बैंकों के पास With Banks	**200,00,00**		-	
(b) अन्य संस्थाओं के पास With Other Institutions	**949,43,92**	**1149,43,92**	-	-
जोड़ TOTAL (i & ii)		**1342,79,49**		190,21,97
II. भारत के बाहर Outside India				
बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in				
(a) चालू खाते में Current Accounts	**-**		5,90,22	
(b) अन्य जमा खाते में Other Deposit Accounts	**36,36,90**		27,79,46	
(c) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at Call & Short Notice	**-**	**36,36,90**	-	33,69,68
जोड़ TOTAL		**36,36,90**		33,69,68
कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**1379,16,39**		223,91,65

अनुसूची - 8 : निवेश
SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
A.	I. निम्नलिखित में भारत में निवेश Investments in India in				
	क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds)		**18226,13,75**		16175,34,27
	ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities		**25,76,50**		43,57,86
	ग) शेयर c) Shares		**127,83,61**		117,32,48
	घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds		**885,79,20**		798,66,99
	ड) सहायक प्रतिष्ठान और सह उद्यम e) Subsidiaries and/or Joint Ventures		**37,02,11**		37,02,11
	च) अन्य f) Others				
	i) यू.टी.आई./पारस्परिक निधियों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	**80,09,26**		87,62,21	
	ii) जमा का प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	**472,38,33**		237,57,70	
	iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**9,90,29**		33,25,86	
	iv) पास थ्रू प्रमाणपत्र PTCs	**31,64,79**		36,33,16	
	v) आर आई डी एफ और अन्य RIDF & Others	**1427,27,29**	**2021,29,96**	815,41,72	1210,20,65
	जोड़ TOTAL		**21323,85,13**		18382,14,36
	II. निम्नलिखित में भारत से बाहर निवेश Investments outside India		-		-
	जोड़ TOTAL		-		-
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)		**21323,85,13**		18382,14,36
ख	(क) भारत में सकल निवेश a) Gross Investments in India	**21363,55,19**		18475,91,37	
B.	घटाएं - निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment	**21,05,64**		75,12,59	
	घटाएं - अनर्जक निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Non Performing Investment	**18,64,42**	**21323,85,13**	18,64,42	18382,14,36
	निवल निवेश Net Investment		**21323,85,13**		18382,14,36
	(ख) भारत के बाहर सकल निवेश b) Gross Investments outside India		-		-
	कुल जोड़ TOTAL (a + b)		**21323,85,13**		18382,14,36

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

			31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
क.	i)	बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**898,01,99**		961,50,98	
A.	ii)	नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand	**10510,43,65**		10986,87,47	
	iii)	मीयादी ऋण Term Loans	**28906,24,04**	**40314,69,68**	22342,38,83	
		जोड़ TOTAL		**40314,69,68**		34290,77,28
ख.	i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	**31131,73,73**		27269,11,90	
B.	ii)	बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**162,71,49**		79,77,78	
	iii)	अ-संरक्षित Unsecured	**9020,24,46**	**40314,69,68**	6941,87,60	
		जोड़ TOTAL		**40314,69,68**		34290,77,28
ग.	I.	भारत में अग्रिम Advances in India				
C.	i)	प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sectors	**15898,94,38**		12594,74,54	
	ii)	सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	**5151,29,81**		3719,91,02	
	iii)	बैंक Banks	**2**		-	
	iv)	अन्य Others	**19264,45,47**	**40314,69,68**	17976,11,72	34290,77,28
II.		भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		-		-
		जोड़ TOTAL (C.I & C.II)		**40314,69,68**		34290,77,28

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्थियां
SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I. परिसर Premises *				
1. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर				
At cost as on 31st March of the preceding year (गत वर्षो मे किए गए पुनर्मूल्यन के कारण हुई मूल्य वृद्धि शामिल है) (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	**608,92,59**		141,72,62	
2. वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the Period	**8,24,22**		19,33,00	
3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन				
Addition on account of revaluation during the year	**14,73,86**		447,86,97	
	631,90,67		608,92,59	
4. वर्ष के दौरान कटौतियां				
Deduction during the Period	-		-	
	631,90,67		608,92,59	
5. आज तक मूल्यह्रास				
Depreciation to date	**114,88,33**	**517,02,34**	99,21,59	509,71,00
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित है)				
Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
1. पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर				
At cost as on 31st March of the preceding year	**560,32,27**		504,16,65	
2. वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the Period	**76,91,70**		87,40,71	
	637,23,97		591,57,36	
3. वर्ष के दौरान कटौतियां				
Deduction during the Period	**20,38,76**		31,25,09	
	616,85,21		560,32,27	
4. आज तक मूल्यह्रास				
Depreciation to date	**474,34,96**	**142,50,25**	415,22,84	145,09,43
TOTAL (I & II)		**659,52,59**		654,80,43

*Includes Capital "Work in Progress" Rs. 21,42 (Previous Year Rs. Nil)

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I. अंतर कार्यालय (अंतर शाखा) समायोजन (शुद्ध) Inter-office adjustments (net)	**584,14,86**	352,67,59
II. उपचित ब्याज Interest accrued	**485,26,26**	422,46,30
III. अग्रिम रुप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**440,84,79**	204,40,88
IV. लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	**4,60,27**	4,76,69
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. अन्य Others *	**548,29,66**	612,98,26
जोड़ TOTAL(I, II, III, IV, V & VI)	**2063,15,84**	1597,29,72

टिप्पणी : अन्य में रु. 278,14,05 की निवल आस्थागित कर आस्तियां शामिल है (गत वर्ष रु. 304,28,65)

* Note : Others include Net Deferred Tax Assets of Rs. 278,14,05 (Previous Period Rs. 304,28,65)

अनुसूची - 12 : समाश्रित दायित्व
SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)	
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		**520,21,12**		520,62,21
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments		**-**		-
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*		**11544,77,57**		9568,09,12
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents				
	(a) भारत में In India	**3632,68,31**		3099,57,91	
	(b) भारत के बाहरOutside India	**315,62,70**	**3948,31,01**	598,63,56	3698,21,47
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations		**1212,01,37**		1077,56,86
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रुप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable		**400,00,00**		400,00,00
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)		**17625,31,07**		15264,49,66

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts वायदा विनिमय संविदाओं के समाश्रित दायित्व में बिक्री व खरीद दोनोंही संविदायें शामिल हैं.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)	
I.	ब्याज/अग्रिमों पर कटौती/बिल Interest/Discount on Advances/Bills		**3369,62,60**		3266,59,86
II.	निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	**1366,54,94**		1077,21,48	
	घटाएं - परिशोधन को छोड़कर Less - Amortisation of Investments	**68,64,72**	**1297,90,22**	87,37,37	989,84,11
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds		**58,23,17**		22,67,43
IV.	अन्य Others		**9,80,35**		12,44,33
	जोड़ TOTAL(I, II, III & IV)		**4735,56,34**		4291,55,73

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)		31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)	
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange, and brokerage		**264,65,56**		248,82,96
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments	**210,55,96**		186,43,76	
	घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments	**6,28,07**	**204,27,89**	10,17,70	176,26,06
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments	**-**		-	
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	**-**	**-**	-	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	**,67,51**		,99,38	
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets	**,50,06**	**,17,45**	,30,99	,68,39
V.	विदेशी मुद्रा व्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	**34,84,30**		15,81,00	
	घटाएं : विदेशी मुद्रा व्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	**-**	**34,84,30**	,1,16	15,79,84
VI.	भारत/विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यम और/या कंपनियों/सहायक कंपनियों से मिले लाभांश से आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries companies and/or Joint Ventures abroad/in India		**3,11,33**		3,51,80
VII.	विविध आय Miscellaneous Income		**84,17,86**		54,93,01
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI & VII)		**591,24,39**		500,02,06

अनुसूची - 15 : खर्च किया गया ब्याज
SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	3183,06,12	2783,22,02
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	,68,05	42,87,82
III. ब्याज Others	255,56,70	208,93,64
जोड़ TOTAL (I, II & III)	3439,30,87	3035,03,48

अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	655,49,65	579,61,53
II. भाड़ा, कर और रोशनी Rent,taxes and lighting	93,87,13	78,42,42
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	13,25,17	12,82,36
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	14,03,05	17,71,32
V. बैंक की सम्पत्ति मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन प्रारक्षिति को अन्तरित मूल्यह्रास से निवल) Depreciation on Banks property (Net of depreciation transferred to Revaluation Reserve)	75,08,90	75,76,36
VI. निदेशकों की फीस भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	,88,91	,93,26
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल है) Auditors' fees and expenses (incl. branch Auditors' fees and expenses)	11,82,43	10,79,65
VIII. विधि प्रभार Law Charges	5,08,35	3,97,99
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc.	14,65,52	30,42,02
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	22,75,56	16,87,83
XI. बीमा Insurance	56,92,95	44,91,57
XII. अन्य व्यय Other expenditure	109,07,08	90,75,53
जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	1072,94,70	963,01,84

अनूसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा प्रथाएं

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहारों और सांविधिक प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

1.2 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, राजस्व व लागतों का हिसाब उपचित आधार पर किया गया है।

1.3 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

2. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

2.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों का निर्धारण भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पूर्ववर्ती सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अन्तिम दरों पर किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों व देयताओं का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर किया गया है और उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि का हिसाब लाभ व हानि लेखे में किया गया है।

2.2 बकाया वायदा विनिमय करार अनुबंधित दरों पर दर्शाए गए हैं और तुलनपत्र दिनांक को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा उपलब्ध कराई गई विनिमय दरों पर उनका पुनर्मूल्यन विनिर्दिष्ट परिपक्वता हेतु किया गया है। उसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभ / हानि को भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ व हानि लेखे में दर्शाया गया है।

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों व साख-पत्रों से संबंधित आकस्मिक देयताओं को फेडाई द्वारा उपलब्ध कराई गई अंतिम विनिमय दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है।

3. निवेश :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1 सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों (शेयरों, डिबेंचरों बांडों इत्यादि) में निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

क. परिपक्वता तक धारित

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध

ग. व्यापार के लिए धारित

3.2 सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

घ. डिबेंचर तथा बांड

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यक प्रपत्र, म्युचुअल फंड यूनिट, आरआईडीएफ इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी तय करता है और उसका वर्गीकरण तदनुसार करता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार प्रतिभूतियों का अंतरण एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण के दिनांक पर बाजार मूल्य / बही मूल्य / अधिग्रहण लागत में से न्यूनतम पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यनस, यदि कोई है, का प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूति का मूल्य तदनुसार बदल दिया जाता है।

3.4 निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. जब कभी लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया जाता है।

SCHEDULE 17 : SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Conventions:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the statutory provisions and practices prevailing within the Banking Industry in India and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI).

1.2 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as otherwise stated.

1.3 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms issued by Reserve Bank of India from time to time.

2. Foreign Exchange Transactions:

2.1. The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2. Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI Guidelines.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments in SLR and Non-SLR securities (Shares, Debentures, Bonds, units of MF, CP, CD etc.) are classified in the following categories:

a. Held to maturity

b. Available for sale

c. Held for trading

3.2 All the securities are classified in the following six classifications:

a. Government Securities

b. Other approved securities

c. Shares

d. Debentures and bonds

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, RIDF etc).

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

3.4 Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

(i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

ii) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में, जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है वहां अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है । सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश के मामले में मूल्य में गिरावट का पता लगाया गया है और उसका प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश क ा मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है.

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद लागू करों तथा संविधिक निधियों से निवल लाभ को पूंजीगत प्रारक्षिति में निवेश किया और (ख) निवल हानि को लाभहानि लेखे में प्रभारित किया गया है.

ख. ब्रिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य को बही में अंकित किया गया है. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर किया गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बॉण्डों का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार क्रम निर्धारण और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है. कोट किए गए शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. कोट नहीं किए गए शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र के आधार पर बही मूल्य पर किया गया है, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयर का मूल्यन रुपया 1 प्रति कंपनी पर किया गया है.

खजाना बिलों और वाणिज्यक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यन बाजार मूल्य पर, पुनर्खरीद मूल्य अथवा निवल आस्ति मूल्य पर उनकी उपलब्धता के आधार पर इस क्रम में किया गया है .

बिक्री हेतु उपलब्ध" प्रत्येक उपश्रेणी के अंतर्गत उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर:

i यदि आंक़डों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है.

ii यदि आंक़डों का परिणाम मूल्यनस है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

iii भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक पुनर्मूल्यन को छोड़कर प्रतिभूतियों का बही मूल्य पुनर्मूल्यन के बाद परिवर्तित नहीं हुआ है.

iv इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

ग. क्रय-विक्रय हेतु धारित :

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है. इनका मूल्यन बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार मासिक अंतरालों पर किया गया है. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में निवल मूल्यनस, यदि कोई हो, को लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है किन्तु निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई अपेक्षाओं को छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों का बही मूल्य नहीं बदला गया है.

(ii) इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया है.

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यनस / प्रावधान किया गया है.

ड.. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों जैसे दलाली, फीस इत्यादि (इक्वटी/ अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) को व्यय माना गया है.

च. ब्याज दर स्वैप :

(i) मूल्यांकन :

(क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्ति और देयताओं के लिए ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित नहीं किया गया है.

(ख) क्रय-विक्रय स्वैप : क्रय-विक्रय उेश्य से ब्याज दर स्वैप को बही में बाजार मूल्य पर अंकित किया गया है.

(ii) In case of other investments under "Held to Maturity" category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.

(iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account' and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company.

Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

i. If the figure results in appreciation, the same is ignored.

ii. If the figure results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account.

iii. The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.

d. The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.

e. Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f. Interest Rate Swaps:

(i) Valuation:

(a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) Trading Swaps: Interest Rate Swaps for trading purpose is marked to market.

(ii) **डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :**

(क) हेजिग स्वैप: आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है. यदि कोई खर्च है और उसको निश्चित किया जा सकता है तो उसका लेखा निपटान के दिनांक को उपचय आधार पर किया गया है.

(ख) क्रय-विक्रय स्वैप : आय या खर्च को वसूली के आधार पर निपटारे के दिनांक को लेखाबध्द किया गया है.

(iii) स्वैप समाप्त पर आय तथा हानि का लेखा:

(क) हेजिंग स्वैप : समाप्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है.

(ख) क्रय-विक्रय स्वैप : स्वैप समाप्त पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्त के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में दर्शाया गया है.

4. अग्रिम :

4.1 दर्शाए गए अग्रिमों से बट्टे डाले गये खाते, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों और पुनर्भाजन घटाये गये हैं.

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है.

4.3 अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताओं व प्रावधानो" के शीर्ष में दर्शाया गया है.

4.4 अनर्जक आस्तियों में हुई वसूली को पहले मूलधन में व फिर ब्याज में समायोजित किया गया है.

5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास :

5.1 कतिपय परिसरों जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा जिन्हें पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दर्शाया गया है को छोड़कर अन्य परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है.

5.2 निम्नलिखित को छोड़कर स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान, ह्रासमान शेष पध्दति से ऐसी दरों पर किया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में विनिर्दिष्ट हैं.

क) कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यह्रासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, एटीएम और यूपीएस भी शामिल हैं.

ख) रु.5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत करने के बजाय लागू दरों पर किया गया.

ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है. हटाई गई / बेची गई संपत्तियों पर वर्ष के दौरान मूल्यह्रास का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

5.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में समायोजित किया गया है.

5.4 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में किया गया है.

6. आयनिर्धारण लेखांकन :

6.1 निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया जाता है, समस्त आय तथा लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ख. कमीशन से आय यथा-गारंटी, साख पत्र, सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचअल फण्ड कारोबार लॉकर किराया आय.

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ बीमा दावे

(ii) Accounting of income on derivative deals:

(a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable

(b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

(iii) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

(b) Trading Swaps: Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

4. Advances:

4.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.

4.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI from time to time.

4.3 Provision for performing assets is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 Recoveries in the Non Performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

5. Fixed Assets and Depreciation:

5.1 Premises and Other Fixed Assets are accounted for at cost except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

5.2 Depreciation is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except for:-

a. On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee One as per RBI guidelines. Computers include softwares, ATMs and UPS also.

b. On Fixed Assets having original cost below Rs. 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.

c. Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.

5.3 Depreciation relating to revaluation is adjusted against the Revaluation Reserve.

5.4 Leasehold land cost is amortized over the period of lease.

6. Revenue Recognition:

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

च डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. प्रक्रिया शुल्क

ज व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय

6.2 आयकर रिफण्ड पर ब्याज आय को उस वर्ष में लेखाबध्द किया गया, जिस वर्ष में रिफण्ड आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया.

6.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22.08.2008 के परिपत्र के दिनांक से उपचय आधार पर किया गया है तथा शेष का प्रावधान नवीकरण के समय किया गया है.

7. कर्मचारी लाभ :

पारिभाषित अंशदान योजना: पारिभाषित अंशदान लाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

पारिभाषित लाभ योजना : अनुमानित इकाई जमा पद्धति का इस्तेमाल करते हुए पारिभाषित लाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत जीवनांकिक मूल्यांकन तुलनपत्र के दिनांक को किया गया है । जीवनांकिक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है .

8. आस्तियों की हानि

पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है को सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 28 - आस्तियों की हानि के अनुसार दर्शाया गया है और लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया है.

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्ति

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मानक 29 "प्रावधान-आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्ति" के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो. यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता में पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा.

वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इसके कारण ऐसी आय का निर्धारण हो सकता है जो कभी न हुई हो.

10. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित निवल लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

11. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, अनुषंगी लाभ कर, संपत्ति कर और आस्थगित कर शामिल हैं. आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण विवेक के आधार पर किया गया है व ऐसा करते समय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय के अन्तर को ध्यान में रखा गया है.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f Processing Fees.

g Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

6.2 Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

6.3 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

7. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan:The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Bank s liabilities towards defined benefit schemes are determined using Projected Unit Credit Method. Actuarial Valuations under the Projected Unit Credit Method are carried out as at the Balance Sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit and Loss account.

8. Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

9. Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per the Accounting Standard 29- "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

10. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), provision for advances and contingencies/others.

11. Income tax:

The provision for tax for the year comprises liability towards Current Income Tax, Wealth Tax and Deferred Tax. The deferred tax asset is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
2009-10

अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां
(नोट - कोष्टक में दिए गए आंक़डे पिछले वर्ष के हैं)

1. पूंजी

मदें	31.03.10 को	31.03.09 को
i. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (%)		
बेसल-I	11.33	10.75
बेसल-II	12.78	12.05
ii. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात स्तर I पूंजी (%)		
बेसल-I	5.68	5.45
बेसल-II	6.41	6.11
iii.. जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात स्तर II पूंजी (%)		
बेसल-I	5.65	5.30
बेसल-II	6.37	5.94
iv. भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत (%)	76.77	76.77
V आईपीडीआई जारी कर ऊगाही गई रकम (रु करोड़)	70.00	0.00
VI अपर टियर-II लिखत जारी कर ऊगाही गई रकम (रु करोड़)	400.00	0.00
VII साधारण टियर-II लिखत जारी कर ऊगाही गई रकम (रु करोड़)	130.00	0.00

वर्ष 2009.10 के दौरान बैंक ने टियर-I/ टियर-II के लिए निम्नलिखित बांड जारी किए -

(रु. करोड़)

विवरण	आबंटन का दिनांक	रकम	कूपन दर	प्रतिदान की दिनांक	बांड की अवधि
टियर-I (आईपीडीआई) शृंखला II	30 सितंबर 2009	70.00	9.25% प्रतिवर्ष	बेमीयादी	बेमीयादी
साधारण टियर-II बांड श्रृंखला IX	30 सितंबर 2009	130.00	8.74% प्रतिवर्ष	30 अप्रैल,2019	115 माह
अपर टियर-II बांड शृंखला V	30 सितंबर 2009	100.00	8.95% प्रतिवर्ष	30 सितंबर,2024	180माह
अपर टियर-II बांड शृंखला VI	1 फरवरी 2010	300.00	8.65% प्रतिवर्ष	1 फरवरी,2025	180 माह
कुल		**600.00**			

2. निवेश :

बैंक ने निवेश संविभाग को क्रमश: "परिपक्वता तक धारित","ब्रिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

BANK OF MAHARASHTRA
2009-10

SCHEDULE 18: NOTES TO ACCOUNTS
(Note: Figures in bracket relate to previous year)

1. Capital:

Items	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
i) CRAR (%)		
Basel - I	11.33	10.75
Basel - II	12.78	12.05
ii) CRAR - Tier I Capital (%)		
Basel - I	5.68	5.45
Basel - II	6.41	6.11
iii) CRAR - Tier II Capital (%)		
Basel - I	5.65	5.30
Basel - II	6.37	5.94
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India (%)	76.77	76.77
v) Amount raised by issue of IPDI (Rs. in crores)	70.00	0.00
vi) Amount raised by issue of Upper Tier II instrument (Rs. in crores)	400.00	0.00
vii) Amount raised by issue of Ordinary Tier II instrument (Rs. in crores)	130.00	0.00

The Bank has raised the following Tier I / Tier II bonds during the year 2009-10

(Rs. in Crores)

Particulars	Date of allotment	Amount	Coupon Rate	Date of Redemption	Tenor of the Bonds
Tier I (IPDI) Series II	30th Sept 2009	70.00	9.25% p.a.	Perpetual	Perpetual
Ordinary Tier II Bonds Series IX	30th Sept. 2009	130.00	8.74% p.a.	30th April 2019	115 months
Upper Tier II Bonds Series V	30th Sept. 2009	100.00	8.95% p.a.	30th September 2024	180 months
Upper Tier II Bonds Series VI	1st February 2010	300.00	8.65% p.a.	1st February 2025	180 months
Total		**600.00**			

2. Investments:

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity," "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

2. 1(i) बैंक के कुल निवेश निम्नानुसार हैं .सभी निवेश भारत मे हैं भारत के बाहर निवेश नहीं है

(रुपये करोड़ में)

मदें	31-03-2010	31-03-2009
(1) निवेशों का मूल्य		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	21363.55	18475.91
(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	39.70	93.77
(iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य	21323.85	18382.14
(2) निवेशों पर मूल्य-ह्रास हेतु धारित प्रावधानों की गतिशीलता		
(i) प्रारंभिक शेष	93.77	66.90
(ii) जोड़िए : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	27.98
(iii) घटाइए : वर्ष के दौरान बट्टेखाते में डाले गये/पुनर्लेखांकित किए गए अधिक प्रावधान	54.07	1.11
(vi) अंतिम शेष	39.70	93.77

2.1 The Total Investments of Bank, as under, are all in India and no Investments are outside India:

(Rs. in Crores)

Items	31.03.2010	31.03.2009
(1) Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	21363.55	18475.91
(ii) Provisions for Depreciation	39.70	93.77
(iii) Net Value of Investments	21323.85	18382.14
(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	93.77	66.90
(ii) Add: Provisions made during the year	0.00	27.98
(iii) Less: Write off/ Write-back of excess provisions during the year	54.07	1.11
(iv) Closing balance	39.70	93.77

2.2 रेपो संव्यवहार

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31 मार्च, 2008 को
रेपो के अधीन बेची प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी प्रतिभूतियां	50.00	3700.00	1723.96	50.00

2.2 Repo Transactions

(Rs. in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2010
Securities sold under repos	0.00	0.00	0.00	0.00
Securities purchased under reverse repos	50.00	3700.00	1723.96	50.00

2.3 गैर-एसएलआर निवेशों का संविभाग :

(1) गैर एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र

31 मार्च 2010 को गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में (मूल्यह्रास घटाने के बाद) किए गए निवेश परभारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रकटन निम्न प्रकार है :

2.3 Non-SLR Investment Portfolio

(i) Issuer composition of Non-SLR Investments

Following is the disclosure as per prudential guidelines of RBI on Investments (Net of Depreciation) in Non-SLR Securities as of 31/3/2010.

(Rs. in Crore) (रुपये करोड़ में)

क्र. No.	निर्गमकर्ता Issuer	रकम Amount	निजी प्लेसमेंट का विस्तार Extent of Private Placement	निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Below Investment Grade' Securities	गैरक्रम वाली प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीबध्द' प्रतिभूतियों का विस्तार Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी उपक्रम PSUs	228.70	225.57	46.37	0.00	46.37
(ii).	वित्तीय संस्थाए FIs	315.25	265.34	83.37	0.75	44.88
(iii).	बैंक Banks	728.07	675.85	23.80	0.20	3.00
(iv).	निजी निगमित Private corporate	236.49	185.03	95.81	25.81	25.81
(v).	सहायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/Joint venture	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00
(vi).	अन्य Others	1556.13	1493.19	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ SUB TOTAL	3101.66	2882.00	249.35	26.76	120.06
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation	26.77	XX X	X X X	X X X	X X X
	कुल TOTAL	3074.89	2882.00	249.35	26.76	120.06

टिप्पणी :

I) क) उक्त (v) व (vi)में निवेश भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गीकरण से मुक्त है

ख) कॉलम 4,5,6 व 7 परस्पर असंबद्ध नहीं हैं.

ग) कुल रु 3074.89 करोड़ के निवेश में रु 2.94 करोड़ के सरकारी तेल बंधपत्र शामिल हैं. बैंक के तुलन पत्र की अनुसूची 8 में भी इन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल किया गया है.

Note:

a. Investments as in (v) & (vi) above are exempted from classification as per RBI guidelines.

b. Amounts reported under columns 4, 5, 6 & 7 are not mutually exclusive.

c. The total investment of Rs.3074.89 crores includes Govt. Oil Bond of Rs.2.94 crores. The same has been included in Govt. Securities in Schedule 8 of the Balance Sheet.

ii) गैर एसएलआर अनर्जक निवेश

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरे	रकम
प्रारंभिक शेष	18.64
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00
वर्ष के दौरान कमी	0.00
अंतिम शेष	18.64
किए गए कुल प्रावधान	18.64

2.4 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" निवेश के विक्रय से हुए लाभ की रु.30.97 करोड़ (रु.65.99 करोड़) की राशि करों और सांविधिक आरक्षितियों के बाद पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दी गयी.

2.5 वर्ष के दौरान निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणी से "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में अन्तरित करने के कारण मूल्य में आई कमी हेतु रु शून्य (रु.4.35 करोड़) और "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी से "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणी हेतु रु. शून्य (रु.0.47 करोड़) के निवेशों पर बैंक ने मूल्यह्रास का प्रावधान किया .

2.6 बैंक ने वर्ष के दौरान "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में वर्गीकृत रु 68.65करोड़ (रु87.37 करोड़) का परिशोधन किया और सबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभहानि काते में प्रभारित किया.

3 डेरिवेटिव:

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(रुपये करोड़ में)

ब्यौरे	31.3.10	31.3.09
स्वैप करारों का कल्पित मूलधन	400.00	400.00
यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां	शून्य	शून्य
स्वैप करार हेतु बैंक से अपेक्षित सहायक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण स्वैप का उचित बही मूल्य	शून्य	शून्य
(+) प्राप्ति / (-) देय	(-)12.79	(-)9.61

बैंक ने वर्ष 2006 के दौरान तुलन पत्र की आस्ति व देयताओं की हेजिंग हेतु रु.400करोड़ के संकल्पित मूलधन राशि के ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) स्वरूप के डेरिवेटिव करार किए संकल्पित मूलधन राशि के बकाया स्वैप वास्तविक सात वर्षों की अवधि हेतु रु.400 करोड़ (पिछले वर्ष 400 करोड़) रहे. वर्ष के दौरान रु.400 करोड़ राशि के संकल्पित मूलधन पर अस्थिर दर से ब्याज का भुगतान करने और स्थिर दर से ब्याज प्राप्त करने की बकाया स्वैप की स्थिति रही. व्यवहारों के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक नहीं थी. उचित मूल्य स्वैप (-) रु.12.79 करोड़ (पिछले वर्ष (-) रु 9.61 करोड़) रहा. बैंक ने वर्ष के दौरान कोई वायदा दर करार नहीं किया.

3.2 एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव:

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	ब्यौरे	2009-10
1	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य
2	31 मार्च को बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य
3	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन	शून्य
4	'उच्च प्रभावी' नहीं और बकाया (लिखत वार) एक्सचेंज लेनदेन ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य	शून्य

ii) Non performing Non-SLR investments

(Rs. in crores)

Particulars	Amount
Opening balance	18.64
Additions during the year	0.00
Reductions during the year	0.00
Closing balance	18.64
Total provisions held	18.64

2.4 As per RBI guidelines, an amount of Rs.30.97 crores (Rs.65.99 crores) net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in "Held to Maturity" category is transferred to Capital Reserve.

2.5 During the year, Bank has provided depreciation on investment for diminution in value on account of shifting of investments from "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category Rs. Nil (Rs.4.35 crores) and from "Held to Maturity" category to "Available for Sale" category Rs. Nil (Rs. 0.47 crores).

2.6 The Bank has amortized Rs.68.65 crores during the year (Rs. 87.37 crores) for securities classified under "Held to Maturity" category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

3. Derivatives:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap (IRS)

(Rs. in crores)

Items	31.03.10	31.03.09
The notional principal of swap agreements	400.00	400.00
Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
Collateral required by the bank upon entering into swaps	NIL	NIL
Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay	(-) 12.79	(-) 9.61

The Bank entered into derivatives contracts of the nature of interest Rate Swap (IRS) amounting to the Notional Principal Value of Rs. 400 crores during the year 2006 to hedge on balance sheet assets and liabilities. The notional principal value of swaps outstanding was Rs. 400 crores (previous year Rs. 400 crores) for an original tenure of seven years. During the year the outstanding swap position was to receive fixed rate of interest and to pay floating rate of interest for notional principal amount of Rs. 400 crores. No collateral securities were required for the transactions. The fair value of swaps was Rs. (-) 12.79 crores (Rs. (-)9.61 crores). The Bank has not entered into any forward rate agreement during the year.

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(Rs. in crores)

S. N.	Particulars	2009-10
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	NIL
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise)	NIL
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL
4	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL

3.3 डेरिवेटिव संबंधी जोखिम विगोपन के प्रकटन

क) गुणात्मक प्रकटन :

i) निवेश नीति के एक भाग के रुप में निदेशक मंडल ने डेरिवेटिव नीति का अनुमोदन किया, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के मापन भी शामिल हैं.

ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में हेजिंग व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं..

iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु हेजिंग व्यवहार किए गए हैं. जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है.

iv) बैंक अपने स्वयं के तुलनपत्र की प्रतिरक्षा हेतु डेरिवेटिव उत्पाद का इस्तमाल करता है. बैंक ने व्यापार के प्रयोजन हेतु डेरिवेटिव उत्पाद का उपयोग नहीं किया है. डेरिवेटिव परिचालनों की जोखिम प्रबंधन का कार्य उच्च स्तरीय प्रबंधन/ कार्यपालक देखते हैं जो बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं . स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है.

v) बैंक में प्रतिरक्षित और गैर प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबध्द करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है जैसाकि महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.4 (एफ) (II) में बताया गया है.

ख) मात्रात्मक प्रकटन :

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	करेन्सी डेरिवेटिव	ब्याज दर डेरिवेटिव
(i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूलधन)		
	क) प्रतिरक्षा के लिए	11544.78	400.00
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य
(ii)	[1] बाजार हेतु चिन्हीत स्थितियां		
	क) आस्ति (+)	5.95	शून्य
	ख) देयताएं (-)	शून्य	(-)12.79
(iii)	[2] ऋण विगोपन	231.01	4.00
(iv)	ब्याज दर में 1 प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01)		
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	शून्य	10.76
	ख व्यापार डेरिवेटिव पर	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 देखा गया अधिकतम और न्यूनतम स्तर		
	1) हेजिंग पर	शून्य	अधिक. 14.32 न्यून. 10.76
	2) व्यापार पर	शून्य	शून्य

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosure

i) As a part of investment policy, derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place.

iv) The Bank uses derivative products for hedging its own Balance Sheet. It has not used derivative product for trading purpose. Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.

v) Accounting Policy for recording hedge and non hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.4 (f)(ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

B) Quantitative Disclosures

(Rs. in crores)

S. N.	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For hedging	11544.78	400.00
	b) For trading	Nil	Nil
(ii)	[1] Marked to Market Positions		
	a) Asset (+)	5.95	Nil
	b) Liability (-)	Nil	(-)12.79
(iii)	[2] Credit Exposure	231.01	4.00
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	Nil	(-)10.76
	b) on trading derivatives	Nil	Nil
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Nil	Max 14.32 Min 10.76
	b) on trading	Nil	Nil

4 आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियां

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
(i) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	1.64	0.79
(ii) अनर्जक आस्ति गतिशीलता (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	798.41	368.56
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	875.72	336.42
(ग) वर्ष के दौरान कमी	464.34	798.41
(घ) अंतिम शेष	1209.79	254.05
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता		
(क) निवल प्रारंभिक शेष	271.90	254.05
जोड़े-इसीजीसी/डीआइ सीजीसी निपटाये गये खाते	21.49	26.29
सकल प्रारंभिक शेष	293.39	280.34
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	623.47	181.39
(ग) वर्ष के दौरान कमी	232.94	167.63
(घ) सकल अंतिम शेष	21.49	22.20
घटायें- इसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटाये गये खाते	683.92	294.10
निवल अन्तिम शेष	662.43	271.90
(iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों की गतिशीलता (मानक आस्तियों के प्रावधानों के अतिरिक्त)	21.49	22.20
(क) प्रारंभिक शेष	504.31	485.93
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	250.62	187.17
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	235.82	168.79
(घ) अंतिम शेष	519.11	504.31

4.2. वर्ष के दौरान पुनर्संरचित ऋण आस्तियों के विवरण

(रुपये करोड़ में)

श्रेणी	विवरण	सीडीआर तंत्र	एसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्त्ताओं की संख्या	3	80	8027
	बकाया रकम	133.68	68.84	779.00
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	8.96	2.51	24.10
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्त्ताओं की संख्या	0	4	55
	बकाया रकम	0.00	6.36	20.74
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0.00	0.17	0.35
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्त्ताओं की संख्या	0.00	1	16
	बकाया रकम	0	1.33	1.48
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	0	012	0.13
कुल	उधारकर्त्ताओं की संख्या	3	85	8098
	बकाया रकम	133.68	76.55	801.22
	परित्याग (उचित मूल्य में कमी)	8.96	2.80	24.58

4. Asset Quality

4.1 Non-Performing Assets

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.64	0.79
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	798.41	766.27
(b) Additions during the year	875.72	368.56
(c) Reductions during the year	464.34	336.42
(d) Closing balance	1209.79	798.41
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Net opening balance	271.90	254.05
Add: ECGC/DICGC Settled amount	21.49	26.29
Gross: Opening Balance	293.39	280.34
(b) Additions during the year	623.47	181.39
(c) Reductions during the year	232.94	167.63
(d) Gross closing balance	683.92	294.10
Less: ECGC/DICGC Settled amount	21.49	22.20
Net closing Balance	662.43	271.90
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	504.31	485.93
(b) Provisions made during the year	250.62	187.17
(c) Write-back/write off of excess provisions	235.82	168.79
(d) Closing balance	519.11	504.31

4.2 Particulars of Accounts restructured

(Rs. in crores)

Category	Particulars	CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	3	80	8027
	Amount Outstanding	133.68	68.84	779.00
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	8.96	2.51	24.10
Sub-Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0	4	55
	Amount Outstanding	0	6.36	20.74
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	0	0.17	0.35
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	0	1	16
	Amount Outstanding	0	1.33	1.48
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	0	0.12	0.13
TOTAL	No. of Borrowers	3	85	8098
	Amount Outstanding	133.68	76.55	801.22
	Sacrifice (Diminution in the Fair Value)	8.96	2.80	24.58

4.3 आस्ति पुनर्निमाण हेतु प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(करोड़ में)

विवरण		31.03.2010	31.03.2009
1	खातों की संख्या	0.00	0.00
2	एससी/आरसी को बेचे गये खातों का समग्र मूल (प्रावधान से निवल)	0.00	0.00
3	समग्र प्रतिफल	0.00	0.00
4	पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के मामले में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	0.00	0.00
5	शुद्ध खाता बही मूल्य पर समग्र लाभ	0.00	0.00

4.4 खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) समग्र बकाया	0.00	0.00
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्निर्धारित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख) समग्र बकाया	0.00	0.00

4.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.3.2010	31.03.2009
1. वर्ष के दौरान बेचे गये खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2. सकल बकाया	0.00	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल	0.00	0.00

4.6 मानक आस्तियों हेतु प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
वर्ष के दौरान मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-3.48	14.24

वर्ष की समाप्ति पर बैंक द्वारा धारित मानक आस्तियों हेतु रु.153.81करोड़ (रु.157.29 करोड़) के संचयी प्रावधानों को तुलनपत्र की अनुसूची 5 में अन्य देयताओं और प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया गया है.

4.7 बैंक ने भारत सरकार की "कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008" का कार्यान्वयन किया.इस योजना के अनुसार बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा अधिप्रमाणित रु.218.32 करोड़ के दावे पर दिनांक 31.03.2010 तक केवल रु 144.17 की रकम भारतीय रिजर्व बैंक से"कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना 2008 के अन्तर्गत प्राप्त हुई है.

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निर्णय लिया है कि दिनांक 30 जुलाई, 2008 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीओडी.एनओ.बीपी.बीसी.26/21.04.048/2008-09 की शर्तों के अनुसार कृषि ऋण राहत और ऋण माफी योजना के अंतर्गत पात्र खातों को अनर्जक आस्ति नहीं माना जाए. तदनुसार 31.03.2010 को रु. 124.87 करोड़ के ऐसे अग्रिमों पर आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण के मानदंड लागू किए गए. 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने उक्त खातों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार अर्जक आस्ति मानने का विकल्प अपनाया. अन्यथा ये सब अग्रिम अनर्जक आस्ति वर्ग में चले जाते, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार यदि इस अवधि के दौरान उक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तो निवल लाभ (कर घटाने के बाद) और प्रारक्षितियां रु. 12.56 करोड़ से कम हो जाती.

ऋण माफी के लिए किए गए दावे के लिए भारत सरकार से प्राप्त ब्याज को लेखाबद्ध किया गया है.

4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1. No. of accounts	Nil	Nil
2. Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC.	0.00	0.00
3 Aggregate consideration	0.00	0.00
4. Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
5. Aggregate gain over net book value.	0.00	0.00

4.4 Details of non performing financial assets purchased

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1. (a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00
2. (a) Of these, no of accounts restructured during the year.	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding	0.00	0.00

4.5 Details of non performing financial assets sold

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1. No. of accounts sold during the year	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	0.00	0.00
3. Aggregate consideration received.	0.00	0.00

4.6 Provisions on Standard Assets

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provisions towards Standard Assets for the year	-3.48	14.24

The cumulative provision towards Standard Assets held by the Bank as at the year end amounting to Rs.153.81 crores (Rs. 157.29 crores) is included under Other Liabilities and Provisions in Schedule 5 to the Balance Sheet.

4.7 The bank has implemented Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 framed by the Government of India. In terms of the said scheme, the bank has received Rs. 144.17 crores upto 31st March 2010 from Reserve Bank of India (RBI) against the claim of Rs. 218.32 crores as certified by the Central Statutory Auditors of the bank under the Agriculture Debt Waiver Scheme.

During the year ended 31st March 2009, the bank had opted not to treat the eligible accounts under the Agriculture Debt Relief Scheme as performing assets in terms of Reserve Bank of India Circular No.: DBOD.No.BP.BC.26/21.04.048/2008-09 dated 30th July 2008 and accordingly, such advances as on 31.03.2010 amounting to Rs. 124.87 crores were subjected to IRAC Norms. During the year ended 31.03.2010, the bank had exercised the option to treat the above accounts as performing assets as permitted by RBI which otherwise would have slipped to NPA, thus treating the total amount as Standard Assets and holding a provision of Rs. 10.66 crores for loss in Present Value terms as per the RBI circular. Had the above option been not exercised during the period, the net profit (net of taxes) and reserves would have decreased by Rs. 12.56 crores.

Interest receivable from the Government of India in respect of the balance amount of claims towards waiver of debts has been recognized.

4.8 अस्थिर प्रावधानों के विवरण

(रु. करोड़ में)

मद	31.03.2010	31.03.2009
(क) अस्थिर प्रावधानों के खाते में प्रारंभिक शेष	0.00	1.49
(ख) लेखा वर्ष के दौरान किया गया अस्थिर प्रावधान	0.00	0.00
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई रकम	0.00	1.49
(घ) अस्थिर प्रावधानों के खातों में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.8 बैंक-बीमा कारोबार :

वर्ष के दौरान बैंक बीमा कारोबार के अंतर्गत आय रु. 4.48 करोड़ है बैंक बीमा कारोबार के विवरण निम्नानुसार हैं :

(रु. करोड़ में)

अनुक्रमांक	आय की प्रकृति	रकम
1	जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	2.31
2	गैर जीवन बीमा पॉलिसी के विक्रय हेतु	2.02
3	म्युचूअल फंड उत्पाद के विक्रय हेतु	0.15
4	अन्य (विवरण दें)	शून्य

5. कारोबारी अनुपात :

मद	31.03.2010	31.03.2009
(i) कार्यकारी निधियों से ब्याज आय का प्रतिशत	7.50%	8.29%
(ii) कार्यकारी निधियों से अब्याजी आय का प्रतिशत	0.94%	0.97%
(iii) कार्यकारी निधियों से परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	1.29%	1.53%
(iv) आस्तियों पर आय	0.70%	0.72%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा + अग्रिम) (रुपये करोड़ में)	7.62%	6.36%
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाख में)	3.21%	2.76%

6. आस्ति देयता प्रबंधन :

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

4.8 Details of floating provisions

(Rs. in crores)

Items	31.03.2010	31.03.2009
(a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	1.49
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
(c) Amount of draw down made during the accounting year	0.00	1.49
(d) Closing Balance in the floating provisions account	0.00	0.00

4.9 Bancassurance Business

The income earned under Bancassurance in Rs. 4.48 crores during the current year. The detail of Bancassurance income is as under:

(Rs. in crores)

S. N.	Nature of Income	Amount
1	For selling life insurance policies	2.31
2	For selling non-life insurance policies	2.02
3	For selling mutual fund products	0.15
4	Others (specify)	Nil

5. Business Ratios

Items	31.03.2010	31.03.2009
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds.	7.50%	8.29%
(ii) Non-Interest Income as a percentage to Working Funds.	0.94%	0.97%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds.	1.29%	1.53%
(iv) Return on Assets	0.70%	0.72%
(v) Business (Deposits + Advances) per employee (Rs in crores)	7.62	6.36.
(vi) Profit per Employee (Rs in lacs)	3.21	2.76

6. Asset Liability Management:

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities

(रु.करोड़ में)

(Rs. in crore)

	1 दिन 1 days	2 से 7दिन 2 to 7 days	8से 14दिन 8 to 14	15से 28दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months to over 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 year & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां Deposits	577.30	2566.56	2492.11	2263.35	6343.97	8320.11	10224.39	29115.22	879.02	522.04	63304.07
अग्रिम Advances	1876.33	396.95	693.51	780.66	4417.62	3347.03	3097.17	16378.42	5486.74	3840.26	40314.69
निवेश Investments	71.78	186.40	139.00	129.87	463.61	397.83	217.42	1938.79	3000.13	14779.02	21323.85
उधार Borrowing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	7.11	1.63	52.14	0.37	0.02	61.47
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ Foreign Currency Assets	23.12	8.21	51.90	38.48	204.48	248.18	0.24	0.00	0.00	0.00	574.61
विदेशा मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	106.56	0.98	1.69	1.64	90.19	110.60	120.23	17.29	3.33	0.00	452.51

उक्त का समेकन प्रबंधन द्वारा किया गया है जिस पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है. The above is compiled by the management and relied upon by the Auditors.

7. जमा व अग्रिमों का जमाव, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियां

7.1 जमाराशियों का जमाव

(रु.करोड़ में)

बीस बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	4874.89
बैंक की कुल जमाराशियों से 20 बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत	7.70%

7.2 अग्रिमों का जमाव

(रु.करोड़ में)

20 बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम	8924.77
बैंक के कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	15.28%

7.3 विगोपनों का जमाव

(रु.करोड़ में)

20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों का कुल विगोपन	9110.27
उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से 20 बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत	15.51%

7.4 अनर्जक आस्तियों का जमाव

(रु.करोड़ में)

पहले चार अनर्जक खातों में कुल विगोपन	100.75

7.5 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां

(रु.करोड़ में)

अनु क्रमांक	क्षेत्र	संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों से अनर्जक अग्रिमों का प्रतिशत
1	कृषि और सहायक गतिविधियां	2.06
2	उद्योग (सूक्ष्म व लघु, मध्यम और बड़े)	4.40
3	सेवाएं	3.56
4	वैयक्तिक ऋण	4.64

7.6 अनर्जक अग्रिमों की गतिशीलता

(रु.करोड़ में)

विवरण	**रकम**
1 अप्रैल 2009 को सकल अनर्जक आस्तियां	798.41
वर्ष के दौरान परिवर्धन	875.72
उप जोड़ (क)	1674.13
घटाईए :	
(i) कोटिउन्नयन	54.49
(ii) वसूली (कोटिउन्नित खातों में हुई वसूली को छोड़कर)	174.04
(iii) बट्टे खाते में डाली गई रकम	235.81
उप जोड़ (ख)	464.34
31 मार्च 2010 को सकल अनर्जक आस्तियां (क-ख)	1209.79

7.7 विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व

(रु.करोड़ में)

विवरण	**रकम**
कुल आस्तियां	65.34
कुल अनर्जक आस्तियां	शून्य
कुल राजस्व	0.04

7.8 तुलनपत्र के बाहर प्रायोजित एसपीवी

(लेखा मानदंडों के अनुसार जिन्हें समेकित करना आवश्यक है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
शून्य	शून्य

7. Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPA

7.1 Concentration of Deposits

(Rs. in crores)

Total Deposits of Twenty largest Depositors	4874.89
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	7.70%

7.2 Concentration of Advances

(Rs. in crores)

Total Advances of Twenty largest borrowers	8924.77
Percentage of Advances of Twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	15.28%

7.3 Concentration of Exposure

(Rs. in crores)

Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	9110.27
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	15.51%

7.4 Concentration of NPAs

(Rs. in crores)

Total Exposure to top four NPA accounts	100.75

7.5 Sector-wise NPAs

(Rs. in crores)

S. N.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	2.06%
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	4.40%
3	Services	3.56%
4	Personal Loans	4.64%

7.6 Movement of NPAs

(Rs.in crores)

Particulars	**Amount**
Gross NPAs as on 1st April 2009	798.41
Additions during the year	875.72
Sub-total (A)	1674.13
Less:	
(i) Upgradations	54.49
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	174.04
(iii) Write-offs	235.81
Sub-Total (B)	464.34
Gross NPAs as on 31st March 2010 (A-B)	1209.79

7.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

(Rs. in crores)

Particulars	**Amount**
Total Assets	65.34
Total NPAs	Nil
Total Revenue	0.04

7.8 Off-balance sheet SPVs sponsored

(which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

8. विगोपन

8.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में विगोपन

(रु.करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2010	31.3.2009
क.. प्रत्यक्ष विगोपन	5201.20	4732.98
i). आवासीय बंधक	3760.58	2824.29
. जिसमें से रु.20.00 लाख तक के ऋण उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये पर दी गई आवासीय संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णत: रक्षित हैं.	3028.05	2364.20
ii). वाणिज्यिक स्थावर संपदा: वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-आवासीय भवन, अधिक किरायेदार वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूअधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित सीमाएं भी शामिल हैं.	1440.62	1908.69
iii). बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-		
क) आवासीय	शून्य	शून्य
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
ख) अप्रत्यक्ष विगोपन	2882.57	1840.24
राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश		
स्थावर संपदा को कुल विगोपन	8083.77	6573.22

8.2 पूंजी बाजार का विगोपन

(रु. करोड़ में)

विवरण	310.03.2010	31.03.2009
i) इक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिवेंचरों , इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश	121.62	167.86
ii). व्यक्तियों को इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिवेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडो में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिवेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम	0.38	3.26
iii). अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिवेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है	5.78	3.26
iv). अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिवेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों की यूनिटों को संपाश्वर्विक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है अर्थात जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिवेंचरों/इक्विटी उन्मुख फंड की यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णत: रक्षित नहीं करती.	शून्य	0.45
v). स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां	63.59	89.97

8. Exposures:

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs in crores)

Category	31.03.2010	31.03.2009
a) Direct exposure	5201.20	4732.98
(i) Residential Mortgages	3760.58	2824.29
Out of which Loans up to Rs 20 lakhs Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	3028.05	2364.20
(ii) Commercial Real Estate : Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure also includes non-fund based (NFB) limits.	1440.62	1908.69
(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures :		
a. Residential	Nil	Nil
b. Commercial Real Estate.	Nil	Nil
b) Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	2882.57	1840.24
Total Exposure to Real Estate Sector	**8083.77**	**6573.22**

8.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	121.62	167.86
(ii) Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.38	0.19
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	5.78	3.26
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security or shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	Nil	0.45
(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	63.59	89.97

vi) संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिवेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर संस्थाओं को मंजूर ऋण	शून्य	शून्य
vii) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii) शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिवेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं		
ix) मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	शून्य	शून्य
x) उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों में सभी निवेश	17.68	18.22
पूंजी बाजार में कुल निवेश	209.05	279.95

8.3 जोखिम श्रेणीवार देश निवेश

(रु.करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2010 को निवेश (निवल)	31.03.2010 को धारित प्रावधान	31.03.2009 को निवेश (निवल)	31.03.2009 को धारित प्रावधान
नगण्य	752.19	0.00	970.13	0.00
कम	462.22	0.00	391.01	0.00
साधारण	101.52	0.00	73.23	0.00
उच्च	16.18	0.00	23.25	0.00
अति उच्च	0.00	0.00	8.51	0.00
प्रतिबंधित	17.00	0.00	0.11	0.00
ऋणेतर	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	1349.11	0.00	1466.24	0.00

हर देश के लिए बैंक का जोखिम श्रेणीवार निधि आधारित निवल विगोपन दिनांक 31.03.2009 को बैंक की कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत से कम है अत: दिनांक 17.6.2004 के भा.रि.बैंक परिपत्र क्र.डीबीओडी. बीपी.बीसी.96/21.04.103/2003-04 के अनुसार कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है.

8.4 बैंक द्वारा पार की गईं एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने किसी भी व्यक्तिगत उधारकर्ता या समूह उधारकर्ता को उधार देने के संबंध में विवेकपूर्ण विगोपन सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया है.

8.5 गैर जमानती अग्रिम :

दिनांक 31.03.2010 को गैर जमानती अग्रिमों में रु. 338.01 करोड़ के अग्रिम शामिल थे जो अमूर्त आस्तियों जैसे कि अधिकारों, लाइसेन्स, प्राधिकार इत्यादि पर भार जैसी सहायक प्रतिभूतियों से सुरक्षित थे। इस प्रकार की अमूर्त सहायक प्रतिभूतियों का दिनांक 31.03.2010 को अनुमानित मूल्य रु. 3164.06 करोड़ है।

8.6 प्रावधान संरक्षा अनुपात :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01 दिसंबर, 2009 के परिपत्र क्र. डीबीओडी.एनओ.बीपी. बीसी.64/21.04.048/2009-10 के निदेशों के अनुसार बैंक ने प्रावधान संरक्षा अनुपात का परिकलन किया है। दिनांक 31.03.2010 को यह अनुपात 58.38 प्रतिशत है।

9 विविध:

9.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम

(रु. करोड़ में)

विवरण	31.3.2010	31.3.2009
आयकर हेतु प्रावधान	102.45	160.60

(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	Nil	Nil
(vii) bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	Nil	Nil
(viii) underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix) financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	17.68	18.22
Total Exposure to Capital Market	**209.05**	**279.95**

8.3 Risk Category wise Country Exposure

(Rs. in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2010	Provision held as at March 31, 2010	Exposure (net) as at March 31, 2009	Provision held as at March 31, 2009
Insignificant	752.19	0.00	970.13	0.00
Low	462.22	0.00	391.01	0.00
Moderate	101.52	0.00	73.23	0.00
High	16.18	0.00	23.25	0.00
Very High	0.00	0.00	8.51	0.00
Restricted	17.00	0.00	0.11	0.00
Off-credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	1349.11	0.00	1466.24	0.00

Since Banks net funded exposure for risk category-wise exposure for each country is less than 1% of bank's total assets as on 31.03.2010, no provision is required in terms of RBI Circular No. DBOD.BP.BC.96/21.04.103 /2003-04 dated 17.06.2004.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

The Bank has not exceeded the prudential exposure limits, in respect of lending to Single Borrower or Group Borrower during the Financial Year 2009-10.

8.5 Unsecured Advances:

Unsecured advances includes Rs 338.01 crores as on 31.03.2010 which are collaterally secured by intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. The estimated value of such intangible collateral is Rs 3,164.06 crores as on 31.03.2010.

8.6 Provisioning Coverage Ratio:

The bank has computed the Provisioning Coverage Ratio (PCR) as required vide Circular No. DBOD.No.BP.BC.64/21.04.048/2009-10 dated December 1, 2009 which is 58.38% as on 31.03.2010.

9. Miscellaneous:

9.1 Amount of Provision made for income tax during the year:

(Rs. in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provision for Income Tax	102.45	160.60

9.2 लाभ-हानि खाते में व्यय शीर्षक के अंदर उल्लेखनीय प्रावधान और आकस्मिकताएँ

(रुपये करोड़ में)

विवरण	2008-09	2007-08
निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान	-54.07	32.79
अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	250.62	187.17
मानक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान	-3.48	14.24
आयकर (आस्थगित कर सहित) हेतु किए गए प्रावधान	129.33	144.31
अनुषंगी लाभ कर हेतु किए गए प्रावधान	-	3.25
कर्मचारी कल्याण निधि हेतु किए गए प्रावधान	8.00	9.85
पुर्नसंरचित अग्रिमों पर ब्याज परित्याग हेतु किए गए प्रावधान	33.47	34.86
अन्य प्रावधान और आकस्मितकताएं	11.18	4.66
उप जोड़	375.05	431.13
घटायें : अनर्जक निवेशों हेतु किए गए प्रावधान में प्रतिलेखन	-	1.10
घटायें : आयकर प्रावधानों / आयकर रिफंड / आस्थगित कर में प्रतिलेखन	0.08	11.67
लाभ व हानि खाते में प्रावधान एवम् आकस्मिकता खाते को निवल नामे	374.97	418.36

9.3 अन्य आस्तियों व अन्य देयताओं के अन्तर्गत पुरानी प्रविष्टियों, नोस्ट्रों खातों व नाममात्र खातों सहित अन्य बैंकों / संस्थाओं के पास अंतरशाखा संव्यवहारों के समाधान/समापन की प्रक्रिया हेतु कदम उठाये जा रहे हैं. सामान्य खाता बही में कुछ जमा खातों, समाशोधन के फर्क अन्य आस्तियों/देयताओं आदि के तुलन का कार्य कुछ शाखाओं में अधूरा है तथा अचल आस्तियों के अंतरशाखा अंतरण केसमाधान का कार्य लंबित है ,जिसके परिणाम का पता नहीं लगाया जा सका.किन्तु प्रबंधन के अभिमत में इनका राजस्व पर प्रभाव मामूली है.

9.4 आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण सम्बंधी विवेकपूर्ण मापदंडों के अनुसार अग्रिमों की निगरानी व अभिनिर्धारण हेतु बैंक द्वारा क्रीम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है. कुछ शाखाओं में सॉफ्टवेयर प्रणाली में वर्ष के दौरान पाये गये कुछ अंतर्निहित व्यवधानों का समाधान किया गया .सॉफ्टवेयर में और सुधार जारी है . वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को नहीं आंका जा सका.प्रबंधन की राय में उपर्युक्त दोनों का समग्र प्रभाव खातों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा.

9.5 रु.8.02 करोड़ (रु.8.02 करोड़) के सकल मूल्य के कुछ परिसरों, जिनका रु.41.85 करोड़ पुनर्मूल्यांकन किया गया है, के संबंध में कतिपय कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने / लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में हक विलेख निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है.

9.6 अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया गया है. पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृध्दि के रूप रु.14.74 करोड़ (रु.447.87 करोड) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया गया था.

पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान रु.12.35 करोड़ (रु.11.80 करोड़) के मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में समायोजित किया गया.

9.7 आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई गारंटियों की रकम में रु 166.83.करोड़ (रु.225.63 करोड़) की कालातीत गारंटियों की रकम शामिल हैं, जिन्हें औपचारिकताओं की पूर्ति लंबित होने के कारण निरस्त नहीं किया गया है. ईसीजीसी के पास लंबित व उन्हें प्रस्तुत किये जाने वाले रु.4.60 करोड़ (रु.3.29 करोड़) के दावों को प्रावधानों के परिकलन के प्रयोजनार्थ वसूली योग्य माना गया है.

9.8 अनुसूची 5 में दर्शाई गई अन्य देयताओं में अदावाकृत शेयर आवेदन धन के रुप में रु.0.57 करोड़ (रु.0.59 करोड़) की रकम शामिल है.

9.9 वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक पर कोई दंड नहीं लगाया. (शून्य) (पिछले वर्ष-शून्य)

9.10 वेतन बकाया के परिकलन हेतु विवरण न मिलने के कारण अनुमान के आधार पर कर्मचारियों के उद्योग स्तरीय वेतन संशोधन समझौते के कारण उत्पन्न होने वाली देयताओं के लिए गत वर्ष किए गए रु. 55 करोड़ के प्रावधान के अलावा रु. 98 करोड़ का प्रावधान किया गया।

9.2 Provisions & Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(Rs in crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provisions for depreciation on Investment	-54.07	32.79
Provision towards NPA	250.62	187.17
Provisions towards Standard Assets	-3.48	14.24
Provision made towards Income tax (incl. Deferred Tax)	129.33	144.31
Provision of Fringe Benefit Tax	-	3.25
Provision for Staff Welfare (incl. Contingency Fund)	8.00	9.85
Provision for Interest sacrifice on Restructured Advances	33.47	34.86
Other provision and contingencies	11.18	4.66
Sub-total	**375.05**	**431.13**
Less: Write back in provision for Non performing Investment	-	1.10
Less: Write back in Income tax provisions/Income Tax Refund/ Deferred Tax	0.08	11.67
Net Debit to Provisions & Contingencies Account in Profit & Loss Account	**374.97**	**418.36**

9.3 Steps are in progress for adjustment/ reconciliation/elimination of inter-branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries etc. under other assets and liabilities, Balancing in subsidiary ledger in respect of certain deposit accounts, clearing differences, other assets & liabilities etc. with general ledger is incomplete in certain branches and reconciliation of inter branch transfer of Fixed assets is pending. The effect of these is not ascertainable and however in the opinion of the management consequential impact thereof on revenue is not material.

9.4 The Bank is using CREAM software for identifying and monitoring of the advances as per the IRAC prudential norms. Though most of the bugs noticed in the software have been rectified, further refinement in the software is in process. The effect of this on the Financial Statements is not ascertainable. However, in the opinion of the management, the overall impact of above will not be significant.

9.5 In respect of few premises having gross value of Rs.8.02 crores (Rs. 8.02 Crores) revalued at Rs. 41.85 crores (Rs.41.85 crores) the title deeds are yet to be executed / registered in favour of the Bank due to certain pending legal disputes / formalities.

9.6 Certain premises were revalued during the year on the basis of approved Valuer's report. The resultant increase in the value of premises amounting to Rs.14.74 crores (Rs. 447.87 Crores) has been credited to Revaluation Reserve Account.
Depreciation on total Revalued Assets for the current year amounting to Rs. 12.35 crores (Rs 11.80 crores) has been adjusted to Revaluation Reserve Account.

9.7 Amount of Guarantees shown under Contingent Liabilities include Rs.166.83 crores (Rs. 225.63 crores) for expired guarantees, which have not been cancelled pending completion of formalities. Claims pending and to be preferred with ECGC amounting to Rs.4.60 crores (Rs3.29 crores) have been considered as realizable for the purpose of computing provisions.

9.8 Other Liabilities disclosed in Schedule - 5 include Rs 0.57 crores (Rs 0.59 crores) towards unclaimed Share Application Money.

9.9 During the year, Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank under the provisions of Section 46(4) of the Banking Regulation Act, 1949.

9.10 The provision for the liability arising from industry level Wage Revision of employees has been made amounting to Rs.98 crores in addition to Rs.55 crores made in the previous year based on estimation pending availability of detailed computation thereof.

9.11 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2002 तक मिली असमाधानित प्रविष्टियों की कुल रकम रु. 0.19 करोड़ को बैंक ने साधारण प्रारक्षित निधि में अंतरित कर समायोजित किया और लाभांश के भुगतान हेतु इस पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार की प्रविष्टियों पर भविष्य में होने वाले दावों पर विचार होगा।

9.12 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निपटाई गई ग्राहक शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है -

(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	24
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1557
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1554
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	27

9.13 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किए गए अधिनिर्णयों का विवरण निम्नानुसार है:

(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	5
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	5
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न हुए अधिनिर्णयों की संख्या	0

9.14 चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी):

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 582.03 करोड़ के 398 ट्रेड क्रेडिट जारी किए और कंपनी ग्राहकों के लिए ट्रेड क्रेडिट मुहैया कराने हेतु शाखाओं द्वारा विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए गए।

दिनांक 31.03.2010 को रु. 183.50 करोड़ (रु. 462.07 करोड़) के 186 (109) ट्रेड क्रेडिट बकाया थे।

9.15 प्रारक्षित निधियों से आहरण :

वर्ष 2007-08 में निवेशों (परिपक्वता तक धारित) की बिक्री से हुए लाभ रु. 13.60 करोड़ (कर घटाने के बाद) को संविधिक प्रारक्षित निधि में रु. 3.40 करोड़ समायोजित किए बगैर पूंजी प्रारक्षित निधि में अंतरित किया गया था। इस प्रकार के अधिक अंतरण के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 05.03.2010 के पत्र क्र. डीबीओडी.एनओ. बीपी.15272/21.4.0182009.10 अनुमति प्राप्त कर चालू वर्ष में लाभ हानि के खाते के माध्यम से रु. 3.40 करोड़ को राजस्व प्रारक्षित निधि में अंतरित किया।

10. बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सभी अनिवार्य लेखा मानकों का उनके लागू होने की मात्रा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है:

10.1 लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन

चूंकि आय / व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं अत: उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित / लेखाबद्ध किया है.

10.2 लेखा मानक 9- राजस्व निर्धारण

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की अनुसूची 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6 (i) के अनुसार आय की कुछ मदों का निर्धारण सांविधिक आवश्यकताओं या महत्व के कारण वसूली के आधार पर किया गया है .

10.3 लेखा मानक-15- कर्मचारियों के लाभ

बैंक लेखा मानक एएस-15 (संशोधित 2005) का अनुपालन कर रहा है.बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु कर्मचारियों को प्रदत्त/निर्धारित विभिन्न लाभों का परिकलन निम्नानुसार किया है:

क. निश्चित अंशदान योजना और लाभ हानि खाते में दर्ज रकम

रु.करोड में

क) भविष्य निधि	25.84(26.01)
ख) रोजगार उपरान्त चिकित्सा सहायता योजना सहित कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान	8.00(9.85)

ख) निश्चित लाभ योजनाएँ

क) पेंशन योजना में अंशदान
ख) कर्मचारी उपदान में अंशदान
ग) छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति
घ) पुनर्स्थापन भत्ता
च) छुट्टी किराया रियायत
छ) रजत जयंती पुरस्कार

9.11 As per RBI Guidelines the bank has transferred a sum of Rs.0.91 crores of unreconciled credit entries originated upto 31st March 2002 and appropriated the same to General Reserve and has not considered the same for declaration of Dividend. Any future claim in respect of these entries will be honoured.

9.12 The details of Customer complaints dealt with by the Bank during the year are as under:

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	24
(b)	No. of complaints received during the year	1557
(c)	No. of complaints redressed during the year	1554
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	27

9.13 The details of awards passed by the Banking Ombudsman are as under:

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year.	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year.	5
(c)	No. of Awards implemented during the year.	5
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year.	0

9.14 Letters of Comfort (LOCs):

During the current year, 398 Trade Credits amounting to Rs.582.03 crores were sanctioned by the Bank and Letters of Comfort issued by the branches in favour of various other banks for arranging trade credit to Corporate Clients.

As on 31.03.2010, 186 (109) Trade Credits amounting to Rs. 183.50 crores (Rs 462.07 crores) is outstanding.

9.15 Draw Down from Reserve:

In the year 2007-08, the amount of Rs.13.60 Crores (net of tax) being profit on sale of investment (HTM securities) was transferred to Capital Reserve without appropriating Rs. 3.40 crores towards statutory reserve. For such excess transfer bank has obtained permission from RBI vide letter no. DBOD No BP.15272/21.4.0182009-10 dated 5.3.2010 the amount of Rs. 3.40 crores is transferred to Revenue Reserve through Profit and Loss account in the current year.

10. The Bank has complied with the mandatory Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

10.1 Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

10.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition

As per Accounting Policy No. 6.1, given in Schedule -17 - Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realisation basis on account of statutory requirements or on account of materiality.

10.3 Accounting Standard 15- Employees' Benefits.

The Bank is following AS 15 (Revised 2005) - "Employee Benefits." The Bank has calculated various benefits provided / recognized to employees as under for FY 2009-10:

A. Defined Contribution plans and amount recognized in Profit and Loss account.

(Rs. in crores)

a. Provident Fund	25.84 (26.01)
b. Contribution to staff welfare - welfare fund contingency	8.00 (9.85)

B. Defined Benefit Plans -

a. Contribution to Pension Plan
b. Contribution to Employees' gratuity fund
c. Leave Encashment/ Compensated Absence
d. Resettlement Allowance
e. Leave Fare Concession
f. Silver Jubilee Award

खातों में प्रमुख निश्चित लाभों की संक्षिप्त स्थिति और उनकी निधिक स्थिति जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष के अंत में निम्नानुसार है :

The summarized position of major defined benefits in the accounts and their funded status is as per actuarial valuation at the year end is as under:

क) तुलन पत्र में निर्धारित रकम

A) The Amount recognized in the Balance Sheet.

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं Defined Benefit Pension Plans		निश्चित लाभ उपदान योजनाएं Defined Benefit Gratuity Plans		निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण Defined Benefit Leave Encashment	
		31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
1.	निधिक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of funded obligations	1174.36	1145.22	295.06	280.03	134.36	126.10
2.	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets	1162.08	929.95	278.76	268.66	NA	NA
3.	गैरनिधिक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य Present value of unfunded obligations	-12.28	-215.27	-16.30	-11.37	-134.87	-126.10
4.	तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability Recognised in Balance Sheet	12.28	215.27	16.30	11.37	134.87	126.10

ख) लाभ और हानि लेखा में दर्ज रकम :

B) The Amount recognized in the Profit and Loss Account.

(रु.करोड़ में) (Rs. in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं Defined Benefit Pension Plans		निश्चित लाभ उपदान योजनाएं Defined Benefit Gratuity Plans		निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण Defined Benefit Leave Encashment	
		31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
1.	वर्तमान सेवा लागत Current service cost	42.40	35.40	2.42	1.03	8.26	13.08
2.	बाध्यता पर ब्याज Interest on obligation	91.74	86.00	21.84	20.00	-	-
3.	योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan asset	-89.88	-68.40	-21.16	-19.87	-	-
4.	निवल जीवनांकिक हानियां (लाभ) वर्ष में निर्धारित Net actuarial losses (gains) recognized in year	-12.82	-17.85	7.08	10.21	-	-
5.	लाभ व हानि लेखा में निर्धारित कर्मचारी लागत में शामिल कुल Total, included in 'staff costs' recognized in Profit and Loss Account	31.44	35.15	10.18	11.37	8.26	13.08

ग) तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता की गतिशीलता

C) Movement in the net liability recognized in the Balance Sheet

(रु.करोड़ में)(Rs. in Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	निश्चित लाभ पेंशन योजनाएं (निधिक) Defined Benefit Pension Plans (Funded)		निश्चित लाभ उपदान योजनाएं (निधिक) Defined Benefit Gratuity Plan (Funded)		निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण (गैरनिधिक) Defined Benefit Leave Encashment (Unfunded)	
		31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
1.	वर्ष के प्रारंभ में निवल देयता Net liability at start of the year	1145.22	1064.69	280.03	255.81	126.10	113.02
2.	ब्याज लागत Interest Cost	91.70	86.00	21.84	20.00	-	--
3.	वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost	42.40	35.40	2.42	1.03	-	--
4.	अदा किये गये लाभ Benefit Paid	-81.76	-59.25	-18.81	-14.89	-	-
5.	जीवनांकिक लाभ/ (हानि) Actuarial gain/(loss)	-23.24	18.38	9.58	18.08	-	-
6.	वर्ष के अंत में निवल देयता Net liability at end of the year	1174.36	1145.22	295.06	280.03	134.36	126.10

घ) तुलन पत्र के दिनांक को मूल जीवनांकिक मान्यताएँ (धारित औसतों के रुप में व्यक्त)

क्र.सं.	विवरण	निश्चित पेंशन योजना लाभ	निश्चित लाभ उपदान योजनाए	निश्चित लाभ छुट्टी नकदीकरण
1	31 मार्च 2010को भंजित दर	8%	8%	8%
2	31 मार्च को योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय	8%	8%	लागू नहीं
3.	भावी वेतन वृद्धि	4%	4%	4%

इ वर्ष के दौरान बैंक ने लाभ व हानि लेखे में वर्ष के अंत के जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित "अन्य कर्मचारी निश्चित लाभ" का निर्धारण किया

(रु.करोड़ में)

	लाभ व हानि लेखे में निर्धारित
पुनर्स्थापन भत्ता	1.18(0.07)
छुट्टी किराया रियायत	1.47(1.00)
रजत जयंती पुरस्कार	0.00(0.15)

10.4 लेखा मानक 17- खंड रिपोर्टिंग

बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य खंडों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है:

भाग - क कारोबार खंड

(रु.करोड़ में)

कारोबार खंड Business Segments →	खजाना Treasury		संस्थागत/ थोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		खुदरा बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**
आय Revenue	1609.62	1215.65	2128.45	1875.03	1559.65	1676.36	29.09	24.54	5326.81	4791.58
परिणाम Result	348.53	136.01	108.36	269.13	115.81	115.61	4.12	0.16	576.82	520.91
अनाबंटित व्यय Unallocated expenses									8.00	9.85
परिचालन लाभ Operating profit									568.82	511.06
कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes									129.25	135.89
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net Profit									439.57	375.17
अन्य जानकारियाँ Other Information										
खंड आस्तियां Segment assets	22879.15	18743.88	27508.33	21506.43	14049.49	12784.34	5899.83	4606.17	70336.80	57640.82
अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets									737.09	1389.53
कुल आस्तियां Total assets									71073.89	59030.35
खंड देयताएं Segment liabilities	21453.30	18489.95	27820.49	21226.84	14208.92	12618.14	4613.94	4102.68	68096.65	56437.61
अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities									118.83	75.55
पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & other Reserves									2858.41	2517.19
कुल देयताएं Total liabilities									71073.89	59030.35

d. Principal actuarial assumptions at the balance sheet date (expressed as weighted averages)

Sr. No.	Particulars	Defined Benefit Pension Plans	Defined Benefit Gratuity Plans	Defined Benefit Leave Encashment
1.	Discount rate at 31 March 2010	8%	8%	8%
2.	Expected return on plan assets as at 31 March 2010	8%	8%	NA
3.	Future salary escalation	4%	4%	4%

e. During the year the Bank has recognized in the Profit and Loss account, following 'Other Employees Defined Benefits' as per Actuarial valuation at the year-end:

(Rs in Crores)

	Recognised in Profit & Loss Account
Resettlement Allowance	1.18 (0.07)
Leave Fare Concession	1.47 (1.00)
Silver Jubilee Award	0.00 (0.15)

10.4 Accounting Standard 17- Segment Reporting

Bank has identified its primary reportable segments as under:

Part A: Business Segment

(Rs. in Crores)

Business Segments →	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other banking operations		Total	
Particulars	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**
Revenue	1609.62	1215.65	2128.45	1875.03	1559.65	1676.36	29.09	24.54	5326.81	4791.58
Result	348.53	136.01	108.36	269.13	115.81	115.61	4.12	0.16	576.82	520.91
Unallocated expenses									8.00	9.85
Operating profit									568.82	511.06
Taxes including deferred taxes									129.25	135.89
Extraordinary profit/loss	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Net Profit									439.57	375.17
Other Information										
Segment assets	22879.15	18743.88	27508.33	21506.43	14049.49	12784.34	5899.83	4606.17	70336.80	57640.82
Unallocated assets									737.09	1389.53
Total assets									71073.89	59030.35
Segment liabilities	21453.30	18489.95	27820.49	21226.84	14208.92	12618.14	4613.94	4102.68	68096.65	56437.61
Unallocated liabilities									118.83	75.55
Capital & other Reserves									2858.41	2517.19
Total liabilities									71073.89	59030.35

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली सम्बंधित आय शामिल हैं.

ख) संस्थागत/थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारों फर्मो, कम्पनियों और सांविधिक निकायों को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है.

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में व्यक्ति/व्यक्तियों या छोटे कारोबारों में निवेश शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त रु.50.00 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम निवेश रु.5.00 करोड़ तक है.

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है.

उपर्युक्त प्रकटन प्रबंधन द्वारा समेकित अभिलेखों/जानकारी पर आधारित हैं जिन पर लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया है.

भाग ख :भौगोलिक क्षेत्र

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अत: भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है.

10.5 लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं :

संबंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके सम्बंध:

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

1) श्री अलेन सी ए पिरेरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

2) श्री मधुकांत जी संघवी, कार्यपालक निदेशक

बैंक की अनुषंगी कंपनी — दी महाराष्ट्र एक्सीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

बैंक की सहायक संस्था — महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार (महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति)-

(रु.लाख मे)

विवरण	31003.2010	31.03.2009
वेतन	27.50	24.34

चूँकि बैंक, उसकी अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में हैं अत: एएस 18 की अपेक्षाओं के अनुसार उनसे किये जाने वाले संव्यवहारों के सम्बंध में किसी भी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

10.6 लेखा मानक-20 --प्रति शेयर आय

	31.03.2010	31.03.2009
मूल/डायलूटेड प्रति शेयर आय	रु.10.21	रु.8.71
मूल/डायलूटेड प्रति शेयर आय का परिकलन		
क) कर उपरान्त निवल लाभ (रु.लाख में)	43957.68	37516.83
ख) इक्विटी शेयरों की धारित औसत संख्या (संख्या लाख में)	4305.20	4305.20
ग) प्रति शेयर मूल आय (क) विभाजित (ख) द्वारा	रु.10.21	रु.8.71
घ) प्रति शेयर कल्पित मूल्य	रु.10.00	रु.10.00

10.7 लेखा मानक-22-- आय पर करों का लेखांकन

बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए वर्तमान कर का लेखांकन किया है. तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार है :

(रु.करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
आस्थगित कर आस्तियां		
1) प्रावधानों के प्रति समय के अंतर के रुप में संदिग्ध और डूबत तथा अन्य ऋण के लिए प्रावधान	273.60	225.70
2) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास के रुप में	0.00	0.00
3) लेखा मानक ए एस 15(संशोधित) के अनुसार राजस्व प्रारक्षितियों को नामे कर्मचारी लाभों के प्रावधान	22.64	91.59
कुल	**296.24**	**317.29**

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

i. total average annual turnover is less than Rs 50 Crores and

ii. no aggregate exposure to one counter part exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5 Crores.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

The above disclosures made are based on the records/information compiled by the management and relied upon by the auditors.

Part B: Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

10.5 Accounting Standard 18 - Related party disclosures

The details in this regard are mentioned as below:

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank:

Key Managerial Personnel-

1) Shri Allen C. A. Pereira, Chairman & Managing Director

2) Shri Madhukant G. Sanghvi, Executive Director

Subsidiary of the Bank - The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt. Limited

Associates of the Bank - Maharashtra Gramin Bank

Transactions with Related parties (Key Managerial Persons)-

(Rs in lakhs)

Particulars	31.03.10	31.03.09
Salary & Allowances	27.50	24.34

Since the bank, its subsidiary and associates are state controlled, no disclosures are required to be made pertaining to the transactions with them in accordance with the requirements of AS 18.

10.6. Accounting Standard 20- Earnings per Share

	31.03.2010	31.03.2009
Basic / Diluted E.P.S.	Rs. 10.21	Rs.8.71
Calculation of Basic / Diluted E.P.S.		
a) Net Profit after Tax (Rs in lakhs)	43957.68	37516.83
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	4305.20	4305.20
c) Basic Earning per share (a) divided by (b)	Rs. 10.21	Rs. 8.71
d) Nominal Value per Share	Rs. 10.00	Rs.10.00

10.7. Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income

The bank has accounted for current tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Deferred Tax Assets		
1) On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful Debts and others	273.60	225.70
2) On account of depreciation on fixed assets	0.00	0.00
3) On account of provisions for Employees benefits debited to Revenue Reserve as per AS 15 (Revised)	22.64	91.59
Total	**296.24**	**317.29**

आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में	18.10	13.00
कुल	18.10	13.00
अनुसूची 11 (अन्य आस्तियां) में दर्शाई गई निवल आस्थगित कर आस्ति	**278.14**	**304.29**

10.8 लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि 3 वर्ष

परिशोधन दर 33.33%

परिशोधन पद्धति लागत पर सीधी रेखा

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	11.32	10.29
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	5.54	6.69
वर्ष के दौरान परिशोधन	5.62	5.66
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	11.24	11.32

10.9 लेखा मानक - 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि अचल आस्तियाँ अनर्जक नहीं हुई है. इसलिए लेखा मानक 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

10.10 लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

11 चालू वर्ष के आंक़डों से तुलना करने हेतु जहां आवश्यक समझा गया वहां पिछले वित्त वर्ष के आंक़डों को समूहबद्ध/पुन:वर्गीकृत किया गया.

12 बेसल II (पिलर 3) प्रकटन

सारिणी डीएफ-1 अनुप्रयोग की व्याप्ति

गुणात्मक प्रकटन

क) समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिसपर संरचना लागू हो : **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

ख) लेखांकन और विनियामक प्रयोजनों हेतु समेकन के आधार पर फर्कों की रूपरेखा, समूह के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं के संक्षिप्त विवरण सहित

i) जो पूर्णत: समेकित हैं.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र समूह का शीर्ष बैंक है जिस पर नई पूंजी पर्याप्तता संरचना लागू होती है. बैंक की निम्नानुसार केवल एक सहायक संस्था है :

सहायक कंपनी का नाम : महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

निगमन का देश : भारत

स्वामित्व का अनुपात : 100 प्रतिशत

उक्त संस्था का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 के अनुसार किया गया है.

तथापि बेसल II के अंतर्गत सीआरएआर की गणना करने के लिए उक्त सहायक कंपनी में निवेश को कटौती उपचार दिया गया है और उसे समेकित नही किया गया क्योंकि सहायक कंपनी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी नही है.

ii) जिनका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है.

समूह में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका समेकन समानुपातिक आधार पर किया गया है.

iii) जिन पर कटौती व्यवहार लागू है.

1. सहायक कंपनी का नाम : महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
2. सहयोगी संस्था का नाम : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
   निगमन का देशा : भारत
   स्वामित्व का अनुपाता : 35%

Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	18.10	13.00
Total	18.10	13.00
Net Deferred Tax Asset-shown in Schedule 11 (Other Assets)	**278.14**	**304.29**

10.8 Accounting Standard 26 - Accounting for Intangible Assets.

Computer Software - other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(Rs. in Crores)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Software at the beginning of the year	11.32	10.29
Software acquired during the year	5.54	6.69
Amortization during the year	5.62	5.66
Net carrying amount at the end of the year	11.24	11.32

10.9 Accounting Standard 28-- Impairment of Assets

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such, no provision is required as per AS-28.

10.10 Accounting Standard 29-- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the opinion of the management, no further provision is required against contingent liabilities referred to in Schedule 12.

11. Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figures.

12. BASEL II (PILLAR 3) DISCLOSURE

TABLE DF-1-SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures

a) The name of the top Bank in the group to which the framework applies: **BANK OF MAHARASHTRA**

b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group

(i) that are fully consolidated

Bank of Maharashtra is the top bank in the group to which the new capital adequacy framework applies. The bank has only one subsidiary as under:

Name of the subsidiary : Maharashtra Executors and Trustee Company Pvt. Ltd.

Country of Incorporation: India

Proportion of ownership : 100%

The above subsidiary is consolidated as per Accounting Standard 21 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

However for computing CRAR under Basel-II, the investment in above subsidiary is given deduction treatment and is not consolidated as the subsidiary is not a financial services entity.

(ii) that are pro-rata consolidated

There is no entity in the group which is consolidated on pro-rata basis.

(iii) that are given a deduction treatment;

1. Name of the Subsidiary: Maharashtra Executor and Trustee Company P Ltd.
2. Name of the Associate: Maharashtra Gramin Bank.
   Country of Incorporation: India
   Proportion of Ownership: 35%

(भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20.07.2009 की अधिसूचना के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र में प्रायोजित मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक को आपस में मिलाकर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया। इस बैंक का मुख्यालय नांदेड में है।)

उक्त संस्थाओं का समेकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 के अनुसार किया गया है.

iv) जो न तो समेकित हैं और न ही कटौती के अन्तर्गत (उदा. जहां निवेश जोखिम-धारित है)

शून्य

मात्रात्मक प्रकटन

ग) समेकन में न आने वाली सभी सहायक संस्थाओं में पूंजी अभाव की कुल रकम अर्थात जिनमें कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम

शून्य

घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल रकम, (चालू बही मूल्य) जो जोखिम-धारित हैं तथा उनके नाम, उनके निगमन या आवास का देश, हित के स्वामित्व का अनुपात और, यदि अलग हो तो, इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अतिरिक्त इस पद्धति के उपयोग बनाम कटौती पद्धति के उपयोग के विनियामक पूंजी पर पड़ने वाले मात्रात्मक प्रभाव का उल्लेख करें.

शून्य

सारिणी-डीएफ-2- पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

क) सभी पूंजीगत निवेशों, विशेषकर टायर 1 या अपर टायर 2 में समाविष्ट करने हेतु पात्र पूंजीगत लिखतों के मामले में मुख्य मुख्य बातों से सम्बंधित शर्तों की संक्षिप्त जानकारी.

बैंक की पूंजी संरचना में इक्विटी, प्रारक्षितियां व अधिशेष तथा नवोन्मेष बेमीयादी बॉण्ड शामिल हैं. बैंक ने टायर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु नवोन्मेष बेमियादी बॉण्ड (टायर 1 पूंजी) और अन्य पात्र बॉण्ड भी जारी किये हैं. बॉण्डों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :

(As per the notification dt.20.07.2009 issued by the Government of India, Marathwada Gramin Bank and Maharashtra Godavari Gramin Bank sponsored by Bank of Maharashtra in the State of Maharashtra are amalgamated into a single Regional Rural Bank which is "Maharashtra Gramin Bank" with its head office at Nanded)

The above entity is consolidated as per Accounting Standard 23 issued by ICAI.

(iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).

NIL

Quantitative Disclosures

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.

NIL

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.

NIL

TABLE DF - 2- CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures

(a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

The Capital Structure of the Bank comprises Equity, Reserves & Surplus and Innovative Perpetual Bonds. The Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier I capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier II capital. The some of the important terms and conditions of the bonds are given below:

i) पूर्ण प्रदत्त असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय बेमीयादी गौण बॉण्ड (टायर 1 पूंजी)
Fully Paid Up Unsecured, free of any restrictive clause Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds (Tier I Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	बॉण्ड की रकम (रु.करोड़ में) Amount (Rs. in Crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and conditions
I	31 जुलाई 2007	225.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.65% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.07.2017 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए से 11.15% की बढी हुई कूपन दर	बेमीयादी	मांग विकल्प- दिनांक 31.07.2017 को या उसके बाद हर वर्धापन दिन को (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से)
	31 July 2007	225.00	10.65% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank on 31.07.2017, the step up coupon rate of 11.15% p.a. for subsequent years	Perpetual	Call Option- at par on 31.07.2017 or thereafter on each anniversary date (with prior approval of RBI). Put Option - None
II	30 सितंबर 2009	70.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.25% प्रतिवर्ष. यदि बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग दिनांक 31.07.2017 को नहीं किया तो बाद के वर्षों के लिए से 9.75% की बढी हुई कूपन दर		मांग विकल्प- दिनांक 30.09.2019 को या उसके बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) पुट विकल्प - कोई नहीं
	30 September 2009		9.25% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank on 30.09.2019 the step up coupon rate of 9.75% p.a. for subsequent years.	Perpetual	Call Option - at par on 30.09.2019 or thereafter(with prior approval of RBI) Put Option - None

मांग विकल्प भारतीय दिशानिर्देशों के अधीन है Call Options subject to RBI guidelines.

ii) पूर्ण प्रदत्त असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय बेमीयादी गौण बॉण्ड (टायर 1 पूंजी)

Fully Paid Up Unsecured, free of any restrictive clause redeemable with prior approval of RBI subordinated bonds (Upper Tier II Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	रकम (रु.करोड़ में) Amount (Rs. in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण शर्तें Other Important Terms and Conditions
I	14 अक्तूबर 2006	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.10% प्रति वर्ष की बढ़ी हुई दर. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 14 अक्तूबर 2016 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 9.60 % प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई कूपन दर होगी	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	14 October 2006	300.00	9.10% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised after 10 years by the Bank from the date of allotment, the bonds shall carry step up coupon rate of 9.60% p.a. for the remaining period of 5 years from 14th October 2016.	15 years	Call Option - Can be exercised at par by the Bank at par after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option - None
II	21 मार्च 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 9.90% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षो के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 21 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.40 % प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई कूपन दर होगी	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	21 March 2007	200.00	9.90% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.40% p.a. for the remaining period of 5 years from 21st March 2017.	15 years	Call Option- Can be exercised by the Bank at par after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
III	30 मार्च 2007	150.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.25% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षो के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.75% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	30 March 2007	150.00	10.25% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.75% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th March 2017.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
IV	19 जुलाई 2007	200.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.25% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षो के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.75% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	19 July 2007	200.00	10.35% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after 10 years from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 10.85% p.a. for the remaining period of 5 years from 19th July 2017.	15 years	Call Option- Can be exercised at par by the Bank after 10 years from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
V	30 सितंबर 2009	100.00	पहले 10 वर्षों के लिए 10.25% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षो के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 30 मार्च 2017 से शेष 5 वर्षों की अवधि के लिए 10.75% प्रतिवर्ष की बढी हुई कूपन दर होगी	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से दसवे वर्ष के अंत में (भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से) प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	30 Sept. 2009	100.00	8.95% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.45% p.a. for the remaining period of 5 years from 30th September 2019.	15 years	Call Option- can be exercised at par by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None
VI	1 फरवरी 2010	300.00	पहले 10 वर्षों के लिए 8.65% प्रति वर्ष. यदि आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों के बाद भी बैंक ने मांग विकल्प का प्रयोग नहीं किया तो बॉण्डों पर 1 फरवरी 2020 से शेष 5 वर्षोंकी अवधि के लिए 9.15% प्रतिवर्ष की कूपन दर होगी.	15 वर्ष	मांग विकल्प- बैंक द्वारा आबंटन के दिनांक से 10 वर्षों बाद (भा.रि. बैंक के पूर्वानुमोदन से) सममूल्य पर प्रयोग किया जा सकता है. विक्रय विकल्प- कोई नहीं.
	1 February 2010	300.00	8.65% p.a. for first 10 years. If call option is not exercised by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment, the bonds shall carry coupon rate of 9.15% p.a. for the remaining period of 5 years from 1st Feb. 2020	15 years	Call Option- can be exercised at par by the Bank after the end of 10th year from the date of allotment (with prior approval of RBI) Put Option-None

मांग विकल्प भारतीय दिशानिर्देशों के अधीन है Call Options subject to RBI guidelines.

iii. पूर्ण प्रदत्त असुरक्षित, किसी भी प्रतिबंधनात्मक खण्ड से मुक्त अपरिवर्तनीय प्रतिदेय गौण गौण बॉण्ड (टायर 2 पूंजी)

Fully Paid up, Unsecured, Free from Restrictive Clause, Non Convertible Redeemable Subordinated Bonds (Tier II Capital)

श्रृंखला Series	आबंटन का दिनांक Date of Allotment	रकम (रु.करोड़ में) Amount (Rs in crore)	कूपन दर Coupon Rate	अवधि Tenor	अन्य महत्वपूर्ण नियम व शर्तें Other Important Terms and conditions
V	31 मार्च 2005	167.50	7.10% प्रतिवर्ष	63	बॉण्डस केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से परिपक्वता पर प्रतिदेय है. इस प्रकार के टायर II बॉंड के निवेशकों के दावे किसी भी प्रतिबंधनात्मक खंड से मुक्त है. इस प्रकार के टायर 2 बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा.
	31 March 2005	167.50	7.10% p.a.	63 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI. Claims of the investors in such tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VI (a)	19 जनवरी 2006	200.00	7.50% अर्द्धवार्षिक	84 माह	बॉण्डस केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से परिपक्वता पर प्रतिदेय है. इस प्रकार के टायर II बॉंड के निवेशकों के दावे किसी भी प्रतिबंधनात्मक खंड से मुक्त है. इस प्रकार के टायर 2 बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा.
	19 January 2008	200.00	7.50% Semi-Annually	84 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI.Claims of the investors in such tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VI (b)	1 मार्च 2006	200.00	7.70% अर्द्धवार्षिक	84 माह	बॉण्डस केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से परिपक्वता पर प्रतिदेय है. इस प्रकार के टायर II बॉंड के निवेशकों के दावे किसी भी प्रतिबंधनात्मक खंड से मुक्त है. इस प्रकार के टायर 2 बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा.
	1 March 2006	200.00	7.70% Semi-Annually	84 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI.Claims of the investors in such tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VII	25 जुलाई 2006	225.00	9.45% प्रतिवर्ष	120 माह	बॉण्डस केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से परिपक्वता पर प्रतिदेय है. इस प्रकार के टायर II बॉंड के निवेशकों के दावे किसी भी प्रतिबंधनात्मक खंड से मुक्त है. इस प्रकार के टायर 2 बॉण्डों के निवेशकों के दावों का दर्जा बैंक के मौजूदा गौण ऋणों के साथ साथ और अन्य सभी लेनदारों के दावों के बाद रहेगा.
	25 July 2006	225.00	9.45% p.a.	120 months	The bonds are redeemable on maturity of the bonds only with the prior approval of RBI.Claims of the investors in such tier II Bonds shall rank parri passu with the existing subordinated debts of the Bank & subordinate to the claims of all other creditors & depositors.
VIII	15 जनवरी 2008	200.00	9.20% प्रतिवर्ष	123 माह	बॉण्ड आपस में बगैर किसी वरीयता के बैंक की प्रत्यक्ष, गैरजमानती व गौण प्रतिबद्धताओं से युक्त होंगें. ये बॉण्ड केवल भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन से परिपक्वता पर प्रतिदेय हैं.
	15 January 2008	200.00	9.20% p.a.	123 months	The bonds would constitute direct, unsecured and subordinated obligations of the bank without any preference among themselves. The bonds are redeemable on maturity only with the prior approval of RBI.
IX	30 सितंबर 2009	130.00	8.74% प्रतिवर्ष	115 माह	अन्य लेनदारों के दावों के साथ जोड़ा गया है.ये बॉण्ड भा.रि.बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना या धारक की पहल पर प्रतिदेय नहीं हैं. कोई मांग या विकल्प नहीं है.
	30 September 2009	130.00	8.74% p.a.	115 months	Subordinated to the claims of other creditors, shall not be redeemable at the initiative of holder or without the consent of RBI. There is no call and put option.

सारिणी-डीएफ-3 - पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

क) चालू व भावी गतिविधियों के समर्थन हेतु पूंजी की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने हेतु बैंक के दृष्टिकोण पर विवेचन का सारांश:

ऋण विगोपन या कारोबार में होने वाली हानि की जोखिम से सुरक्षा के लिए अलग से पूंजी पर्याप्तता बनाए रखना आवश्यक है ताकि जमाकर्ताओं और साधारण लेनदारों को इस प्रकार की हानियों से बचाया जा सके ङ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता के परिकलन हेतु बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालनगत जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण तथा बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत मीयादी दृष्टिकोण को अपनाया है ।

बैंक के पास अपनी जोखिम प्रोफाईल से संबंधित समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन के लिए अपनी प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया इस बात का आश्वासन उपलब्ध करती है कि बैंक के पास उसके कारोबार से संबंधित सभी जोखिमों के लिए पर्याप्त पूंजी है और कारोबारी प्रोफाईल के अनुसार बैंक ने उचित सुरक्षित पूंजी बनाई रखी है । बैंक के पास कारोबार में होने वाली भावी वृद्धि के लिए पूंजी बनाए रखने की नीति है ताकि सतत आधार पर आवश्यक न्यूनतम पूंजी बनाई रखी जा सके । जहाँ तक भावी गतिविधियों के समर्थन हेतु पूंजी की पर्याप्तता का सम्बंध है बैंक ने बोर्ड के विधिवत अनुमोदन से आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) दस्तावेज (बेसल II फ्रेमवर्क के पिलर 2 के अन्तर्गत की जाने वाली अपेक्षाओं पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार) के एक भाग के रुप में 3 वर्षों के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है ।

बैंक ने बेसल II फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम प्रबंधन की उत्कृष्ट पद्धतियों को अपनाने हेतु पहले से तैयारी कर ली है । बेसल II से संबंधित सभी मामलों के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन की व्यापक नीति तैयार की है ।

बैंक की इक्विटी का 76.77 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार का है । इसलिए बैंक सरकार के धारण को 51 प्रतिशत तक कम कर अतिरिक्त इक्विटी पूंजी जुटा सकता है । टियर I और टियर II पूंजी जुटाने के लिए बैंक के पास गुंजाइश उपलब्ध है ताकि भावी गतिविधियों के लिए पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पूंजी ढांचे को समर्थन दिया जा सके ।

न्यूनतम पूंजी आवश्यकता हेतु विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नई पूंजी पर्याप्तता संरचना के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी हेतु निम्नलिखित में से उच्चतम रकम की शर्त रखी गई है :

क) ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम हेतु बेसल II मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी

ख) ऋण और बाजार जोखिमों हेतु बेसल I मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी का 90%

बैसल I मानदंडों के अनुसार 31 मार्च 2010 को बैंक द्वारा रखी जाने वाली न्यूनतम पूंजी बेसल I मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पूंजी का 90% अर्थात रु.3399.17 करोड़ है और बेसल II मानदंडों के अनुसार रु.3321.14 करोड़ , दोनो में से जो अधिक है, वह है.

किन्तु 31 मार्च 2010 को बैंक द्वारा रखी गई वास्तविक पूंजी (टायर 1 और टायर 2) रु.4716.86 करोड़ है जो विवेकपूर्ण न्यूनतम सीमा से अधिक है.

मात्रात्मक प्रकटन: मानक दृष्टिकोण

(रु.करोड़ में)

	31.3.2010
ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मानक दृष्टिकोण	
मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग	2929.42
प्रतिभूतिकरण विगोपन	0.00
कुल	**2929.42**
ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता: मानक अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	122.92
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण-सहित)	7.20
इक्विटी जोखिम	38.87
कुल	**168.99**
घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:	
• मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण	222.73

TABLE DF-3 - CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

Capital Adequacy is the cushion required to be maintained for covering the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against such losses. In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing Capital Adequacy.

The Bank has a process for assessing its overall Capital Adequacy in relation to its risk profile and the process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks in its business and an appropriate capital buffer based on its business profile. The Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has assessed capital requirement for three years as a part of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board.

The Bank is already geared up to adopt the best practices in risk management in conformity with the Basel II Framework. Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II.

76.77% of Bank's equity is held by the Government of India. As such, Bank may raise additional equity capital by bringing down the Government of India holding to 51%. The headroom available to the Bank for mobilizing Tier I and Tier II capital shall support capital structure to meet the required Capital Adequacy for future activities.

Prudential floor limit for minimum capital requirement:

The guidelines for implementation of the New capital adequacy Framework issued by RBI stipulates higher of the following amounts as minimum capital required to be maintained by the Bank.

a) Minimum capital as per Basel II norms for Credit, Market and Operational Risk.

b) 90% of Minimum capital as per Basel I norms for Credit and Market risks.

The minimum capital required to be maintained by the Bank as on March 31, 2010 is 90% of the capital requirement under Basel I norms i.e. Rs. 3399.17 crore or capital requirement as per Basel II norms i.e. Rs. 3321.14 crore, whichever is higher.

However, the actual capital (Tier I and Tier II) maintained by the Bank as on March 31, 2010 is Rs. 4716.86 crore, which is above the prudential floor limit.

Quantitative Disclosures:

(Rs. in crore)

	31.03.2010
(b) Capital requirements for Credit Risk: Standardised Approach	
Portfolios subject to Standardised Approach	2929.42
Securitisation exposures	0.00
Total	**2929.42**
(c) Capital requirements for Market Risk: Standardised Duration Approach	
Interest Rate Risk	122.92
Foreign Exchange Risk (including gold)	7.20
Equity Risk	38.87
Total	**168.99**
(d) Capital requirements for Operational Risk:	
• Basic Indicator Approach	222.73

वास्तविक स्थिति **च) कुल और टायर I पूंजी अनुपात**	
बैंक के लिए	
• कुल सीआरएआर (%)	12.78%
• टायर 1 सीआरएआर (%)	6.41%
शीर्ष समेकित समूह के लिए	
• कुल सीआरएआर (%)	12.78%
• टायर I सीआरएआर (%)	6.41%
महत्वपूर्ण बैंक सहयोगी संस्थाओं के लिए (अकेली या उप-समेकित, संरचना किस प्रकार लागू की गई, के आधार पर)	
• **कुल सीआरएआर (%)**	**लागू नही**
• **टायर 1 सीआरएआर (%)**	**लागू नही**

सारिणी-डीएफ-4 -- ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन:

ऋण जोखिम :

ऋण जोखिम, बैंक के संविभाग में प्रतिपक्षों या उधारकर्त्ताओं की ऋण गुणवत्ता में आये ह्रास से उत्पन्न हानियों से संबंधित है. ऋण जोखिम अधिकांशत: बैंक की उधार गतिविधियों से पैदा होती हैं और यह उधारकर्त्ताओं या प्रतिपक्षों की ऋण गुणवत्ता/साख में आने वाले संभाव्य परिवर्तनों के कारण पैदा होती है. व्यवहार जोखिम (विभिन्न ऋण प्रस्तावों में जोखिम), उद्योग और कारोबार जोखिम जिनमें अग्रिम दिए गए हैं, भौगोलिक जमाव जोखिम और ऋण जमाव जोखिम का समग्र जोड़ ऋण जोखिम है. बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क नीति और रणनीति, संगठनात्मक ढांचे तथा विभिन्न प्रणालियों / प्रक्रियात्मक साधनों के आधार पर बनाया गया है.

नीति व रणनीति :

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन का अनुपालन कर रहा है. जोखिम दर्शन के महत्वपूर्ण बातों को विभिन्न नीतियों, परिपत्रों और दिशानिर्देशों में समाहित किया गया है. लाभ, उठाई गई विभिन्न जोखिमों का स्तर, पूंजी का स्तर, बाजार परिदृश्य और प्रतियोगिता इत्यादि बातों को ध्यान में लेकर बैंक के कारोबारी उेश्य और रणनीतियां तैयार की जाती हैं. बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और आय के प्रति सतर्क है तथा जोखिम नियंत्रण के साथ लाभ को अधिकतम करने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन करता है.

बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं :

i). उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति

ii). जोखिम प्रबंधन नीति

iii) ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन

iv) निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति

उधारी और ऋण पुनरीक्षण नीति, जोखिम प्रबंधन नीति के दस्तावेज संगठनात्मक ढांचे, भूमिका और जिम्मेदारियों तथा प्रक्रियाओं और साधनों को परिभाषित करते हैं जिनके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उठाई जा रही ऋण जोखिम, का अभिनिर्धारण, उसकी मात्रा का निर्धारण किया जा सकता है और उसे बैंक के विचार में उसके अधिदेश तथा जोखिम अपेटाइट के अनुसार निर्धारित फ्रेमवर्क में प्रबंधित किया जा सकता है. विभिन्न विवेकी और विगोपन सीमाओं, सहायक प्रतिभूति मानक तथा ऋण जोखिम प्रबंधन के उेश्य से विभिन्न वित्तीय न्यूनतम सीमाओं का निर्धारण का उपबंध नीतियों में किया गया है. ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति बेसल II फ्रेमवर्क के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशमन के लिए पात्र सहायक प्रतिभूतियों के विवरण निर्धारित करती है. निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति बैंक की ऋण जोखिम नीति का अभिन्न अंग है.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक ढांचा :

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए शीर्ष स्तर पर समग्र रूप से जोखिमों का पर्यवेक्षण करने के लिए निदेशक मंडल है. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति तैयार करती है. परिचालनगत स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का कार्य निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम नीति का कार्यान्वयन करना, व्यापक आधार पर बैंक की ऋण जोखिम की निगरानी करना तथा निदेशक मंडल / ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित विभिन्न न्यूनतम जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है. समन्वित जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक के पद वाले मुख्य जोखिम अधिकारी है.

Actual Position **(e) Total and Tier I Capital Ratio:**	
For the Bank	
• Total CRAR (%)	12.78%
• Tier I CRAR (%)	6.41%
For the top consolidated group	
• Total CRAR (%)	12.78%
• Tier I CRAR (%)	6.41%
For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied).	
• **Total CRAR (%)**	**N.A.**
• **Tier I CRAR (%)**	**N.A.**

Table DF-4 - CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures:

Credit Risk

Credit Risk is related to the losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties in a bank's portfolio. Credit risk arises mostly from lending activities of the bank and it emanates from potential changes in the credit quality / worthiness of the borrowers or counterparties. Credit Risk is an aggregation of Transaction Risk (risk in various credit propositions), Industry and Business line risk wherein advances are lent, Geographic Concentration Risk and Credit Concentration Risk. The Credit Risk Management framework of the Bank is built on the building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Structure and various systems / process and tools.

Policy & Strategy

The Bank has been following a conservative risk philosophy. The important aspects of the risk philosophy are embodied in various policies, circulars, guidelines etc. The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is conscious of its asset quality and earnings and judiciously matches profit maximization with risk control.

The Bank has put in place the following policies approved by the Board.

i) Lending & Loan Review Policy

ii) Risk Management Policy

iii) Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management

iv) Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy

The Lending & Loan Review Policy, Risk Management Policy documents define organizational structure, role and responsibilities and, the processes and tools whereby the credit risks carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk appetite. The policies prescribe various prudential and exposure limits, collateral standards, financial benchmarks for the purpose of credit risk management. The policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management lays down the details of eligible collaterals for credit risk mitigation under Basel II framework. The Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy forms an integral part of credit risk in the Bank.

Organisational Structure for Credit Risk Management

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the apex level that has the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (RMC) devises the policy and strategy for integrated risk management. At operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions of the CRMC include implementation of the credit risk policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis and ensure adherence to threshold risk limits approved by the Board / Risk management Committee. The Integrated Risk Management Department is headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank.

ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रणालियां / प्रक्रियाएं / साधन :

ऋण मूल्यांकन मानक

बैंक के पास क्रेडिट ओरिजिनेशन के लिए सुस्थिर मानक, ऑफ बॅलन्स शीट मदों सहित सभी ऋण विगोपनों के दस्तावेजीकरण और रखरखाव हेतु अग्र सक्रिय ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. आवधिक पुनरीक्षण, आवधिक निरीक्षण और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन प्रणाली जैसी प्रणालियां बैंक में हैं.

विगोपन सीमाएं :

एकल / समूह उधारकर्ता सीमाएं, बड़ी विगोपन सीमाएं और सेक्टर / उद्योग से संबंधित विगोपन सीमाओं सहित ऋण जोखिम सीमाएं लागू हैं. विगोपन की तुलना में सीमाओं की निगरानी की जाती है.

ऋण अनुमोदन ग्रिड :

बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालय / केन्द्रीय कार्यालय में नए / ऋण सीमा में वृद्धि या बिना वृद्धि के वर्तमान प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ऋण अनुमोदन ग्रिड का गठन किया गया है. केन्द्रीय कार्यालय में नए ऋण प्रस्तावों पर उक्त विनिर्दिष्ट सीमाओं के आधार पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन देने के लिए नए व्यापारिक समूह नामक एक नया समूह बनाया गया है जिसके प्रमुख अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक हैं.

मंजूरी अधिकार :

बैंक में ऋणों की मंजूरी हेतु एक सुपरिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना को अपनाया जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर रेटिंग वाले ग्राहकों को ऋण और अग्रिम मंजूर करने हेतु मंजूरकर्त्ता प्राधिकारियों को उच्चतर मंजूरी अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है.

ऋण जोखिम योग्यताक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया:

बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंध हर बाध्यताधारी (उधारकर्त्ता) और संविभाग स्तर की जोखिमों के सतत परिमापण एवं अनुप्रवर्तन के जरिये करता है. बैंक के पास एक मजबूत आंतरिक ऋण जोखिम रेटिंग संरचना और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रियाएं हैं. ऋण जोखिम रेटिंग एक सरलीकृत प्रक्रिया है जिससे बैंक को किसी प्रस्ताव में अन्तर्निहित गुणों-अवगुणों के निर्धारण में सहायता मिलती है. यह निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक साधन है जिससे बैंक को किसी भी ऋण प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में या अन्यथा निर्णय लेने में मदद मिलती है. यह बैंक की जोखिम आधारित मूल्यन संरचना के अनुसार ऋण सुविधाओं का यथोचित मूल्य निर्धारित करने में भी सहायक होता है. इस प्रक्रिया की गुंजाईश और व्याप्ति को बढाने और ऋण प्रबंधन जोखिम प्रथाओं को मजबूत बनाने की दृष्टि से बैंक ने उधारकर्त्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग निश्चित करने हेतु खुदरा ऋणों के लिए भी ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किये हैं. बैंक ने अपने वाईड एरिया नेटवर्क पर आंतरिक रुप से विकसित सॉफ्टवेयर लगाया है ताकि उसकी शाखायें/क्षेत्र के कार्यालय उधारकर्त्ताओं की ऋण जोखिम रेटिंग निश्चित करने हेतु इस प्रक्रिया का तत्काल उपयोग कर सकें.

आन्तरिक ऋण जोखिम मॉडल वित्तीय जोखिम, खाता परिचालन जोखिम, प्रबंधन जोखिम, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम और परियोजना जोखिम से सम्बंधित गुणात्मक व मात्रात्मक जोखिम कारकों के रुप में कार्य करते हैं. विभिन्न उद्योगों की उद्योग जोखिम रेटिंग को बाजार की स्थितियों के आधार पर आवधिक रुप से अद्यतन किया जाता है और शाखाओं के उपयोग हेतु वैन-आधारित सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराया जाता है.

बैंक ने ऋण जोखिम रेटिंग को एक अवधारणा के रुप में अपने आंतरिक कामकाज में अपनाया है. हर उधारकर्त्ता के रेटिंग की कम से कम वर्ष में एकबार पुनरीक्षा की जाती है. उच्च मूल्य वाले विगोपनो के लिए ऋण जोखिम रेटिंग छमाही आधार पर भी की जाती है. बैंक में ऋण जोखिम रेटिंग के अनुमोदन हेतु एक संरचना मौजूद है. बैंक के केन्द्रीय कार्यालय के अधिकारों के अन्तर्गत आने वाले प्रस्तावों के सम्बंध में जोखिम रेटिंग का अनुमोदन केन्द्रीय कार्यालय के समन्वित जोखिम प्रबंधन द्वारा किया जाता है.

ऋण पुनरीक्षण तंत्र :

बैंक में लागू ऋण पुनरीक्षण तंत्र के उद्देश्य हैं :

1. बैंक की उधारी नीति और प्रत्यायोजित उधारी अधिकारों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा ऋण मंजूर करना सुनिश्चित करना.
2. मंजूरी की शर्तों और निबंधनों का पालन और विभिन्न स्वीकृतियों उपरांत अनुवर्तन, निगरानी और बैंक द्वारा निर्धारित पर्यवेक्षी उपायों का पालन सुनिश्चित करना.
3. सभी ऋण सुविधाओं का पुनरीक्षण / नवीकरण समय पर सुनिश्चित करना ताकि जोखिम संभावनाओं को संशोधित कर यदि आवश्यक हो तो तत्काल सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित करना.
4. आस्ति की मानक गुणवत्ता बनाए रखने और अनर्जक आस्तियों में सुधार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना ताकि अनर्जक आस्तियों पर प्रतिबंध / कमी / कोटिउन्नयन द्वारा बैंक की लाभप्रदता पर अनुकूल प्रभाव डाला जा सके.

Systems / Process / tools for Credit Risk Management

Credit Appraisal Standards

The Bank has in place proactive credit risk management practices like consistent standard for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items. Systems of periodic reviews, periodic inspections and collateral management systems are in place.

Exposure Limits

Credit risk limits including single / group borrower limits, substantial exposure limits, exposure limits in respect of sectors / industries are in place. The exposure vis-vis the limits are monitored.

Credit Approval Grids

Credit Approval Grids have been constituted at various levels covering very large branches / Regional offices / Central Office for considering fresh / existing proposals with or without enhancement. A structure namely, New Business Group (NBG) headed by the Chairman & Managing Director is in place at Central Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposal above a specified cut-off.

Sanctioning Powers

The Bank follows a well-defined multi-layered discretionary power structure for sanction of loans. Higher sanctioning powers are delegated to sanctioning authorities for sanctioning loans and advances to better rated customers in line with RBI guidelines.

Credit Risk Rating and Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has in place an internal credit risk rating framework and well established standardised credit appraisal / approval processes. Credit risk rating is a facilitating process that enables the Bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision-enabling tool that helps the Bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal. It also enables fixing the appropriate price on credit facilities as per the Risk-based Pricing Framework of the Bank. With a view to widening the scope and coverage further and strengthening the credit risk management practices, the Bank has developed and put in place credit risk rating models for retail loans also. The Bank has in-house developed software for undertaking credit risk rating put on the Wide Area Network (WAN) of the Bank facilitating instant access by the Branches / Field Offices for undertaking credit risk rating of borrowers.

The internal credit risk rating models factor the qualitative and quantitative risk factors relating to Financial Risk, Account Operating Risk, Management Risk, Business Risk, Industry Risk and Project Risk. The industry risk ratings of various industries are periodically updated based on the market conditions and made available on the WAN based software for use by the branches.

Credit risk rating, as a concept, has been well internalized in the Bank. Rating for every borrower is reviewed at least once in a year. Bi-annual credit risk rating is also undertaken for high value exposures and inferior rated borrowers. As a measure of robust credit risk management practices, the Bank has in place a framework for approval of credit risk ratings. For the proposals falling under the powers of Bank's Central Office, the approval of the risk ratings are done at the Integrated Risk Management Department at Central Office.

Loan review Mechanism

The objectives of the Loan Review Mechanism in place in the Bank are:

i) To ensure that credit decisions by various authorities are in conformity with the Bank's Lending Policy and delegated lending powers.

ii) To ensure that stipulated terms & conditions of sanction are complied with and various post sanction follow up, monitoring and supervision measures prescribed by the Bank are adhered to.

iii) To ensure that all credit facilities are reviewed / renewed well in time so as to revise the risk perception and take necessary corrective action if necessary, immediately.

iv) To aim at achieving maintenance of standard assets quality and improvement in non-performing assets (NPAs) so as to have a favourable impact on profitability of the Bank through prevention / reduction / up gradation of NPAs.

5. बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता की जांच करना और इसकी जानकारी समय समय पर उच्च प्रबंधन को देना.

ऋण देने के लिए जांच और संतुलन का तंत्र है. जैसे कि ऋण स्वीकृतियों से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, ऋण जोखिम रेटिंग देने की प्रणाली, रेटिंग की जांच, ग्राहक की जोखिम रेटिंग के अनुसार ऋण सुविधा का मूल्यांकन करने का तंत्र, ऋण लेखा परीक्षा इत्यादि लागू हैं. प्रवेश स्तरीय न्यूनतम रेटिंग भी निर्धारित किए गए हैं. अन्य बैंकों पर किए गए समग्र विगोपन का केन्द्रीकृत विहंगावलोकन उपलब्ध करने के लिए तंत्र उपलब्ध है. देश के ऋण विगोपनों की निगरानी की जाती है. एक विकेन्द्रीकृत ऋण संविभाग बनाए रखा गया है और समय समय पर संविभाग का विश्लेषण किया जाता है ताकि जारी ऋण जमाव नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके.

विगत में देय एवं अनर्जक ऋण:

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने हेतु लागू विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बैंक ऋण और अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों को अनर्जक आस्ति मानता है जहां :-

- सावधिक ऋण के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त 90 दिनों या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रही हो
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के सम्बंध में खाता "अनियमित" रहा हो
- बिल खरीद और भांजित बिल के सम्बंध में बिल 90 दिन या अधिक की अवधि हेतु अतिदेय रहा हो
- कृषि अग्रिमों के सम्बंध में ब्याज और/या मूलधन की किश्त दो फसल मौसमों हेतु (कम अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) और एक फसल मौसम (लम्बी अवधि वाली फसलों के सम्बंध में) अतिदेय रही हो
- अन्य खातों के सम्बंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि हेतु अतिदेय कोई भी प्राप्य रकम
- किसी भी तिमाही के दौरान लगाया गया ब्याज जिसे तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर न चुकाया गया हो

अनियमित स्थिति :

एक खाता तब अनियमित माना जाता है जब मंजूरी सीमा / आहरण अधिकारों से खाते में बकाया शेष लगातार अधिक रहता है. ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालित खाते में बकाया शेष मंजूर अधिकारी / आहरण अधिकार से कम है किंतु खाते में तुलनपत्र की दिनांक से 90 दिनों तक लगातार कोई रकम जमा नहीं हुई है या खाते में जमा रकम अवधि के दौरान नामे की जाने वाली ब्याज की रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो इस प्रकार के खातों को अनियमित माना जाएगा.

अतिदेय

किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी राशि बैंक द्वारा निर्धारित दिनांक पर भुगतान नहीं की जाती तो उसे अतिदेय माना जाता है.

मात्रात्मक प्रकटन:

क) कुल सकल ऋण जोखिम विगोपन, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग

(रु करोड में)

निधिक	49119.47
अनिधिक	9273.50

ख) विगोपनों का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित अलग-अलग

I समुद्रपारीय

(रु करोड में)

निधिक	शून्य
अनिधिक	शून्य

II घरेलू

(रु करोड में)

निधिक	49119.47
अनिधिक	9273.50

ग) विगोपनों का उद्योगवार वितरण, निधि आधारित और गैर निधिआधारित अलग अलग

v) To assess the health of credit portfolio of the Bank and to apprise the Top Management about the same from time to time.

Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanctions, system of assigning credit risk rating, vetting of ratings, mechanism to price credit facilities depending of risk rating of customer, credit audit etc. Minimum entry level rating benchmarks are in place. A suitable mechanism is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks. Country exposures are monitored. A diversified credit portfolio is maintained and a system to conduct regular analysis of portfolio so as to ensure ongoing control of credit concentration is in place.

Loans past due and Impaired

As per the prudential norms applied for income recognition, asset classification and provisioning, the Bank considers following categories of loans and advances as Non-performing Assets, wherein:

- Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of Bills Purchased and Discounted
- In case of agricultural advances, interest and/or installment of principal remains overdue for 2 crop seasons (in respect of short duration crops) & 1 crop season (in respect of long duration crops).
- Any amount receivable that remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.
- Interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Orders' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as 'out of order'.

Overdue

Any amount due to the Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Quantitative Disclosures:

(a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(Rs. in Crores)

Funded	49119.47
Non Funded	9273.50

(b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non-fund based separately

i. Overseas

(Rs. in Crores)

Funded	Nil
Non Funded	Nil

ii. Domestic

(Rs. in Crores)

Funded	49119.47
Non Funded	9273.50

(c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately

31.03.2010 को उद्योग-वार निधिक एवं गैर निधिक विगोपन

INDUSTRYWISE FUNDED NONFUNDED EXPOSURE AS OF 31.03.2010

(रु.करोड़ में)(Rs. in Crore)

कोड Code	उद्योग Industry	निधिक रकम Amount Funded	कोड Code	उद्योग Industry	गैरनिधिक रकम Amount NONFUNDED
1	कोयला COAL	2.14	1	कोयला COAL	0.05
2	खनन MINING	473.93	2	खनन MINING	77.35
3	लोहा व इस्पात IRON & STEEL	1769.19	3	लोहा व इस्पात IRON & STEEL	343.73
4	अन्य धातु व उत्पाद OTHER METAL & PRODUCTS	314.18	4	अन्य धातु व उत्पाद OTHER METAL & PRODUCTS	60.00
5	सभी अभियांत्रिकी ALL ENGINEERING	1480.73	5	सभी अभियांत्रिकी ALL ENGINNERING	2050.39
5.1	अभि. इलेक्ट्रॉनिक ENGG. ELECTRONICS	390.65	5.1	अभि. इलेक्ट्रॉनिक ENGG. ELECTRICITY	201.90
6	विद्युत ELECTRICITY	2620.12	6	विद्युत ELECTRICITY	339.19
7	सूती वस्त्र COTTON TEXTILE	440.13	7	सूती वस्त्र COTTON TEXTILE	15.91
8	पटसन वस्त्र JUTE TEXTILE	3.04	8	पटसन वस्त्र JUTE TEXTILE	0.12
9	अन्य वस्त्र OTHER TEXTILES	1003.20	9	अन्य वस्त्र OTHER TEXTILES	356.57
10	चीनी SUGAR	57.95	10	चीनी SUGAR	3.20
11	चाय TEA	0.85	11.	चाय TEA	0.00
12	खाद्य प्रसंस्करण FOOD PROCESSING	316.80	12	खाद्य प्रसंस्करण FOOD PROCESSING	19.29
13	वनस्पति तेल और वनस्पति VEGETABLE OILS AND VANASPATI	51.79	13	वनस्पति तेल और वनस्पति VEGETABLE OILS AND VANASPATI	35.35
14	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS	86.25	14	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS	0.32
15	कागज व कागज उत्पाद PAPER & PAPER PRODUCTS	341.27	15	कागज व कागज उत्पाद PAPER & PAPER PRODUCTS	46.52
16	रबर व रबर उत्पाद RUBBER & RUBBER PRODUCTS	27.46	16	रबर व रबर उत्पाद RUBEBR & RUBBER PRODUCTS	51.08
17	रसायन, डाई, पेंट आदि CHEMICALS, DYES, PAINTS ETC	849.45	17	रसायन, डाई, पेंट आदि CHEMICALS, DYES, PAINTS	239.10
17.1	जिनमें से उर्वरक OF WHICH FERTILIZERS	19.38	17.1	जिनमें से उर्वरक OF WHICH FERTILIZERS	0.12
17.2	जिनमें से पेट्रो रसायन OF WHICH PETRO CHEMICALS	19.61	17.2	जिनमें से पेट्रो रसायन OF WHICH PETRO CHEMICALS	31.08
17.3	औषध व भेषज DRUGS & PHARMACEUTICALS	254.72	17.3	औषध व भेषज DRUGS & PHARMACEUTICALS	40.93
18	सीमेंट CEMENT	206.71	18	सीमेंट CEMENT	11.89
19	चमड़ा व चर्म उत्पाद LEATHER & LEATHER PRODUCTS	30.98	19	चमड़ा व चर्म उत्पाद LEATHER & LEATHER PRODUCTS	1.78
20	रत्न और जेवरात GEMS AND JEWELLERY	151.90	20	रत्न और जेवरात GEMS & JEWELLERY	593.02
21	निर्माण CONSTRUCTION	1319.25	21	निर्माण CONSTRUCTION	301.63
22	पेट्रोलियम PETROLEUM	683.37	22	पेट्रोलियम PETROLEUM	0.66
23	ऑटोमोबाईल ट्रकसहित AUTOMOBILE INCLUDING TRUCKS	568.33	23	ऑटोमोबाईल ट्रकसहित AUTOMOBILES INCLUDING TRUCKS	85.49
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE	30.73	24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर COMPUTER SOFTWARE	52.72
25	मूलभूत संरचना INFRASTRUCTURE	9734.54	25	मूलभूत संरचना INFRASTRUCTURE	1724.32
25.1	जिसमें से पॉवर OF WHICH POWER	6265.81	25.1	जिसमें से पॉवर OF WHICH POWER	339.19
25.2	जिसमें से दूरसंचार OF WHICH TELECOMMUNICATIONS	991.91	25.2	जिसमें से दूरसंचार OF WHICH TELECOMMUNICATION	4.09
25.3	जिसमें से सड़क व बन्दरगाह OF WHICH ROADS AND PORTS	996.23	25.3	जिसमें से सड़क व बन्दरगाह OF WHICH ROADS AND PORTS	407.77
26	एनबीएफसी NBFCs	5858.49	26	एनबीएफसी NBFCs	14.14
27	व्यापार TRADING	2843.39	27	व्यापार TRADING	577.02
28	अन्य OTHERS	691.45	28	अन्य OTHERS	221.45
	कुल TOTAL	**31957.62**		**कुल TOTAL**	**7222.29**
29	अवशिष्ट अन्य अग्रिम RESIDUARY OTHER ADVANCES	17161.85	29	अवशिष्ट अन्य अग्रिम RESIDUARY OTHER ADVANCES	2051.21
	कुल जोड़ GRAND TOTAL	**49119.47**		**कुल जोड़ GRAND TOTAL**	**9273.50**

उद्योग विगोपन सकल निधि आधारित विगोपन के 5% से अधिक है Industry exposure is more than 5% of gross fund based exposure			उद्योग विगोपन सकल निधि आधारित विगोपन के 5% से अधिक है Industry exposure is more than 5% of gross non-fund based exposure		
कोड Code	उद्योग Industry	निधिक रकम Amount Funded	कोड Code	उद्योग Industry	गैरनिधिक रकम Amount NONFUNDED
6	विद्युत ELECRICITY	2620.12	5	सभी अभियांत्रिकी ALL ENGINEERING	2050.39
25	मूलभूत संरचना INFRASTRUCTURE	9734.54	20	रत्न और जेवरात GEMS & JEWELLERY	593.02
26	एनबीएफसी NBFCs	5858.49	27	व्यापार TRADING	577.02
27	व्यापार TRADING	2843.39	25	मूलभूत संरचना INFRASTRUCTURE	1724.32

च) आस्तियों का अवशिष्ट परिपक्वता विश्लेषण : (रु.करोड़ में)

परिपक्वता स्वरूप	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियां
1 दिन	1876.33	71.78	23.12
2 से 7 दिन	396.95	186.40	8.21
8 से 14 दिन	693.51	139.00	51.90
15 से 28 दिन	780.66	129.87	38.48
29 दिन से 3 महीने	4417.62	463.61	204.48
3 महीने से अधिक किन्तु 6 महीने तक	3347.03	397.83	248.18
6 महीने से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक	3097.17	217.42	0.24
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष तक	16378.42	1938.79	0.00
3 वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	5486.74	3000.13	0.00
5 वर्ष से अधिक	3840.26	14779.02	0.00
कुल	**40314.69**	**21323.85**	**574.61**

C) Residual Maturity break down of assets: (Rs. in Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
1 day	1876.33	71.78	23.12
2 to 7 days	396.95	186.40	8.21
8 to 14 days	693.51	139.00	51.90
15 to 28 days	780.66	129.87	38.48
29 days to 3 months	4417.62	463.61	204.48
Over 3 months & up to 6 months	3347.03	397.83	248.18
Over 6 months & up to 1 year	3097.17	217.42	0.24
Over 1 year & up to 3 years	16378.42	1938.79	0.00
Over 3 years & up to 5 years	5486.74	3000.13	0.00
Over 5 years	3840.26	14779.02	0.00
Total	**40314.69**	**21323.85**	**574.61**

(Rs. in crore)

मदें	31.3.2010
छ) सकल अनर्जक आस्तियों की रकम	1209.79
● अवमानक	599.51
● संदिग्ध 1	267.37
● संदिग्ध 2	88.58
● संदिग्ध 3	69.43
● हानि	184.90
ज) निवल अजर्नक आस्तियां	662.43
झ) अनर्जक आस्ति अनुपात	
● सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियों का(%)	2.96%
● निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियों का (%)	1.64%
ट) अनर्जक आस्तियों की गतिशीलता (सकल)	
प्रारंभिक शेष	798.41
वृद्धियां	875.72
कमी	464.34
अंतिम शेष	1209.79
त) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान की गतिशिलता	
प्रारंभिक शेष	504.31
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	250.62
राईट ऑफ	235.82
बट्टे खाते अधिक प्रावधान	-
अंतिम शेष	519.11
थ) अनर्जक निवेशों की रकम	18.64
द) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान हेतु रखी गई रकम	18.64
न) निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों की गतिशीलता	
प्रारंभिक शेष	93.77
अवधि के दौरान किये गये प्रावधान	-
बट्टे खाते मे डाले गये	-
अधिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	54.07
अंतिम शेष	39.70

(Rs. in crore)

Items	31.03.2010
(f) Amount of NPAs Gross	1209.79
● Substandard	599.51
● Doubtful 1	267.37
● Doubtful 2	88.58
● Doubtful 3	69.43
● Loss	184.90
(g) Net NPAs	662.43
(h) NPA Ratios	
● Gross NPAs to Gross advances (%)	2.96%
● Net NPAs to Net advances (%)	1.64.%
(i) Movement of NPAs (Gross)	
Opening balance	798.41
Additions	875.72
Reductions	464.34
Closing balance	1209.79
(j) Movement of provisions for NPAs	
Opening balance	504.31
Provisions made during the period	250.62
Write-off	235.82
Write back of excess provisions	-
Closing balance	519.11
(k) Amount of Non-Performing Investments	18.64
(l) Amount of provisions held for non performing Investments	18.64
(m) Movement of provisions for depreciation on investments	
Opening balance	93.77
Provisions made during the period	-
Write-off	-
Write-back of excess provisions	54.07
Closing balance	39.70

सारिणी-डीएफ-5 - ऋण जोखिम संविभागों हेतु प्रकटन मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर

गुणात्मक प्रकटन :

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अन्तर्गत संविभागों के लिए

उपयोग में लाई गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का नाम:-

बैंक ने निम्नलिखित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों का अनुमोदन किया है :

1 भारतीय क्रेडिट रेटिंग सूचना सेवा लिमिटेड (क्रिसल)

2. क्रेडिट एनालायसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड

3. एफआईटीसीएच इंडिया

4. आईसीआरए लिमिटेड

- विगोपन के प्रकार जिनके लिए हर क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का उपयोग किया गया है: सभी प्रकार के विगोपनों के लिए उपर्युक्त सभी एजेन्सियों का अनुमोदन किया गया है.
- सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को बैंकिंग बहियों में तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण.

1. बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्त्ताओं से मांगी गई और उनके द्वारा स्वीकृत उक्त किन्ही भी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग करेगा. बैंक द्वारा पूंजी के परिकलन हेतु केवल पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई बाहरी रेटिंग, नई या पुनरीक्षित को ही ध्यान में लिया जाएगा.

2. जहां भी उपलब्ध हो, बैंक ऋण सुविधा या बैंक ऋण की रेटिंग का उपयोग उधारकर्त्ताओं के ऋण जोखिमों को मापने के लिए करता है. जहां भी जारीकर्त्ता रेटिंग उपलब्ध है, जब तक कि ऋण को विशिष्ट रुप से रेट न किया गया हो बैंक ऐसी रेटिंग का उपयोग करता है.

3. बैंक एक ही उधारकर्त्ता के एक निवेश हेतु एक क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी और दूसरे निवेश हेतु अन्य रेटिंग एजेन्सी का उपयोग साथ-साथ नहीं करता जब तक कि सम्बंधित निवेशों की रेटिंग चुनी गई क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों में से ही किसी एक द्वारा न की गई हो. इसके अलावा,एक ही निगमित समूह के अन्तर्गत किसी विशीष्ट प्रतिष्ठान को आबंटित रेटिंग का उपयोग बैंक उस समूह के अन्य प्रतिष्ठान की क्रेडिट रेटिंग के लिए नहीं करता.

   नकदी ऋण जैसी चल सीमाओं को दीर्घकालीन निवेश माना जाता है और तदनुसार ऐसे विगोपनों हेतु जोखिम भार के निर्धारण के लिए दीर्घकालीन रेटिंग का उपयोग किया जाता है.

4. क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग को कार्यान्वित/लागू करते समय बैंक विनियामक दिशानिर्देशों /बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करता है.

मात्रात्मक प्रकटन :

मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर जोखिम प्रशमन के उपरान्त विगोपनों के लिए निम्नलिखित 3 प्रमुख जोखिम श्रेणियों में तथा उनके लिए जिनकी कटौती की गई है, बैंक की बकाया राशि (योग्यताक्रम प्राप्त और योग्यताक्रम अप्राप्त)

(रु.करोड़ में)

वर्गीकरण	31.3.2010		
	विगोपन	योग्यताक्रम प्राप्त	योग्यताक्रम अप्राप्त
100% जोखिम भार से कम	76380.25	12829.63	63550.62
100% जोखिम भार	11517.13	2648.33	8868.80
100% भार से अधिक	3943.82	880.86	3062.96
काटा गया (जोखिम प्रशमक)	2344.03	104.82	2239.21
कुल	94185.23	16463.64	77721.59

सारिणी-डीएफ-6-- ऋण जोखिम प्रशमन: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

ऑफ एंड ऑन बॅलन्स शीट नेटिंग का उपयोग किस सीमा तक बैंक करता है इसका संकेत देने हेतु नीतियां और प्रक्रियाएँ :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने ऋण जोखिम प्रशमन तकनीकों और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के बारे में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाई है. जोखिम प्रशमन के लिए बैंक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली सहायक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (बैंक जमा, सरकारी / डाक प्रतिभूति और जीवन बीमा पॉलिसियां इत्यादि जिनमें बैंक के पास कानूनी रूप से नेटिंग का अधिकार होता है और जिनमें विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल होता है.)

Table DF - 5 - CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures:

a) For portfolios under the Standardised Approach:

Name of the credit rating agencies used:

The Bank has approved the following external credit rating agencies, approved by RBI, for risk weighting claims on entities:

1. Credit Rating Information Services of India Limited (CRISIL),
2. Credit Analysis and Research limited (CARE),
3. FITCH India and
4. ICRA Limited.

- Types of exposure for which each credit rating agency is used: All the above agencies are approved for rating of all types of exposure.
- A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book:

1. The Bank shall use the ratings assigned by any of these credit rating agencies as solicited and accepted by the borrowers in line with RBI guidelines. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months only are reckoned for capital computation by the Bank.

2. Wherever available, the Bank uses facility rating or bank loan rating for risk weighting the borrower's exposures. Where issuer rating is available the Bank uses such ratings unless the bank loan is specifically rated.

3. The Bank does not simultaneously use the rating of one credit rating agency for one exposure and that of another credit rating agency for another exposure of the same borrower, unless the respective exposures are rated by only one of the chosen credit rating agencies. Further, the Bank does not use rating assigned to a particular entity within a corporate group to risk weight other entities within the same group.

   Running limits such as cash credit are treated as long term exposures and accordingly, long term ratings are used for assigning risk weights for such exposures.

4. While mapping / applying the ratings assigned by the credit rating agencies, the Bank is guided by Regulatory guidelines / Bank's Board approved Policy.

Quantitative Disclosures:

For exposure amounts after risk mitigation subject to the Standardised Approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.

(Rs. in Crore)

Classification	31.03.2010		
	Exposure	Rated	Unrated
Below 100% risk weight	76380.25	12829.63	63550.62
100% risk weight	11517.13	2648.33	8868.80
More than 100% risk weight	3943.82	880.86	3062.96
Deducted (Risk Mitigants)	2344.03	104.82	2239.21
Total	94185.23	16463.64	77721.59

TABLE DF - 6 - CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative Disclosures:

Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting

In line with RBI guidelines, the Bank has put in place a Board approved Policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management. The collaterals used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e. bank deposits, Govt. / Postal securities, Life policies etc. where Bank has legally enforceable netting arrangements, involv-

शामिल है. मार्जिन लागू करने और उचित मूल्यांकन के परिकलन हेतु सॉफ्वेयर उपयोग में लाया जाता है.

सहायक प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियां और प्रक्रियाएँ :

सहायक प्रतिभूतियां और गारंटियों का निर्धारण और प्रबंधन बुद्धिमानी से किया जाता है और इसका उपयोग निम्नलिखित के लिए होता है :

- अनुमानित नकदी प्रवाह में कमी आने के कारण उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक करने की दशा में सहायक संसाधन उपलब्ध कर जोखिम कम करना.
- चूक की दशा में पुनर्भुगतान के साधन पर नियंत्रण हासिल करना.
- जोखिम भारित आस्तियों को आदर्शतम करना और बची हुई जोखिमों को पर्याप्त रूप से संरक्षित करना.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक और सहायक प्रतिभूति प्रबंधन नीति है. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित उधारी नीति को भी लागू किया है. इन नीतियों में बैंक द्वारा ऋण देने हेतु आमतौर पर स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार तथा उनसे सम्बंधित जोखिमों को न्यूनतम करने हेतु बैंक के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन/अनुप्रवर्तन का निर्धारण किया गया है. बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों को रक्षित करने हेतु प्राप्त अचल और चालू दोनों आस्तियों का मूल्यांकन बैंक के पैनल पर विद्यमान बाहरी मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा कराया जाता है.

- **बैंक द्वारा ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मुख्य प्रकारों की व्याख्या**

  जोखिम प्रशमक के रुप में बैंक द्वारा सामान्यत: उपयोग में ली जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियों में वित्तीय सहायक प्रतिभूतियां (जैसे-बैंक जमाराशियां, सरकारी प्रतिभूतियां, जीवन बीमा पालिसी आदि) तथा अन्य चल व अचल आस्तियां शामिल हैं.

- **गारंटीदाता प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार व उनकी साख**

  जहां भी आवश्यक हो, ऋण जोखिम के प्रशमन हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति संवर्धन के रुप में बैंक वैयक्तिक या संस्थागत गारंटी प्राप्त करता है जिसे गारंटीदाता पर प्रत्यक्ष दावे के रुप में परिवर्तित किया जा सके और जो बिना शर्त और अपरिवर्तनीय हो. सामान्यत: गारंटीदाता की साख को उधारकर्त्ता की वित्तीय स्थिति द्वारा संबद्ध या प्रभावित नहीं किया जाता. प्रतिभूति संवर्धन के रुप में बैंक राज्य /केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी भी स्वीकार करता है.

- **प्रशमन के अन्तर्गत जोखिम संकेन्द्रीकरण (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी**

  ऋण जोखिम प्रशमन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियां सहज रुप से वसूली जा सकने वाली वित्तीय प्रतिभूतियां हैं. अत: फिलहाल ऋण जोखिम प्रशमकों में संकेन्द्रीकरण जोखिम से निपटने हेतु कोई सीमा /अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है.

मात्रात्मक प्रकटन:

ख) अलग -अलग प्रकट ऋण जोखिम प्रत्येक संविभाग के लिए मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)

(रु.करोड़ में)

मार्जिन के उपयोग के बाद पात्र वित्तीय सहायक प्रतिभूतियों से रक्षित कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद)	2344.03

ग) अलग -अलग प्रकट प्रत्येक संविभाग कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स/(जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन

(रु.करोड़ में)

कुल विगोपन (जहां लागू है वहां ऑफ या आन बेलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो गारंटियों/ऋण डेरिवेटिव्स/(जहां विशेष रूप से भा.रि.बैं. ने अनुमति दी है) से रक्षित कुल विगोपन	शून्य

ing specific lien. A software is in place for calculation of correct valuation and application of haircut.

Policies & processes for collateral valuation and management:

Collaterals and guarantees prudently stipulated and managed would serve to:

- Mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow
- Gain control on the source of repayment in the event of default;
- Optimize risk weighted assets and to address residual risks adequately.

In line with RBI guidelines, the Bank has put in place a Board approved Policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management. The Bank also has put in place Lending Policy duly approved by the Board. These policies lay down the types of securities normally accepted by the Bank for lending and administration / monitoring of such securities in order to safeguard / protect the interest of the Bank so as to minimize the risk associated with it. Both the fixed and the current assets obtained to secure the loans granted by the Bank as per policy prescription are subjected to valuation by outside valuers empanelled by the Bank.

- **Description of the main types of collateral taken by the Bank**

  The main types of collaterals commonly used by the Bank as risk mitigants comprise of financial collaterals (i.e. Bank Deposits, Government Securities, Life Insurance Policies etc.) and other movable and immovable assets.

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness**

  Wherever required the Bank obtains personal or corporate guarantee as an additional comfort for mitigation of credit risk which can be translated into a direct claim on the guarantor which is unconditional and irrevocable. The creditworthiness of the guarantor is normally not linked to or affected by the borrower's financial position. The Bank also accepts guarantee given by State / Central Government as a security comfort.

- **Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken**

  All types of securities eligible for credit risk mitigation are easily realizable financial securities. As such, no limit / ceiling have been prescribed for the present to address the concentration risk in credit risk mitigants.

Quantitative Disclosures:

b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Rs. in crores)

The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	2344.03

c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/ credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Rs. in crores)

Total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	NIL

सारिणी-डीएफ-7-- प्रतिभूतिकरण:
मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन :

बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी निवेश का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

मात्रात्मक प्रकटन : शून्य

सारिणी-डीएफ-8-- व्यापार की बहियों में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

क) बाजार जोखिम :

बाजार जोखिम को बैंक को बाजार के व्युत्पन्नों जैसे ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, इक्विटी मूल्यों और वस्तु मूल्यों में परिवर्तन/उतार-चढाव के कारण होने वाली हानि की संभावना के रुप में परिभाषित किया जाता हैं. बाजार जोखिम में बैंक का ऋण जोखिम घरेलू निवेशों (ब्याज से सम्बंधित लिखत और इक्विटी) से पैदा होता है. बाजार जोखिम प्रबंधन का उेश्य बाजार जोखिम के कारण आय तथा इक्विटी पूंजी से सम्बंधित हानियों के प्रभाव को न्यूनतम बनाना है.

बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश प्रबंधन नीति और निवेश जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन नीति विद्यमान है. उक्त नीतियों में बाजार जोखिम प्रबंधन के कार्यो हेतु सुपरिभाषित संगठनात्मक ढांचे एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया है जिनके द्वारा बैंक को होने वाले बाजार जोखिमों का अभिनिर्धारण, परिमापन, अनुप्रवर्तन किया जाता है जो बैंक की जोखिम सहन करने की क्षमता के अनुरुप नीतिगत संरचना के भीतर आता हो. नीतियों में बाजार जोखिम के प्रभावी अनुप्रवर्तन हेतु रिर्पोटिंग संरचना का भी समावेश है. नीतियों में बाजार जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु विभिन्न जोखिम सीमाओं जैसे ओवरनाईट लिमिट, इन्ट्राडे लिमिट, एग्रीगेट गैप लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, वीएआर लिमिट आदि का भी निर्धारण किया गया है. प्रतिपक्ष बैंकों के लिए भी ऋण जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिनका अनुप्रवर्तन दैनिक आधार पर किया जाता है.

आस्ति देयता प्रबंधन नीति विशेष रुप से तरलता जोखिम प्रबंधन व ब्याज दर जोखिम प्रबंधन संरचना से सम्बंधित है. जैसाकि नीति में परिकल्पित है, तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार आस्ति व देयताओं की अवशिष्ट परिपक्वता/प्रवृत्ति के आधार पर गैप एनालिसस के जरिये किया जाता है. बैंक ने तरलता प्रबंधन हेतु अल्पकालिक गतिशील तरलता प्रबंधन तंत्र तथा आक्समिक योजना तैयार की है. प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु अलग अलग अवशिष्ट परिपक्वता अवधि श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाएं निर्धारित की गई हैं. तरलता प्रबंधन हेतु बैंक की आक्समिक योजना में तरलता स्थिति पर पड़ने वाले सभी प्रकार के दबाबों से निपटने हेतु किये जाने वाले विभिन्न आक्स्मिक उपाय शामिल हैं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है और वह तरलता जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम के सम्बंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवधिक रुप से तनाव परीक्षण आयोजित करता है.

ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन अस्थिर भाव वाली आस्तियों व देयताओं के गैप एनालिसेस के जरिये किया जाता है जिसका अनुप्रवर्तन निर्धारित किये गये विवेकपूर्ण (सह्य-सीमा) सीमाओं के माध्यम से किया जाता है. बैंक ने ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु ड्यूरेशन गैप एनालिसस फ्रेमवर्क भी तैयार किया है. बैंक निवल ब्याज आय तथा इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के निर्धारण हेतु जोखिम भरे अर्जनों और ब्याज दर की प्रतिकूल गतिशीलता के विरुद्ध संशोधित ड्यूरेशन गैप का प्राक्कलन करता है ताकि शेयरधारक के मूल्य को ईष्टतम बनाया जा सके.

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन का अनुप्रवर्तन करता है. डीलिंग रुम के कार्य केन्द्रीकृत हैं और डीलिंग रुम के कार्यो पर निगरानी रखने हेतु एक प्रणाली मौजूद है. खजाना एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग विभाग सतत आधार पर विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन पर निगरानी रखता है.

देश जोखिम के अनुप्रवर्तन हेतु देशवार आधार पर सकल ऋण जोखिम का आकलन किया जाता है. विभिन्न देशों के जोखिम वर्गीकरण हेतु बैंक द्वारा ईसीजीसी जोखिम वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है. अत्यधिक जोखिम वाले देशों के ऋण जोखिम का निर्धारण यथोचित जोखिम प्रशमन से किया जाता है.

TABLE DF - 7 - SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDIZED APPROACHES

Qualitative Disclosures:

The Bank has not securitised any exposure during the year 2009-10

Quantitative Disclosures: NIL

TABLE DF - 8 MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures:

a) Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank caused by changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk

The Bank has put in place Board approved Investment Management Policy & Investment Risk Management Policy, Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) Policy for effective management of market risk in the Bank. The above policies lay down well-defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the policy framework consistent with the Bank's risk tolerance. The policies deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk. The policies also set various risk limits for effective management of market risk such as Overnight Limit, Intra-day limit, Aggregate Gap limit, Stop Loss limit, VaR limit etc. Exposure limits are set for the counterparty banks and the exposures are monitored on daily basis.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through the Gap Analysis based on the residual maturity / behavioural pattern of assets and liabilities as prescribed by the RBI. The Bank has put in place mechanism of short term dynamic liquidity management and contingency plan for liquidity management. Prudential (Tolerance) limits are set for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. The Bank's contingency plan for liquidity management comprises various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. The Bank has put in place Board approved Stress Testing Policy and conducts periodic stress tests on liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk as per RBI guidelines.

Interest rate risk is managed through use of Gap Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (Tolerance) limits prescribed. The Bank also has put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) with a view to optimizing shareholder value.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of the market conditions. Dealing room activities are centralized and system is in place to monitor the dealing room activities. The Mid- Office at the Treasury & International Banking Department (TIBD) also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

The aggregate exposure on country-wise basis is taken for monitoring the country risk. For risk categorization of various countries, the ECGC risk classification is used by the Bank. Exposure on High Risk countries are taken with proper risk mitigation.

मात्रात्मक प्रकटन:

ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकताएं

(रु.करोड़ में)

बाजार जोखिम के प्रकार	पूंजी आवश्यकता 31.3.2010
ब्याज दर जोखिम	122.92
इक्विटी स्थिति जोखिम	38.87
विदेशी मुद्रा विनिमय	7.20

सारिणी-डीएफ-9--परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन:

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम अपर्याप्त या विफल हो चुकी आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरुप होने वाली हानियों का जोखिम होता है. परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किन्तु रणनीतिक व प्रतिष्ठात्मक जोखिम शामिल नहीं होता है.

नीतियां और प्रक्रियाएं

बैंक का परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया सुदृढ़ संगठनात्मक संस्कृति और ठोस परिचालन गत प्रक्रियों जिसमें कार्पोरेट मूल्य, आंतरिक नियंत्रण प्रथाएं, प्रभावी आंतरिक रिपोर्ट शामिल है से संचालित होता है. बैंक की परिचालन गत जोखिम के प्रबंधन हेतु बैंक में नीतियां लागू है.

परिचालन गत जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियां

निदेशक मंडल के विधिवत् अनुमोदन के बाद बैंक में जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है. जोखिम प्रबंधन से संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य नीतियां है. क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति,ख) व्यवसाय निरंतरता आयोजन नीति, ग) अनुपालन नीति और घ) बाह्यस्त्रोत-उपयोग नीति. बैंक ने "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) तथा "धन शोधन निवारण" (एएमएल) की कार्यविधियों के सम्बंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं. बैंक विधिक प्रलेखों की पर्याप्तता तथा प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने हेतु विधिक प्रलेखों की सतत रुप से पुनरीक्षा करता है. जोखिम अंतरण के उपाय के रुप में बैंक ने अपने स्वामित्व में आने वाली सभी आस्तियों के लिए बीमा सुरक्षा प्राप्त की है. यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि जोखिम प्रशमन उपाय के रुप में बैंक द्वारा वित्तपोषित सभी आस्तियाँ भी पर्याप्त रुप से बीमांकित हैं. परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक ढांचे तथा परिचालन जोखिम प्रबंधन की दैनंदिन विस्तृत प्रक्रियाओं की रुपरेखा दी गई है नीति का मूल उद्देश्य है कि बैंक की दैनिक जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं से समन्वित जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को जोड़ना. जिसमें परिचालन जोखिमों के प्रभावी अभिनिर्धारण, निगरानी, नियंत्रण और उन्हें कम करने हेतु तथा समय पर भौतिक परिचालनगत हानियो सहित परिचालनगत जोखिम विगोपनो को रिपोर्ट करने स्पष्ट रुप से भूमिकायें तय की गई हैं. बैंक में परिचालन जोखिम का प्रबंधन एक व्यापक एवं सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण संरचना के जरिये किया जाता हैं.

परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार परिकलन के लिए अपनाया गया दृष्टिकोण:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी प्रभार का परिकलन करने के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है.

सारिणी-डीएफ-10 - बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटन:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम:

ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से बैंक की बहियो पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव का संदर्भ बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम है.

आस्ति देयता प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य बैंक की समग्र जोखिम वहन करने की क्षमता के अन्तर्गत निवल ब्याज आय को अधिकतम बनाना है. बैंक अपनी बैंकिंग बहियों में अपने तुलन पत्र में शामिल तथा तुलन पत्रेतर विगोपनों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों से सम्बंधित जोखिमों का अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य (अर्जन परिप्रेक्ष्य) एवं दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) में अभिनिर्धारण करता है. आय पर पड़ने वाले प्रभाव (अर्जन परिप्रेक्ष्य) का मापन गॅप एनालिसेस के जरिये 100 आधार अंकों तक कल्पित दर शॉक-अप लागू करते हुए किया जाता है. ऐसे प्रभाव हेतु बैंक की निवल ब्याज आय के प्रतिशत के रुप में विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण किया गया है. बैंक ने 200 आधार अंक का कल्पित ब्याज दर शॉक लागू करते हुए इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) प्रभाव के निर्धारण हेतु (प्रतिशत के रुप में) परंपरागत गॅप एनालिसस तथा ड्यूरेशन गॅप एनालिसस को अपनाया है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2006 को जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक संशोधित ड्यूरेशन गॅप और इक्विटी के आर्थिक मूल्य

Quantitative Disclosure:

(b) The capital requirements for

(Rs. in crore)

Type of Market Risk	Capital Requirement 31.03.2010
Interest rate Risk	122.92
Equity Position Risk	38.87
Foreign Exchange Risk	7.20

TABLE DF- 9 - OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures:

Operational risk:

Operational Risk is risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes Legal risk but excludes Strategic and Reputational Risk.

Strategies and processes:

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, internal control culture, effective internal reporting. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

Policies on Management of Operational Risk:

The Bank has framed Risk Management Policy duly approved by the Board. The other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information System Security Policy, (b) Business Continuity Planning Policy, (c) Compliance Policy and (d) Outsourcing Policy. The Bank has issued guidelines on 'Know Your Customer' (KYC) and 'Anti-Money Laundering' (AML) procedures. The Bank has been constantly reviewing the legal documents to ensure that the legal documents are comprehensive and enforceable. As a measure of risk transfer, the Bank has obtained insurance cover for all the assets owned by the Bank. It is also ensured that the assets financed by the Bank are also adequately insured as a risk mitigation measure. The operational risk management policy outlines the organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

Approach adopted for capital charge computation for operational risk:

In line with the final guidelines issued by RBI, our Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for calculating capital charge for operational risk.

TABLE DF - 10 - INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the potential adverse financial impact on the Bank's Banking Book from changes in interest rates.

The primary objective of Asset Liability Management is maximizing the Net Interest Income within the overall risk bearing capacity of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the Banking Book from a short term (Earning Perspective) and long term (Economic Value Perspective). The impact on income (Earning Perspective) is measured through use of Gap Analysis by applying notional rate shock up to 100 basis point (bps). Prudential limit has been prescribed for such impact as a percentage to Net Interest Income (NII) of the Bank and the same is monitored on fortnightly basis. The Bank has adopted Traditional Gap Analysis and Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the economic value of equity (Economic Value Perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. As per the Draft guidelines issued by the RBI on April 17, 2006, Bank calculates Modified Duration Gap (DGAP) and the impact on

पर प्रभाव का परिकलन करता है. ब्याज दर जोखिम के परिमाप का निर्धारण पाक्षिक आधार पर अर्जन परिप्रेक्ष्य पद्धति तथा तिमाही आधार पर आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य पद्धति द्वारा किया जाता है.

जोखिम के प्रशमन हेतु अपनाई गई रणनीति के तहत अलग अलग अवधियों में होने वाले विभिन्न ब्याज दर परिवर्तनों का पहले से ही अनुमान लगाते हुए विभिन्न प्रकार के तनाव परीक्षणों का आयोजन किया जाता है. इसमें संपूर्ण आस्तियों व देयताओं पर ब्याज दरों में समानान्तर परिवर्तन के जरिये जोखिम भरे अर्जनों का मूल्यांकन किया जाता है. आस्ति देयता प्रबंधन रिपोर्टें यथा- संरचनात्मक तरलता व ब्याज दर अस्थिरता विवरण, अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरण, जोखिम भरे अर्जनों पर रिपोर्ट पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है तथा एएलसीओ को प्रस्तुत की जाती है. इन आस्ति देयता प्रबंधन की रिपोर्टों से बैंक की तरलता की स्थिति और ब्याज दर जोखिम का पता चलता है. बोर्ड के अनुमोदन से एक सहनीय स्तर का निर्धारण किया जाता है जिसके अन्तर्गत ही परिचालन करने का प्रयास बैंक द्वारा किया जाता है. इस सीमा में हुए किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट एएलसीओ को की जाती है जो उसके बाद उठाये जाने वाले सुधारात्मक उपाय के सम्बंध में निर्देश देता है. इस प्रकार आस्तियों व देयताओं में बेमेल स्थितियों को कम करने हेतु रणनीतियां बनाते हुए तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम पर नियंत्रण रखने के लिए एएलसीओ द्वारा प्रतिरक्षात्मक/प्रशमन के उपाय किये जाते हैं. एएलसीओ की बैठकों के कार्यवृत्त चर्चा के विवरण सहित बोर्ड को प्रस्तुत किये जाते हैं.

मात्रात्मक प्रकटन:

ख) कल्पित ब्याज दर शॉक हेतु अर्जनों एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव

जोखिम पर आय (रु.करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	31.03.2010 - 1 वर्ष का पुनर्मूल्यन
0.25%	35.67
0.50%	71.33
0.75%	107.00
1.00%	142.67

इक्विटी का आर्थिक मूल्य

200 आधार अंक शॉक हेतु इक्विटी मूल्य में कमी	18.34

the economic value of equity. The measurement of interest rate risk is assessed by Earnings Perspective method on fortnightly basis and Economic Value Perspective method on quarterly basis.

The strategy adopted for mitigating the risk is by conducting various stress tests beforehand by assuming various interest rate changes in different time buckets with different combinations. It evaluates the Earnings at Risk by means of parallel shift in the interest rates across assets and liabilities. The Asset Liability Management (ALM) reports namely, Structural Liquidity and Interest Rate Sensitivity statement, Short Term Dynamic Liquidity statement, report on Earnings at Risk are placed to the ALCO. These ALM reports reveal the liquidity position and the interest rate risk of the Bank. With the approval of the Board, tolerance level is stipulated within which the Bank endeavours to operate. Any breach in the limit is reported to the ALCO, which in turn directs remedial measures to be initiated. Thus, the hedging and / or mitigating measures are initiated by the ALCO to contain the Liquidity Risk and the Interest Rate Risk by evolving strategies to reduce the mismatches in assets and liabilities. The minutes of ALCO meetings with details of discussions are placed before the Board.

Quantitative Disclosure:

The impact on earnings and economic value of equity for notional interest rate shock.

Earnings at Risk (Rs. in crore)

Change in Interest rate	Repricing at 1 year 31.03.2010
0.25%	35.67
0.50%	71.33
0.75%	107.00
1.00%	142.67

Economic Value of Equity

For a 200 bps rate shock the drop in equity value	18.34%

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(रु. हजार में) (Rs. in thousands)

	ब्यौरें / Particulars		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2010		31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2009	
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
A.	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**					
	आय INCOME					
	अर्जित ब्याज INTEREST EARNED			4735,56,34		4291,55,73
	अन्य आय OTHER INCOME			591,24,39		500,02,06
				5326,80,73		**4791,57,79**
	घटाएं : व्यय व प्रावधान					
	LESS: EXPENDITURE & PROVISIONS					
	प्रदत्त ब्याज INTEREST PAID			3439,30,87		3035,03,48
	परिचालनगत व्यय OPERATING EXPENSES			1072,94,70		963,01,84
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS & CONTIGENCIES			374,97,48		418,35,64
				4887,23,05		**4416,40,96**
	कुल व्यय के ऊपर कुल आय अधिक होने का कारण नकदी में निवल वृद्धि					
	NET INCREASE IN CASH DUE TO INCREASE OF INCOME OVER EXPENSES			**439,57,68**		**375,16,83**
	जोड़े : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें					
	ADD : NON CASH ITEMS & ITEMS CONSIDERED					
	SEPARATELY प्रावधान एवं आकस्मिकताएं					
	PROVISIONS & CONTINGENCIES		374,97,48		418,35,64	
	अचल संपत्तियों हेतु मुल्य-ह्रास					
	DEPRECIATION FOR FIXED ASSETS		75,08,90		75,76,36	
	टीयर II बॉंडस् पर ब्याज INTEREST ON TIER II BONDS		207,08,46	657,14,84	190,65,65	684,77,65
				1096,72,52		1059,94,48
	घटाएं : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (शुद्ध)					
	LESS: DIRECT TAXES PAID (NET)			-302,48,18		-220,92,88
	परिचालन से अर्जित नकद लाभ					
	CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS	**(I)**		**794,24,34**		**839,01,60**
	परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि					
	NET INCREASE OF OPERATING LIABILITIES:					
	जमाराशि DEPOSITS		11049,14,98		10496,58,73	
	उधारी (टीयर II बॉंड को छोड़कर) BORROWINGS (EXCL TIER I/II BONDS)		-60,55,99		-9,23,51	
	अन्य देयताएं व प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISION		-14,71,00		-414,43,03	
		जोड़ Total	**10973,87,99**		**10072,92,19**	
	घटाएं : परिचालन आस्तियों में शुद्ध वृद्धि					
	LESS: NET INCREASE OF OPERATING ASSETS					
	निवेश INVESTMENTS		2941,70,76		6099,19,12	
	अग्रिम ADVANCES		6023,92,40		5004,95,99	
	अन्य आस्तियां OTHER ASSETS		465,86,12		-538,49,25	
		जोड़ Total	**9431,49,28**		**10565,65,86**	
	परिचालनगत अस्तियां पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि					
	NET INCREASE OF OPERATING LIAB OVER OPERATING ASSETS	**(II)**		**1542,38,71**		**-492,73,67**
	परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)= (A)			**2336,63,05**		**346,27,93**
	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B.	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**					
	अचल संपत्तियों का क्रय/विक्रय PURCHASE / SALE OF FIXED ASSETS		-64,77,16		-75,48,62	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ख)				
	NET CASH FLOW FORM INVESTING ACTIVITIES	(B)		**-64,77,16**		**-75,48,62**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
C.	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**					
	टीयर II /अपर टीयर II बॉंडस् से अगम (मोचन सहित)					
	i) Proceeds from Tier II & Upper Tier II Bonds and Perpetual Bond (incl .redemption) लाभांश + कर		600,00,00		-100,00,00	
	ii) Dividend plus tax टीयर II बॉंडस् पर ब्याज		-75,55,30		-100,73,74	
	iii) Interest on Tier II Bonds		-207,08,46		-190,65,65	
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)					
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES = (C)			**317,36,24**		**-391,39,39**
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह					
	TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)			**2589,22,13**		**-120,60,08**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(रु. हजार में) (Rs. in thousands)

ब्यौरे Particulars	**31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2010**	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2009
REPRESENTED BY -		
वर्ष के आरंभ में शेष Balances at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	3881,41,92	3893,88,35
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Balances with Banks, Money at Call & Short notice	223,91,65	332,05,30
	4105,33,57	**4225,93,65**
वर्ष के अन्त में शेष Balances at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	5315,39,31	3881,41,92
Balance with banks, Money at call & Short notice	1379,16,39	223,91,65
	6694,55,70	**4105,33,57**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	**2589,22,13**	**-120,60,08**

अलेन सी.ए.पिरेरा
ALLEN C.A. PEREIRA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एम.जी.संघवी
M. G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए.एस.बनर्जी
A. S. BANERJEE
महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
General Manager, F.M.& A.

समदिनांकित हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार. AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते वाही एंड गुप्ता
For Wahi & Gupta
एफ आरएन 2263
FRN 2263N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(के.पी.वाही)
(K. P. WAHI)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No.: 16164

कृते वी. सी. गौतम एंड कं.
For V.C. Gautam & Co.
एफआरएन 365एन
FRN 365 N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(विष्णु गौतम)
(VISHNU GAUTAM)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 16257

कृते बी. छावछरिया एंड कं.
For B. Chhawchharia & Co.
एफआरएन एन305123ई
FRN 305123E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(एस.के.छावछरिया)
(S.K. CHHAWCHHARIA)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 8482

कृते रे एंड कं.
For Ray & Co.
एन एफआरएन 313124ई
FRN 313124E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सुब्रता रॉय)
(SUBRATA ROY)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 051205

कृते जोध जोशी एंड कं.
For Jodh Joshi and Co.
एफआरएन104317डबल्यू
FRN 104317W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

यश के. वर्मा
(YASH K VERMA)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 105954

कृते जेसीआर एंड कं
For JCR & Co.
एफआरएन105270डबल्यू
FRN 105270W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(के एस राघवन
(K. S. RAGHAVAN)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 16792

स्थान : पुणे
दिनांक : अप्रैल 30, 2010

Place : Pune
Date : April 30, 2010

वाही एंड गुप्ता
सनदी लेखाकार
होटल रेक्स बिल्डिंग, (ओबीसी बिल्डिंग)
5 - नेताजी सुभाष मार्ग,
दरियागंज,
नई दिल्ली - 110002

वी. सी. गौतम एंड कं.
सनदी लेखाकार
बी -3, कैलाश कॉलोनी,
न्यू दिल्ली - 110048

बी. छावछरिया एंड कं.
सनदी लेखाकार
8ए और 8बी, सत्यम टॉवर,
3, अलिपुर रोड,
कोलकाता - 700027

रे एंड कं.
सनदी लेखाकार
कमरा नं. 8सी, 8वा माला,
21ए शेक्सपियर सरानी
कोलकाता - 700017

जोध जोशी एंड कं.
सनदी लेखाकार
जे. पी. हाऊस, 1ला माला
रविनगर स्क्वेयर,
अमरावती रोड
नागपुर - 440010

जेसीआर एंड कं
सनदी लेखाकार
लेवल -1, रावल हाऊस,
18वा माला, खार (प.)
मुंबई - 400052

Wahi & Gupta
Chartered Accountants
Hotel Rex Bldg. (OBC Building)
5 - Netaji Subhash Marg,
Daryaganj,
New Delhi -110002

V.C. Gautam & Co.
Chartered Accountants
B - 3, Kailash Colony,
New Delhi - 110048

B. Chhawchharia & Co.
Chartered Accountants
8A & 8B, Satyam Tower,
3, Alipore Road,
Kokata - 700027

Ray & Co.
Chartered Accountants
Room No. 8C, 8th Floor,
21A Shakespeare Sarani
Kolkata - 700017

Jodh Joshi and Co.
Chartered Accountants
J. P. House, 1st Floor,
Ravinagar Square'
Amravati Road,
Nagpur - 440010

JCR & Co.
Chartered Accountants
Level - 1, Raval House,
18th Floor, Khar (W)
Mumbai - 400052

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दिनांक 31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र तथा उसी दिनांक समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण की हमने लेखा परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित20 शाखाओं की विवरणियों व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1224 शाखाओं की विवरणियों का समावेश है:

   जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र व लाभ हानि लेखे में 14.32 % शाखाओं की विवरणियां भी शामिल हैं, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, किंतु जिन्हें बैंक प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 1.53% जमाराशियों में3.03%, ब्याज आय में 2.89% और ब्याज खर्च में 0.60% हिस्सा है. ये वित्तीय विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारी जिम्मेदारी अपने द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर ईन वित्तीय विवरणो पर अपनी राय व्यक्त करने की है.

2. हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम यह लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित व निष्पादित करें ताकि यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि अभिनिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हर महत्वपूर्ण पहलू के अनुरूप बनाये गये वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं हुई है. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में प्रकट तथ्यों व खातों के समर्थन में प्रदत्त साक्ष्यों की प्रायोगिक आधार पर जाँच करना शामिल है. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाये गये लेखांकन के सिद्धांत और तैयार किये गये महत्वपूर्ण अमुमानों का निर्धारण भी शामिल होता है .हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को समुचित आधार प्रदान करती है.

3. तुलन पत्र और लाभ हानि लेखे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमश: प्रारूप क व ख में तैयार किये गये हैं

4. अपनी राय को विशेषित किये बगैर निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है-

   पात्र खातों को ऋण राहत योजना के अंतर्गत मानने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दि. 30 जुलाई, 2008 के परिपत्र डीबीओडी क्र.बीपी.बीसी.26/ 21.04.048/ 2008-09 के अनुसार अवधि के दौरान विकल्प का प्रयोग करने पर दि. 31.03.2010 को बकाया शेष के रूप में रु. 124.87 करोड के अग्रिम, जो अन्यथा अनर्जक आस्त हो गये होते जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आयआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्तमान मूल्य के रूप में हानि हेतु रु. 10.66 करोड का प्रावधान करते हुए अर्जक आास्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस दिनांक को बैंक का निवल लाभ (करों को छोडकर) तथा आरक्षितियां रु. 12.56 करोड से घट जाती ;

AUDITORS' REPORT

To

The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of BANK OF MAHARASHTRA as at 31st March 2010 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us and 1224 branches audited by Branch Auditors.

   The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit & Loss Account are the returns from 14.32% branches which have not been subjected to audit but certified by the management. These unaudited branches account for 1.53% of advances, 3.03% of deposits, and 0.76% of interest income and 0.60% of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank s management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements prepared, in all material respects are in accordance with the identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3 The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in Form `A' and `B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4 Without qualifying our opinion, attention is drawn to -

   Pursuant to exercising of the option during the period, as per the Circular No: DBOD.No.BP.BC.26/ 21.04.048/ 2008-09 dated 30th July 2008 issued by Reserve Bank of India, to treat the eligible accounts under Debt Relief Scheme, which otherwise would have slipped to NPA to the extent of Rs. 124.87 crores being the outstanding balance as on 31.03.2010, which hitherto were classified as per IRAC norms during the previous financial year, as performing assets, by making provision of Rs. 10.66 crore for loss in Present Value terms, consequent thereto, the net profit (net of taxes) and reserves of the bank as on that date would have been decreased by Rs.12.56 crores;

5. उपर्युक्त परिच्छेद 1 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) तुलन पत्र से संलग्न अनुबंध18 की टिप्पणी 9.3में किये गये उल्लेख के अनुसार कुछ आास्तयों/ देयताओं,समाशोधन के अंतरों, स्थर आास्तयों के अंतर शाखा खातों/ अंतर शाखा अंतरणों सतत समाधान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजनों का खातों पर पडने वाला परिणामकारी प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है;

ख) बैंक ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित अनुसूची 17 के परि.क्र. 6.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार उपचित आधार के बजाए नकदी आधार पर कमीशन, लॉकर किराया आदि से होने वाली आय के निर्धारण की नीति अपनायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक व राजस्व निर्धारण के अनुरूप नहीं है.

ग) तुलन पत्र से संलग्नअनुसूची 18 की टिप्पणी क्र. 9.4 में किये गये उल्लेख के अनुसार बैंकद्वारा उपयोग में लायी जा रही सॉफ्टवेयर प्रणाली में पाये गये अंतर्निहित व्यवधानों का खातों पर पडने वाला प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है .

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

ख. बैंक के जिन व्यवहारों का हमें पता चला है वे बैंक के अधिकारों के भीतर थे.

ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं.

6. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा व नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं.

7. हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे बैंक के 31 मार्च,2010 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.

ii. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां तता महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लाभ का सही शेष दर्शाता है जो 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और

iii. नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

5. Subject to the limitations of audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject to the limitation of disclosure required therein and subject to :

i) the effect of adjustments that may arise from the on going reconciliation of certain assets/liabilities, clearing differences, inter branch accounts/inter branch transfer of fixed assets, (as stated in Note No. 9.3 of Schedule 18 annexed to the Balance Sheet), the consequential impact thereof on the accounts is not ascertainable;

ii) the Bank is following the policy of recognizing the income from commission, locker rent etc. on cash basis during the year, instead of accrual basis as stated in para no. 6.1 Schedule 17 Significant Accounting Policies which are not in conformity with the Accounting Standard 9 Revenue Recognition, issued by The Institute of Chartered Accountants of India; and

iii) inherent bugs noticed in the software system, used by the bank as stated in Note No: 9.4 of Schedule 18 annexed to the Balance Sheet, the impact thereof on the on the accounts is not ascertainable;

We report that:

a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

c. The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

6. In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

7 In our opinion, as shown by books of Bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Balance Sheet, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii. the Profit & Loss Account, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies shows a true Balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year ended 31st March 2010; and

iii. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

कृते वाही एंड गुप्ता **For Wahi & Gupta** एफआरएन 2263 FRN 2263N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते वी. सी. गौतम एंड कं.** **For V.C. Gautam & Co.** एफआरएन 365एन FRN 365 N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते बी. छावछरिया एंड कं.** **For B. Chhawchharia & Co.** एफआरएन 305123ई FRN 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते रे एंड कं.** **For Ray & Co.** एफआरएन 313124ई FRN 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जोध जोशी एंड कं.** **For Jodh Joshi and Co.** एफआरएन104317डबल्यू FRN 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जेसीआर एंड कं** **For JCR & Co.** एफआरएन105270डबल्यू FRN 105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(के.पी.वाही) **(K. P. WAHI)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No.: 16164	**(विष्णु गौतम)** **(VISHNU GAUTAM)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16257	**(एस.के.छावछरिया)** **(S.K. CHHAWCHHARIA)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 8482	**(सुब्रता रॉय)** **(SUBRATA ROY)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 051205	**यश के. वर्मा** **(YASH K VERMA)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 105954	**(के एस राघवन** **(K. S. RAGHAVAN)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16792

स्थान : पुणे
दिनांक : अप्रैल 30, 2010

Place : Pune
Date : April 30, 2010

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2010

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31st March 2009 (Previous Year)
पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी Captial	1	**430,52,00**	430,52,00
पूंजी आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus	2	**2436,83,80**	2095,57,56
अल्पसंख्यक ब्याज Minorities Interest	2A	**-**	-
जमाराशियां Deposits	3	**63294,96,26**	52249,87,94
उधारियां Borrowings	4	**2796,95,33**	2257,51,32
देय विविध Sundry Payables		**-**	-
अन्य देनदारियां तथा प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	**2104,69,22**	2005,05,79
जोड़ Total		**71063,96,61**	59038,54,61
आस्तियां ASSETS			
नगदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**5315,39,40**	3881,42,02
बैंको में अतिशेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks, Money at call and short notice	7	**1379,16,39**	223,91,65
निवेश Investments	8	**21300,69,50**	18358,98,73
ऋण और अग्रिम Loans & Advances	9	**40314,69,68**	34290,77,28
प्राप्त विविध राशि Sundry Receivables		**-**	-
स्थिर आस्तियां Fixed Assets	10	**659,55,14**	654,83,62
अन्य आस्तियां Other Assets	11	**2063,25,02**	1597,34,63
समेकन पर ख्याति Goodwill on Consolidation		**31,21,48**	31,26,68
लाभ हानि खाते का नामे शेष Debit balance of Profit & Loss a/c		**-**	-
जोड़ Total		**71063,96,61**	59038,54,61
समाश्रित देयताएं Contingent liabilities	12	**17625,31,61**	15264,49,66
वसूली हेतु बिल Bills for Collection		**1738,41,44**	1753,24,69

ऊपर उल्लेखित अनुसूचियां खातों का अभिन्न अंग हैं. The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

अलेन सी.ए.पिरेरा
ALLEN C.A. PEREIRA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एम.जी.संघवी
M. G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

वी.पी.भारद्वाज
V. P. BHARDWAJ
निदेशक
Director

टी.परमेश्वर राव
T. PARAMESWARA RAO
निदेशक
Director

डॉ.डी.एस. पटेल
Dr. D. S. PATEL
निदेशक
Director

डॉ. एस.यू. देशपांडे
Dr. S. U. DESHPANDE
निदेशक
Director

एस.एच.कोचेटा
S. H. KOCHETA
निदेशक
Director

ए.एस.बनर्जी
A. S. BANERJEE
महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
General Manager, F.M.& A.

आर.मुरलीधरन
R. MURALIDHARAN
उप महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
Dy. General Manager, F.M.& A.

वी.सुब्रमणियन
V. SUBRAMANIAN
सहा. महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
Asst. General Manager, F.M.& A.

पृष्ठ 87 पर जारी
Contd. on page 87

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2010 (Current Year)	31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2009 (Previous Year)
I.	**आय INCOME**			
	अर्जित ब्याज लाभांश Interest and dividend earned	13	**4735,58,45**	4291,55,99
	सहायक प्रतिष्ठानों में हानि/आय का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates		**-**	1,54,70
	अन्य आय Other income	14	**591,88,71**	500,66,71
	जोड़ TOTAL		**5327,47,16**	4793,77,40
II.	**व्यय EXPENDITURE**			
	व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	**3438,95,88**	3034,65,45
	परिचालन व्यय Operating expenses	16	**1073,80,36**	964,01,71
	प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions and contingencies		**375,04,14**	418,39,08
	जोड़ TOTAL		**4887,80,38**	4417,06,24
	अल्पसंख्यक का हित घटाने के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/हानि Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		**439,66,78**	376,71,16
	घटाएं : अल्पसंख्यक का हित Less: Minorities' Interest		**-**	-
	वर्ष के लिए समूह से संबंधित समेकित शुद्ध लाभ/हानि Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		**439,66,78**	376,71,16
	जोड़ें : समूह से संबंधित अग्रेषित समेकित लाभ/हानि Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		**129,09,00**	263,76,86
	जोड़ TOTAL		**568,75,78**	640,48,02
III.	**विनियोग APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to statutory reserve		**109,91,68**	941016
	राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue reserve		**31,07,87**	263,74,76
	अधिनियम 1961 की धारा 36(I)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve U/s 36(1)(viii) of IT Act 1961		**15,00,00**	12,00,00
	पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve		**25,82,38**	65,98,80
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		**86,10,40**	64,57,80
	लाभांश पर कर Tax on Dividend		**14,63,34**	10,97,50
	शेष को समेकित तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to consolidated balance sheet		**286,20,11**	129,09,00
	जोड़ TOTAL		**568,75,78**	640,48,02
	प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु) Facevalue per share (Rupees)		**10.00**	10.00
	प्रति शेयर आय (मूल) Earnings per Share (Basic) (Rupees)		**10.21**	8.75
	उल्लेखनीय लेखा नीतियां और खातों पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies & Notes to Accounts	17		

उपर उल्लेखित अनुसूचियां खातों का अभिन्न अंग है. The Schedules referred to above form an integral part of the accounts.
*समदिनांकित हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

कृते वाही एंड गुप्ता **For Wahi & Gupta** एफ आरएन 2263 FRN 2263N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते वी. सी. गौतम एंड कं.** **For V.C. Gautam & Co.** एफआरएन 365एन FRN 365 N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते बी. छावछरिया एंड कं.** **For B. Chhawchharia & Co.** एफआरएन एन305123ई FRN 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते रे एंड कं.** **For Ray & Co.** एन एफआरएन 313124ई FRN 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जोध जोशी एंड कं.** **For Jodh Joshi and Co.** एफआरएन104317डबल्यू FRN 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जेसीआर एंड कं** **For JCR & Co.** एफआरएन105270डबल्यू FRN 105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(के.पी.वाही) **(K. P. WAHI)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No.: 16164	**(विष्णु गौतम)** **(VISHNU GAUTAM)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16257	**(एस.के.छावछरिया)** **(S.K. CHHAWCHHARIA)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 8482	**(सुब्रता रॉय)** **(SUBRATA ROY)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 051205	**यश के. वर्मा** **(YASH K VERMA)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 105954	**(के एस राघवन** **(K. S. RAGHAVAN)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16792

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : अप्रैल 30, 2010 Date : April 30, 2010

अनुसूची - 1 पूंजी
SCHEDULE 1 - CAPITAL

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	2009-10	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital			
रु 10/- के 3000000000 (1500000000) इक्विटी शेयर 3000000000 (1500000000) Equity Shares of Rs 10/- each	3000,00,00	**3000,00,00**	1500,00,00
जारी, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी Issued, Subscribed & Paid up Capital			
(क) रु. 10/- के इक्विटी शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित 33,05,20,000I (a) Held by Central Government 33,05,20,000 Equity shares of Rs. 10/- each	330,52,00		
(ख) रु. 10/ के 10 के 10 00 00 000 इक्विटी शेयर आम जनता द्वारा धारित (b) Held by Public 10,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each	100,00,00	**430,52,00**	430,52,00
जोड़ TOTAL		**430,52,00**	430,52,00

अनुसूची 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		2009-10	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March, 2009 (Previous Year)
I	**सांविधिक आरक्षितियां Statutory Reserves**			
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	528,76,24		
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Add: During the year	109,91,68	**638,67,92**	528,76,24
II	**पूंजीगत आरक्षितियां Capital Reserves**			
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	87,77,45		
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Add: During the year	25,82,38	**113,59,83**	87,77,45
II	**समेकन पर पूंजीगत आरक्षितियां Capital Reserve on Consolidation**			
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	520		
	ii) कटौती: ख्याति में समायोजित Deduction: Adjusted to Goodwill	520	-	520
III	**शेयर प्रीमियम Share Premium**			
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	130,00,00		
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Add: During the year	-	**130,00,00**	130,00,00
IV	**अन्य आरक्षितियां Other Reserves:**			
	(क) a) राजस्व आरक्षितियां Revenue Reserve			
	i) प्रारंभिक शेष Opening Balance	726,70,93		
	ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Add: During the year	31,07,87	**757,78,80**	726,70,93
	(ख) b)पुनर्मूल्यन आरक्षितियां Revaluation Reserve			
	i) प्रारंभिक शेष Opening balance	452,18,74		
	ii) वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धि Add: Net Addition during the year	2,38,40	**454,57,14**	452,18,74
	(ग) **आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(vii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति** **c) Special Reserve U/s.36(1)(viii) of IT Act 1961**			
	प्रारंभिक शेष Opening balance	41,00,00		
	वर्ष के दौरान Add: during the year	15,00,00	**56,00,00**	41,00,00
V	**लाभ व हानि खाते में शेष Balance in Profit and Loss Account**			
	प्रारंभिक शेष Opening Balance	129,09,00		
	वर्ष के दौरान वृद्धि (शुद्ध) Add: During the year (net)	157,11,11	**286,20,11**	129,09,00
	जोड़ TOTAL		**2436,83,80**	2095,57,56

अनुसूची - 2 क : अल्पसंख्यकों का हित
SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

	31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
इक्विटी (रु. के..... शेयर) Equity (.....Shares of Rs..... Each)	-	-
अधिग्रहण से पूर्व के आरक्षितियों व आधिक्य में ..... प्रतिशत ....% in pre acquisition Reserves & Surplus.	-	-
अधिग्रहण से पूर्व के आरक्षितियों व आधिक्य में..... प्रतिशत .....% in post acquisition Reserves & Surplus.	-	-
Balance in profit & Loss Account	-	-
जोड़ TOTAL	-	-

अनुसूची - 3 : जमाराशियां
SCHEDULE 3 : DEPOSITS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

			31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
A.	I	मांग जमा राशियां Demand Deposits		
		(i) बैंकों से From Banks	63,04,58	32,91,85
		(ii) अन्य सेFrom Others	6131,53,41	497647,60
	II	**बचत बैंक जमाराशियां Savings Bank Deposits**	17164,38,08	13639,95,81
	III	**सावधि जमाराशियां Term Deposits**		
		(i) बैंकों से From Banks	-	257,09
		(ii) अन्यों से From Others	39936,00,19	33597,95,59
		जोड़ TOTAL (I, II and III)	63294,96,26	52249,87,94
B.	(i)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालय सहित यदि कोई है Deposits of Subsidiaries in India including foreign offices if any.	-	-
	(ii)	भारत से बहार सहायक कंपनियों की जमाराशियां, विदेशी कार्यालय सहित यदि कोई है Deposits of Subsidiaries outside India including foreign offices if any.	-	-
	(iii)	मूल कंपनी की जमाराशियां Deposits of Parent	63294,96,26	52249,87,94
		जोड़ TOTAL (i, ii and iii)	63294,96,26	52249,87,94
C	(i)	मूल कंपनी की भारत में जमाराशियां Deposits of Parent in India	63294,96,26	52249,87,94
	(ii)	भारत में सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of Subsidiaries in India	-	-
	(iii)	**भारत में कुल जमा Total deposits in India (i+ii)**	63294,96,26	52249,87,94
	(iv)	भारत से बाहर अभिभावकों की जमाराशियां Depoists of parents outside India	-	-
	(v)	भारत के बाहर सहायक कंपनियों की जमाराशियां Deposits of Subsidiaries outside India	-	-
	(vi)	भारत के बाहर कुल जमाराशियां **Total Deposits outside India (iv+v)**	-	-
		जोड़ TOTAL (iii+vi)	63294,96,26	52249,87,94

अनुसूची - 4 : उधारियाँ
SCHEDULE 4 : BORROWINGS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

			31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.		भारत में उधार Borrowings in India		
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक से From the Reserve Bank of India	-	-
	(ii)	अन्य बैंकों से From Other banks	-	-
	(iii)	अन्य संस्थाओं और एजेन्सियों से Other Institutions and Agencies	61,47,40	110,00,23
	(iv)	अन्य उधार Other Borrowings		
		(a) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	295,00,00	225,00,00
		(b) बॉंड के रूप में जारी संकरित ऋण पूंजी लिखत Hybrid Debts Capital Instruments issued as Bonds	1250,00,00	850,00,00
		(c) गौण ऋण बॉंड Subordinated Debts Bonds	1122,50,00	992,50,00
	(v)	ऋणपत्र Debentures	-	-
	(vi)	अन्य दीर्घावधि उधारियाँ Other long-term borrowings.	-	-
II.		भारत के बाहर उधारियाँ Borrowings outside India	67,97,93	80,01,09
		जोड़ Total (I and II)	2796,95,33	2257,51,32

अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
SCHEDULE 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	संदेय बिल Bills payable	**515,59,74**	507,78,57
II.	अंतर कार्यालय (अंतर्शाखा) समायोजन (निवल) Inter-office (Inter branch) adjustments (net)	**-**	-
	A) मूल कंपनी Parent		
	B) सहायक कंपनी Subsidiary	**-**	-
III.	आन्तर समूह समायोजन (शुद्ध) Intra group adjustments (net)	**-**	-
IV.	उपचित ब्याज Interest accrued	**49,19,18**	176,53,93
V.	कर देयताएं Tax Liabilities:		
	a) चालू कर देयताएं Current Tax Liabilities-	**6,96**	16,80
	b) आस्थागित कर देयताएं Deferred Tax Liabilities	**-**	-
VI.	अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित है) Others (including provisions)		
	i) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provision against Standard Assets	**153,80,85**	157,29,35
	ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (incl. Provisions)	**1386,02,49**	1163,27,14
	जोड़ TOTAL (I, II, III, IV, V & VI)	**2104,69,22**	20050,57,09

अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अधिशेष
SCHEDULE 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेन्सी नोट सम्मिलित है) Cash in hand (including foreign currency notes)	**390,10,70**	325,04,20
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खाते में In Current Account	**4925,28,70**	3556,37,82
	(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	**-**	-
	जोड़ TOTAL (I & II)	**5315,39,40**	3881,42,02

अनसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
Schedule 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	**भारत में In India**		
	(i) बैंकों में अधिशेष Balances with banks		
	(a) चालू खातों में In Current Accounts	**178,17,01**	171,75,19
	(b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit accounts	**15,18,56**	18,46,78
	(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	(a) बैंकों के पास With banks	**200,00,00**	-
	(b) अन्य संस्थाओं के पास With other institutions	**949,43,92**	-
	जोड़ TOTAL (i & ii)	**1342,79,49**	190,21,97
II.	**भारत के बाहर Outside India**		
	(i) चालू खातों में In Current Account	**-**	5,90,22
	(ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	**36,36,90**	27,79,46
	(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice	**-**	-
	जोड़ TOTAL (i, ii, & iii)	**36,36,90**	33,69,68
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)	**1379,16,39**	223,91,65

अनुसूची - 8 : निवेश

SCHEDULE 8 : INVESTMENTS

(रुपये हजार में)

(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	**निम्नलिखित में भारत में निवेश Investments in India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिल व जीरो कूपन बांडों सहित) Government securities (inclusive of Treasury Bills & Zero Coupon Bonds)	**18226,37,94**	16175,58,46
(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other approved securities	**25,76,50**	43,57,86
(iii)	शेयर Shares	**127,83,61**	117,32,48
(iv)	डिबेंचर्स और बांड Debentures and Bonds	**885,79,20**	798,66,99
(v)	सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश Investment in Associates	**13,62,29**	13,62,29
(vi)	सहायक प्रतिष्ठान और सह उद्यम Subsidiaries &/ or joint ventures	**-**	-
(vii)	अन्य Other:		
a)	यू.टी.आई./पारस्परिक निधियों के यूनिट Units of UTI / Mutual Funds	**80,09,26**	87,62,21
b)	जमा का प्रमाणपत्र Certificate of Deposit	**472,38,33**	237,57,70
c)	वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	**9,90,29**	33,25,86
d)	पास थ्रू प्रमाणपत्र PTCs	**31,64,79**	3633,16
e)	आर आई डी एफ और अन्य RIDF & Others	**1427,27,29**	815,41,72
	जोड़ TOTAL	**21300,69,50**	18358,98,73
II.	**निम्नलिखित में भारत से बाहर निवेश Investments outside India in**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ Government securities (including local authorities)	**-**	-
(ii)	सहायक में निवेश Investment in Associates	**-**	-
(iii)	अन्य निवेश (स्पष्ट करें) Other investments (to be specified)	**-**	-
	जोड़ TOTAL	**-**	-
	कुल जोड़ GRAND TOTAL (I & II)	**21300,69,50**	18358,98,73
III.	**भारत में सकल निवेश Investments in India**		
(i)	घटाएं - निवेश पर मूल्यह्रास Gross value of Investments	**21340,39,57**	18452,75,74
(ii)	घटाएं - अनर्जक निवेशों पर प्रावधान Aggregate of Provisions for Depreciation	**39,70,07**	93,77,01
(iii)	निवल निवेशNet Investment	**21300,69,50**	18358,98,73
	निवेश के विवरण Details of Investments:		
I.	सहायक कंपनियों में निवेश Investments in Associates	**13,62,29**	13,62,29
II.	**अन्य निवेश Other investments**	**21287,07,21**	18345,36,44
	जोड़ TOTAL	**21300,69,50**	18358,98,73

अनुसूची - 9 : अग्रिम
SCHEDULE 9 : ADVANCES

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

			31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
A.	(i)	बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**898,01,99**	961,50,98
	(ii)	रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	**10510,43,65**	10986,87,47
	(iii	मीयादी ऋण Term loans	**28906,24,04**	22342,38,83
	(iv)	प्राप्य लीज Lease Receivables	**-**	-
	जोड़ TOTAL		**40314,69,68**	34290,77,28
B.	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	**31131,73,73**	27269,11,90
	(ii)	बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	**162,71,49**	79,77,78
	(iii)	अ-सरंक्षित Unsecured	**9020,24,46**	6941,87,60
	जोड़ TOTAL		**40314,69,68**	34290,77,28
C.	I.	भारत में अग्रिम Advances in India		
		(i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority sector	**15898,94,38**	12594,74,54
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public sector	**5151,29,81**	3719,91,02
		(iii) बैंक Banks	**2**	-
		(iv) अन्य Others	**19264,45,47**	17976,11,72
	II.	भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		
		(i) बैंको से देय Due from Banks	**-**	-
		(ii) अन्यों से देय Due from Others	**-**	-
		(a) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	**-**	-
		(b) संघीय ऋण Syndicated Loans	**-**	-
		(c) अन्य Others	**-**	-
	जोड़ TOTAL		**40314,69,68**	34290,77,28

अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
SCHEDULE 10 :FIXED ASSETS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	परिसर Premises		
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost (as on 31st March of the preceding year)	**608,92,58**	141,72,62
	वर्ष के दौरान Addition during the year	**8,24,23**	19,33,00
	पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन Addition on account of revaluation	**14,73,86**	447,86,97
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year		-
	अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date	**-114,88,33**	-99,21,59
IA.	निर्माणाधीन परिसर Premises under constructions	**-**	-
II.	अन्य स्थिर आस्तियां (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)		
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost (as on 31 March of the preceding year)	**560,49,78**	504,33,92
	वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	**76,91,70**	87,40,95
	वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year	**-20,53,72**	-31,25,09
	आज तक मूल्य ह्रास Depreciation to date	**-474,34,96**	-415,37,16
IIA.	लीज युक्त आस्तियां Leased Assets		
	पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost (as on 31st March of the preceding Year)	**-**	-
	समायोजन सहित वर्ष के दौरान कटौतियां Additions during the year including adjustments	**-**	-
	समायोजन सहित वर्ष के दौरान कटौतियां Deductions during the year including provisions	**-**	-
	अद्यतन मूल्य ह्रास Depreciation to date	**-**	-
	जोड़ Total (I, IA, II &IIA)	**659,55,14**	654,83,62

अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
SCHEDULE 11 : OTHER ASSETS

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	अंतर-कार्यालय (अंतर शाखा) समायोजन (शुद्ध) Inter-Office (Inter-Branch) adjustments (Net)		
	a. मूल Parent	**584,14,86**	352,67,59
	b. सहायक Subsidiaries	**-**	-
II.	उपचित ब्याज Interest accrued	**485,27,29**	422,46,30
III.	अग्रिम रुप से संदत्त/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	**441,13,49**	204,62,99
IV.	लेखनी सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps	**4,60,27**	4,76,69
V.	दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**-**	-
VI.	पूर्वदत्त खर्च Prepaid Expenses	**-**	-
VII.	आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax assets	**278,14,23**	304,28,53
VIII.	अन्य Others	**269,94,88**	308,52,53
	जोड़ TOTAL	**2063,25,02**	1597,34,63

अनुसूची - 12 : समाश्रित देयताएं
SCHEDULE 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार (गत वर्ष) As on 31 March 2009 (Previous Year)
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया Claims against the bank not acknowledged as debt	**520,21,66**	520,62,21
II.	आंशिक संदत्त निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments	**-**	-
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत दायित्व Liability on account of outstanding forward exchange contracts*	**11544,77,57**	9568,09,12
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents:		
	(a) भारत में In India	**3632,68,31**	3099,57,91
	(b) भारत के बाहर Outside India	**315,62,70**	598,63,56
V.	प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	**1212,01,37**	1077,56,86
VI.	अन्य मदें जिनके लिये बैंक समाश्रित रुप से उत्तरदायी है Other items for which the group is contingently liable.	**400,00,00**	400,00,00
	जोड़ TOTAL	**17625,31,61**	15264,49,66

* वायदा विनिमय संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताएं
* Contingent Liabilities in respect of forward exchange contracts.

अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
SCHEDULE 13 : INTEREST EARNED

रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अनुसार (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के अनुसार (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)
I.	ब्याज/अग्रिमों पर कटौती/बिल Interest/discount on advances/bills	**3369,62,60**	3266,59,86
II.	निवेशों पर ब्याज (परिशोधन से निवल) Interest on investments (Net of amortization)	**1297,92,33**	989,84,37
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	**58,23,17**	22,67,43
IV.	अन्य Others	**9,80,35**	12,44,33
	जोड़ TOTAL	**4735,58,45**	4291,55,99

अनुसूची - 14 : अन्य आय
SCHEDULE 14 : OTHER INCOME

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अनुसार (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के अनुसार (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	264,65,56	248,82,96
II.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	67,51	99,38
	घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	-50,06	-30,99
III	निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on exchange transactions	34,84,30	15,81,00
	घटाएं : निवेशों बिक्री के कारण हानि Less: Loss on exchange transactions	-	-116
IV.	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on sale of investments	210,55,96	186,43,76
	घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on sale of investments	-6,28,07	-10,17,70
V.	a) लीज वित्त आय Lease Finance Income	-	-
	b) लीज प्रबंधन Lease Management Fee	-	-
	c) अतिदेय प्रभार Overdue Charges	-	-
	d) प्राप्य लीज किराए पर ब्याज Interest on Lease Rent Receivables	-	-
VI	विविध आय Miscellaneous income	87,93,51	59,09,46
	जोड़ TOTAL	591,88,71	500,66,71

अनुसूची - 15 : खर्च किया गया ब्याज
SCHEDULE 15 : INTEREST EXPENDED

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अनुसार (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के अनुसार (गत वर्ष) Year ended 31st March 2009 (Previous Year)
I.	जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	3182,71,13	2782,83,99
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ Inter-Bank Borrowings	68,05	42,87,82
III.	अन्य Others	255,56,70	208,93,64
	जोड़ TOTAL	3438,95,88	3034,65,45

अनुसूची - 16 : खर्च किया गया ब्याज
SCHEDULE 16 : OPERATING EXPENSES

(रुपये हजार में)
(Rs. in thousands)

		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के अनुसार (चालू वर्ष) Year ended 31st March, 2010 (Current Year)	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के अनुसार (गत वर्ष) Year ended 31st March, 2009 (Previous Year)
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिये प्रावधान Payments to and provisions for employees	656,32,04	580,58,99
II.	भाड़ा, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	93,87,13	78,42,95
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	13,25,75	12,83,41
IV.	विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	14,03,14	17,71,63
V.	(a) लीज आस्तियों को छोड़कर बैंक की सम्पत्ति Depreciation on bank's property other than Leased Assets	75,09,54	75,77,20
	(b) लीज आस्तियों पर मूल्य ह्रास Depreciation on Leased Assets	-	
VI.	निदेशकों की फीस और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	88,91	93,26
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय शामिल हैं) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	11,82,65	10,79,84
VIII.	विधि प्रभार Law charges	5,09,55	3,98,61
IX.	डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	14,66,39	30,42,97
X.	मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and Maintenance	22,76,30	16,88,86
XI.	बीमा Insurance	56,92,95	44,91,57
XII	ख्याति का परिशोधन, यदि कोई है Amortisation of Goodwill, if any	-	-
XIII	अन्य व्यय Other Expenditure	109,06,01	90,72,42
	जोड़ TOTAL	1073,80,36	964,01,71

अनुसूची 17 (समेकित)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और खातों पर टिप्पणियाँ
(31 मार्च, 2010 को समाप्त हुये वर्ष के लिए समेकित लेखों के साथ संलग्न और उसका अंतरंग भाग)
(कोष्ठक में दिए गए आंक़डें पिछले वर्ष के हैं)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

1. लेखा प्रथाएं

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो संलग्न वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथा के अनुसार तैयार किए गए हैं.

1.2 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23 - "समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन" के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं.

1.5 सहायक कंपनियों और सभी संलग्न प्रतिष्ठानों के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2010 के बनाये गये हैं.

2. समेकन के सिध्दान्त

क) संबंधित प्रतिष्ठान :

लेखा मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

कंपनी का नाम	देश / आवास	संबंध	स्वामित्व हित
दि महाराष्ट्र एक्ज़िक्यूटर्स एण्ड ट्रस्टी कं.प्रा.लि. (मेटको)	भारत	सहायक	100%

लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन के अनुसार इक्विटी पध्दति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

कंपनी का नाम	**देश / आवास**	**संबंध**	**स्वामित्व हित**
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक कं.प्रा.लि. (मेटको)	भारत	प्रायोजक बैंक	35%

भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 20.07.2009 की अधिसूचना के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र में प्रायोजित मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक और महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक को आपस में मिलाकर महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया। इस बैंक का मुख्यालय नांदेड में है .

ख) समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसके प्रभाव

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठानों के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर समूह अतिशेषों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, दायित्वों, आयकर और खर्चे इत्यादि जैसी मदों के बही मूल्य को लाइन-दर-लाइन आधार पर जोड़ कर समेकित किया गया है और सहायक कंपनियों में बैंक के निवेश आधिक्य को समेकन के बाद पूंजी आरक्षितियों में शामिल कर दिया गया है .

बैंक और उसके सहायक प्रतिष्ठानों के समेकित वित्तीय विवरणों का समेकन ईक्विटी पध्दति आधार पर किया गया है. सहायक प्रतिष्ठानों में रखाव लागत के आधिक्य को वित्तीय विवरणों में ख्याति माना गया है

जहां कहीं आवश्यक हुआ है, सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुन:समूहबध्द किया गया है.

सहायक कंपनियों ने कतिपय मामलों में समान परिस्थितियां और समान व्यवहारों के लिए मूल बैंक में अपनाई गई पध्दति से अलग पध्दति को अपनाया है. समेकित वित्तीय विवरण

SCHEDULE-17

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS
(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010.)
(Figures in bracket relate to previous year)

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Accounting Conventions:

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated.

1.2 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 - "Accounting for investments in Associate in Consolidated Financial Statements," issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as otherwise stated.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.5. The financial statements of the Subsidiary and all Associates are drawn up to 31st March 2010.

2. Principles of Consolidation:

A) Related Entity:

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statement."

Name of the company	**Country / Residence**	**Relationship**	**Ownership Interest**
The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt. Ltd. (METCO)	India	Subsidiary	100%

The following Associate Company has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 - Accounting for investments in Associates in consolidated financial statements

Name of the company	**Country / Residence**	**Relationship**	**Ownership Interest**
Maharashtra Gramin Bank	India	Sponsored Bank	35%

As per the Government of India, notification dt. 20.07.2009, Marathwada Gramin Bank and Maharashtra Godavari Gramin Bank sponsored by Bank of Maharashtra in the State of Maharashtra are amalgamated in to a single Regional Rural Bank which is "Maharashtra Gramin Bank" with its head office at Nanded.

B) Basis of Preparing Consolidated Financial Statement & its impact

The Consolidated financial statements of the Bank & its subsidiary have been combined on a line-by-line basis by adding together the book values of assets, liabilities, income & expenses, after fully eliminating intra-group balances & the excess over Banks investment in subsidiary is taken as Capital Reserve after consolidation.

The Consolidated financial statements of the Bank & its associate have been combined on Equity Method basis. The excess of carrying cost of Banks investment in Associate is recognized in the financial statements as goodwill.

The financial statement of the Subsidiary has been regrouped with that of the parent Bank, wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances.

बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक कंपनी द्वारा अलग वित्तीय नीतियों का उपयोग किया गया है, मामूली है.

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

3.1 विदेशी मुद्रा व्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है. तुलनपत्र की दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर पुनमूल्यांकित किया गया है । परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक / फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है.

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटीयों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न समाश्रित दायित्वों को प्रतिबद्धता की दिनांक पर अंतिम दरों पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है.

4. निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

i) सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों (शेयर, डिबेंचर बांड इत्यादि) में निवेश निम्नांकित श्रे णियों में वर्गीकृत किए गए हैं.

(क) परिपक्वता तक धारित

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

(ग) व्यापार के लिए धारित

ii. सभी प्रतिभूतियां निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं :

(क) सरकारी प्रतिभूतियां

(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

(ग) शेयर्स

(घ) डिबेंचर तथा बांड

(ङ) सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

(च) अन्य (वाणिज्यिक प्रपत्र, पारस्परिक निधि यूनिट इत्यादि)

iii) अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश के संवर्ग का निर्धारण बैंक करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है. अंतरण की दिनांक पर अधिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर निवेशों का अंतरण एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में किया जाता हैं. ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यऱ्हास पैदा होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और प्रतिभूतियों का बही मूल्य बदल दिया जाता है।

iv) निवेशों का मूल्यन :

क. परिपक्वता तक धारित :

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन लागत पर किया गया है. अंकित मूल्य से अधिक, अतिरिक्त अधिग्रहण लागत, यदि कोई हो, का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में किया गया है.

ii) परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत अन्य निवेशों के मामले में अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है. सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेश की दशा में मूल्यों में आई स्थायी कमी को मान्यता देकर इसके लिए प्रावधान किया गया है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है.

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क)लाभ पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद उसे कर और सांविधिक आरक्षिति से निवल करके पूंजी प्रारक्षित निधि में विनियोजित किया गया.(ख) लाभ हानि खाते में विक्रय पर निवल हानि को भी लेखाबध्द किया गया है.

No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

3. Foreign Exchange Transactions:

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued as on Balance Sheet Date at the exchange rates published by FEDAI for specified maturities. The resulting profit/loss is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with R.B.I. / FEDAI Guidelines.

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

4. Investments:

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

i) Investments in SLR and non-SLR securities (Shares, Debentures, Bonds, Units of MF, CP, CD, etc.) are classified in following categories:

a) Held to maturity

b) Available for sale

c) Held for trading

ii) All the securities are classified in the following six classifications:

a) Government Securities

b) Other approved securities

c) Shares

d) Debentures and bonds

e) Subsidiaries and Joint Ventures

f) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, RIDF etc).

iii) Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another is done once in a year with the approval of Board of Directors at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is changed accordingly.

iv) Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

(i) Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity.

(ii) In case of other investments under Held to Maturity category, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for. Investment in RRBs is valued at carrying cost.

(iii) On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter net of applicable taxes and statutory reserve is appropriated to the "Capital Reserve account" and (b) the net loss is charged to the profit and loss account.

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मार्क-टू-मार्केट किया गया है. केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन नियत आय मुद्रा बाजार एवं भारतीय व्युत्पन्न संघ (फिमडा) द्वारा घोषित बाजार मूल्य पर कि या गया है. राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार क्रम निर्धारण और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है. उद्धृत शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है. यदि उद्धृत नहीं तो ऐसे शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र के आधार पर बही मूल्य से किया गया है, यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शेयर का मूल्यन रुपया 1 प्रति कंपनी किया गया है.

खजाना बिलों और वाणिज्यिक प्रपत्रों का मूल्यन रखाव लागत पर किया गया है. पारस्परिक निधियों के लिखतों का मूल्यन बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है.

"बिक्री हेतु उपलब्ध" के अंतर्गत प्रत्येक उपश्रेणी के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर:

(i) यदि आंक़डों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है ।

(ii) यदि आंक़डों का परिणाम मूल्यऱ्हास है तो उसे लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है ।

(iv) इस संवर्ग में निवेश के विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है.

ग. व्यापार हेतु धारित :

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक स्क्रिप को वास्तविक लागत पर धारित किया गया है. इनका मूल्यन मासिक अंतर से बाजार दरों पर अथवा फिमडा द्वारा घोषित कीमतों के अनुसार किया गया है. इस ेणी के अंतर्गत प्रत्येक वर्गीकरण के संबंध में शुध्द मूल्यनस, यदि कोई हो, को राजस्व पर प्रभारित और अधिमूल्यन, यदि कोई हो, पर ध्यान नहीं दिया गया है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकता को छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूति का बही मूल्य नहीं बदला गया है ।

(ii) इस श्रेणी में निवेश विक्रय पर लाभ या हानि को लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया है ।

घ. अनर्जक निवेशों को अभिनिर्धारित किया गया और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यऱ्हास / प्रावधान किया गया.

ड. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय (इक्विटी / अधिमान शेयरों को छोड़कर, जहां इन्हें अधिग्रहण की लागत माना गया है) उपचित लागतें यथा दलाली, फीस इत्यादि को व्यय माना गया है ।

च. ब्याज दर स्वैप :

1) मूल्यांकन :

(क) हेजिंग स्वैप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं के लिए ब्याज दर मार्क टू मार्केट नहीं है ।

(ख) ट्रेडिंग स्वैप : ट्रेडिंग उद्देश से ब्याज दर स्वैप मार्क टू मार्केट है ।

2) डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :

(क) हेजिंग स्वैप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. यदि कोई खर्च है और उसको निश्चित नहीं किया जा सकता है तो उसका लेखा उपचय आधार पर किया गया ।

(ख) ट्रेडिंग स्वैप : आय या खर्च को वसूली के आधार पर निपटारे की दिनांक पर लेखाबध्द किया गया ।

(छ) स्वैप निरसन पर आय तथा लाभ का लेखा

(क) हेजिंग स्वैप : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क)स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख)आस्ति / देयता के शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, उस अवधि के लिए स्वीकार किया गया है ।

b. Available for Sale:

The individual securities under this category are marked to market. Central Government securities are valued at market rates declared by Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India [FIMMDA]. State Government securities, other approved securities, Debentures and Bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at book value ascertained from the latest available Balance Sheet and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company.

- Treasury bills and commercial papers are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability.
- Based on the above valuation under each of six-sub classifications under Available for Sale':

(i) If the figure results in appreciation, the same is ignored.

(ii) If the figure results in depreciation, the same is charged to Profit & Loss account.

(iii) The book value of securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(iv) Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

c. Held for Trading:

(i) The individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation if any, is charged to profit and loss account and net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

(ii) Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and Loss account.

d) The non-performing investments are identified and depreciation/ provision is made as per RBI guidelines.

e) Costs such as brokerage, fees etc. incurred at the time of acquisition of securities (except equity / preference shares, where it is treated as cost of acquisition) are recognized as expenses.

f) Interest Rate Swaps:

1) Valuation

(a) Hedging Swaps: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

(b) Trading Swaps: Interest Rate Swap for trading purpose is marked to market.

2) Accounting of income on derivative deals:

(a) Hedging Swaps: Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

(b) Trading Swaps: Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

3) Accounting of gain or loss on termination of swaps:

(a) Hedging Swaps: Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में स्वीकार किया गया।

5. अग्रिम :

5.1 तुलनपत्र में दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते लिखे, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों और पुनर्भांजन से निवल हैं.

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया गया है।

5.3 "अन्य देयताएं व प्रावधान " शीर्ष के अन्तर्गत अर्जक आस्तियों के प्रावधान को दर्शाया गया है.

5.4 अनर्क आास्तयों मे हुई वसूली को पहले मूलधन और उसके बाद ब्याज में समायोजित किया जाएगा.

6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यऱ्हास :

6.1 परिसरों एवं अन्य स्थिर आस्तियों को लागत पर लेखाबध्द किया गया है. कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनका पुनर्मूल्यन किया गया है तथा पुनर्मूल्यांकित राशि पर उल्लेख किया गया है।

6.2 कम्प्यूटरों को छोड़कर स्थिर आस्तियों पर मूल्यऱ्हास का प्रावधान, असमान शेष पध्दति से ऐसी दरों पर किया गया है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 में अनुबध्द हैं।

क) कंप्यूटरों पर मूल्यनस सरल रेखा पध्दति से 33.33% की दर पर किया गया है ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति का मूल्यऱ्हासित मूल्य तीन वर्षों में 1 रुपया रह जाए. कम्प्यूटरों में साफ्टवेअर, यूपीएस और एटीएम भी शामिल हैं.

ख) रु.5,000/- या कम की मूल लागत वाली स्थिर आस्तियों पर मूल्यनस का प्रावधान खरीदी वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत प्रावधान करने के स्थान पर लागू मूल्यनस पर किया गया .

ग) वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के संबंध में पूरे वर्ष के मूल्यऱ्हास का प्रावधान किया गया. वर्ष के दौरान नष्ट हुई / बेची गई संपत्तियों पर मूल्यऱ्हास का कोई प्रावधान नहीं हुआ है।

6.3 पुनर्मूल्यन से संबंधित मूल्यऱ्हास को पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि में समायोजित किया गया।

6.4 पट्टेवाली भूमि का परिशोधन पट्टा अवधि में किया जाता है।

सहायक कंपनियों की दशा में :

6.5 मेटको की दशा में, स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन लागत में से मूल्यनस कम कर आने वाली लागत पर किया गया है. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अंतर्गत निर्धारित दरों के आधार पर घटती हुई मूल्य पध्दति से स्थिर आस्तियों पर मूल्यनस लगाया गया है।

7. राजस्व / लागत हेतु लेखांकन आधार :

i) निम्नांकित मदों को छोड़कर, जिन्हें नकदी आधार पर लेखाबध्द किया जाता है, समस्त राजस्व को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है.

क. कमीशन से आय अर्थात गारंटी, साखपत्र, सरकारी कारोबार, बैंक बीमा, म्युच्युअल फंड व लॉकर रेंट से आए.

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज.

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ. बीमा दावे

ङ. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारि्मिक

च. प्रोसेसिंग फीस

छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.

(b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenses in the year of termination.

5. Advances:

5.1 Advances shown in the Balance Sheet are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions and rediscounts.

5.2 Classification of advances and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India from time to time.

5.3 Provisions for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions."

5.4 Recoveries in the non performing Assets are appropriated first towards principal and thereafter towards interest.

6. Fixed Assets and Depreciation:

6.1 Premises and other Fixed Assets are accounted for at cost except certain premises, which are revalued and stated at revalued amount.

6.2 Depreciation is provided for on the diminishing balance method at the rates specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 on fixed assets except for:-

a) On computers, depreciation is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method so as to write down the asset value in three years to Rupee one as per Reserve Bank of India guidelines. Computers include software, ATM and UPS also.

b) On Fixed Assets having original cost below Rs. 5,000/-, depreciation is provided for at applicable rates instead of providing 100% depreciation in the year of purchase.

c) Depreciation is provided for full year in respect of assets purchased during the year. No depreciation is provided on assets sold/discarded during the year.

6.3 Depreciation relating to revaluation is adjusted against the Revaluation Reserve.

6.4 Leasehold land is amortized over the period of lease.

In case of the subsidiary:

6.5 In the case of METCO, the fixed assets are valued at cost less depreciation. The depreciation on fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

7. Revenue Recognition

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

b. Income from commission viz. on Guarantees, Letter of Credit, Government business, Bancassuarance, Mutual Fund business and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

7.2 आयकर रिफण्ड पर ब्याज आय को जिस वर्ष में रिफण्ड आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया, उस वर्ष में लेखाबध्द किया गया.

7.3 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज का प्रावधान उपचित आधार पर बचत खाता ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की दिनांक 22.08.2008 से और शेष का नवीकरण के समय किया गया है.

8. कर्मचारी लाभ :

निर्धारित अंशदान योजना : निर्धारित अंशदान लाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए / अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है.

निर्धारित लाभ योजना : अनुमानित इकाई जमा पद्धति का इस्तमाल करते हुए निर्धारित लाभ योजनाओं हेतु बैंक की देयताओं का निर्धारण किया गया है. अनुमानित इकाई जमा पद्धति के अंतर्गत वास्तविक मूल्यांकन तुलनपत्र की दिनांक को किया गया है. वास्तविक लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

9. आस्तियों का अनर्जक होना

पुनर्मूल्यन प्रारक्षिति सहित अचल संपत्तियों के अनर्जक होने के कारण हुई हानि को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना के अनुसार अभिनिर्धारित कर लाभ-हानि-खाते में प्रभारित किया गया है.

10 प्रावधान , आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण पैदा हुई वर्तमान प्रतिबध्दताओं के लिए बैंक प्रावधान करता है.यह संभव है कि जब प्रतिबधदता का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता हो तब प्रतिबध्दताओं का निपटारा करने हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता पड़े

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणो में नहीं दर्शाया गया है चूंकि ऐसा करने से इस प्रकार की आय का लेखाकंन हो सकता है जो कभी हुई ही न हो.

11. शुध्द लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

घोषित शुध्द लाभ, आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत है जिनमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान, अनुषंगी लाभ कर सहित), अग्रिमों के लिए प्रावधान तथा आकस्मिकताएं / अन्य शामिल हैं.

12. आयकर :

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, अनुषंगी लाभ कर,संपत्ति कर और आस्थगित कर शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार करयोग्य आय तथा लेखा योग्य आय के समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्ति की पहचान की गई है.

समेकित वित्तीय विवरणो मे उल्लेखित कर खर्च मूल व सहायक कंपनी के अलग-अलग वित्तीय विवरण में उल्लेखित समग्र कर खर्च का जोड़ है.

7.2 Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year the order is passed by the concerned authority.

7.3 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at Saving Bank rate effective from date of RBI circular dated 22.08.2008, and the balance at the time of renewal.

8. Employees' Benefits:

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to profit and loss account.

Defined Benefit Plan: Banks liabilities towards defined benefit schemes are determined using Projected Unit Credit Method. Actuarial Valuations are under the projected Unit Credit Method are carried out at the balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in the profit and loss account.

9. Impairment of Assets

Impairment losses if any. on fixed assets including Revalued Assets, are recognized in accordance with Accounting Standard 28 - Impairment of Assets issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and charged to profit and loss account.

10 Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29 - "Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable than an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation & when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may never be realized.

11. Net Profit, Provisions and Contingencies:

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred taxation), provision for advances and contingencies/others.

12. Income tax:

The provision for tax for the year comprises current income tax, fringe benefit tax, wealth tax and the deferred tax. The deferred tax assets and liabilities are recognized, subject to the consideration of prudence, taking in to account the timing differences between taxable income and accounting income, in terms of Accounting Standard 22 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The tax expenses shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent & subsidiary.

खातों पर टिप्पणियां

1. दि.31.3.2009 को मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक व महाराष्ट्रा गोदावरी ग्रामीण बैंक नामक दो सहायक प्रतिष्ठान थे जिनको आपस में मिला के दिनांक 20.07.2009 को महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का गठन किया गया. नए प्रतिष्टान में रु. 47.93 करोड़ की असमायोजित हानियां हैं. असमायोजित हानियों को ध्यान में रखते हुए सहायक प्रतिष्ठान के चालू वित्तीय वर्ष के लाभ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हिस्सा रु. 7.12 करोड़ को समेकित तुलन-पत्र में नहीं दर्शाया गया हैं.

2. **निवेश :**

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमश: "परिपक्वता धारित", "बिक्री हेतु उपलब्ध" और "विपणन हेतु धारित" में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है.

लागू सीमा तक बैंक ने निम्नानुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी अनिवार्य लेखा मानकों का पालन किया है

3) **लेखा मानक -5 अवधि के लिए निवल लाभ या हानि गतावधि मदें व ललेखा नीतियों मे परिवर्तन**

चूंकि आय /खर्च की गतावधि मदे वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबध्द किया गया है.

4) **लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां - में उल्लेखित लेखा नीति 7(i) के अनुसार सांविधिक आवश्यकताओं और भौतिकता के कारण आय की कतिपय मदों का निर्धारण वसूली के आधार पर किया गया है ।

5) **समेकित खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17):**

NOTES ON ACCOUNTS

1. As on 31.03.2009 there were two associates viz. Marathwada Gramin Bank (MGB) and Maharashtra Godavari Gramin Bank (MGGB) which were amalgamated on 20.07.2009 and a new entity in the name of Maharashtra Gramin Bank (MGB) came into existence. The New Entity is having unabsorbed losses of Rs. 47.93 crore. In view of unabsorbed losses, the share of Bank Of Maharashtra in current year profit of the associate of Rs. 7.12 crore is not recognized in consolidated balance sheet.

2. **Investments:**

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

The Bank has complied with the mandatory Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

3. **Accounting Standard 5 : Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.**

As Prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

4. **Accounting Standard 9 : Revenue Recognition**

As per Accounting Policy No. 7(i), given in Schedule -17 - Significant Accounting Policies, certain items of income are recognized on realization basis on account of statutory requirements or materiality.

5) **Consolidated Segment Reporting (AS-17):**

(रुपये करोड़ में)
(Rs. in Crore)

व्यवसाय खंड Business Segments →	खजाना Treasury		निगमित / संपूर्ण बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other banking operations		कुल Total	
विवरण Particulars	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**	**2009-10**	**2008-09**
राजस्व Revenue	1609.62	1215.21	2128.45	1875.03	1559.65	1676.36	29.75	27.17	5327.47	4793.77
परिणाम Result	348.53	136.01	108.36	269.13	115.81	115.64	4.28	1.70	576.98	522.48
अनाबंटित खर्च Unallocated expensess									8.00	9.85
परिचालनगत लाभ Operating profit									568.98	512.63
आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes									129.32	135.92
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/loss	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil	शून्य Nil
निवल लाभ Net profit									439.66	376.71
अन्य जानकारी :Other Information										
खंड आस्तियां Segment assets	22855.84	18720.48	27508.35	21506.43	14049.50	12784.34	5881.97	4785.67	70295.66	57796.92
अ-आबंटित आस्तियां Unallocated assets									768.30	1241.63
कुल आस्तियां Total assets									71063.96	59038.55
संवर्ग देयताएं Segment liabilities	21453.30	18489.95	27820.49	21226.84	14208.92	12618.14	4595.06	4101.97	68077.77	56436.90
अ-आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									118.83	75.55
पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves									2867.36	2526.10
कुल देयताएं Total liablities									71063.96	59038.55

क) निवेश, भारतीय रिज़र्व बैंक में अधिशेष, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और संबंधित आय इत्यादि को खजाना खंड में शामिल किया गया है ।

ख) निगमित और संपूर्ण बैंकिंग में न्यास, भागीदारी फर्म, फुटकर बैंकिंग में शामिल नहीं किये गये सांविधिक निकाय और कंपनियां शामिल हैं ।

ग) फुटकर बैंकिंग में वैयाक्तक व्याक्त / व्याक्तयों अथवा ऐसे छोटे व्यवसाय शामिल हैं, जहां

i. कुल वार्षिक औसत आवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है, और

ii. किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और

iii. एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल फुटकर उधार रु.5.00 करोड़ तक है.

घ) अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में खजाना, संपूर्ण बैंकिंग और फुटकर बैंकिंग संवर्ग जैसे कि भारत में बेंकों में नकदी व अधिशेष, अग्रिम, बैंक, बीमा व म्युचअल फंड उत्पाद, अन्य आस्तियां व संबंधित आय शामिल है.

खंड रिपोर्टिंग के प्रारूप में हुए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के आंक़डे नहीं दिए गए हैं.

भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक का प्रचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अत: कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है.

6. लेखा मानक 18 - संबध्द पक्ष प्रकटन -

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 18 - "संबध्द पक्ष प्रकटन" के अनुपालन में ब्यौरा निम्नानुसार है:

सम्बंधित पक्षों का नाम और बैंक से उनके सम्बंध:

महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक

1) श्री अलेन सी ए पिरेरा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (04.06.2008 से)
2) श्री मधुकांत जी संघवी, कार्यपालक निदेशक (15.10.2008 से)
बैंक की अनुषंगी कंपनी - दी महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.
बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
सम्बंधित पक्षों से संव्यवहार (महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति)

(रु.लाख मे)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
वेतन	27.50	24.34
उधारी (आवास ऋण)	0.00	0.00

चूँकि बैंक, उसकी अनुषंगी कंपनी और सहायक संस्थाएं सरकारी नियंत्रण में हैं अत: एएस 18 की अपेक्षाओं के अनुसार उनसे किये जाने वाले संव्यवहारों के सम्बंध में किसी भी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

7. लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय

	31-03-2010	31-03-2009
2) कम की गई प्रति शेयर आय	**Rs. 10.21**	Rs. 8.75
मूल प्रति शेयर आय की गणना		
क) इाक्वटी शेयरधारकों को कर के बाद निवल लाभ (रुपये लाख में)	**43966.78**	37671.16
ख) इाक्वटी शेयरों (संख्या लाख में) की भारित औसत संख्या	**4305.20**	4305.20
ग) मूल प्रति शेयर आय (ख) द्वारा विभाजित (क)	**Rs. 10.21**	Rs. 8.75
घ) प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य	**Rs. 10.00**	Rs.10.00

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on Investments and related income there from.

b) Corporate/ Whole sale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies and statutory bodies which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to the individual person/ persons or to a small business where

i. total average annual turnover is less than Rs. 50.00 crore and

ii. no aggregate exposure to one counter part exceeds 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

The above disclosures made are based on the records/information compiled by the management and relied upon by the auditors.

Geographical Segment

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

6) Accounting Standard 18 - Related party disclosures:

The details in this regard are mentioned as below:

Name of the Related Parties and their relationship with the Bank:

Key Managerial Personnel-

1. Shri Allen C. A. Pereira, Chairman & Managing Director (from 04.06.2008)

2. Shri Madhukant G. Sanghvi, Executive Director (from 15.10.2008)
Subsidiary of the Bank-The Maharashtra Executors & Trustee Co. Pvt. Limited
Associate of the Bank- Maharashtra Gramin Bank

Transactions with Related parties (Key Managerial Persons)-

(Rs in lakhs)

Particulars	31.03.10	31.03.09
Salary	27.50	24.34
Borrowings (Housing Loan)	0.00	0.00

Since the bank, its subsidiary and associates are state controlled, no disclosures are required to be made pertaining to the transactions with them in accordance with the requirements of AS 18.

7) Accounting Standard 20- Earning per Share

	31.03.2010	31.03.2009
Basic / Diluted E.P.S.	**Rs. 10.21**	Rs. 8.75
Calculation of Basic /Diluted E.P.S.		
a) Net Profit after Tax (Rs in lakhs)	**43966.78**	37671.16
b) Weighted Average number of Equity Shares (Nos. in Lakhs)	**4305.20**	4305.20
c) Basic Earning per share (a) divided by (b)	**Rs. 10.21**	Rs. 8.75
d) Nominal Value per Share	**Rs. 10.00**	Rs.10.00

8. लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखा

लेखा मानक 22 के अनुसार मूल बैंक ने आयकर का लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों का निर्धारण हुआ है. आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(रु.करोड़ मे)

ब्यौरे	31-03-2010	31-03-2009
आस्थगित कर आस्तियां		
1) डूबत ऋण व अन्य हेतु प्रावधान के लिए समय अंतर के कारण	**273.60**	225.70
2) लेखा मानक 15 के कारण कर्मचारी लाभ हेतु राजस्व प्रारक्षिति में प्रावधान की नामे की गई रकम हेतु	**22.64**	91.59
3) अचल आस्ति में मूल्य ह्रास् हेतु	**0.00**	0.00
कुल	**296.24**	317.29
आस्थगित कर देयता		
1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण	**18.10**	13.00
कुल	**18.10**	13.00
निवल आस्थगित कर आस्तियां	**278.14**	304.29

मेटको के संबंध में मांग और सावधि देयताओं के संबंध में वर्ष के दौरान हुए रू. 18092- (रू. 11760-) के मूल्यह्रास और बुनियादी खर्चों को लाभ / हानि खाते में नामे डाला गया है ।

9) लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन

(1) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि 3 वर्ष

परिशोधन दर 33.33%

परिशोधन पद्धति लागत पर सीधी रेखा

(रुपये करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर	**11.32**	10.29
वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर	**5.54**	6.69
वर्ष के दौरान परिशोधन	**5.62**	5.66
वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि	**11.24**	11.32

10) आस्तियों का अनर्जक होना -लेखा मानक - 28

बैंक ने अभिनिर्धारित किया है कि आस्तियों में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई है. इसलिए लेखा मानक- 28 के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ।

11) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां -. लेखा मानक 29

प्रबंधन के मतानुसार अनुसूची 12 में संदर्भित आकस्मिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं है.

(i) समाधान / अंतर शाखा व्यवहारों, अन्य बैंकों / संस्थाओं के साथ व्यवहार, नाममात्र के खाते, रिफण्ड आदेश और अन्य आस्तियों और अन्य देयताओं के अंतर्गत पुरानी प्रविष्टियों को समाप्त करने हेतु समायोजन का कार्य जारी है. साधारण खाता बही से सहायक लेजरों में जमाराशियों, अग्रिमों, उचंत खातों, अन्य आस्तियों / देयताओं के समाशोधन अंतर इत्यादि से संबंधित मिलान तथा आस्तियों के अंतर शाखा अंतरण और आस्थगित कर आस्तियों के समाधान का कार्य कुछ शाखाओं में लंबित है. प्रबंधन के अभिमत में इनका परिणाम खातों पर कोई खास नहीं पड़ेगा.

(ii) आय अभिनिर्धारण व आस्ति वर्गीकरण के विवेकी मानदण्डों के अनुसार अग्रिमो के अभिनिर्धारण व निगरानी के लिए बैंक क्रीम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है. यद्यपि सॉफ्टवेयर में कुछ पाईं गईं कमियों को दूर किया गया है फिर भी सॉफ्टवेयर मे सुधार का कार्य जारी है. वित्तीय विवरणो में इसके प्रभाव को आंका नहीं जा सका है.

8) Accounting for Taxes on Income (AS-22):

The parent bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are recognized. Major Components of Deferred Tax Assets & Deferred Tax Liabilities are as under:

(Rs. in Crore)

Particulars:	31.03.2010	31.03.2009
Deferred Tax Assets		
1) On account of timing difference towards provisions for Bad & Doubtful debts & Others.	**273.60**	225.70
2) On account of provisions for Employees benefits debited to Revenue Reserve as per AS-15 (Revised)	**22.64**	91.59
3) On account of depreciation on fixed assets	**0.00**	0.00
Total	**296.24**	317.29
Deferred Tax Liability		
1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii)	**18.10**	13.00
Total	**18.10**	13.00
Net Deferred Tax Asset-shown in Schedule 11 (Other Assets)	**278.14**	304.29

In respect of METCO, DTA in respect of depreciation & preliminary expenses for the current year amounting to Rs18092/- (DTL Rs. 11760/-) has been shown in Balance Sheet.

9) Accounting Standard 26- Accounting for Intangible Assets.

(i) Computer Software - other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33%

Amortization Method- Straight line at cost.

(Rs. In Crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Software at the beginning of the year	**11.32**	10.29
Software acquired during the year	**5.54**	6.69
Amortization during the year	**5.62**	5.66
Net carrying amount at the end of the year	**11.24**	11.32

10) Impairment of Assets (AS-28):

Bank has identified that there is no impairment of fixed assets and as such no provision is required as per AS-28.

11) Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets (AS-29):

In the opinion of the management, no provision is required against contingent liabilities referred in Schedule 12.

(i) Steps are in progress for adjustments/reconciliation/elimination of inter branch transactions, transactions with other banks/institutions, nominal accounts and old entries, etc. under other assets and other liabilities, the effect of which is not ascertainable and in the opinion of the management, consequential impact on revenue is not material.

(ii) The Bank is using CREAM software for identifying and monitoring of the advances as per the IRAC prudential norms. Though, a few of the bugs noticed in the software have been rectified, further refinement in the software is being in process. The effect of this on the Financial Statements is not ascertainable.

(iii) रु.8.02 करोड़ (रु.8.02 करोड़) के सकल मूल्य के कुछ परिसरों के संबंध में कतिपय कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने / विवाद लंबित होने के कारण बैंक के पक्ष में हक विलेख निष्पादित / पंजीकृत करना शेष है.

12) परिसरो का पुनर्मूल्यन

वर्ष 1993-1994 के दौरान कतिपय परिसरों का अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया गया था. पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई वृध्दि रु. 14.74 करोड़ को उक्त वर्ष में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में जमा किया गया था. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर चालू वर्ष के दौरान रु.0.55 करोड़ (रु.11.80 करोड़) को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि-II में समायोजित किया गया. पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में समायोजित मूल्यऱ्हास (I+II का जोड़) किया गया.रु.12.35 करोड़ है.

13. समेकन पर ख्याति व पूंजीगत प्रारक्षिति

दिनांक 31.3.2010 को रु. 31.21 करोड़ (रु. 31.27 करोड़) की ख्याति सहायक प्रतिष्ठानों से संबंधित थी. दोनो सहायक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आपस में विलय कर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाने के कारण दिनांक 31.3.2010 को रु. 5.02 करोड़ की पूंजीगत प्रारक्षिति को ख्याति में समायोजित कर दिया गया नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रिपोर्टिंग दिनांक पर कार्यरत था.

14. खातों पर अन्य विशिष्ट टिप्पणियां

बैंक की सहायक कंपनियों और बैंक के असमेकित वित्तीय विवरणों में "खातों में टिप्पणी" के अंतर्गत इनका निर्धारण किया गया ।

15. जहां कहीं आवश्यक हुआ हो वहां गत वर्ष के आंक़डों को पुन:समूहबद्ध / पुन:वर्गीकृत किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंक़डों से तुलना के योग्य बनाया जा सके ।

(iii) In respect of few premises having gross value of Rs. 8.02 crores (Rs. 8.02 crores) revalued at Rs. 41.58 crore, the title deeds are yet to be executed / registered in favour of the Bank due to certain pending legal disputes / formalities.

12) Revaluation of Premises:

Certain premises have been revalued during the year on the basis of approved Valuer's report. The resultant increase in the value of premises amounting to Rs. 14.74 crores has been credited to Revaluation Reserve Account. Depreciation for the current year amounting to Rs 0.55 crores (Rs 11.80 crores) on revalued assets has been adjusted to Revaluation Reserve Account (II). The total depreciation for the current year on revaluation reserve (I) + (II) is Rs. 12.35 crores.

13) Goodwill and Capital Reserve on consolidation.

Goodwill of Rs. 31.21 crores (Rs 31.27 crores) pertains to associate as on 31.03.2010. The capital reserve of Rs. 5.02 lacs is adjusted to Goodwill as on 31.03.2010 in view of amalgamation of both the associate RRBs into a single associate RRB which exists as on date of reporting.

14) Other significant Notes on Accounts.

These are set out under Notes on Accounts as given in the sole Financial Statements of Bank, its subsidiary and the associate.

15) Previous years figures have been regrouped/reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current years figures.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(रु. हजार में) (Rs. in thousands)

	ब्यौरें Particulars		31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2010		31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2009	
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
A.	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**					
	आय INCOME					
	अर्जित ब्याज INTEREST EARNED			4735,58,45		4291,55,99
	अन्य आय OTHER INCOME			591,88,71		502,21,41
				5327,47,16		**4793,77,40**
	घटाएं : व्यय व प्रावधान					
	LESS: EXPENDITURE & PROVISIONS					
	प्रदत्त ब्याज INTEREST PAID			3438,95,88		3034,65,45
	परिचालनगत व्यय OPERATING EXPENSES			1073,80,36		964,01,71
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं PROVISIONS & CONTIGENCIES			375,04,14		418,39,08
				4887,80,38		**4417,06,24**
	कुल व्यय के ऊपर कुल आय अधिक होने का कारण नकदी में निवल वृद्धि					
	NET INCREASE IN CASH DUE TO INCREASE OF INCOME OVER EXPENSES			**439,66,78**		**376,71,16**
	जोड़े : गैर नकदी मद एवं अलग विचारित मदें					
	ADD : NON CASH ITEMS & ITEMS CONSIDERED SEPARATELY					
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं					
	PROVISIONS & CONTINGENCIES		375,04,14		418,39,08	
	अचल संपत्तियों हेतु मुल्य-ह्रास					
	DEPRECIATION FOR FIXED ASSETS		75,09,54		75,77,20	
	टीयर II बॉंडस् पर ब्याज INTEREST ON TIER II BONDS		207,08,46	657,22,14	190,65,65	684,81,93
				1096,88,92		1061,53,09
	घटाएं : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (शुद्ध)					
	LESS: DIRECT TAXES PAID (NET)			-302,54,76		-220,96,98
	परिचालन से अर्जित नकद लाभ					
	CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS	**(I)**		**794,34,16**		**840,56,11**
	परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि					
	NET INCREASE OF OPERATING LIABILITIES:					
	जमाराशि DEPOSITS		**11045,08,32**		10497,06,85	
	उधारी (टीयर II बॉंड को छोड़कर) BORROWINGS (EXCL TIER I/II BONDS)		**-60,55,99**		-9,23,51	
	अन्य देयताएं व प्रावधान OTHER LIABILITIES & PROVISION		**-10,69,89**		-400,70,48	
		जोड़ Total	**10973,82,44**		10087,12,86	
	घटाएं : परिचालन आस्तियों में शुद्ध वृद्धि					
	LESS: NET INCREASE OF OPERATING ASSETS					
	निवेश INVESTMENTS		**2941,70,77**		6076,85,97	
	अग्रिम ADVANCES		**6023,92,40**		5004,95,99	
	अन्य आस्तियां OTHER ASSETS		**465,90,39**		-500,20,72	
		जोड़ Total	**9431,53,56**		10581,61,24	
	परिचालनगत अस्तियां पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि					
	NET INCREASE OF OPERATING LIAB OVER OPERATING ASSETS	**(II)**		**1542,28,88**		**-494,48,38**
	परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)= (A)			**2336,63,04**		**346,07,73**
	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह					
B.	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**					
	अचल संपत्तियों का क्रय/विक्रय PURCHASE / SALE OF FIXED ASSETS		**-64,77,16**		-75,48,86	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ख)				
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(B)**		**-64,77,16**		**-75,48,86**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**					
C.	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**					
	टीयर II /अपर टीयर II बॉंडस् से अगम (मोचन सहित)					
	i) Proceeds from Tier II & Upper Tier II Bonds and Perpetual Bond (incl .redemption) लाभांश + कर		**600,00,00**		-100,00,00	
	ii) Dividend plus tax टीयर II बॉंडस् पर ब्याज		**-75,55,30**		-100,73,74	
	iii) Interest on Tier II Bonds		**-207,08,46**		-190,65,65	
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)					
	CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES = (C)			**317,36,24**		**-391,39,39**
	वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह					
	TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)			**2589,22,12**		**-120,80,52**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

ब्यौरें Particulars	**31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2010**	31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31-03-2009
REPRESENTED BY - विश्लेषण निम्नानुसार		
वर्ष के आरंभ में शेष Balances at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balance with RBI	3881,42,02	3893,88,41
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Balances with Banks, Money at Call & Short notice	223,91,65	332,25,78
	4105,33,67	**4226,14,19**
वर्ष के अन्त में शेष Balances at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष Cash & Balances with RBI	5315,39,40	3881,42,02
Balance with banks, Money at call & Short notice	1379,16,39	223,91,65
	6694,55,79	**4105,33,67**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	**2589,22,12**	**-120,80,52**

अलेन सी.ए.पिरेरा
ALLEN C.A. PEREIRA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director

एम.जी.संघवी
M. G. SANGHVI
कार्यपालक निदेशक
Executive Director

ए.एस.बनर्जी
A. S. BANERJEE
महाप्रबंधक वि.प्र.व ले.
General Manager, F.M.& A.

समदिनांकित हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

कृते वाही एंड गुप्ता
For Wahi & Gupta
एफआरएन 2263
FRN 2263N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(के.पी.वाही)
(K. P. WAHI)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No.: 16164

कृते वी. सी. गौतम एंड कं.
For V.C. Gautam & Co.
एफआरएन 365एन
FRN 365 N
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(विष्णु गौतम)
(VISHNU GAUTAM)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 16257

कृते बी. छावछरिया एंड कं.
For B. Chhawchharia & Co.
एफआरएन 305123ई
FRN 305123E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(एस.के.छावछरिया)
(S.K. CHHAWCHHARIA)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 8482

कृते रे एंड कं.
For Ray & Co.
एफआरएन 313124ई
FRN 313124E
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(सुब्रता रॉय)
(SUBRATA ROY)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 051205

कृते जोध जोशी एंड कं.
For Jodh Joshi and Co.
एफआरएन104317डबल्यू
FRN 104317W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

यश के. वर्मा
(YASH K VERMA)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 105954

कृते जेसीआर एंड कं
For JCR & Co.
एफआरएन105270डबल्यू
FRN 105270W
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

(के एस राघवन
(K. S. RAGHAVAN)
भागीदार
Partner
सदस्यता क्रमांक
Membership No. 16792

स्थान : पुणे
दिनांक : अप्रैल 30, 2010

Place : Pune
Date : April 30, 2010

वाही एंड गुप्ता	वी. सी. गौतम एंड कं.	बी. छावछरिया एंड कं.	रे एंड कं.	जोध जोशी एंड कं.	जेसीआर एंड कं
सनदी लेखाकार होटल रेक्स बिल्डिंग, (ओबीसी बिल्डिंग) 5 - नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली - 110002	सनदी लेखाकार बी -3, कैलाश कॉलोनी, न्यू दिल्ली - 110048	सनदी लेखाकार 8ए और 8बी, सत्यम टॉवर, 3, अलिपुर रोड, कोलकाता - 700027	सनदी लेखाकार कमरा नं. 8सी, 8वा माला, 21ए शेक्सपियर सरानी कोलकाता - 700017	सनदी लेखाकार जे. पी. हाऊस, 1ला माला रविनगर स्क्वेयर, अमरावती रोड नागपुर - 440010	सनदी लेखाकार लेवल -1, रावल हाऊस, 18वा माला, खार (प.) मुंबई - 400052
Wahi & Gupta Chartered Accountants Hotel Rex Bldg. (OBC Building) 5 - Netaji Subhash Marg, Daryaganj, New Delhi -110002	**V.C. Gautam & Co.** Chartered Accountants B - 3, Kailash Colony, New Delhi - 110048	**B. Chhawchharia & Co.** Chartered Accountants 8A & 8B, Satyam Tower, 3, Alipore Road, Kokata - 700027	**Ray & Co.** Chartered Accountants Room No. 8C, 8th Floor, 21A Shakespeare Sarani Kolkata - 700017	**Jodh Joshi and Co.** Chartered Accountants J. P. House, 1st Floor, Ravinagar Square' Amravati Road, Nagpur - 440010	**JCR & Co.** Chartered Accountants Level - 1, Raval House, 18th Floor, Khar (W) Mumbai - 400052

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसकी सहायक कंपनी तथा एक सहयोगी संस्था (समूह) के दिनांक 31 मार्च, 2010 के संलग्न समेकित तुलन पत्र तथा उसी दिनांक समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण की हमने लेखा परीक्षा की है,

   हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मूल बैंक के वित्तीय विवरण में

   क) हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20शाखाओं की विवरणियां

   ख) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित 1224 शाखाओं की विवरणियां और

   ग) प्रबंधन द्वारा अधिप्रमाणित 208 शाखाओं की अ-लेखापरिक्षित विवरणियां शामिल हैं

   जैसा हमें बताया गया है, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया है । । इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 1.53% जमाराशियों में3.03%, ब्याज आय में 0.76% और ब्याज खर्च में 0.67% हिस्सा है.

   हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणो की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में दिनांक 31.3.2010 को रु 969.60 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु रु 14.57 लाख का लाभ दर्शाया गया है.साथ ही सहायक प्रतिष्ठानो की भी लेखा परीक्षा नहीं की है जिसके वित्तीय विवरण में उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में दिया गया है, समूह के लाभ के हिस्से को शून्य बताया गया है. इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई. इस सहायक कंपनी से संबंधित राशियों के मामले में हमारा मत केवल अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों पर आधारित है.

   ये वित्तीय समेकित विवरण बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं. हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है.

2. हमने यह लेखा परीक्षा भारत में सामान्य रूप से मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है. इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम यह लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित व निष्पादित करें ताकि यथोचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि अभिनिर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार हर महत्वपूर्ण पहलू के अनुरूप बनाये गये वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं हुई है. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में प्रकट तथ्यों व खातों के समर्थन में प्रदत्त साक्ष्यों की प्रायोगिक आधार पर जाँच करना शामिल है. लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग में लाये गये लेखांकन के सिद्धांत और तैयार किये गये महत्वपूर्ण अमुमानों का निर्धारण भी शामिल होता है. हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को समुचित आधार प्रदान करती है.

AUDITORS' REPORT

To,

The President of India

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of BANK OF MAHARASHTRA, its one subsidiary and one associate (the Group) as at 31 March 2010 and also the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow statement annexed thereto for the year ended on that date.

   The Financial Statements of parent Bank audited by us incorporates:

   a) The returns of 20 branches audited by us,

   b) The returns of 1224 branches audited by other Branch Auditors, and

   c) Unaudited returns in respect of 208 branches certified by the management.

   The branches audited by us and those audited by other auditors, as informed to us, have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by Reserve Bank of India. These unaudited branches account for 1.53 % of advances, 3.03% of deposits, 0.76 % of interest income and 0.67 % of interest expenses.

   We did not audit the financial statements of subsidiary whose financial statement reflect total assets of Rs. 969.60 lacs as on 31st March, 2010 and net profit of Rs. 14.57 lacs for the year ended on that date, and associate whose financial statements reflect the Group share of profit of Rs. NIL for the year ended on that date as considered in consolidated financial statements. These financial Statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us and our opinion insofar as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary and the associate is based solely on the reports of the other auditors.

   These consolidated financial statements are the responsibility of Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statement based on our audit.

2 We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements prepared, in all material respects in accordance with the identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides reasonable basis for our opinion.

3. हम सूचित करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समेकित वित्तीय विवरण और सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश लेखा मानक 23 के अनुसार और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल बैंक इसकी सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों पर तैयार किए गए हैं. ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत किये गये हैं.

4. अपनी राय को विशेषित किये बगैर निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है-

दिनांक 30 जुलाई, 2008 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीओडी.एनओ.बीपी. बीसी.26/21.04.048/2008-09 में दिए गए विकल्प का प्रयोग करने पर कृषि ऋण राहत योजना के अंतर्गत पात्र खातों मे दिनांक 31.3.2010 को बकाया रु 124.87 करोड़ का वर्गीकरण अवधि के दौरान किया गया, जो अन्यथा अनर्जक हो जाते. इन अग्रिमो को पिछले वर्ष आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण के मानदंडों के अनुसार वर्तमान मूल्य के रूप में हानि हेतु रु. 10.66 करोड का प्रावधान करते हुए अर्जक आास्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उस दिनांक को बैंक ऑफ महाराष्ट्र मूल बैंक का निवल लाभ (करों को छोडकर) तथा आरक्षितियां रु. 12.56 करोड से घट जातीं.

5. उपर्युक्त परिच्छेद 1 व 2 में इंगित लेखा परीक्षा की सीमाओं के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण व अर्जन) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i) समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुबंध 17 के पैरा 11 (i) में किये गये उल्लेख के अनुसार कुछ आस्तियों/ देयताओं, समाशोधन के अंतरों, अंतर शाखा खातों/ स्थिर आस्तियों के अंतर शाखा अंतरणों की सतत समाधान की प्रक्रिया के कारण उत्पन्न हो सकने वाले समायोजनों का खातों पर पडने वाला परिणामकारी प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है;

ii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र मूल बैंक ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों से संबंधित समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुसूची 17 के परि.क्र. 7.1 में किये गये उल्लेख के अनुसार उपचित आधार के बजाए नकदी आधार पर कमीशन, लॉकर किराया आदि से होने वाली आय के निर्धारण की नीति अपनायी है जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक -9 राजस्व निर्धारण के अनुरूप नहीं है.

iii) समेकित तुलन पत्र से संलग्न अनुबंध 17 की पैरा 11 (ii) में किये गये उल्लेख के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र मूल बैंक द्वारा उपयोग में लायी जा रही सॉफ्टवेयर प्रणाली में पाये गये अंतर्निहित व्यवधानों का खातों पर पडने वाला प्रभाव निर्धारण योग्य नहीं है.

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारी जानकारी और विशवास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह हमने प्राप्त कीं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया ।

घ. समूह के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं ।

ग. हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ हानि लेखा व समेकित नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में हमारी अधिकतम जानकारी और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों व समूह की बहियों में दर्शाए गये अनुसार:

i. समेकित तुलन पत्र, उसमें दी गई टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण सहित परिपूर्ण और समुचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक ब्यौरों का समावेश है और वह भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार इस ढंग से बनाया गया है कि उससे समूह के 31 मार्च, 2010 के व्यवहारों का सही चित्र सामने आ सके.

3. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the bank in accordance with the requirements of the Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements and Accounting Standard 23 - Investments in Associates, and on the basis of separate audited financial statements of the bank and its subsidiary and associate included in the Consolidated Financial Statements. These Consolidated Financial Statements have been drawn up in the form prescribed by the Reserve Bank of India.

4. Without qualifying our opinion, attention is drawn to-

Pursuant to exercising of the option during the period, as per the Circular No: DBOD,No.BP.BC.26/ 21.04.048/ 2008-09 dated 30th July 2008 issued by Reserve Bank of India, to treat the eligible accounts under Agriculture Debt Relief Scheme, which otherwise would have slipped to NPA to the extent of Rs. 124.87 crores being the outstanding balance as on 31.03.2010, which hitherto were classified as per IRAC norms during the previous financial year, as performing assets, by making provision of Rs. 10.66 crores for loss in Present Value terms, consequent thereto, the net profit (net of taxes) and reserves of the Bank of Maharashtra, parent bank, as on that date would have been decreased by Rs.12.56 crores;

5 Subject to the limitations of audit indicated in Paragraph 1 and 2 above, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject to the limitation of disclosure required therein and subject to following:

i. the effect of adjustments that may arise from the on going reconciliation of certain assets/liabilities, clearing differences, inter branch accounts/inter branch transfer of fixed assets, (as stated in para 11 (i) of Schedule 17 annexed to the Consolidated Balance Sheet), the consequential impact thereof on the accounts - is not ascertainable;

ii. the Bank of Maharashtra, parent bank, is following the policy of recognizing the income from commission, locker rent etc. on cash basis during the year, instead of accrual basis as stated in para. no. 7.1 of Schedule 17 annexed to the Consolidated Balance Sheet, which are not in conformity with the Accounting Standard 9 Revenue Recognition, issued by The Institute of Chartered Accountants of India; and

iii inherent bugs noticed in the software system, used by the Bank of Maharashtra, parent bank, as stated in para 11 (ii) of Schedule 17 annexed to the Consolidated Balance Sheet, the impact whereof on the accounts is not ascertainable;

We report that:

a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and found them to be satisfactory;

b) The returns received from the offices and branches of the group have been found adequate for the purpose of our audit;

c) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, Consolidated Profit and Loss Account and Consolidated Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards;

d) In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Group :-

i) the Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit the true and fair state of affairs of the Group as at 31st March, 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

ii. समेकित लाभ हानि लेखा और उस पर की गयी टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लाभ का सही शेष दर्शाता है जो 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है और

iii. नकदी प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष में हुए नकदी प्रवाह का सही व उचित चित्र प्रस्तुत करता है.

ii) the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon and Statement of Significant Accounting Policies shows a true Balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the accounts; and

iii) the Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year covered by the accounts.

कृते वाही एंड गुप्ता **For Wahi & Gupta** एफ आरएन 2263 FRN 2263N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते वी. सी. गौतम एंड कं.** **For V.C. Gautam & Co.** एफआरएन 365एन FRN 365 N सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते बी. छावछरिया एंड कं.** **For B. Chhawchharia & Co.** एफआरएन एन305123ई FRN 305123E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते रे एंड कं.** **For Ray & Co.** एफआरएन 313124ई FRN 313124E सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जोध जोशी एंड कं.** **For Jodh Joshi and Co.** एफआरएन 104317डबल्यू FRN 104317W सनदी लेखाकार Chartered Accountants	**कृते जेसीआर एंड कं** **For JCR & Co.** एफआरएन105270डबल्यू FRN 105270W सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(के.पी.वाही) **(K. P. WAHI)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No.: 16164	**(विष्णु गौतम)** **(VISHNU GAUTAM)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16257	**(एस.के.छावछरिया)** **(S.K. CHHAWCHHARIA)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 8482	**(सुब्रता रॉय)** **(SUBRATA ROY)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 051205	**यश के. वर्मा** **(YASH K VERMA)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 105954	**(के एस राघवन** **(K. S. RAGHAVAN)** भागीदार Partner सदस्यता क्रमांक Membership No. 16792

स्थान : पुणे Place : Pune
दिनांक : अप्रैल 30 2010 Date : April 30, 2010

(भौतिक रूप से शेयरधारण करने वाले शेयर धारकों के लिए)

एम सी एस लिमिटेड

युनिट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ऑफिस क्रमांक 21 / 22, ग्राऊण्ड फ्लोअर, काशीराम जमनदास बिल्डिंग
5, पी.डिमेलो रोड (घडियाल गोड़ी), मस्जिद (पूर्व), मुंबई, 400 009

प्रिय महोदय,

विषय : बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इक्विटी शेयर्स - इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा जिन केंद्रो पर उपलब्ध है वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यमसे लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इक्विटी शेयर्स है.

मैं / हम इलेक्ट्रॉनिक क्लीअरिंग सेवा सुविधा के माध्यम से मेरे / हमारे लांभाश के भुगतान करने का अनुरोध करता हूँ / करते है और निचे दिए गए हुए विवरण के अनुसार लाभांश को मेरे / हमारे खाते में जमा किए जाए.

(For Shareholders holding Shares in physical form only)

MCS Limited

Unit: Bank of Maharashtra

Office No.21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg.,5, P.D. Mello Road,
(Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai-400 009.

Dear Sir,

Re: Equity Shares of Bank of Maharashtra - option to receive dividend through Electronic Clearing Service (ECS) facility at centres wherever it is available.

I/ We hold equity shares of Bank of Maharashtra **in physical form.**

I/ We request you to arrange for payment of my / our dividend through ECS facility and credit the same to my / our account as per details given below:

1.		प्रथम / एकल शेयरधारक का नाम	First / Sole Shareholder's Name	
2.		रजिस्टर्ड फोलिओ क्रमांक	Registered Folio No.	
3.		बैंक खाते का विवरण	Particulars of Bank Account	
	a.	बैंक का नाम	Bank Name	
	b.	शाखा नाम	Branch Name	
	c.	शाखा का पता	Address of the Branch	
	d.	टेलिफोन क्रमांक और फॅक्स क्रमांक	Telephone number and Fax number	
	e.	बैंक द्वारा जारी माईकर चेक पर अंकित बैंक और शाखा का 9 अंकों वाला माईकर कूट क्रमांक	9 - digit MICR code number of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheques issued by the Bank	
	f.	खाते का प्रकार (बचत / चालू / नकद साख, कूट क्रमांक 10 / 11 / 13 सहित)	Account type (Savings / Current / Cash Credit with code 10/11/13)	
	g.	खाते क्रमांक (जैसा चेक बुक पर अंकित है	Account Number as appearing on the Cheque Book*	

(*उक्त विवरणों के सत्यापन के लिए कृपया अपना कोरा चेक की या आपके खाते पास बुक के अगले पेज के फोटो कॉपी संलग्न करे)

मै / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपर दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है. यदि कोई व्यवहार असत्य या अपूर्ण जानकारी के कारण विलंबित या प्रभावित होता है तो मैं / हम बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा / ठहराएंगे. मैं / हमने समज लिया है कि बैंक के नियंत्रण के बाहर अपरिहायी परिस्थितीयो के कारण यदि बैंक इसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो बैंक के पास मुझे / हमे देय लांभाश भौतिक रुप से लाभांश वारंट के रूप भेजने का अधिकार सुरक्षित है.

भवदीय

(प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर)

दिनांक

नोट

1. यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक (डिमेट) प्रारूप में शेयर उपलब्ध है तो कृपया अपने बैंका का विवरण सीधे डिपजिटरी सहभागी को उपलब्ध करें.
2. इसीएस सुविधा वर्तमान के केवल निम्नलिखित केंद्रों पर उपलब्ध है:
   आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, बड़ौदा, बेंगलूरू, भुवनेश्वर, भोपाल, चंदिगढ़, कोयंम्बतूर, कोलकाता, चैन्नई, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैंद्राबाद, इंदौर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कानपूर, कोल्हापुर, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मगंलौर, मुंबई, नागपुर, नाशिक, नई दिल्ली, पणजी, पटना, पुणे, राजकोट, सोलापूर, सुरत, तिरवनंतपुरम, तिरुपुर, उडुपी, विजयवाडा, विशाखापटट्णम.
3. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश के भुगतान की केंद्रीय प्रक्रिया को सरल बनाता है. एनईसीएस के माध्यम से बैंक ईसीएस सुविधा को गैर-ईसीस केंद्रों पर उपलब्ध कराती है. अत: हम सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते है कि, नए ईसीएस दावें को, यदि कोई हो तो, उसे सीबीएस बैंक खाता संख्या साथ भेजें ताकि पुराने बैंक खाता क्रमांक में इसको अद्यतन किया जा सके. जो शेयरधारक भौतिक शेयरों को रखे हुए हैं, वे विधिवत भरे हुए प्रारूप को रजिस्टार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए-एमसीएस लि.) को भेज दे. जिन शेयरधारकों के पास डिमैट प्रारूप में शेयर हैं उन्हें अपने अधिदेश संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) को भेजना चाहिए.

(* Please attach a blank cheque or photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by the Bank for verification of the above details).

I / We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If any transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I / We would not hold the Bank responsible. I / We understand that the Bank also reserves the right to send the dividend payable to me / us by a physical dividend warrant on account of unforeseen circumstances beyond the control of the Bank that may effect the payment of dividend through ECS.

Yours faithfully,

(Name and signature of First / Sole Shareholder).

Date:

Notes:

1. In case you hold shares in electronic (Demat) form, kindly give the Bank details directly to your Depository participant.
2. The ECS facility is available at present only at the following centres:
   Agra, Ahmedabad, Amristar, Aurangabad, Baroda, Bengaluru, Bhubaneshwar, Bhopal, Chandigarh, Coimbatore, Chennai, Dehradun, Guwahati, Gwalior, Hyderabad, Indore, Jaipur, Jallandhar, Jammu, Jamnagar, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhaina, Madurai, Mangalore, Mumbai, Nagpur, Nasik, New Delhi, Panaji, Patna, Pune, Rajkot, Raipur, Solapur, Surat, Thiruvananthapuram, Tirupur, Udupi, Vijayawada, Vishakhapattanam.
3. National Electronic Clearing Service (NECS) facilitates centralized processing of dividend payment. The Bank would extend ECS facility at Non-ECS centres also through NECS. We, therefore, request all the shareholders to send new ECS mandate with CBS Bank account number, if any, for updating the same in place of old Bank account number. The Shareholders holding shares in physical form are required to send the duly filled in form to Registrar and Share Transfer Agent (RTA)-MCS LTD and Shareholders holding shares in DEMAT FORM are required to send the mandate to their respective Depository Participant (DP).

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

(केन्द्रीय कार्यालय : 1501, " लोकमंगल ", शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)
(Reg. Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(सभागृह में प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत की जाए / To be handed over at the time of entry to the Venue)

दिनांक : शुक्रवार, 9 जुलाई 2010
Date : Friday, 9th July 2010
समय : सुबह 10.00 बजे
Time : 10.00 a.m.

स्थान : आप्पासाहेब जोग सभागृह, " लोकमंगल "
1501, शिवाजी नगर, पुणे - 411 005
Venue: Appasaheb Joag Auditorium, Bank of Maharashtra,
"Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune-411 005

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present		
रजिस्टर फोलिओ / Regd. Folio	डीपी आईडी / DP ID	
	क्लायंट आईडी / Client ID	
अगर डीमैट नहीं है तो If not dematerialised	यदि डीमैट है तो If dematerialised	
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder:		
शेयरों की संख्या Number of Shares		

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
BANK OF MAHARASHTRA

(केन्द्रीय कार्यालय : 1501, " लोकमंगल ", शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)
(Reg. Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

प्रवेश पत्र / ENTRY PASS

(संपूर्ण सभा के दौरान संभाल कर रखा जाए / To be retained throughout the meeting)

उपस्थित शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present		
रजिस्टर फोलिओ / Regd. Folio	डीपी आईडी / DP ID	
	क्लायंट आईडी / Client ID	
अगर डीमैट नहीं है तो If not dematerialised	यदि डीमैट है तो If dematerialised	
शेयरधारक का नाम Name of the Shareholder:		
शेयरों की संख्या Number of Shares:		

शेयरधारक / प्रॉक्सीधारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर बैंक के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के अनुसार विधिवत हस्ताक्षर कर इसे सभागृह में प्रवेश से पूर्व प्रस्तुत करें यदि आवश्यक हो तो, सभागृह में प्रवेश तथापि अन्य सत्यापन / जांच पर भी आधारित हो सकता है. किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र की अनुलिपि सभागृह में प्रवेश से पूर्व जारी नहीं की जाएगी.

Shareholders / proxy holders / representatives are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signature registered with the Bank along with the Entry Pass for admission to the venue. The admission may, however, be subject to further verification / checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय : 1501, "लोकमंगल", शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारकों द्वारा भरा जाएं)

रजिस्टर फोलिओ नंबर		डीपी आईडी	
		क्लायंट आईडी	
अगर डीमेट नहीं है तो		यदि डीमेट है तो	

मैं / हम, राज्य _____ के जिले _____ के निवासी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का शेयरधारक

एतदद्वारा राज्य _____, जिले _____ के निवासी

श्री / श्रीमती _____ को या उनकी अनुपस्थिति की दशा में राज्य _____ के जिले _____ के निवासी

श्री/श्रीमती _____ को शुक्रवार दिनांक 9 जुलाई, 2010 को संपन्न होने वाली बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की बैठक में और

बैठक आस्थगन की दशा में मेरी / हमारी प्रॉक्सी के रूप में मेरी / हमारी ओर से वोट देने के हेतु नियुक्त करता हूँ / करते हैं.

दिनांक _____ _____ को हस्ताक्षरित

नाम _____ _____

पता _____ _____

कृपया
30 पैसे का
राजस्व टिकट

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर ----------

_____

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश :

1. कोई प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा, जब तक कि
   क) व्यक्तिगत शेयरधारकों की दशा में, उसके ॲटर्नी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर या लिखित रूप से प्राधिकृत न कर दिया जाए.
   ख) संयुक्तधारकों की दशा में, रजिस्टर में उल्लेखित प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हों या लिखित रूप से प्राधिकृत न कर दिया गया हो.
   ग) निगमित निकायों की दशा में, इसके अधिकारी या कोई एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और लिखित में विधिवत प्राधिकृत न कर दिया गया हो.
2. किसी भी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ शेयरधारकों द्वारा यदि अपना नाम या कोई चिन्ह लगाया जाता है और इसे किसी जज या मॅजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या अश्युरन्स के उप रजिस्ट्रार या सरकार के राजपत्रित अधिकारी और / या बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता है तो प्रॉक्सी के ऐसे लिखत को शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित किया माना जाएगा.
3. किसी भी प्रॉक्सी को तब तक वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि इसे विधिवत रूप से मोहर लगाकर व हस्ताक्षरित कर मुख्तारनामें के साथ या अन्य प्राधिकार, जिसके अंतर्गत इसे हस्ताक्षरित किया गया है,या मुख्तारनामे की प्रति और / या नोटरी पब्लिक, मॅजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित प्राधिकारपत्र की प्रति को वार्षिक साधारण आम सभा के दिनांक से चार दिन पूर्व नीचे दिए पते पर प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है और तब तक, जब तक कि ऐसी मुख्तारनामें को या अन्य प्राधिकार को बैंक में पहले जमा और पंजीकृत नहीं कर दिया जाता है.
   i. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शेयर विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, "लोकमंगल", 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005 अथवा
   ii. एमसीएस लिमिटेड, (कक्ष : बैंक ऑफ महाराष्ट्र), आफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर काशीराम जमनादास बल्डिंग 5, पी.डिमेलो रोड़ (घाडियाल गोदी) मास्जद (पूर्व) मुंबई - 400 009
4. बैंक में जमा किए गए प्रॉक्सी लिखत अटल और अंतिम रहेंगे.
5. यदि कोई प्रॉक्सी विलेख वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म का निष्पादन नहीं किया जाएगा.
6. शेयर लिखत का निष्पादन करने वाले शेयरधारक को व्यक्तिगत रूप से साधारण आम सभा में वोटिंग करने की पात्रता नहीं होगी.
7. बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी या प्रतिनिधि के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है.
8. नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा.

BANK OF MAHARASHTRA

Head Office: "Lokmangal", 1501, Shivajinagar, Pune 411 005

PROXY FORM

(To be filled by the shareholders)

Regd. Folio No.		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	

I / We _____ resident(s) of _____ in the district of _____in the state of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Maharashtra, hereby appoint Shri / Smt _____ resident of _____ in the district of _____ in state of _____or failing him / her, Shri/ Smt_____ resident of _____ in the district of _____ in state of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of Maharashtra to be held on Friday, 9th July, 2010 and at any adjournment thereof.

Please Affix 30 paise Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2010

Name _____

Address _____

Signature of Proxy----------

_____

(Signature of the Shareholder)

Instructions for signing and lodging the proxy form:

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
   a) in case of individual shareholders, it is signed by the shareholder or his / her attorney duly authorised in writing;
   b) in case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney duly authorised in writing;
   c) in case body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of Maharashtra.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, together with Power of Attorney or other authority, if any under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank,
   a Bank of Maharashtra, Investor Services Department, Central Office, Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411 005 or
   b. MCS Limited, (Unit: Bank of Maharashtra), Office No. 21/22, Ground Floor, Kashiram Jamnadas Bldg. 5, P. D'Mello Road, (Ghadiyal Godi), Masjid (E), Mumbai - 400 009.
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of the Bank.
8. The Proxy appointed will not have any right to speak at meeting.